खण्ड-437, अंक-6
बुधवार, 5 वैशाख, शक संवत् 1923
(25 अप्रैल, 2001 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 437 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–92
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	92
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत मनकापुर–मसकनवा, बल्लीपुर बभनान, वजीरगंज कस्बों की सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92-93
जनपद गाजियाबाद के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत बसाई जा रही अवैध कालोनियों को रुकवाने एवं सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद मुरादाबाद एवं ज्योतिबाफूले नगर के भूमिहीनों को वर्ष 1998 से पट्टों पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	93-94
जनपद सीतापुर के लहरपुर क्षेत्रान्तर्गत नैपालपुर, एकसरैल, लहरपुर मार्ग पर खस्ताहाल सड़कों के निर्माण कार्य की जांच कराने एवं अधूरे कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	94
जनपद बहराइच के पुलिस चीड़घर में पोस्टमार्टम हेतु स्थायी स्वीपर की नियुक्ति करने एवं कार्यरत प्राइवेट स्वीपर को बकाया वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
लोक लेखा समिति की भांति स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच हेतु समिति बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	94-96
तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री के कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार सम्बन्धी पत्र पर जांच न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	97-98
प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	98-99
शासन की नीतियों के विरुद्ध कतिपय मंत्रियों द्वारा घोषणायें किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	99-101
विधान भवन के प्रवेश द्वार पर वाहनों की भीड़ से यातायात अवरुद्ध होने तथा प्रदेश में निर्माण कार्यों के शिलान्यास लोकार्पण के अवसर पर भूतपूर्व लोक निर्माण मंत्री के नाम से पत्थर लगाये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना	102
दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को अतारांकित प्रश्न संख्या–145 का गलत उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	102

विषय	पृष्ठ संख्या
सहारनपुर से निकलने वाली हिन्दुस्तान की सबसे पुरानी नहर की खुदाई करवाये जाने विषयक सूचना	102-103
प्रदेश में अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को समुचित सहायता दिये जाने विषयक सूचना	103-104
दिनांक 27 अप्रैल, 2001 को डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास राज्य मंत्री का शोधन वक्तव्य	104-105
पूर्व विधायक श्री भीमा प्रसाद यादव की मृत्यु की सूचना विधान सभा सचिवालय को प्राप्त न होने के प्रकरण पर श्री अध्यक्ष द्वारा निर्देश ...	105
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	106-126
अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	126-127
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	127-137
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	137-141
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित)	141-146
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 (पारित)	146-151
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (पारित) ...	151-154
उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (पारित)	154-156
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)	156-159
प्रदेश में किसानों को उपज का उचित मूल्य प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा	159-170
नियम 51 के अन्तर्गत सूचना	170-172
सदस्यों की निजी/क्षेत्रीय समस्या के सम्बन्ध में सूचना	172
नत्थी	173

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
अतुल कुमार, श्री	मेरठ	मानिक चन्द यादव, श्री	मैनपुरी
अनिल कुमार यादव, श्री	मैनपुरी	मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
अनीस खां, श्री	पीलीभीत	मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	रघुराज प्रताप सिंह	
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	'राजा भईया', कुंवर	प्रतापगढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	राधेश्याम जायसबाल, श्री	सीतापुर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
आर्य राम शरन, श्री	हाथरस	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद	राम नाथ, श्री	प्रतापगढ़
उदय राज यादव, श्री	उन्नाव	राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
कमलेश कुमार सिंह, श्री	बलरामपुर	विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू" श्री	गोण्डा
कृष्ण पाल सिंह, श्री	कानपुर देहात	विनोद कुमार सिंह उर्फ	
केशो मेहरा, श्री	आगरा	पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर	विनोद मणि, श्री	महराजगंज
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच	विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा	विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
दिलीप कुमार, श्री	बहराइच	शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर	शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
नन्दराम, श्री	बरेली	श्रीराम पाल, श्री	जालौन,
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई	सतीश जतारिया, श्री	झांसी
पीतम राम, श्री	पीलीभीत	सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
प्रदीप कुमार यादव, श्री	इटावा	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया	सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
बच्चा पाठक, श्री	बलिया	सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
		हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैंने एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं समय आने पर उसे ले लूंगा ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु कार्य योजना

**1—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कोई कार्ययोजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि सींचपालों को सिंचाई विभाग से हटा दिये जाने के फलस्वरूप सिंचाई सम्बन्धी कार्यों में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो उसके निराकरण हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी हां । कार्य योजना निम्नानुसार है ।

1–लम्बित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से पूर्ण करना ।

2–नहरों की सफाई कर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना ।

3–ग्रामीण क्षेत्र में जल प्लावन से मुक्ति हेतु मुख्य ट्रंक डेन की सफाई ।

4–सिंचाई व्यवस्था में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना ।

5–दशम् पंचवर्षीय योजना हेतु नीति निर्धारण ।

पंचायतों को अधिक अधिकार दिये जाने की शासकीय नीति एवं व्यापक जनहित को ध्यान में रख कर सींचपालों को पंचायत विभाग के अधीन करने की व्यवस्था की गयी है । यह सही है कि प्रत्येक नई व्यवस्था लागू करने में व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं, यह मामला भी इसका अपवाद नहीं है। जैसे-जैसे कठिनाइयां सामने आ रही हैं वैसे-वैसे उनका त्वरित निराकरण किया जा रहा है । सिंचाई व्यवस्था को सुचारु रूप से चलते रहने की हर सम्भव व्यवस्था कर दी गई है ।

उक्तानुसार ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था से किसानों और कृषि का सम्बन्ध है । माननीय मंत्री जी ने बताया है कि पंचायतों को आर्थिक अधिकार दिये जाने की शासकीय नीति एवं व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर सींचपालों को पंचायत विभाग के अधीन करने की व्यवस्था की गयी है । इससे सिंचाई कार्यों के पड़ताल के रखरखाव में बाधा उत्पन्न हो रही है । तो इसके बारे में सरकार क्या व्यवस्था निर्धारित कर रही है ? इसके अलावा जो लम्बित योजनायें हैं उनको कब तक पूरा कराया जायगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जैसा मैंने बताया शासन ने विकेन्द्रीकरण करके पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसके अन्तर्गत सिंचाई की बहुत सी सुविधाओं को ग्राम पंचायतों के अधीन किया है। जल प्रबन्धन समितियां बनायी गयीं जो सींचपाल थे उनको ग्रांम पंचायतों के अधीन ग्राम विकास अधिकारी के रूप में स्थानान्तरित किया गया। सिंचाई की पइताल राजस्व विभाग को दी गयी लेकिन वह उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले आये और ठीक से काम नहीं किया। अब जिलाधिकारियों को आदेश भेजा गया है कि जहां पर किसानों और अधिकारियों में विवाद है तो ऐसे प्रकरण में किसानों को लाभ दिया जायगा और किसान की बात मानी जायगी। पिछले साल यह आदेश जिलाधिकारियों को भेजे गये थे और इस बार मार्च में भी निर्देशित किया गया है। जो कठिनाइयां हैं इसके बारे में मंत्रि-परिषद् ने विचार किया और एक उप समिति बनायी जिसका अध्यक्ष मैं हूं। हम उस पर विचार कर रहे हैं और खरीफ की फसल के पहले एक अच्छी व्यवस्था दी जा सकेगी। यह हो सकता है कि सींचपालों को वापस किया जाय या और कोई व्यवस्था की जाय। इसमें कोई व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक सिंचन क्षमता सृजित की जा रही है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 11 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता थी इस बार 11 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जा रहा है। पहले नियोजन की गलत प्राथमिकताओं के कारण, धन का आवटन न होने के कारण अनेक योजनायें पिछले 25 वर्षों में लम्बित हो गयीं। 1997 में पिछली योजनाओं में 20 परियोजनाओं को लेकर 10 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की जा रही है। 20 में से 13 परियोजनायें पूरी की जा चुकी हैं। मान्यवर, इन योजनाओं के नाम हैं पुनरीक्षित टोन्स पम्प नहर, चित्तौड़गढ़ जलाशय, घाघरा नहर का आधुनिकीकरण, बेबर फीडर, गुन्टा नाला बांध, नया ताजे वाला बैराज, चम्बल डाल नहर, मौदहा बांध, ज्ञानपुर पम्प नहर, पूर्वी गंगा नहर, शारदा सहायक, पथरई बांध/मध्यगंगा नहर आदि हैं। तो मान्यवर, 13 परियोजनाओं को पूरा कर दिया है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त 2001-2002 में राजघाट परियोजना, ऊपरी गंगा नहर, रा० ज० प्र० शारदा नहर, जरौली पम्प नहर, हिंडन कृष्णी दोआब की खरीफ नहरें। यह 5 परियोजनायें जो चल रही हैं इनकी प्रगति संतोषजनक है। इसके लिए 333 करोड़ रुपये थे जिसको बढ़ाकर 1394 करोड़ रुपये किया गया है।

श्री राम जग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितना भूभाग है जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पायी है ? जहां पर व्यवस्था नहीं हो पायी है वहां पर कौन सी व्यवस्था की जायगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, नयी परियोजनायें जो हम सृजित कर रहे हैं तो 9वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के पहले और 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाने के बाद परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया जायगा। किन-किन परियोजनाओं को शुरू किया जायगा इसकी नीति निर्धारित कर ली गयी है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, नहरों के सुदृढ़ीकरण की जो योजनायें बनायी गयी हैं, क्या जिन नहरों के टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है उनके टेल तक पानी पहुंचाने की कोई योजना है अथवा नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, पिछले समय में जिस तरह से नहरों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। इसके लिए धन की आवश्यकता है। इसीलिए विश्व बैंक के साथ रीकांस्ट्रक्टिंग स्कीम के नाम से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर लगभग

सहमति हो गयी है । उसके अनुसार प्रथम किश्त के रूप में 5 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं जिससे उत्तर प्रदेश की समस्त नहरों का सुदृढ़ीकरण और रीकांस्ट्रक्टिंग करने की स्कीम बनायी जायगी । जहां तक टेल तक पानी पहुंचाने की बात है टेल तक पानी पहुंचाने के प्रयास किये जा रहे हैं और शासन से किस परिस्थिति में प्राकृतिक विपदा की स्थिति में इस बार पानी को पहुंचाया है । प्रदेश के किसी क्षेत्र की फसल को सूखने नहीं दिया है हम यह स्वीकार करते हैं कि कहीं देर से पानी पहुंचा है उसका कारण यह है कि इस बार यमुना में दिसम्बर से मार्च तक 60 से लेकर 80 प्रतिशत पानी कम रहा । शारदा नहर में भी पानी कम रहा । गंगा नहर में दिसम्बर से मार्च तक 45 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक पानी कम प्राप्त हुआ है । अगस्त के बाद से इस प्रदेश में वर्षा नहीं हुई है तथा जब वर्षा भी हुई तब फसल सूखने लगी । वर्षा न होना तथा नदियों से पानी कम प्राप्त होना उसके बावजूद हर फसल में यथा संभव प्रयास करके पानी पहुंचाया गया है । हर क्षेत्र के किसानों को पानी दिया गया है । इसका प्रतिफल यह रहा है कि अवर्षण के बावजूद कृषि विभाग के आंकलन के अनुसार गेहूं पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा होगा । इसका श्रेय जाता है सिंचाई विभाग के प्रबन्धन को और परिश्रमी किसानों को ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न पूरे प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है इसमें मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । अभी मंत्री जी ने अपने अनुपूरक उत्तर में कहा है कि कुछ कठिनाई आई जबकि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों से पड़ताल नहीं हुई है इसलिए क्योंकि सींचपालों को बहुक बनाने का काम किया गया उन्होंने सिंचाई की पड़ताल का काम खत्म कर दिया क्योंकि वह बहुउद्देश्यीय कर्मी के रूप में कार्य करने लगे । यह काम राजस्व विभाग को सौंपा गया उन्होंने स्टे ले लिया । दो साल से पड़ताल न होने के कारण कठिनाई आयी है । आपने पंचायतों को ट्यूबवेल सौंप दिए इन ट्यूबवेलों में कहीं यांत्रिक खराबी आ गई कहीं विद्युत दोष आ गया तथा पंचायत के लोग इनको चलाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं । जब ट्यूबवेल, ट्यूबवेल विभाग के पास था तब तो 50 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब थे अब पंचायत के अधीन करने से इनकी स्थिति और खराब हुई । मंत्री जी आप सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं । अभी मुख्य मंत्री जी बाढ़ सिंचाई की समीक्षा में गोरखपुर गये उस बैठक में सभी दलों के विधायक मौजूद थे सबकी शिकायत थी कि यहां पर सिंचाई और बाढ़ में जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है । पूरे पूर्वांचल में बाढ़ के नाम पर फर्जी बोल्डर डालकर काम करते हैं । उस समीक्षा बैठक में मंत्री जी नहीं गये.....

श्री अध्यक्ष–

आप भाषण न करें । सीधे प्रश्न पूछें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

पूर्वांचल में जो बांधों के रखरखाव पर पैसा दिया गया है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है इसकी जांच कराई जाय । आपने सिंचाई विभाग के साथ लोक निर्माण, उच्च शिक्षा विभाग दे दिये ।

श्री अध्यक्ष–

आप भाषण बन्द करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मै मंत्री जी के लिए पोइन्टेड कर दे रहा हूं । क्या प्रदेश के सींचपालों को जिनका बाउक बनाया गया है उनको पुनः सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पूर्व की व्यवस्था बहाल करेंगे और ग्राम पंचायतों को जो ट्यूबवेल दिये गये हैं उनको पुनः विभाग को दिया जायगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जहां तक बाढ़ का प्रश्न है तो वह इस प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है यदि सदस्य चाहें तो आपसे अनुमति लेकर प्रश्न पूछ लें मैं उत्तर दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

यदि ऐसा है, तो मैं माननीय सदस्यों की इच्छा का आदर करते हुए चर्चा कराये लेता हूं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मेरा यह मतलब नहीं है मैं तो कह रहा हूं कि अनुपूरक चाहे जितना पूछ लें मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन बाढ़ इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । हमने यह बतलाया कि दो साल के पंचायत के विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था लागू होने के कारण क्या-क्या कठिनाई आई है इसका पुनरीक्षण करने के लिए मंत्रि-परिषद् ने एक उपसमिति बनायी है जिसमें सींचपाल और नलकूपों का विषय रखा गया है। जो कि विचाराधीन है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

समिति कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अगली खरीफ से पहले निर्णय ले लेगी ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्रदेश की नहरों की सिंचाई क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं । लम्बी परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि लम्बी परियोजनायें तो पता नहीं कब पूरी होंगी लेकिन जो सैकड़ों साल पुरानी नहरें हैं जो पूरे प्रदेश का अधिकांश भूभाग सिंचित करती हैं जैसे अपर गंगा कैनाल जिसमें इस वर्ष पानी नहीं आया और दूसरी पूर्वी यमुना कैनाल जिसमें पूरे साल से पानी नहीं आया है । हम लोगों ने अपनी विधायक निधि और सांसद निधि से इसकी सफाई कराई लेकिन सब बेकार हो गया जब इसमें पानी ही नहीं आया, हमारे मुजफ्फरनगर जनपद में फीडर कैनाल में पानी नहीं आया तो आप क्या कर रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं और स्वीकार भी कर चुका हूं । हमने प्राकृतिक विपदा की बात कही इससे इस साल पूरे वर्ष नहरों में कम से कम पानी आया । जितना पर्याप्त पानी दिया जाना चाहिए था नहीं दे पाये हम । जहां तक पूर्वी यमुना नहर का सवाल है हमें बहुत ही कम पानी पहाड़ों से मिला । 98-99 मार्च में 853 क्यूसिक, 99-2000 में 932 क्यूसिक पूर्वी यमुना में और इस साल यमुना में 60 से 80 प्रतिशत पानी कम हो जाने के कारण फरवरी, 2001 में 122 क्यूसिक पानी मिल पाया । यही कारण है कि पूर्वी यमुना नहर नहीं चल पाई क्योंकि जब यमुना नदी में ही पानी नहीं है तो नहर में पानी देना सम्भव नहीं हो पायेगा । हम इस बात को स्वीकार करते हैं । पहली बार आगरा नहर जो यमुना नहर से निकलती है उसमें गंगा से पानी निकाल कर डाला गया सिंचाई के लिए । मान्यवर, प्राकृतिक कारण भी हैं कि इस वर्ष बरसात नहीं हुई, नदियों में पानी कम होने के कारण या नहीं होने के बराबर था । गंगा में 50 प्रतिशत पानी कम हुआ । नदी में पानी नहीं है तो नहरों को पानी कहां से मिलेगा । नहर तब ही चलेगी जब नदी में पानी होगा । नदी में पानी नहीं है तो निश्चित रूप से कठिनाई हुई है । एकमात्र पूर्वी यमुना नहर खरीफ नहर है, रबी में नहीं चलाई गई और इसको हम स्वीकार करते हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

नदियों में पानी कम है यह मंत्री जी बता रहे हैं। गंगा हरिद्वार से निकलती है वहां भी गंगा में पानी नहीं है तो फिर कानपुर, इलाहाबाद, वनारस में तो गंगा में पानी होने का सवाल नहीं होता। मंत्री जी को पानी छोड़ने का आश्वासन देना चाहिए। 200 की जगह 120 क्यूसिक पानी छोड़ रखा है किसी रजवाहे में पानी नहीं जा रहा है। हरिद्वार में तो पानी छोड़ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस पर काफी बात आ गई है। चर्चा भी है और बजट में भी आयेगा तब आप उस पर कह लीजिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसानों की सिंचाई की यह आम समस्या है। मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि 1998 से लेकर आज तक हमारे विधान सभा क्षेत्र, जिसकी कि मैं निजी जानकारी रखता हूं कन्दराला माइनर, ऊंचाहार माइनर, हथखड़ी माइनर, दलमई माइनर, फुलमुई माइनर, रसूलपुर आदि माइनर ऐसी हैं जहां आज तक एक बार भी नहर में पानी नहीं आया। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पानी न आने के बाद भी उनको निरन्तर सिंचाई प्रति वर्ष देनी पड़ रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप 10 लाख हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था तो कर रहे हैं लेकिन जो नहरें आलरेडी हैं उनके टेल तक पानी पहुंचाने की क्या व्यवस्था सरकार ने सुनिश्चित की है? क्या इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनायी है, कृपया इसको भी बताने का कष्ट करें। किसानों से जो निरन्तर बिना सिंचाई के सिंचाई वसूली जा रही है उसको रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं, कृपया यह भी बताने का कष्ट करें?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मौर्य जी ने जो एक-एक माइनर की बात पूछी है तो उसके लिए उनको अलग से अवगत करा देंगे। इतनी माइनरों के बारे में भी सूचना देना सम्भव नहीं है। जिन माइनर की बात इन्होंने कही है वह रिकार्ड में भी आ गई है और यह अलग से भी हमको लिखकर दे देंगे तो मैं दो तीन दिन में जांच कराकर आपको स्थिति से अवगत करा दूंगा। बिना सिंचाई के शुल्क लेने की जो बात कही है। मैंने प्रारम्भ में कहा कि डी० एम० को निर्देश दे दिये गये हैं। जिस भी माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र की बात बतलाई है उसमें आर्डर किये, विभाग को भी कहा क्योंकि वसूली का काम दो साल से राजस्व विभाग कर रहा है इसलिए जांच की रिपोर्ट डी० एम० को भेज देते हैं। इसकी जांच करा लेंगे दो साल से पानी नहीं गया है तो जिलाधिकारी से कहेंगे कि आगे के लिए एडजेस्ट कर लिया जाए। सफाई की जहां तक बात है पारदर्शिता लाने के लिए सभी सदस्यों को हमने कौन-कौन सी नहरें साफ हो गई हैं यह सूची भेज दी, सूची भेजते गए। कितना पैसा दिया गया यह भी माननीय सदस्यों को अवगत करा दिया। 25 हजार का लक्ष्य था और 2800 हजार की सफाई हमने कराई शेष नहरें आगे करा देंगे। आज तक कभी भी रजवहों की सफाई नहीं हुई दो हजार किलोमीटर रजवहों की सफाई की है जो दो हजार किलोमीटर रजवाहे हैं पांच हजार प्रतिवर्ष रजवहों की सफाई का लक्ष्य है हर साल रजवहे साफ होंगे क्योंकि टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जिन नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचा है उसमें क्या व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है अभिलेख में बात आ गई है उन्होंने कहा है देख लूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय मंत्री जी ने कई बार इस तरह के जवाब दिये हैं लेकिन आश्वासन कोरे भाषण की तरह रहे पानी नहीं पहुंचा है सिंचाई नहीं हो पा रही है पूरे प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है । किसानों के साथ अन्याय हो रहा है । बहुजन समाज पार्टी इनकी नीति के विरुद्ध सदन से बहिर्गमन करती है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों सहित अनुपूरक उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन का त्याग किया)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो सदन में जवाब दिया है बड़ा भयानक जवाब दिया है यह तथ्य से परे है । आज पूरे प्रदेश में दावे के साथ कह सकता हूं सर्वेक्षण करा लिया जाए तो अधिकांश नहरें नहीं चल रही हैं । आपने कहा उत्पादन ज्यादा हुआ है तो उत्पादन निजी नलकूपों से ज्यादा हुआ है । रजवहों में पानी नहीं है हमने मुख्य मंत्री जी के आवास पर धरना दिया, आपको पत्र लिखा, हमने सारी डिटेल लिखकर आपको दी कि रजवहों में कहां-कहां पानी नहीं आया है मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । नैनी रजवहा जो आपका है उसमें पानी नहीं आया है मैं रजवहों का नाम गिना सकता हूं । मैंने फोन भी किया था पत्र हो सकता है न मिला हो, क्या कार्यवाही की सिंचाई नहीं हुई और जबरन वसूली की जा रही है मैंने मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा की केवल मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है पूरे प्रदेश का मामला है जो इनके विधायक हैं वह बेचारे बोल नहीं रहे हैं कहीं सिंचाई नहीं हुई है । मैं गोरखनाथ पाण्डेय को बधाई दूंगा इन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है । एक समिति इस विधान सभा के माननीय सदस्यों की बना दी जाए वह जहां-जहां मैंने लिखकर दिया है उसमें क्या कार्यवाही हुई सदन को बता देगी । इन नहरों और इन रजवहों से सिंचाई नहीं हो पाई है तो सिंचाई कहां से होगी । बोया गया है अरहर, और पड़ताल की जा रही है गेहूं की, तो इससे बड़ा क्रूर मजाक और क्या हो सकता है । मैंने दो प्रश्न पूछे हैं एक तो जो मैंने पत्र लिखा है क्या उसकी जांच करवायेंगे । आपने क्या इतनी कटर्सी करायी कि हमको खबर देते । वहां पर पड़ताल नहीं हुई है और जबरदस्ती सिंचाई वसूली जा रही है तो क्या उसे रोकने के लिए सिंचपाल की पुनः नियुक्ति करायेंगे ? आप तो समिति के अध्यक्ष भी हैं । इसका फैसला तत्काल लें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, एक दल तो पांच माइनर की बात कहकर सदन का बहिस्कार करके चला गया । यह बात सही है कि अगर रजबाहों की सफाई नहीं होगी तो पानी कैसे आयेगा ? मान्यवर, 1997 से पहले रजबाहों की सफाई और मुख्य ड्रेनों की सफाई का अभियान किस सरकार ने चलाया था यह बता दें ? हम तो मानते हैं कि रजबाहों में इतने दिनों तक सफाई न होने के कारण पानी जाने में असुविधा हो रही है । इसलिए हमने दो हजार किलोमीटर की सफाई करायी है । कुल 20,000 किलोमीटर है । धन की उपलब्धता को देखते हुए हमने पांच हजार किलोमीटर प्रति वर्ष की सफाई कराने का लक्ष्य रखा है । टोंस नहर पम्प और बाधा नहर पम्प यह बहुत पुराने हैं और यह जीर्णशीर्ण हो गयी हैं । बाण सागर परियोजना से इलाहाबाद की नहरों को ठीक कराने का काम शुरू हो गया है । शारदा सहायक नहर उन्नाव से लेकर प्रतापगढ़ यह नहर खराब हो गयी है । इसमें हमने दो करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाकर नाबार्ड को भेजा है पैसा प्राप्त करने के लिए । पिछले कई वर्षों से जिनकी मरम्मत नहीं हुई है उनको चिन्हित करके कार्य कराया जा रहा है । जो जीर्णशीर्ण स्थिति में हैं उनको शीघ्र ठीक कराया जायेगा चाहे इसके लिए हमें नाबार्ड से या केन्द्र से पैसा लेना पड़े हम उसको ठीक करायगें ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पत्र प्राप्त हुआ है या नहीं इसके बारे में नहीं बताया है । उसका इन्होने संज्ञान लिया है कि नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, संज्ञान नहीं लिया यह कहना गलत है । मेरी कुंवर रेवती रमण सिंह जी से बात भी हुई है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने पत्र लिखकर भेजा है । मैंने फोन से भी माननीय मंत्री जी से बात की थी, मुख्य मंत्री जी के आवास पर धरना भी दिया था । मैंने स्पेसिफिक सवाल पूंछा है कि पत्र मिला है कि नहीं ? नहीं मिला है । वहां पर जबरदस्ती वसूली हो रही है । मैं बड़े दुःखी मन से कह रहा हूं कि अगर जबरदस्ती वसूली होती रहेगी तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा । जो सवाल पूछा गया है उसका निराकरण होना चाहिए । अगर नैनी रजबाहा में पानी गया हो तो यह बता दें । अगर गया हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कुंवर साहब आप वरिष्ठ सदस्य हैं । प्रश्न वह मूल नीति से संबंधित है, कार्य योजना से संबंधित है । आपने अपना अनुपूरक प्रश्न पूछते समय एक पत्र का उल्लेख किया है वह पत्र इस समय मंत्री जी के पास है या नहीं । यदि अलग से कोई प्रश्न दे दें तो ब्यौरे से उत्तर आ जायगा । इस समय केवल नीति की बात हो रही है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

हमारी फोन पर वार्ता हुई हमने कहा कि आपका पत्र मिला है कार्यवाही करा रहे हैं । इसके बावजूद जहां-जहां नहरों में पानी नहीं गया है उसकी हम जांच करा लेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप हमारे साथ अधिकारी भेज दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

आपके पास अधिकारी भेज देंगे । उसको रि-एडजस्ट कर दिया जायेगा ।

श्री कौकब हमीद–

आपने माना कि सींचपाल हटाने का फैसला गलत किया ।

श्री अध्यक्ष–

आपने कहा कि मामला विचाराधीन है, पुनर्विचार के लिये केबिनेट की कमेटी बनी हुई है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, उत्तर सही नहीं आ रहा है, किसान परेशान है इनकी गलत नीतियों से, सरकार ने स्वीकारा है कि सींचपालों को हटाकर गलती हुई है । हम सदन का बहिस्कार करते हैं ।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कोई गलती नहीं हुई है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इस पर कृपया चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उस समय कहा था तैयार नहीं हुए ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, यह लिखा नहीं जायेगा । चूंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिये इसमें इतने अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे दी ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, बेवर फीडर परियोजना जिसका उद्घाटन भी आपने कर दिया उस दिन नहर बंद थी, उसको रुपया भी दे दिया । वह बेवर फीडर परियोजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही है । आप कोई उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच करा लेंगे । आपने लेखपालों को सींच का अधिकार दिया है, सींचपाल पहले जमाबंदी करता था, पड़ताल करता था । लेखपाल कहीं गया कहीं नहीं ? समूचे में फर्जी सींच पिछले आधार पर लिखी गयी है । मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो फर्जी सींच तैयार की गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है, मंत्री जी पहले वाले का उत्तर दे दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, बेवर फीडर के बारे में एक बंधी बनाने का पैसा स्वीकृत किया जा रहा है उससे जो कमी पाई गयी है वह पूरी कर दी जायेगी । दूसरा, 1997 अप्रैल में 1099 जांच पत्रावलियां थीं जिनका त्वरित गति से अभियान चलाकार निस्तारण किया गया 173 पत्रावलियां बची हैं, 722 अभियन्ताओं को दंडित किया जा चुका है । मान्यवर, फर्जी सींच की बात कही जा रही है, वर्षा न होने और नदियों में बहुत कम पानी होने के बावजूद शासन व सिंचाई विभाग के प्रयास से कहीं भी फसल सूखने नहीं पाई है जहां तक फर्जी की बात है तो उसे आप लोग बतायें, जिस-जिस माननीय विधायक ने हमको बताया है तो उसमें हमने डी० एम० से कहा है कि उसकी जांच कराकर एडजस्टमेन्ट किया जाय फर्जी सिंचाई शुल्क किसी से न लिया जाय । जिन किसानों की फर्जी सिंचाई की शिकायत आयेगी उसकी जांच भी करा लेंगे शासन से और अपने विभाग से करायेगें और जहां भी गलत पाया जायेगा किसान को उसका लाभ दिया जायेगा और उसका पैसा वापिस किया जायेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहा कि नदियों में पानी न होने के कारण हम प्रर्याप्त मात्रा में जल सिंचाई के लिए नहरों में नहीं दे सके तो यह बड़ी भयावह परिस्थिति हो गयी, कोई इस बात की गारन्टी ले सकता है कि क्या अगले वर्ष नदियों में जल रहेगा ।

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्रीमन् क्या कारण है कि नदियों में जल कम हुआ है और उस कारण के निवारण के प्रति सरकार ने क्या किया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, 2000-2001 में फरवरी महीने में गंगा में सामान्य औसत निस्सरण 11500 होना चाहिए और यमुना में 5500 सामान्य होना चाहिए फरवरी में और 6000 जनवरी में होना चाहिए ।

(व्यवधान)

मैं आपको बता रहा हूं पहले मेरी पूरी बात सुन लें ।

श्रीमन्, पानी में कमी आई है लेकिन जो माननीय डा० डंग जी ने कहा वह गम्भीर विषय है । पर्वतीय क्षेत्र से हमारी नदियां बर्फ पिघलने से जल प्राप्त करती हैं मौसम की खराबी से सभी सहमत हैं कि पिछले कुछ वर्षों से मौसम खराब हो रहा है जिसके कारण बर्फ नहीं पिघल रही है इस कारण यह सरकार ने निश्चय किया है कि हम दसवीं पंचवर्षीय योजना में पूरे पानी का संग्रह करके देंगे, हम नदियों पर आश्रित नहीं रहेंगें दसवीं पंचवर्षीय योजना में वर्षा जल पर आश्रित सिंचाई परियोजनाएं होंगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सरकार किसानों को पानी नहीं दे पा रही है मैं सरकार के इस किसान विरोधी कृत्य के कारण सदन का त्याग अपने दल के साथ करता हूं ।

(श्री जगदम्बिका पाल ने भी अपने दल के साथ सदन का त्याग किया)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है । मैं इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का बर्हिगमन करता हूं ।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के साथ सदन से बर्हिगमन कर गये ।)

प्रदेश में शीरे के उत्पादन एवं इससे पेट्रोल बनाने की नीति

**2—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने शीरे का उत्पादन होता है ? क्या सरकार किसानों को लाभान्वित करने हेतु शीरे से पेट्रोल बनाने के लिए कोई नीति बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 200 से 250 लाख कुन्टल शीरे का उत्पादन होता रहा है ।

शीरे से पेट्रोल (गैसहल) बनाने के लिए नीति निर्धारण का क्षेत्राधिकार भारत सरकार में निहित है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा पेट्रोल में 5 प्रतिशत की सीमा तक एनहाइड्रस अल्कोहल मिलाने के लिए तीन पायलट परियोजनायें–महाराष्ट्र में दो तथा उत्तर प्रदेश में एक परियोजनायें क्रियान्वित किये जाने पर सक्रिय कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परियोजना का जो जिक्र किया गया है और कहा है कि इसके बारे में सक्रिय कार्यवाही चल रही है, यह परियोजना की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, हमारे प्रदेश में 110 चीनी मिलें थीं, जिसमें से 10 उत्तरांचल में चली गई हैं, इसके अतिरिक्त 42 आसवनियां हैं जो गन्ने से शीरा बनाती हैं, इनमें 220 लाख क्विंटल से 250 लाख क्विंटल तक शीरा बनता है, उससे अल्कोहल और शराब बनाई जाती है । अल्कोहल जो सामान्यतया 94 प्रतिशत तीव्रता का होता है, को अब 100 प्रतिशत तीव्र करने हेतु डीहाइड्रेशन/बेन्जीन प्लांट स्थापित कर एनहाईड्रस अल्कोहल में परिवर्तित कर लिया जायेगा अभी 5 प्रतिशत अल्कोहल पेट्रोल में मिलाया जायेगा । इस संबंध में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक जी और खाद्य मंत्री श्री शांता कुमार जी से मैं मिला था और उनसे पत्र-व्यवहार भी किया । केन्द्र सरकार ने इस संबंध में तीन पायलेट प्रोजेक्ट स्वीकार की हैं, जिसमें से 2 महाराष्ट्र में और एक उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्वीकार की गई है । वहां टेण्डर के माध्यम से इसको क्रियान्वित किया जा रहा है, जब शीरे से पेट्रोल बनाने का काम हमारे प्रदेश में शुरू हो जायेगा, तो इससे आमदनी होगी, जिससे किसानों को गन्ने का भुगतान करने में आसानी होगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य परियोजना के संबंध में जानना चाह रहे हैं कि यह कब तक पूरी हो जायेगी ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने बरेली में परियोजना की अनुमति दी है, वहां टेण्डर इन्वाइट करके कार्यवाही की जा रही है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में हैं, उसकी सभी गाड़ियां अल्कोहल से चलाई जा रही हैं । जबकि माननीय मंत्री जी अभी 5 प्रतिशत उपयोग करने के लिए प्रयासरत हैं । मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के तमाम देशों में जहां गन्ना पैदा होता है, जहां शीरा ज्यादा होता है, जैसे ब्राजील और नार्थ ईस्ट के देश हैं, चाइना है, ऐसे तमाम देशों में गैसोहल के रूप में 30 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और कहीं-कहीं 70 प्रतिशत तक अल्कोहल पेट्रोल के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब शुगर इंस्टीट्यूट में स्वयं गैसोहल से गाड़ियां चलाई जा सकती हैं तो फिर केवल 5 प्रतिशत के लिए क्यों प्रयास किया जा रहा है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि शुगर इंस्टीट्यूट जो कानपुर में है, वह केन्द्र सरकार का है । जहां तक गैसोहल के उपयोग की बात है, ब्राजील में 20 बिलियन लीटर गैसोहल का प्रयोग होता है जिसमें 22 प्रतिशत एनहाईड्रस अल्कोहल व 78 प्रतिशत पेट्रोल की मात्रा प्रयोग की जाती है, इसी प्रकार अमेरिका में 5750 बिलियन गैसोहल की खपत है । चाईना में 2830, रशिया में 1180 बिलियन लीटर इस्तेमाल किया जाता है । मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि इसके प्रयोग से प्रदूषण को रोकने में बड़ा लाभ होगा जैसे दूषित गैस कार्बन मोना आक्साईड जो एम० टी० बी० ई० के कारण मोटर वाहनों के धुयें से निकलती है वह 15 से 60 प्रतिशत तक कम हो जायेगी, इसी प्रकार धुयें के

हाईड्रोकार्बन्स में 2 से 7 प्रतिशत तक कमी आयेगी । कार्बन डाईआक्साईड में कमी आने से वायुमण्डल का बैलेन्स यथावत बना रहेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने पूछा था कि दुनिया के अन्य देशों में 30 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तक प्रयोग हो रहा है और आपने यह बता दिया कि दुनिया के देशों में कितना-कितना उपयोग हो रहा है । जिसका आपने उल्लेख किया है, वह कितने प्रतिशत हैऔर 5 प्रतिशत उपयोग के लिए ही क्यों प्रयास किया जा रहा है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि वहां सौ प्रतिशत शीरे या अल्कोहल का उपयोग पेट्रोल के रूप में नहीं हो रहा है । हम अभी पांच प्रतिशत अल्कोहल पेट्रोल में मिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से प्रयास कर रही है कि अल्कोहल से पेट्रोल बनाने की अनुमति दे दे । क्योंकि विदेशों में 22 प्रतिशत अल्कोहल पेट्रोल में मिलाया जाता है,- लेकिन यहां अल्कोहल पांच प्रतिशत अल्कोहल पेट्रोल में मिलायेंगे तो गाड़ी में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा । पांच प्रतिशत अल्कोहल मिलाने के लिए केन्द्र सरकार भी सहमत है, इसलिए इसका क्रियान्वयन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर,मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हम पिछले 10 वर्षों से इस सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री को लिख रहे हैं लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जो शीरा है वह सही तरीके से उपलब्ध हो सके और उसका दूसरे उद्योगों में भी उपयोग हो सके इस सम्बन्ध में सरकार को योजना बनाना है । अल्कोहल कितने प्रतिशत पेट्रोल में मिलाया जाय यह सरकार को निर्धारित करना है । इसमें भारत सरकार से सरकार को अनुमति लेनी है और मान्यवर, इस संबंध में सरकार विचार कर रही है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इसके लाभ को बढ़ा चढ़ाकर यहां बताने का काम किया है । मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने बताया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा पेट्रोल में 5 प्रतिशत की सीमा तक इनहाइड्रेस अल्कोहल मिलाने के लिए तीन पायलट परियोजनाएं क्रियान्वित किये जाने पर कार्यवाही की जा रही है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव 30–35 प्रतिशत तक के लिए क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि उन्होंने इस संबंध में अनेक पत्र लिखे हैं और उन्होंने उसका उल्लेख भी कर दिया है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह 30–35 प्रतिशत तक की सीमा के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैंने जो पत्र भेजा है उसका जो जवाब आया है मैं उसे पढ़ देता हूं । आपके द्वारा दिये गये सुझाव कि कुछ केमिकल्स, जिन्हें ऑक्सीजिनेट के रूप में पेट्रोल में मिश्रित करने पर आर्थिकता

एवं पर्यावरण दोनों पर बुरा असर पड़ता है, को पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए सरकार ऑक्सीजिनेट के रूप में इथेनाल को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयासरत है । मेरा मानना है कि प्रायोगिक रूप में अधिक पायलट प्रोजेक्ट लगाने उचित नहीं होंगे क्योंकि इस मिश्रण के परिणाम प्रचुर मात्रा में तीन पायलट प्रोजेक्टों से ही प्राप्त हो जायेंगे । यदि इनके परिणाम उत्साहवर्धक रहते हैं तो एल्कोहल मिश्रित मोटर स्पिरिट आपके द्वारा सुझावित सभी बड़े शहरों में उपलब्ध कराने में आयल कम्पनियों को कोई परेशानी नहीं होगी । आपके द्वारा प्रस्तावित भारत सरकार (पेट्रोलियम मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श के लिए मीटिंग दिनांक 5-1-2001 को पहले ही आयोजित की जा चुकी है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक व अन्य स्टाफ को प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक

*1—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ प्राइवेट चिकित्सालयों में एवं नर्सिंग होम में कार्य करते हैं ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने प्रदेश में कोई सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ? क्या सरकार इसे नियंत्रित करने हेतु कोई कार्यक्रम बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० राम बाबू हरित)–

जी हां । समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

जी नहीं । शिकायतें प्राप्त होने पर जांच करा कर कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिया जाता है एवं प्राइवेट प्रैक्टिस न करने के सम्बन्ध में "उ० प्र० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983" पूर्व से प्रवृत्त है तथा सरकारी चिकित्सकों के पद को नान प्रैक्टिसिंग कर दिया गया है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, उत्तर के दूसरे खण्ड में आया है कि सरकारी चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिया जाता है एवं प्राइवेट प्रैक्टिस न करने के संबंध में "उ० प्र० सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली 1983" से प्रवृत्त है तथा सरकारी चिकित्सकों के पद को नान प्रैक्टिसिंग कर दिया गया है । यह बात आपने स्वीकार की है । मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ प्राइवेट चिकित्सालयों में एवं नर्सिंग होम में कार्य करते हैं ? उत्तर में आया है जी हां, समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं । मान्यवर, बड़ा भ्रामक उत्तर है । मान्यवर, सरकारी अस्पतालों की विश्वसनीयता खत्म हो रही है । प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहे हैं । गवर्नमेंट प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी के लिए भत्ता भी दे रही है, और आप कह रहे हैं कि शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाती है । मान्यवर,मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराने की व्यवस्था करायेंगे और जो लोग इसमें लिप्त पाये जायेंगे तो क्या उनके खिलाफ आप कोई त्वरित कार्यवाही कराने की कोई योजना बना रहे हैं ?

डा० राम बाबू हरित–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमने उत्तर दिया है वह पूर्णतः ठीक है । इसमें माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या सरकार ने प्रदेश में कोई सर्वेक्षण कराया है ? उसका जबाव दिया कि जी नहीं । शिकायतें प्राप्त होने पर जांच कराकर कार्यवाही की जाती है । मान्यवर, सरकार का यह संकल्प है और नियमावली बनी हुई है । हम प्राइवेट प्रैक्टिस एलाऊ नहीं करेंगे । जो भी शिकायतें प्राप्त होंगी या अगर माननीय सदस्य कोई जानकारी देते हैं तो हम कार्यवाही करेंगें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में कहा कि जी नहीं, शिकायतें प्राप्त होने पर जांच कराकर कार्यवाही की जाती है । अभी हमारे सहयोगी ने पूछा कि क्या शिकायतों की प्रतीक्षा में सरकार बैठी रहती है, वह सर्वेक्षण क्यों नहीं कराती ? माननीय मंत्री जी ने 1983 की नियमावली का हवाला दिया । अस्पतालों में कार्यरत सरकारी चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और आपकी 1983 की नियमावली प्रभावी रोक नहीं लगा पा रही है तो क्या सरकार 1983 की नियमावली के रहते हुये भी इस पर प्रभावी प्रतिबन्ध लगाने के लिए किसी अन्य उपाय पर विचार करेगी ?

दूसरे मंत्री जी ने कहा है कि शिकायतें प्राप्त होने पर जांच कराकर कार्यवाही की जाती है । क्या सरकार शिकायतों की प्रतीक्षा में बैठी रहती है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी शिकायतें इस प्रकार की आपके पास आयी और उस पर जांच करके क्या कार्यवाही की गयी ? उसका क्या परिणाम रहा कम से कम यह सदन को अवगत करा दें ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी तक जो शिकायतें मिली हैं उसमें साधारण कोटि के 60 पुरुष चिकित्साधिकारी हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी है । दो चिकित्साअधिकारियों की सेवा समाप्त कर दिया गया है, 8 चिकित्साधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि, एक को चेतावनी, दो चिकित्सधिकारियों का स्थानान्तरण किया है । शेष 47 चिकित्साधिकारियों के मामले में अभी निर्णय लिया जाना है । इसी तरह से 26 महिला चिकित्साधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की गयी है । 14 महिला चिकित्साधिकारियों की सेवायें समाप्त की गयी है, 5 का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है, एक महिला चिकित्साधिकारी को निलंबित किया गया है । 2 महिला चिकित्साधिकारियों की निन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी है । एक महिला चिकित्साधिकारी को निन्दा प्रविष्टि और दण्ड प्रदान किया गया है तथा 3 चिकित्साधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । इसी के साथ ही अभी मैंने कुछ और जानकारी प्राप्त करने के उपरांत लगभग 54 चिकित्साधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है । 8 को निलम्बित, 10 को स्थानान्तरित, 32 से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, एक को निन्दा प्रविष्ट, एक को चेतावनी और दो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सी०एम०ओ० और महानिदेशक (चिकित्सा) को निर्देशित कर दिया गया है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मूल प्रश्न में पूछा गया है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ प्राइवेट चिकित्सालयों में एवं नर्सिंग होम में कार्य करते हैं ? इसका उत्तर आया है कि जी नहीं । मेरी निश्चित जानकारी है कि यह प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं केवल प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं बल्कि प्राइवेट हास्पीटल और नर्सिंग होम के एजेण्ट के रूप में सरकारी चिकित्सालयों में काम करते हैं और देहात व ग्रामीण क्षेत्र के दूर-दराज से जो मरीज आते हैं उन्हें मोटीवेट करके प्राइवेट

चिकित्सालयों में भेजने का काम करते हैं जहां उस गरीब आदमी को कहीं ज्यादा व्यय करना पड़ता है क्या ऐसे चिकित्सकों के विरूद्ध आपने कोई कार्यवाही की जो सरकारी अस्पतालों में बैठ करके निजी नर्सिंग होम के एजेण्ट के रूप में कार्य करते हैं ? सरकारी अस्पतालों में जो सी० टी० स्कैन, अल्ट्रा साउण्ड, एक्स-रे एवं पैथोलोजीकल टेस्ट की मशीनें हैं वह खराब कर दी जाती हैं और सरकारी अस्पतालों के डाक्टर प्राइवेट डायगनोज सेण्टर का रिफरेंस लिखकर देते हैं जहां मंहगे टेस्ट कराये जाते हैं और वहां से डाक्टर को कमीशन मिलता है । मशीनों के बारे में रैकेट बना हुआ है । राजधानी में बैठकर सरकारी अस्पतालों के डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं । क्या माननीय मंत्री जी में यह नैतिक साहस है कि ऐसे डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करें जो सरकारी उद्देश्यों के विपरीत कार्य कर रहे हैं ऐसे डाक्टरों के खिलाफ अपराधिक मुकदमें दर्ज किये जानें चाहिए इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो बताने का कष्ट करें ?

डा० रामबाबू हरित–

मान्यवर, जैसा मैंने बताया जो भी तत्व आपके संज्ञान में हो उन्हें लिखकर दे दें हम न्यायसंगत कार्यवाही करायेंगे । हमारे अधिकारी मशीनों का निरीक्षण करते हैं कि वह ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं या नहीं । जहां पर कोई जांच संभव नहीं है तो ऐसे जांच को डाक्टर सादे कागज पर लिखकर देगा ताकि गड़बड़ी न हो सके । अगर कोई शिकायत आती है तो हम कार्यवाही करेंगे ।

डा० अशोक बाजपेयी–

आपके अस्पतालों की मशीनें सी०टी०स्केन व दूसरी मशीनें खराब रहती हैं लेकिन प्राइवेट नर्सिंग होम की मशीनें ठीक रहती हैं । आपकी मशीनों को जानबूझकर खराब कर दिया जाता है क्या इसकी जांच कराकर कठोर कार्यवाही करेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि सरकारी चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं । मान्यवर, 1983 में नियमावली बनी है उसमें प्राविजन है कि इस तरह के चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही की जाय । अगर प्राविजन नहीं है तो क्या सरकार कोई प्राविजन बनाने पर विचार करेगी ? इसके अलावा आप प्राइवेट नर्सिंग होम में देख लीजिये अनेक पट लगे होते हैं जिसमें तमाम डाक्टरों के नाम लिखे होते हैं । चाहे मेडिकल कालेज के डाक्टर हों या अन्य अस्पतालों के उनके नाम प्राइवेट नर्सिंग होम के पटों पर लिखे होते हैं । लखनऊ के अन्दर अनेक नर्सिंग होम में ऐसे पट लगे हुये हैं जिनमें ऐसे डाक्टरों के नाम हैं जो सरकारी अस्पतालों में कार्यरत हैं तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं आजमगढ़ में जो महिला अस्पताल है वहां पर कोई लेडी डाक्टर नहीं है । वह छुट्टी लेकर महिला अस्पताल में प्राइवेट प्रैक्टिस करती है । क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इसे संज्ञान में लेकर कार्यवाही करेंगें ।

प्रदेश में निरन्तर भू-गर्भ जल स्तर में गिरावट रोकने हेतु कानून बनाने पर विचार

*2—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में निरन्तर भू-गर्भ जल के स्तर में गिरावट आ रही है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसे रोकने की कोई नीति तैयार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)–

जी हां, प्रदेश के 555 विकास खण्डों में भू-गर्भ जल स्तर में गिरावट व 254 विकास खण्डों में उठाव परिलक्षित हुआ है । भू-गर्भ जल स्तर का आंकलन प्रत्येक वर्ष किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है ।

मुख्य रूप से भूजल स्तर में गिरावट का कारण भूजल रिचार्ज की तुलना में भूजल स्रोतों का अनियंत्रित दोहन है ।

जी हां, प्रदेश की राज्य जल नीति शासन द्वारा जून, 99 में निर्गत की गयी है, जिसमें भूगर्भ जल एवं सतही जल संसाधनों के नियोजित दोहन, जल प्रबन्धन जल उपयोग हेतु कानून बनाया जाना प्रमुख है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि भूगर्भ जल स्तर में गिरावट होने का मुख्य कारण अनियंत्रित दोहन है । मैं जानना चाहता हूं कि भूतल रिचार्ज और भूतल के अनियंत्रित दोहन का प्रतिशत क्या है ? अनियंत्रित रूप से जल का दोहन करने से जो जल स्तर में गिरावट आयी है उसको दूर करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं । गांवों में पहले कच्चे तालाब हुआ करते थे उन पर कब्जों की प्रक्रिया चल रही है । क्या सरकार कच्चे तालाबों पर से कब्जे हटाने की योजना बनायेगी तथा जहां पर कच्चे तालाब नहीं हैं वहां पर तालाब खुदवाकर जल के रिचार्जिंग की क्या कोई योजना बनायी है ? सरकार ने जिन 49 जिलों के संबंध में जलनीति घोषित किया है उसके अन्तर्गत कानून बनाया है, यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पूछा है उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि भूगर्भ जल का जो दोहन होता है प्रकृति उसकी कमी को बरसात से पूरी करती है । लेकिन जब बरसात अनिश्चित होती है तो भूगर्भ जल की रिचार्जिंग कम होती है । अधिक दोहन से जल स्तर नीचे चला जाता है । माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या जलनीति के अन्तर्गत कोई कानून बनाया है तो 3 जून, 99 को एक नीति बनायी गयी है । उसमें मुख्य रूप से कानून बनाये गये हैं । कुछ ब्लाक डार्क घोषित किये गये थे वहां पर जल दोहन के लिए ऊर्जा प्रतिबन्धित की गयी थी । मुझे यह सूचना देने में प्रसन्नता है कि नाबार्ड ने उस परिभाषा को बदल दिया है । अब डार्क-ग्रे-व्हाइट कर दिया है । इसके अलावा जहां पर बहुत अधिक दोहन होता है उसको अतिदोहित और जहां कम दोहन होता है वहां क्रिटिकल और सेमीक्रिटिकल श्रेणी बनायी है तथा एक सुरक्षित श्रेणी बनायी है । अति दोहित 22 विकास खण्ड हैं जहां पर सिंचाई हेतु ऊर्जा प्रतिबन्धित कर दी गयी है । बाकी जगहों के लिए यह प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है । 53 ऐसे ब्लाक हैं जो क्रिटिकल है । तो अब केवल 22 ब्लाक ऐसे हैं जो प्रतिबन्धित हैं ।

श्री अध्यक्ष–

बहुत अधिक ब्योरे की आवश्यकता नहीं है । इस विषय पर श्री बालचन्द्र मिश्र की चर्चा कार्य सूची पर दो सत्रों से आ रही है संयोगवश उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है । एक प्रश्न मिश्र जी पूछ लें एक प्रश्न वर्मा जी पूछ लें तथा घड़ी की ओर भी ध्यान रखें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

जून, 1999 के बाद क्या इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाया ? तालाब खोदने के बारे में क्या योजना है तथा जहां तालाब हैं उन पर कब्जा रोकने की क्या योजना है ।

श्री अध्यक्ष–

क्या इस संबंध में कोई कानून बनाया गया है ? तालाबों पर कब्जे पर क्या कहना है ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

इस गम्भीर समस्या पर एक वर्ष से लगातार चर्चा निर्धारित हो रही है दुर्भाग्यवश वह नहीं हो पाती । आपकी चिन्ता इस विषय पर सही है । यह चिन्ता सरकार की भी है । इस पर कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

इस गम्भीर समस्या पर जून, 1999 में जल नीति आ गई है । सरकार ने आज तक कानून नहीं बनाया । नाबार्ड से ऋण लेने के लिए आपने परिभाषा बदल दी । कानून बनाया गया कि नहीं तथा तालाबों की खुदाई की क्या योजना है तथा जो तालाब हैं उन पर कब्जा रोकने के लिए क्या योजना है ?

श्री बालचन्द्र मिश्र–

इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि एक तो दोहन ज्यादा हो रहा है-रिचार्जिंग कम हो रही है । अभी मंत्री जो कह रहे थे कि वर्षा की गड़बड़ी की वजह से कठिनाई हो रही है । क्या प्रकृति से परे मानव निर्मित व्यवस्था के कारण यह कठिनाई हो रही है जिसके कारण रिचार्जिंग कम हो रही । यह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ? रिचार्जिंग के लिए वर्षा से परे भी अन्य कारण हैं । जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

रिचार्जिंग के लिए वर्षा के अलावा एक अन्य साधन इंजेक्शन द्वारा रिचार्जिंग करना था लेकिन वह डिफेक्टिव था । एक वैकल्पिक सुझाव है कि तालाब बनाकर तथा तालाबों को गहरा करके प्राकृतिक पानी को इकट्ठा करें । इसके लिए एक योजना पूरे प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में है वह योजना बनाई गई है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

बाजपेई जी का सीधा प्रश्न था भूगर्भ जल स्तर गिर रहा है उसे रोकने के लिए क्या कार्य योजना बनायी है । जो बरसात का पानी गिरता है वह वर्टिकल और हारिजेन्टल दोनों तरह से अन्दर जाता है । 128 ब्लाकों में पानी नहीं रहा है । पीने के लिए पानी नहीं है इसके लिए क्या-क्या योजना बनाई है ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

मान्यवर, भूगर्भ जल में गिरावट हो रही है हम जो विकास खण्ड हैं उसमें पहाड़ी क्षेत्र के और पश्चिमी क्षेत्र के.....

श्री लालजी वर्मा–

पूछा कुछ जा रहा है बताया कुछ जा रहा है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायगा । चूंकि इस विषय पर 27 तारीख को चर्चा लगी है और वैसे भी अब प्रश्नकाल का समय समाप्त हो गया है । चर्चा में अपनी-अपनी बात कह लीजिएगा ।

प्रदेश में ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रोकने हेतु प्रभावी योजनाएं

*3—श्री संजय गर्ग–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण जनता का शहरों की ओर पलायन रोकने हेतु सरकार ने कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन को कम करने के उद्देश्य से अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ? इसके अन्तर्गत "प्रोजेक्ट अप्रोच" के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में सतत रोजगार के अवसर सृजित किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों हेतु रोजगार सृजन के उद्देश्य से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सुनिश्चित रोजगार योजनाएं संचालित की जा रही हैं । स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार के अवसर व जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी परक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । इन योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों में मूलभूत परिसम्पत्तियों के सृजन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे ग्रामों में जीवन का स्तर उच्चीकृत हो । पक्के आवासों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हेतु इंदिरा आवास योजना व प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत ग्रामीण आवास योजना संचालित की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं व बच्चों के कुपोषण के निराकरण हेतु संचालित समेकित बाल विकास परियोजना

*1—श्री विजय पाल सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण के कारण मृत्यु की दरों में बढ़ोत्तरी हो रही है ? क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

प्रश्नगत महिलाओं व बच्चों में मात्र कुपोषण से मृत्यु की दरों में बढ़ोत्तरी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट :–नत्थी 'ख' तारांकित प्रश्न सं० 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

कुपोषण के निराकरण हेतु प्रदेश में समेकित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम संचालित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के कतिपय गांवों/कस्बों में आइसक्रीम की बिक्री से बच्चों में कुपोषण की बीमारी से बचाव के उपाय

*2—श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद–उन्नाव के अन्तर्गत उन्नाव, मौरावां, पुरवा, सफीपुर, शुक्लागंज, बांगरमऊ, बिहार, भगवन्तनगर, नवाबगंज कस्बों में आइसक्रीम की बिक्री से बच्चों में कुपोषण की बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम हेतु क्या उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की निर्धारित दरें

*1—श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के पंजीकरण सहित अन्य सुविधाओं का शुल्क बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और उसका क्या औचित्य है? क्या सरकार सरकारी डाक्टरों के नान प्रेक्टिसिंग एलाउंस में कमी कर इसकी भरपाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रदेश की जनता को समुचित गुणवत्तापरक एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न मदों में शासनादेश संख्या–984/5-1-2000-4(80)/95, दिनांक 28 जून, 2000 में दरें निर्धारित की गयी हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण की योजना अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में इन्स्टीट्यूट की स्थापना की मांग

*2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में कैंसर रोग बड़ी तेजी से फैल रहा है ? यदि हां, तो उसको रोकने/नियंत्रित करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या यह सही है कि अन्य जनपदों की अपेक्षा जनपद मैनपुरी में यह रोग अधिक फैल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार मैनपुरी में कैंसर इन्स्टीट्यूट की स्थापना किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रदेश में कैंसर रोग बड़ी तेजी से फैलने की कोई जानकारी नहीं है ।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कैंसर की रोकथाम हेतु कैंसर प्रिवेन्शन एण्ड अर्ली डिटेक्शन योजना प्रदेश के 5 जनपदों–मैनपुरी, वाराणसी, इलाहाबाद, इटावा एवं आजमगढ़ में चलायी जा रही हैं, जो शत-प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है । कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाये जाने हेतु उक्त जनपदों में कार्यक्रम के निमित्त प्रति जनपद एक लाख रुपये स्वीकृत किये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 28-2-2001 द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया है ।

ऐसा कोई प्रमाण नहीं है ।

जनपद मैनपुरी में कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की कोई योजना नहीं है ।

जनपद मैनपुरी में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कैंसर रोग की रोकथाम हेतु कैंसर प्रिवेन्शन एण्ड अर्ली डिटेक्शन योजना पूर्व से ही कार्यान्वित है ।

जनपद फिरोजाबाद के कतिपय विकास खण्डों के डार्क एरिया में निःशुल्क बोरिंग/नलकूपों के विद्युत कनेक्शन की समस्या के निराकरण की जानकारी

*3–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण के अनुसार जनपद फिरोजाबाद में स्थित विकास खण्ड फिरोजाबाद, टूण्डला नारखी डार्क एरिया की श्रेणी में आते हैं ? यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में निःशुल्क बोरिंग और नलकूपों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने की योजनायें बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या के निराकरण हेतु क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां ।

ज्ञात हो कि वर्तमान में नाबार्ड द्वारा विकास खण्डों का श्रेणी वर्गीकरण "डार्क", "ग्रे" एवं "श्वेत" श्रेणी के स्थान पर क्रमशः ओवर एक्सप्लायटेड/क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एवं सुरक्षित श्रेणी में किया जाता है ।

भूजल आंकलन समिति 1997 के नवीन मार्ग निर्देशों के अनुसार किये गये भूगर्भ जल आंकलन के आधार पर नाबार्ड द्वारा निर्गत विकास खण्डों की नवीनतम वर्गीकरण की सूची के अनुसार विकास खण्ड नारखी ओवर एक्सप्लायटेड/क्रिटिकल श्रेणी में तथा विकास खण्ड–फिरोजाबाद एवं टूण्डला "सेफ" श्रेणी में वर्गीकृत हैं ।

जी हां, पूर्व में "डार्क" श्रेणी में घोषित विकास खण्डों में नलकूप निर्माण हेतु संस्थागत वित्त एवं ऊर्जीकरण पर रोक लग जाती थी । वर्तमान में ओवर एक्सप्लायटेड/क्रिटिकल श्रेणी में उक्त प्रतिबन्ध प्रभावी रहेगा । नवीनतम वर्गीकरण सूची के आधार पर विकास खण्ड–फिरोजाबाद व टूण्ड में अब कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । परन्तु विकास खण्ड–नारखी में निःशुल्क बोरिंग एवं नलकूपों का ऊर्जीकरण प्रतिबन्धित रहेगा ।

विभाग द्वारा भारत सरकार के जल संस्थान मंत्रालय द्वारा गठित भूजल आंकलन समिति 1997 द्वारा निर्गत नवीन भूजल आंकलन मेथोडोलाजी के अनुसार विकास खण्डवार भूजल उपलब्धता का आंकलन कर नाबार्ड को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर ही नाबार्ड द्वारा नवीनतम वर्गीकरण की सूची निर्गत की गयी है, जिसके अनुसार अब विकास खण्ड फिरोजाबाद व टूण्डला में लागू प्रतिबन्ध समाप्त हो गया है । ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुति पर रु० 27.29 करोड़ सुनिश्चित रोजगार योजना/जवाहर ग्राम

समृद्धि योजना से व रु० 27.29 करोड़ ग्राम्य निधि से कुल रु० 54.58 करोड़ की भूजल रिचार्ज की योजना तैयार की गयी है जिसमें अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्ड–नारखी भी सम्मिलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चिकि सायिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) का मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित पद

*4–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1977 से नियुक्त चिकित्साधिकारी (तृतीय) से चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पदों पर अंतरित चिकित्साधिकारियों के कैडर का निर्धारण एवं उनका विनियमितीकरण किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) का पद उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण सहायक संघ द्वारा योजित याचिका संख्या–3516/87 के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित है ।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रोन्नति की मांग

*5–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग में अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) जिला समाज कल्याण अधिकारी,सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) तथा सुपरवाइजर के लिये सेवा नियमावली में प्राविधान होने के बाद भी निदेशक, समाज कल्याण उ०प्र० द्वारा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रोन्नति न करके रिक्त पदों पर दूसरे विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार विभागीय सेवा नियमावली का उल्लघंन करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी एवं विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

वर्तमान समय में दूसरे विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नन्द नगर खजुरिया में पशुओं के आक्सीटोसिन इन्जेक्शन की आपूर्ति

*6–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या सरकार को ज्ञात है कि महिला चिकित्सालय, बलरामपुर, लखनऊ में अगस्त, 2000 में आक्सीटोसिन इन्जेक्शन जो पशुओं के लिये बना है, महिलाओं के प्रयोग हेतु उसकी आपूर्ति की गयी है? क्या इस इन्जेक्शन को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नन्द नगर हडिया को भी आपूर्ति किया गया ? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

महिला चिकित्सालय, बलरामपुर, लखनऊ में अगस्त, 2000 में आक्सीटोसिन इन्जेक्शन जो पशुओं के लिए बना है, महिलाओं के प्रयोग हेतु उसकी आपूर्ति नहीं की गई है।

जी हां।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नन्दनगर, खजुरिया में इसकी आपूर्ति हुई थी किन्तु उसका प्रयोग नहीं किया गया।

पशुओं के लिए निर्मित इन्जेक्शन आक्सीटोसिन की आपूर्ति की शिकायत के सम्बन्ध में निदेशक, केन्द्रीय औषधि भण्डार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ से जांच कराई गई। जांच के आधार पर श्री आर० एन० वर्मा, फार्मासिस्ट, सी० एम० एस० डी० स्टोर, गोण्डा तथा श्री शिवाजी चतुर्वेदी, फार्मासिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नन्दनगर, खजुरिया जनपद बलरामपुर को दोषी पाया गया। जिस कारण दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने के आरोप में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए दिनांक 17-3-2001 से श्री आर० एन० वर्मा, फार्मासिस्ट, सी० एम० एस० डी० स्टोर गोण्डा तथा श्री शिवाजी चतुर्वेदी, फार्मासिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नन्दनगर, खजुरिया, जनपद बलरामपुर को निलम्बित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान की भांति तम्बाकू/पान मसाले आदि प्रयोग पर नियंत्रण की मांग

*7–श्री संजय गर्ग, श्री प्रदीप कुमार तथा श्री कृपाशंकर सिंह–

क्या सरकार जन स्वास्थ्य रक्षा के कल्याणार्थ पल्स पोलियो अभियान की भांति तम्बाकू/जर्दा युक्त पान मसाले, गुटका आदि के प्रयोग पर सख्ती से नियंत्रण करने के सम्बन्ध में कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं, पल्स पोलियो अभियान पूरी तरह केन्द्रीय पोषित कार्यक्रम है, जो स्वास्थ्य रक्षा के कल्याणार्थ चलाया जाता है। तम्बाकू, जर्दायुक्त मसाले, गुटका आदि के प्रयोग पर सख्ती से नियंत्रण हेतु कोई दिशा निर्देश भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं और न कोई प्रस्ताव इस सम्बन्ध में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*8–श्री राम ललित चौधरी–

[दिनांक 29-3-2000 को ता० प्र० सं०–2 द्वारा उत्तरित]

*9–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में औद्योगिक संस्थाओं के पास बसी आबादी में मच्छरों के प्रकोप से बीमारियों की रोकथाम के उपाय

*10–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक संस्थाओं के आस पास बसी हुई आबादी में बढ़ते हुये मच्छरों के प्रकोप से फैलने वाली बीमारियों मस्तिष्क ज्वर, फायलेरिया, मलेरिया

इत्यादि की रोकथाम के लिये क्या सरकार ने कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां । मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया, फायलेरिया, मस्तिष्क ज्वर आदि की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक प्रभावी कार्य योजना है, जिसमें निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदेश में इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है । मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए त्रिकोणात्मक कार्यवाही की जाती है, जिसमें रोगियों का सर्वेलेन्स, उपचार संवेदनशील क्षेत्रों में कीटनाशक छिड़काव तथा नगरीय संवेदनशील क्षेत्रों में लार्वानाशक छिड़काव और आवश्यकतानुसार फागिंग एवं पाइरीथ्रम स्पेस स्प्रे कराया जाता है तथा स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में आन्दोलनकारी होम्योपैथिक छात्रों की मांगों पर कार्यवाही

*11–श्री उदय राज–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के 10 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के समस्त छात्र अगस्त–सितम्बर, 2000 में धरना-प्रदर्शन व आमरण अनशन पर थे ? यदि हां, तो आन्दोलनकारी होम्योपैथिक छात्रों की मांगें क्या थीं व उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में शासन/निदेशालय स्तर से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के छात्रों ने छात्र संघर्ष समिति का गठन करके आन्दोलन और अनशन किया था ।

छात्रों की कुल आठ मांगें थीं । इनमें केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के मानकों के अनुरूप राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को सुसज्जित करने, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, छात्रावास की सुविधा तथा प्रदेश के कालेजों से उत्तीर्ण छात्रों को नियुक्तियों में वरीयता देने की मांगें मुख्य थीं ।

तीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का अन्य कालेजों में संविलियन करके काफी हद तक शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया है । शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं राजकीय होम्योमेडिकल कालेज, इलाहाबाद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आगामी सत्र से प्रारम्भ करने हेतु केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से अनुमति मांगी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अंशकालिक दाइयों के समायोजन/नियमित नियुक्ति का प्रकरण

*12–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० के विभिन्न जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन अंशकालिक दाइयां जो प्रशिक्षित हैं तथा 8 वर्ष से लेकर 20 वर्षों से कार्यरत हैं, को प्रदेश में रिक्त पड़े दाइयों के पदों पर समायोजन या नियमित नियुक्ति प्रदान की जायेगी ?यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

मातृ एवं शिशु कल्याण एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अंशकालिक दाइयों को समायोजित करने अथवा निर्धारित निःशुल्क दिये जाने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रदेश में टी० बी० (क्षय रोग) की बीमारियों से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार निःशुल्क औषधियों का वितरण

*13–श्री राम जग तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टी०बी० (क्षय रोग) जैसी भयंकर बीमारियों से बचाव हेतु क्या सरकार कोई योजना बना रही हैं ? यदि हां, तो वह योजना क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

टी० बी० (क्षय रोग) से बचाव हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार एवं भारत सरकार के सहयोग से पहले से ही प्रदेश में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम एवं पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ।

क्षय रोग के रोकथाम हेतु प्रथमतः नवजात शिशुओं को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा बी० सी० जी० का टीका लगाकर क्षय रोग के विरुद्ध प्रतिरोधी शक्ति उत्पन्न कर क्षय रोग की रोकथाम की जाती है । राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षय रोग के लक्षणयुक्त रोगी के निःशुल्क 3 बलगम परीक्षण व एक्स-रे जांच कर क्षय रोग की पहचान की जाती है । क्षय रोग से ग्रसित होने की स्थिति में उन्हें आवश्यकतानुसार निःशुल्क क्षय निरोधी औषधियां प्रदान कर रोगमुक्त किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में यू० पी० इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसियेट लिमिटेड (यूपिका) के कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान की मांग

*14–श्री राजेन्द्र यादव तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में यू०पी० इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसियेट लिमिटेड (यूपिका) के कर्मचारियों को लगभग 10 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उनके वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)–

जी हां ।

वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है । संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण भुगतान की कोई समय सीमा दिया जाना सम्भव नहीं है।

यूपिका की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण ।

जनपद इलाहाबाद में महाकुम्भ मेले के स्वास्थ्य शिविरों में नकली दवाओं का प्रकरण

*15–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष इलाहाबाद में चल रहे महाकुंभ मेले में स्वास्थ्य विभाग के लगे स्वास्थ्य शिविरों में नकली दवायें उपलब्ध करायी गयीं जिसे परिवार कल्याण विभाग उ०प्र० द्वारा पकड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसके लिये दोषी जनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में मिश्रित चिकित्सा पद्धति के अधिकार सुरक्षित रखने का प्रकरण

*16–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों के मिश्रित चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा करने के अधिकार को सुरक्षित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और उसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

वर्तमान में प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के मानकों के अनुरूप एम० बी० बी० एस०, भारतीय दंत परिषद् के मानकों के अनरूप बी० डी० एस०, भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् के मानकों के अनुरूप बी० ए०एम० एस०/बी०यू०एम०एस० तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के मानकों के अनुरूप बी०एच०एम०एस० की उपाधि प्रदान की जा रही है एवं मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के नाम से कोई स्नातक स्तरीय उपाधि प्रदान नहीं की जा रही है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बाल विकास परियोजना विभाग में वरिष्ठ मुख्य सेविकाओं की चरित्र पंजी पूर्ण कराकर प्रोन्नति देने की मांग

*17–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997 एवं वर्ष 1998 में अपर बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पदों पर प्रोन्नति करते समय कतिपय वरिष्ठ मुख्य सेविकाओं को इस आधार पर प्रोन्नतियां नहीं दी गयीं कि उनकी चरित्र पंजी पूर्ण नहीं थी ? यदि हां, तो प्रविष्टियां पूर्ण कराकर प्रोन्नतियां न करने हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अधिकारियों की अकर्मण्यता का बोझ वरिष्ठ मुख्य सेविकाओं पर डालने और उनका जीवन बर्बाद करने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उनकी प्रविष्टियां पूर्ण कराकर उन्हें उसी तिथि से प्रोन्नति का लाभ देगी, जिस तिथि से उनसे कनिष्ठ को प्रोन्नति दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

प्रविष्टियां पूर्ण न करने के लिए सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीमती गीता पंत, सुश्री गीता पाण्डे, सुश्री गुलनाज बानों, सुश्री ललिता वर्मा, सुश्री मंगेश गुप्ता, सुश्री शशि वर्मा, सुश्री आशा त्रिपाठी, श्री ए० के० यादव (सहायक निदेशक मत्स्य विभाग), सुश्री जया त्रिपाठी, सुश्री मन्जू श्रीवास्तव, सुश्री विजय लक्ष्मी, सुश्री बीना मिश्रा, सुश्री पूनम रानी गुप्ता, सुश्री गुरुमीत कौर, सुश्री इन्दूबाला श्रीवास्तव, सुश्री सुजाता (जिला कार्यक्रम अधिकारी) को दोषी पाया गया तथा इनको लिखित रूप से सचेत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत मुख्य सेविकाओं के जीवन बर्बाद करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अनुसार उन्हें प्रोन्नति का लाभ दिये जाने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जेल टूथपेस्ट पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रकरण

*18—श्री विजय पाल सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जेल वाले टूथपेस्ट में अधिक एसिड की मात्रा होने के कारण बच्चों को नुकसानदेह है ? यदि हां, तो क्या सरकार नुकसानदायक टूथपेस्टों पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेवर के ग्राम बागपुर के प्रधान द्वारा शासकीय धन के दुरुपयोग पर कार्यवाही की मांग

1—श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बागपुर ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी के ग्रामीणों का उक्त ग्राम के प्रधान द्वारा विकास कार्यों को न कराकर लाखों रुपये सरकारी धन के दुरुपयोग करने विषयक पत्र संख्या 1067 जिलाधिकारी मैनपुरी को दिनांक 19-1-2000 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच खण्ड विकास अधिकारी बेवर से करायी गयी । जांच में ग्राम प्रधान द्वारा सम्पर्क मार्ग निर्माण में रु० 3600/- का कार्य कम पाया गया । उक्त धनराशि की वसूली हेतु मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी द्वारा आदेशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2—श्री राम चन्द्र यादव–

[पहले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई के स्वामी भगवानदास ब्रह्मचारी कालीदीन सिंह विद्या मन्दिर जाहिदपुर में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति वितरण न किये जाने की मांग

3–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि स्वामी भगवानदास ब्रह्मचारी कालीदीन सिंह विद्या मंदिर जाहिदपुर, हरदोई के प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति का वितरण न किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा दिनांक 22 मई, 1999 को समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई को एफ० आई० आर० दर्ज कराने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या एफ० आई० आर० दर्ज कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज कराये जाने विषयक माननीय श्री ओम प्रकाश यादव, सदस्य विधान सभा का दिनांक 12 अगस्त, 1999 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां ।

संयुक्त जांच कराई गई और जांचोपरान्त छात्रवृत्ति के गबन के आरोप की पुष्टि नहीं हुई ।

जनपद बुलन्द शहर के कतिपय स्कूलों द्वारा छात्रवृत्ति घोटाले की जांचोपरान्त मान्यता निरस्त करने की मांग

4–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि डा० राहत अजीम, प्रबन्धक एंग्लो अरबिक जूनियर हाई स्कूल, एंग्लो अरबिक खादी मुलस्लाम तथा जेड०ए० पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, शिकारपुर नाम से फर्जी संस्थायें चलाकर छात्रवृत्ति एवं क्षतिपूर्ति का गबन करने की जांच शासन के आदेशानुसार जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से 1 जुलाई, 1998 को करायी गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त प्रबन्धक के छात्रवृत्ति एवं क्षतिपूर्ति गबन में लिप्त पाये जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी बुलन्दशहर द्वारा शिकारपुर कोतवाली में मुकदमा दिनांक 15-8-98 को पंजीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या जांचोपरान्त उक्त शिक्षण संस्थाओं की मान्यता निरस्त की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी हां ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 15-7-98 को प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सदर बुलन्दशहर में दर्ज कराई गई थी, एंग्लो अरबिक खादिमुलइस्लाम प्राइमरी स्कूल शिकारपुर की मान्यता प्राइमरी स्तर की समाप्त कर दी गई है, एंग्लो अरबिक जूनियर हाई स्कूल शिकारपुर तथा जेड० ए० कन्या जूनियर हाई स्कूल की मान्यता निरस्त करने का प्रकरण सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, माध्यमिक के यहां विचाराधीन है ।

5–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[दिनांक 24-4-2001 को अता० प्र० सं०–184 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव के क्षेत्र सफीपुर में सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत विगत वर्षों में सड़क निर्माण हेतु आवंटित धनराशि के दुरुपयोग पर वसूली की कार्यवाही

6-श्री बाबू लाल कुरील–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर, उन्नांव में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-1997 और 1998-99 में कितना धन आवंटित किया गया ? क्या आवंटित धन का समुचित उपयोग किये बगैर ही सड़कों के निर्माण के नाम पर ब्लाक के बी० डी० ओ० श्री पी० सी० राम ने सारा धन हड़प लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराते हुए दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के विकास खण्ड सफीपुर जनपद-उन्नाव के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु वर्ष 1996-97 में मु० 37,23,400.00 तथा वर्ष 1998-99 में मु० 1,15,47,700.00 की धनराशि आवंटित की गयी । जांच करायी गयी जिसमें दो सड़कों के निर्माण कार्यों में अनियमितता पायी गयी । प्रकरण में दोषी पाये गये अधिकारी श्री आर० एल० वाजपेयी, सेवानिवृत्त खण्ड विकास अधिकारी, सफीपुर से रु० 14,651.00 की कटौती अवशेष ग्रेच्युटी से की जा रही है । श्री पी० सी० राम, खण्ड विकास अधिकारी, सफीपुर का स्पष्टीकरण लेकर नव नियुक्त होने तथा मात्र 38 दिन का कार्यकाल होने एवं उनके योगदान से पूर्व ही सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के कारण कड़ी चेतावनी निर्गत की गयी है । श्री पी० सी० मिश्र, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से दुरुपयोग की गयी धनराशि रु० 147335 के लिए थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा रही है तथा साथ ही विभागीय कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग से अनुरोध किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

7-श्री राम औतार शाक्य–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

8-श्री रामतेज यादव–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद कुशीनगर में गन्ने की अवैध खरीद रोकने की मांग

9–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर से गन्ना किसानों का गन्ना बहुत ही सस्ते दरों पर खरीद कर भारी पैमाने पर गन्ना माफियाओं द्वारा बिहार भेजा जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, कुशीनगर को प्रश्नकर्ता के पत्र माह नवम्बर–दिसम्बर, 2000 में प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जनपद कुशीनगर में गन्ना माफियाओं द्वारा कम कीमत पर गन्ना खरीद कर जनपद के बाहर की चीनी मिलों को भेजने की जानकारी होते ही जिलाधिकारी, कुशीनगर के निर्देशन में जनपद के अधिकारियों द्वारा छापा मारकर गन्ने की अवैध खरीद रोकी गयी तथा जिन कांटों पर इस प्रकार की गन्ने

की तौल हो रही थी वे कांटे तौल हेतु अयोग्य करार कर दिये गये थे उसके बाद से कोई अवैधानिक गन्ने की खरीद जनपद में नहीं हो रही है ।

प्रश्नकर्ता के पत्र माह नवम्बर, दिसम्बर, 2000 जिलाधिकारी, कुशीनगर को प्राप्त नहीं हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की बन्द पड़ी परियोजनाओं को पुनः चालू कराने की मांग

10–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की कितनी परियोजनाएं धन के अभाव में बन्द पड़ी हुई हैं ? क्या सरकार उक्त बन्द पड़ी परियोजाओं को पुनः चालू करने के लिए अविलम्ब धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

हथकरघा निगम की 18 परियोजनाओं में से वर्तमान में 13 परियोजनायें बन्द हैं । हथकरघा निगम तथा उसकी परियोजनाओं के पुनर्वासन की दृष्टि से विद्या विकास योजना तथा दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना शासन में सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम द्वारा बुनकरों को सब्सिडी व सस्ते दामों पर सूत उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रकरण

11–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम को लगभग एक दशक पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी बन्द कर देने के कारण बुनकर समाज भुखमरी के कगार पर है ? क्या सरकार हथकरघा उद्योग के लिए बुनकरों को सूत सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना लागू करके उन्हें धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

जी नहीं ।

ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को बकाया वेतन भुगतान की मांग

12–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लगभग 20 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके वेतन वितरण हेतु धन की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

जी हां ।

निगम के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नियमानुसार निगम द्वारा अपने आन्तरिक श्रोतों से किया जाना है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आयुर्वेद यूनानी औषधि निर्माण शाला लखनऊ के तृतीय/चतुर्थ व दैनिक वेतन कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान की मांग

13–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेद यूनानी औषधि निर्माणशाला मोहान रोड, लखनऊ में तैनात तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों को वर्ष 1997, 1998, 1999 तथा 2000 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला मोहान रोड, लखनऊ के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 20 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रश्नगत वर्षों के पारिश्रमिक का भुगतान धनावंटन न होने के कारण नहीं हुआ था, जिसके लिए धनावंटन कर दिया गया है ।

भुगतान प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ, शिवशंकर हरिजन प्रा० पा० मेउड़ी में छात्रवृत्ति वितरण में घोटाले की जांचोपरांत दुरुपयोग धनराशि की वसूली

14–श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवशंकर हरिजन प्रा० पा० मेउड़ी जनपद मऊ में छात्रवृत्ति वितरण में किये गये घोटाले के सम्बन्ध में श्री उमाकान्त यादव, सदस्य, विधान सभा का शिकायती-पत्र दिनांक 10-11-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो जांचोपरान्त दोषीजनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी हां ।

जी हां ।

जांचोपरान्त ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी दोषी पाये गये जिनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । दुरुपयोग हुई धनराशि वसूल कर ली गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेंहदर के सुपरवाइजर के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

15–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेंहदर में कार्यरत श्री रामस्वरूप स्मालपाक्स सुपरवाइजर के विरुद्ध माह मई, 2000 में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र मा० मंत्री मातृ एवं शिशु कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच क्षेत्रीय उप मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई से करायी गयी तथा उस पर विचारोपरांत श्री राम स्वरूप स्याल पाक्स सुपरवाइजर को उस स्थान से स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में खखार, गोंड तुरैहा एवं मझवार जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने के निर्देश

16–श्री अक्षयवर लाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति खरवार, तुरैहा, गोंड एवं मझवार के लाखों सदस्यों को परम्परागत व्यावसायिक समानता के कारण जिलों के सक्षम अधिकारी कहार जाति का मानते हुये अनुसूचित जाति की सुविधा से वंचित कर रहे हैं ? क्या सरकार इन जातियों के पहचान हेतु मार्ग दर्शक बिन्दुओं को समाहित करते हुए सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी नहीं ।

समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रत्यावेदनों के आधार पर खरवार, गोंड, तुरैहा एवं मझवार जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र नियमानुसार जांच पड़ताल के उपरान्त तत्परता से निर्गत किये जाने के निर्देश शासन स्तर से जिलाधिकारियों को निर्गत किये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पंचायतीराज विकेन्द्रीकरण व्यवस्था व अन्य विसंगतियों को दूर करने हेतु मंत्रिमण्डल की गठित उपसमिति

17–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायतों में सत्ता के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप ग्राम्य विकास कार्यक्रमों, योजनाओं एवं विभिन्न ढांचों में व्याप्त विसंगतियों के सम्बन्ध में उनके निवारण हेतु ग्राम्य विकास अधिकारी संघ, उत्तर प्रदेश श्री राम सिंह, महामंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवेदन दिनांक 10-10-2000 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ला–

जी हां । पंचायतीराज विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत बहुउद्देशीय कर्मियों की भूमिका तथा इसके अन्य समस्त पहलुओं की व्यवहारिकता एवं इनके सम्बन्ध में प्राप्त अनुभवों के आधार पर पुनर्विचार करके अपनी संस्तुतियां देने हेतु मंत्रिमण्डल की उपसमिति गठित की गयी है ।

जनपद मुरादाबाद में यूपिका के क्रय सेन्टर के किराये के बकाया भुगतान की मांग

18–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती उमा सरन, 39–डिप्टीगंज, मुरादाबाद का यूपिका पर ''क्रय सेन्टर'' के मकान कर 10 वर्ष के अनुबन्ध के अनुसार 2,24,965 रुपया बकाया है ? यदि हां, तो उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

जी हां, कुल रु० 2,15,.621.00 बकाया है ।

यूपिका की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण भुगतान की समय सीमा दिया जाना सम्भव नहीं है ।

यूपिका की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

19–श्री उदयराज–

[दिनांक 22-3-2001 को अता० प्र० सं०–66 द्वा० उत्तरित]

निदेशक, समाज कल्याण द्वारा समूह 'ग' व 'घ' के पदों पर कथित वर्षों में की गई नियुक्तियों की जांच के आदेश

20–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 1995 के वर्ष 1997 तक कितने कर्मचारियों को नियुक्ति निदेशालय में समूह ''ग''तथा समूह ''घ'' के पदों पर की गयी है ? क्या यह नियुक्तियां नियमित सृजित पदों पर दैनिक वेतन कर्मचारियों के रूप में की गई थीं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या नियुक्ति के समय पर पद रिक्त थे ? यदि नहीं, तो क्या नियुक्त किये गये इन कर्मचारियों की नियुक्तियां वैध हैं ? यदि नहीं, तो अवैध रूप से नियुक्ति करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 1995 से वर्ष 1997 तक समूह (ग) के तीन पदों पर नियुक्ति की गई तथा दो कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर रखा गया और समूह (घ) के पदों पर 19 नियुक्तियां की गई तथा 9 कर्मचारियों को दैनिक वेतन/मजदूरी पर रखा गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समूह (ग) के पदों पर तीन और समूह (घ) के 19 पदों पर नियुक्ति के समय पद रिक्त थे । दैनिक वेतन/मजदूरी के आधार पर कर्मचारियों को रखे जाने के समय पद रिक्त नहीं थे ।

प्रश्नगत अवधि में की गई उपरोक्त नियुक्तियों की वैधता की जांच की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार जांच पूर्ण होने के उपरान्त जांच के परिणामस्वरूप आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में महिला पालीटेक्निक स्वीकृत करने सम्बन्धी पत्र एवं कृत कार्यवाही

21–श्री-राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० मुख्य मंत्री के आदेश संख्या सी० एम०/वि०को०/एम/28110/प्रतापगढ़/99 दिनांक 5-12-99 जो जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में महिला पालीटेक्निक स्वीकृत करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त पालीटेक्निक को कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति तथा राजकीय पालीटेक्निकों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए जनपद में एक और पालीटेक्निक खोलने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील गौरीगंज के बस्ती देई की श्रीमती मालती त्रिपाठी का जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र में परियोजनाधिकारी द्वारा फर्जी सर्टीफिकेट पर आंगनबाड़ियों की गयी नियुक्ति पर जांच कार्यवाही

22–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के चौथे बुधवार के अता० प्रश्न सं०–53 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि फर्जी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना क्या अपराध की श्रेणी में आता है ? यदि हां, तो इसमें कोई मुकदमा पंजीकृत न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस नियुक्ति में विभागीय अधिकारी के लिप्त पाये जाने की जांच कराकर प्रकरण की एफ० आई० आर० दर्ज कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाली सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकत्री की मानदेय सेवा समाप्त कर उसे बृहद दण्ड दे दिया गया ।

निदेशक को जांच करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ की तहसील मलिहाबाद की ग्राम सभा बसंतपुर को जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत विकास कार्य का विवरण

23–श्री इन्द्रदेव सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के विकास खंड माल में स्थित ग्राम सभा बसंतपुर को वित्तीय वर्ष 1995 से 1999 तक कितनी धनराशि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दी गयी ? उक्त धनराशि से क्या-क्या विकास कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद–लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के विकास खण्ड माल की ग्राम सभा बसंतपुर को वित्तीय वर्ष 1995-96 से1999-2000 तक कुल रु० 5,44,141/- की धनराशि दी गई ।

उक्त धनराशि से ग्राम पंचायत द्वारा पड़ंजा, खड़ंजा, नाली हैण्डपम्प की स्थापना, सम्पर्क मार्ग तथा पुलिया निर्माण के कार्य कराये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र निर्धारित करने का प्रकरण

24–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चालू पेराई सत्र 2000-2001 चीनी मिलों को प्रारम्भ करने की कोई नियत तिथि सरकार द्वारा निर्धारित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या औराई चीनी मिल में भी उसी तिथि से पेराई प्रारम्भ की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मऊ में शिवशंकर हरिजन प्रा० पा० व बालिका विद्यालय एक ही भवन में संचालित करने तथा इनमें छात्रवृत्ति धनराशि के दुरुपयोग की वसूली

25–श्री अफजाल अहमद–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि शिवशंकर हरिजन प्रा० पा० मेउड़ी, ब्लाक रतनपुरा, जनपद मऊ एवं शिवशंकर हरिजन बालिका विद्यालय मऊ एक ही भवन में चलाये जा रहे हैं? क्या उक्त दोनों विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन एक ही है तथा गलत तथ्य प्रस्तुत कर उन्हें मान्यता दी गयी है? क्या उक्त विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति वर्ष 1990 से वितरित नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच सतर्कता विभाग से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

दोनों विद्यालय अलग-अलग भवनों में संचालित है ।

दोनों विद्यालय पंजीकृत संस्था शिवशंकर ग्राम सेवा संस्थान ग्राम व पो० मेउड़ी, ब्लाक रतनपुरा, जनपद मऊ के अधीन संचालित है ।

शिवशंकर हरिजन बा० विद्यालय मेउड़ी मऊ का वर्ष 90-91 से 93-94 तक छात्रवृत्ति का प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण छात्रवृत्ति की धनराशि विभाग द्वारा नहीं दी गयी । वर्ष 94-95 से लेकर 98-99 तक की धनराशि विद्यालय के संयुक्त छात्रवृत्ति खाते में अंतरित की गयी और छात्रों को वितरित की गई है । वर्ष 99-2000 में विमुक्त जाति छात्रवृत्ति की की 7800/- रुपये की धनराशि ग्राम निधि खाते में भेजी गयी थी जो छात्रों को वितरित नहीं हुई ।

शिवशंकर हरिजन बालिका विद्यालय मेउड़ी द्वारा वर्ष 1990 से लेकर 1998-99 तक छात्रवृत्ति का कोई प्रस्ताव विद्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे छात्रवृत्ति अंतरित नहीं की गई । वर्ष 99-2000 में विमुक्त जाति छात्रवृत्ति की 7200/- रुपये की धनराशि ग्राम निधि खाता में अंतरित की गई जो छात्रों को वितरित नहीं हुई ।

जी नहीं ।

उक्त दोनों विद्यालयों की क्रमशः 7800/- व 7200/- कुल 15000/- रुपये की धनराशि जो कि ग्राम निधि खाते में स्थानान्तरित की गई थी, का व्यपहरण ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया था जिनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है ।

दुरुपयोग हुई पूरी धनराशि वसूल कर ली गई है ।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पूर्व सचिव द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने विषय शिकायती पत्र

26–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक कोष्ठक के माध्यम से प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-10-99 जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के पूर्व सचिव द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

27–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड बीघापुर के ग्राम इन्देमऊ में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

28–श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विन्ध्यवासिनी कुमार, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 24 जनवरी, 2000 जो ग्राम इन्देमऊ विकास खण्ड बीघापुर, जनपद उन्नाव में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जिला योजना 2001-2002 में उक्त चिकित्सालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव रखा गया था जो जिला योजना से अनुमोदित नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेहदर की मृतका स्व० फुन्दन दाई के आश्रितों को उसके देयों का भुगतान एवं सेवा में लेने सम्बन्धी जानकारी

29–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मृतका स्व० फुन्दन, दाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेंहदर जनपद हरदोई के आश्रितों को पी० एफ० बीमा आदि के भुगतान कराने एवं मृतक आश्रितों को सेवा में लिये जाने हेतु विगत एक वर्ष में कितने पत्र निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुए हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि विगत एक वर्ष में मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई को दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

जी० पी० एफ० एवं बीमा आदि का नामांकन न होने तथा सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण रु० 5,000.00 से ऊपर की धनराशि के देयों का भुगतान हीं किया जा सका । रु० पांच हजार तक की धनराशि के लिये जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के आधार पर मृतका के कार्य अवधि का वेतन रु० 1770.00 का भुगतान किया गया । मृतक आश्रित को सेवायोजन करने के संबंध में मृतका की बहू का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिसे नियमानुसार सेवा में नहीं लिया जा सकता है । दि० 28-2-2001 को मृतका के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम स्वरूप द्वारा सेवायोजन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका नियमानुसार परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेंहदर की श्रीमती मिसीमिल्ला दाई की मृत्योपरान्त उनके आश्रित को नौकरी एवं देयों के भुगतान सम्बन्धी जानकारी

30–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती मिसीमिल्ला, दाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेंहदर जनपद हरदोई की मृत्यु दिनांक 14-2-85 को सेवाकाल में हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक कर्मचारी के आश्रितों को देयों का भुगतान कर दिया गया है एवं मृतक आश्रित को सेवायोजित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी हां ।

जिला अधिकारी, हरदोई द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के आधार पर रु० 4994.00 की धनराशि का भुगतान सामान्य भविष्य निधि मद में मृतक आश्रितों को कर दिया गया है । भविष्य निधि में अब कोई धनराशि देय नहीं है । ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश का नगदीकरण, सामूहिक बीमा की धनराशि तथा अगस्त, 1984 से दिनांक 13-2-85 तक अवशेष वेतन का भुगतान, नामांकन न होने तथा सक्षम न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण नहीं किया जा सका है । स्व० श्रीमती विस्मिल्ला दाई के पति का स्वर्गवास हो जाने तथा मृतका के बच्चे बालिग होने के फलस्वरूप पारिवारिक पेंशन नियमानुसार देय नहीं है ।

मृतक आश्रितों द्वारा समय सीमा के अन्तर्गत कोई भी आवेदन पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण मृतक आश्रित को सेवा में नहीं लिया गया ।

31–श्री अब्दुल मन्नान–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद कुशीनगर की कप्तानगंज चीनी मिल में गन्ना कृषकों को सीजन में पड़ाव की व्यवस्था की मांग

32–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर में चीनी मिल कप्तानगंज में पर्याप्त मात्रा में पड़ाव न होने के कारण पूरे सीजन गन्ना कृषकों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल पर पर्याप्त मात्रा में पड़ाव की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

गन्ने की ट्राली एवं बैलगाड़ी के ठहरने हेतु कप्तानगंज चीनी मिल ने अपने परिसर स्थित पड़ाव के अलावा दो अन्य पड़ावों की व्यवस्था की है, जो चीनी मिल के बिल्कुल पास है । गन्ने की ट्राली एवं बैलगाड़ी के ठहरने हेतु पड़ाव की कोई समस्या नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

33–श्री दीपलाल भारती व श्री जय प्रकाश–

[मा० सदस्यगण द्वारा वापस लिया गया]

34–श्री काशीराम–

[दिनांक 23-4-2001 को अता० प्र० सं०–140 द्वारा उत्तरित]

जनपद जौनपुर में साधारण हैण्ड पम्प का जल हानिकारक होने की जानकारी

35–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर में सई नदी का जल प्रदूषित होने के कारण उसके आस-पास के ग्रामों में कूप या साधारण हैण्डपम्प का पानी पीना हानिकारक है ? यदि हां, तो क्षेत्र की स्थिति देखते हुए वि० ख० सरकोनी, जलालपुर में मानक के अतिरिक्त क्या इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी नहीं । क्योंकि वर्तमान में मानक के अनुसार ही हैण्डपम्प लगाये जाने की व्यवस्था है तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के जिला अस्पताल के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार कराने की मांग

36–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के जिला अस्पताल का भवन जर्जर हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जिला अस्पताल, जौनपुर में स्थित कुछ वार्ड जैसे कि सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड, महिला वार्ड एवं पूर्वी/उत्तरी वाराण्डा, दन्त विभाग जर्जर स्थिति में है ।

जी हां । जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार कराया जायेगा ।

शीघ्र ही उक्त चिकित्सालय का जीर्णोद्धार कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गन्ने के बहुउद्देशीय उपयोग में लाने की योजना सम्बन्धी जानकारी

37–श्री चेतराम–

क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने का मात्र चीनी बनाने में ही उपयोग किया जाता है ? क्या इस कारण सामान्य जनता को खाड़, गुड़, राब आदि के अभाव के फलस्वरुप मंहगी चीनी खरीदनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ने को बहुउद्देशीय उपयोग में लाने की कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुल उत्पादित गन्ने का लगभग 70 प्रतिशत गन्ना चीनी मिलों को आपूर्ति कर चीनी तैयार की जाती है । शेष गन्ना गुड़, राब व बीज आदि में उपयोग किया जाता है ।

लेवी चीनी का निर्धारण भारत सरकार के नियंत्रणाधीन विषय है, जो समान रूप से पूरे देश में लागू किया जाता है । खांड़ गुड़, राब आसानी से बाजार में उपलब्ध है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती, किसान गन्ना समिति बभनान में गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा

38–श्री चेतराम–

क्या सरकार को जानकारी है कि किसान गन्ना समिति, बभनान, बस्ती पूर्ण रुप से दि० बलरामपुर चीनी मिल इकाई, बभनान गोण्डा के प्रशासन के अन्तर्गत होने के कारण बड़े पैमाने पर गन्ना

किसान घटतौली का शिकार हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपद में गन्ना किसानों के हित में कोई सरकारी अधिकारी नियुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

दोनों क्षेत्रों के लिए ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना निरीक्षक व जिला गन्ना अधिकारी तैनात हैं । गन्ना किसानों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जामों के श्री गया प्रसाद पाण्डे के सेवानिवृत्ति पर उनके देयकों के भुगतान की जानकारी

39—श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के 3सरे बुध के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० सं०–71 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद से कोई सूचना प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब और क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी हां ।

महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद से दिनांक 05-12-2000 को श्री गया प्रसाद पाण्डेय के 10% सामान्य भविष्य निधि का स्वीकृति आदेश प्राप्त हुआ है । श्री पाण्डेय को चेक दिनांक 20-01-2001 द्वारा भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में शोध कार्य हेतु पशु गृह के निर्माण की मांग

40—श्री तेजभान सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ में लघु पशु गृह हेतु भवन का निर्माण प्रस्तावित है ? क्या उक्त संस्थान में पशु गृह के अभाव में शोध कार्य कर रहे चिकित्सकों को कार्य हेतु अन्य संस्थानों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार संस्थान में उक्त पशु गृह का निर्माण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

लघु पशु गृह के अभाव में चिकित्सकों को कभी-कभी शोध कार्य हेतु अन्य संस्थानों में जाना पड़ता है ।

संस्थान द्वारा पूर्व में एक अस्थाई पशु गृह का निर्माण वर्ष 1988-89 में रु० 1.67 लाख लागत से कराया गया था । सम्पूर्ण सुविधायुक्त एक पशु गृह जिसमें सभी सुविधायें उपलब्ध हो, के निर्माण हेतु धनाभाव के कारण संस्थान लघु पशु गृह बनाने में अभी सक्षम नहीं है । फिर भी एक संम्पूर्ण सुविधायुक्त पशु गृह की आवश्यकता को देखते हुए संस्थान द्वारा प्रो० आर० एन० चक्रवर्ती, प्रो० एस० के० मिश्रा, प्रो० बी० के० सिंह की कमेटी बनायी गयी है । यह कमेटी दो बार बैठक कर चुकी है । यह कमेटी दिल्ली, बम्बई, चण्डीगढ़, हैदराबाद आदि के पशु गृहों का निरीक्षण कर इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देगी, इसके उपरान्त विचार किया जायेगा ।

जनपद फैजाबाद के संस्कृत विद्यालयों में कोटे के छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि के आवंटन का प्रकरण

41–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि फैजाबाद जिले में वित्तीय वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में किन-किन संस्कृत विद्यालयों में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु कितनी-कितनी धनराशि दी गयी है ? उपरोक्त विद्यालयों को दी गयी धनराशि में से कितने छात्र लाभान्वित किये गये हैं ? क्या सरकार संस्कृत विद्यालयों को प्रदत्त की गयी छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्रों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

फैजाबाद जिले में वित्तीय वर्ष 1997-98, 98-99, 99-2000 में किसी भी संस्कृत विद्यालयों में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु कोई धनराशि नहीं दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

42–श्री राम चन्द्र यादव तथा श्री आर० के० सिंह पटेल–

[दिनांक 24-4-2001 को अता० प्र० सं०–89 द्वारा उत्तरित]

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर के ग्राम सभा घोड़वल में पेयजल समस्या के समाधान का प्रकरण

43–श्री राम चन्द्र यादव तथा श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा घोड़वल में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु ओवर हेड टैंक बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

घोड़वल ग्राम में इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प सफल हैं । अतः शासन की नीति के अनुसार पाइप पेयजल योजना का निर्माण नहीं किया जाना है ।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर के ब्लाक खण्डासा में स्वीकृत मार्ग सम्बन्धी प्रकरण

44–श्री राम चन्द्र यादव तथा श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत स्थित किन-किन सम्पर्क मार्गों, सड़कों के निर्माण हेतु डी०आर०डी०ए० की वर्ष 1999 की बैठकों में स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? उक्त स्वीकृति मार्गों के निर्माण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में दिनांक 21-7-99 एवं 18-12-99 को हुई डी० आर० डी० ए० के शासी निकाय की बैटक में विकास खण्ड खण्डासा के अन्तर्गत किसी भी मार्ग की स्वीकृति नहीं दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के जिला समाज कल्याण अधिकारी के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं हेतु प्राप्त कथित शिकायती-पत्र

45–श्री नेतराम सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जुलाई, 2000 के अन्तिम सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी एटा के भ्रष्टाचार एवं की गयी अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में था ? क्या उक्त पत्र पर जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां।

जी हां।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोप सिद्ध नहीं पाये गये हैं।

प्रदेश में चलाये जा रहे स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्थानों की स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा इन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने सम्बन्धी जानकारी

46–श्री उबैर्दुहमान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक्स-रे, ई०जी०सी०, फिजियोथ्रापी, लेबोरेटरी टेक्निशियन, हास्पिटल इक्यूपमेंट मेन्टीनेंस आदि हेतु प्रशिक्षण संस्थान किन-किन स्थानों पर चलाया जा रहा है ? क्या यह सही है कि प्रदेश में कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी उपरोक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उन्हें शासन द्वारा अनुमति प्रमाण-पत्र अथवा स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त संस्थान किसके आदेश से चलाये जा रहे हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रदेश में लैबोरेटरी टेक्नीशियन तथा एक्स-रे टेक्नीशियन जनपद लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, झांसी एवं मेरठ स्थित राजकीय मेडिकल कालेजों में चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लखनऊ स्थित निजी क्षेत्र के सरादर पटेल डेण्टल कालेज में भी यह प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। फिजियोथिरैपी प्रशिक्षण निजी क्षेत्र के सरदार पटेल डेण्टल कालेज, लखनऊ एवं बाबा इन्स्टीट्यूट आफ फिजियोथिरैपी, लखनऊ में चलाया जा रहा है। ई० सी० जी० एवं हास्पिटल इक्यूपमेंट मेन्टीनेंस प्रशिक्षण प्रदेश में चलाने हेतु उ० प्र० स्टेट मेडिकल फेकैल्टी/शासन द्वारा किसी संस्थान को मान्यता/सम्बद्धता प्रदान नहीं की गयी है।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर के मजरे दुर्जन के भड़भड़वा नाले के पुल पर रेलिंग बनवाने की मांग

47–श्री राम चन्द्र यादव तथा श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत ग्राम सभा पालपुर के मजरे दुर्जन के समीप भड़भड़वा नाले पर बने पुल पर रेलिंग नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल पर तत्काल रेलिंग बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के ब्लाक खण्डासा (अमानीगंज) के अन्तर्गत ग्राम सभा पालपुर के मजरे दुर्जन के समीप भड़भड़वा नाले पर बने पुल पर रेलिंग (पैरापेट) ईंट (ब्रिक वर्क) की बनी हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक हेल्थ एण्ड हाइजिन स्वास्थ्य विहार को अनापत्ति/अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी कथित शिकायती-पत्र

48–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-11-99 जो इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक हेल्थ एण्ड हाइजिन स्वास्थ्य विहार रायबरेली रोड, लखनऊ के अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के पश्चात् मेडिकल फैकल्टी द्वारा अनावश्यक रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने व संस्थान को बन्द करने हेतु की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रय किये गये फोगिंग मशीनें व जेनरेटर सेटों की स्थिति की जानकारी

49–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1996-97 में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा फोगिंग मशीनें एवं जेनरेटर सेटों की खरीद की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त मशीनें और जेनरेटर सेट कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

केवल फागिंग मशीनें क्रय की गयी थीं ।

फागिंग मशीनें कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की तैनाती की व्यवस्था

50–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के पी०एफ०सी० महिला चिकित्सालय सण्डीला में महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियमित नियुक्ति की जा सकेगी । फिलहाल स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की तैनाती सप्ताह में तीन दिन हेतु कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

51—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[दिनांक 24-4-2001 को अता० प्र० सं०–182 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोण्डा व फैजाबाद के समाज कल्याण विभाग में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की सूची कम्प्यूटराइज करने हेतु पारिश्रमिक मानदेय पर कार्य कराया जाना

52—श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि समाज कल्याण विभाग में कितने जिलों में कम्प्यूटर आपरेटर के पद सृजित हैं ? यदि नहीं, तो क्या गोण्डा तथा फैजाबाद जिलों में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर तत्कालीन जिला अधिकारियों द्वारा तैनाती की गयी है ? क्या इन तैनात कम्प्यूटर आपरेटरों के वेतन का भुगतान भारत सरकार द्वारा दी गयी उस अनुदान की धनराशि से किया जा रहा है जिस पर भारत सरकार ने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए प्रतिबन्ध लगा रखा है ? क्या शासकीय धनराशि का अनियमित रूप से दुरुपयोग करने वाले जिला अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

किसी भी जनपद में कम्प्यूटर आपरेटर का पद सृजित नहीं है ।

शासकीय कार्यहित में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची कम्प्यूटराइज करने हेतु पारिश्रमिक/मानदेय पर कार्य कराया गया है ।

पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा दी गयी अनुदान की प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि से किया गया है । मानदेय व पारिश्रमिक वेतन की श्रेणी में नहीं आते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के जिला चिकित्सालय में वार्ड ब्वाय के पद पर श्री अनूप कुमार की नियुक्ति के प्रकरण पर कार्यवाही

53–श्री सूर्य भान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री कुमुद बिहारी श्रीवास्तव की जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर में वार्ड ब्वाय के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1997/सेक–4–पांच–डब्लू(40)96, दिनांक 7-7-2000 के अनुपालन

में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सिविल जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुल्तानपुर ने अपने रजिस्टर्ड पत्रांक 471 दिनांक 6-11-2000 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को उक्त प्रकरण में हुई अनियमितता दूर करते हुए याची की नियमानुसार नियुक्ति कराये जाने हेतु आदेशित किया गया है ? यदि हां, तो उसका अनुपालन कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्न में उल्लिखित शासन का पत्रांक संख्या–1997/सेक–4-पांच-डब्लू(40)/96, दिनांक 7-7-2000 शासन द्वारा निर्गत नहीं किया गया है, अस्तु इस पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । वस्तुतः शासन द्वारा निर्गत पत्र संख्या–1997-सेक–4/पांच-डब्लू(140)/96, दिनांक 7-7-2000 है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है ।

जी हां ।

प्रकरण में कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर के गन्ना माफियाओं द्वारा सस्ते दर पर गन्ना क्रय कर बेचे जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र

54–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर में गन्ना किसानों का गन्ना रु० 30/- प्रति कुन्तल की दर पर खरीद कर गन्ना माफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में जिला गन्ना अधिकारी कुशीनगर को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-11-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

शासन के संज्ञान में रु० 30/- प्रति कुन्तल की दर पर खरीद कर गन्ना माफियाओं द्वारा बेचने का कोई मामला नहीं आया है । जनपद कुशीनगर में गन्ना माफियाओं द्वारा अवैधानिक रूप से गन्ना खरीद कर बिहार की चीनी मिलों को भेजे जाने की जानकारी होने पर जिला प्रशासन द्वारा छापा मारकर 27 ट्रक अवैध गन्ना पकड़ा, जिसकी एफ० आई० आर० थाना–बिशुनपुर व तरयासुजान में करायी गयी।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-11-2000 जिला गन्ना अधिकारी, कुशीनगर को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के सी० एम० ओ० को उपलब्ध कराये गये वाहनों व उसके मरम्मत/पेट्रोल आदि पर व्यय विवरणों की जानकारी

55–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी०एम०ओ० बलिया को वर्ष 1997 से किस-किस नम्बर की गाड़ी कब-कब उपलब्ध करायी गयी ? उसके रख-रखाव पेट्रोल तथा मरम्मत के मद में वर्षवार कितना धन खर्च किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त मद का काफी धन का भुगतान मरम्मत व पेट्रोल के नाम पर वर्तमान सी०एम०ओ० द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया को वर्ष 1997 से वाहन संख्या यू०एम०एल०–3664 एवं वाहन संख्या–यू०पी०-32 एन 5297 (दिनांक 30-9-2000 तक) एवं वाहन संख्या–यू०पी०–32–ए०एफ० 4660, दिनांक 30-9-2000 से उपलब्ध करायी गयी है ।

वर्षवार व्यय किये गये धनराशि का विवरण संलग्न है ।

जी नहीं । वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा धन का दुरुपयोग नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए परिशिष्ट 'क' आगे पृष्ठ 173 पर)

56–श्री छोटे लाल गंगवार–

[तीसरे बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद लखनऊ, विकास खण्ड सरोजनीनगर के ग्राम ऐन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उपकेन्द्र पर चिकित्सक की तैनाती की मांग

श्रीमती विजमा यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम ऐन विकास खण्ड सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र हेतु भवन निर्माण होने के पश्चात आज तक किसी चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कर्मचारी की तैनाती नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त स्वास्थ्य भवन पर कब तक चिकित्सक एवं कर्मचारी तैनात किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

ग्राम ऐन, विकास खण्ड सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र है, जिस पर चिकित्सक के तैनाती का कोई प्राविधान नहीं है तथा उपकेन्द्र पर स्वास्थ्य कार्यकत्री के स्वीकृत पद के सापेक्ष एक स्वास्थ्य कार्यकत्री कार्यरत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कार्य योजना में मा० सांसदों/विधायकगणों से परामर्श का प्राविधान

58—श्री जगदीश नारायण राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों द्वारा प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति के समय विधायकों की सहमति आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या जनपद जौनपुर में इसका पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कार्य योजना को अन्तिम रूप देते समय मा० सांसदों विधायकगणों से परामर्श लिये जाने का प्राविधान है ।

शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद में कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समाज कल्याण निगम के महाप्रबन्धक निर्माण के विरुद्ध सतर्कता जांच में आवश्यक अभिलेखों को उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

59—श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि महाप्रबन्धक (निर्माण) समाज कल्याण निर्माण निगम के विरुद्ध सतर्कता विभाग की खुली अनुयेषणात्मक जांच मार्च/अप्रैल/मई, 1999 से चल रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा अभिलेखों को उपलब्ध न कराये जाने के कारण जांच अपेक्षित गति से नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित करते हुए जांच शीघ्र पूरी करने का निदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी हां ।

जी नहीं, आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

60—श्री राधेश्याम सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद जौनपुर, ग्राम व पो० मई, ग्राम टुसौरी के अजय कुमार सिंह मृतक आश्रित पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु कथित प्रार्थना-पत्र

61—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अजय कुमार सिंह, निवासी ग्राम टुसौरी पो० मई, जौनपुर को मृतक आश्रित के पद पर नियमों को शिथिल कर नियुक्ति प्रदान करने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–2-32482/प्रतापगढ़/ 2000 दिनांक 31-3-2000 का पालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर की कप्तानगंज चीनी मिल के गन्ना कृषकों के कतिपय वर्षों के बकाया भुगतान की मांग

62—श्री राधेश्याम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर की चीनी मिल कप्तानगंज पर गन्ना किसानों का वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 में 10-12-2000 तक कितना रुपया बकाया है और उसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

चीनी मिल कप्तानगंज पर गन्ना किसानों का वर्ष 1996-97, 1998-99, 1999-2000 का कोई बकाया नहीं है । वर्ष 1997-98 का अंकन रु० 568.58 लाख बकाया है । वर्ष 2000-2001 में दिनांक 10-12-2000 तक अंकन रु० 794.73 लाख था, जिसका भुगतान कर दिया गया है ।

सचिवालय एलोपैथिक चिकित्सालय, लखनऊ द्वारा मंगायी गयी जीवन रक्षक औषधियों में लाखों के गबन के जांच की मांग

63—श्री राम औतार शाक्य, श्री अक्षयवर लाल तथा श्री राधेश्याम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय एलोपैथिक चिकित्सालय, लखनऊ में दिनांक 1-7-2000 को इंजेक्शन बैट्रोफेज, जेन्टामाइसिन, मेथारजीन, रेवीफोर तथा इंजेक्शन टेटग्लोब 250 मिली एवं 500 मिली, इंजेक्शन डेकाड्रान कैप्सूल कार्डिकोप टेबलेट रोटेन आदि जीवन रक्षक औषधियां कितने मूल्य की केन्द्रीय औषधि भण्डार, (सी०जी०एच०एस०) से मंगायी गयी हैं ? क्या ये जीवनरक्षक औषधियां सचिवालय के कर्मचारियों को दी जाती हैं ? यदि नहीं, तो इन दवाओं को मंगाने का औचित्य क्या था ? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी एवं कम्पाउन्डर द्वारा बहुत अधिक महंगी इन जीवन रक्षक दवाओं को मंगाया दिखाकर लाखों रुपयों का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी जनों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सी० जी० एच० एस० से कोई औषधि सचिवालय एलोपैथिक चिकित्सालय, लखनऊ में नहीं मंगाई गई है परन्तु दिनांक 1-7-2000 को केन्द्रीय औषधि भण्डार, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से रु० 2,67,450.16 पैसा (रुपया दो लाख सरसठ हजार चार सौ पचास एवं पैसा सोलह मात्र) की जीवन रक्षक एवं जीवन उपयोगी दवायें उपलब्ध कराई गई थी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस संबंध में शासन को कोई शिकायत नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के समाज कल्याण विभाग द्वारा स्पेशल कम्पोनेंट के माध्यम से फर्जी ऋण वितरण की जांच की मांग

64–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-10-98 जो स्पेशल कम्पोनेंट के माध्यम से शाहजहांपुर जनपद के समाज कल्याण विभाग द्वारा 15 लोगों के नाम कराये गये फर्जी ऋण की जांच कराने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-9-98 प्राप्त हुआ ।

प्रश्नकर्ता के पत्र को जांच करवाये जाने पर दोषी पाये गये अपर जिला विकास अधिकारी (सक) व ग्राम विकास अधिकारी (सक) को आरोप-पत्र देते हुए विभागीय जांच संस्थित की गई है जो गतिशील है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर सहकारी चीनी मिल तिलहर के मुख्य गन्ना अधिकारी के भ्रष्टाचारों की जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

65–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजेन्द्र कुमार, पूर्व संचालक, चीनी मिल तिलहर शाहजहांपुर सहकारी चीनी मिल तिलहर के मुख्य गन्ना अधिकारी द्वारा किये जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच कराने विषयक भेजा गया रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 6-4-2000 प्रबन्ध निदेशक, चीनी मिल संघ लखनऊ सचिव गन्ना विकास तथा गन्ना आयुक्त, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

उक्त शिकायतों की चीनी मिल संघ स्तर से आडिट जांच कराई गई । जांचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय केन्द्रों में पेराई सत्र, 1999-2000 में रु० 52,394/- की गन्ना सूख ऐसी है जो निर्धारित मानक 0.25 प्रतिशत से अधिक है तथा जिसकी वसूली वाजिब होती है, परन्तु ठेकेदार से कोई कटौती नहीं की गयी जिसके लिये मुख्य गन्ना अधिकारी दोषी पाये गये । इस प्रकरण में मुख्य गन्ना अधिकारी को भविष्य में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति सजग रहने तथा पुनर वृत्ति न करने के लिए कड़ी चेतावनी दी गयी है । पेराई सत्र, 1999-2000 में कुल गन्ना सूख रु० 52,394/- के सापेक्ष रु० 12,559.94 की वसूली हुई है ।

2–गन्ना सूख की अवशेष धनराशि रु० 39,834.06 की वसूली गन्ना परिवहन ठेकेदार अथवा सम्बन्धित केन स्टाफ से सुनिश्चित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद ग्राम्य विकास विभाग में सहायक लेखाकार के स्वीकृत पदों पर प्रोन्नति दिये जाने की मांग

66–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम्य विकास विभाग में जिला स्तर पर पूरे प्रदेश के लिए 272 पद लेखाकार तथा 68 पद सहायक लेखाकार नाम से स्वीकृत हैं ? क्या यह सही है कि अधिकांश जनपदों में लेखाकार के पद इस समय रिक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपदों में कार्यरत लेखा लिपिकों के पद धारकों को जो सहायक लेखाकार के समकक्ष वेतनमान में हैं तथा उसी प्रकृति का कार्य करते हैं, को लेखाकार के पद पर प्रोन्नत किये जाने के आदेश जारी करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद में कार्यरत लेखा लिपिकों की पदोन्नति के पद सहायक लेखाकार है । चूंकि सहायक लेखाकार से लेखाकार के पद पर पदोन्नति किये जाने का प्राविधान है इसलिए लेखा लिपिकों की पदोन्नति लेखाकार के पद पर किया जाना सम्भव नहीं है ।

भाऊ राव देवरस संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ में संयुक्त चिकित्सालय के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

67-श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या–4160–सेक–2/पांच–97–4157 1/97, दिनांक 31 जुलाई, 1997 द्वारा सिविल अस्पताल महानगर, लखनऊ के नाम को परिवर्तित कर "भाऊ राव देवरस संयुक्त चिकित्सालय" कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में अतिरिक्त 20 शैय्याओं की वृद्धि एवं संयुक्त चिकित्सालय के अनुरूप सेवा एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित चिकित्सालय के अधीक्षक का पत्रांक भा०रा०दे०र०सं०चि०/97-98/195, दिनांक 5/6 सितम्बर, 1997 एवं पत्रांक भा०रा०दे० र० सं०चि०/97-98/417, दिनांक 17/26 दिसम्बर, 1997 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त चिकित्सालय को संयुक्त चिकित्सालय के अनुरूप सुविधायें कब तक उपलब्ध करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

सम्बन्धित चिकित्सालय के अधीक्षक का पत्रांक भा०रा०दे०र०सं०चि०/97-98/195, दिनांक 5/6 सितम्बर, 1997 शासन में प्राप्त हुआ है किन्तु पत्रांक भा०रा०दे०र०सं०चि०/97-98/417, दिनांक 17/26 दिसम्बर, 1997 शासन में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। पत्रांक 5/6-9-97 की मांग के अनुसार सेमी आटोएनालाइजर की स्थापना शल्य कक्ष में ए० सी० का लगाया जाना एवं अल्ट्रासाउन्ड मशीन लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा ट्यूबवेल निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में उपलब्ध शैय्याओं के अनुरूप चिकित्सालय में सुविधाएं उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग में मुख्य सेविका/टंकक लिपिक का परीक्षा परिणाम घोषित करवाने की मांग

68–श्री अफजाल अहमद–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 13 दिसम्बर, 1998 को मुख्य सेविका तथा टंकक लिपिक की परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो क्या परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त परीक्षा परिणाम कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां।

जी हां।

परीक्षार्थियों की अत्यधिक संख्या एवं कतिपय आवेदन पत्रों में कमियां/विसंगतियां परिलक्षित होने के कारण। परीक्षा परिणाम तैयार कराया जा रहा है।

69-70–श्री छोटे लाल गंगवार–

।। ले शुक्र में अता० प्र० सं०–175 व 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।।

प्रदेश में आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) को नियुक्ति स्थान में वरिष्ठतानुसार प्रभारी बनाने की जानकारी

71-डा० सरजीत सिंह डंग-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) को उनकी नियुक्ति स्थान में वरिष्ठता के आधार पर प्रभारी बनाया जाता है ? यदि हां, तो क्या इस सिद्धान्त का पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद न्यायालय में विवादित होने के कारण वरिष्ठता आदि के प्रसंग में निर्णय लिये जाने में विधिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयां हैं ।

प्रदेश में यूनानी एवं आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के प्रोन्नति हेतु समिति की बैठक की जानकारी

72-डा० सरजीत सिंह डंग-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यूनानी एवं आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को प्रोन्नति के सम्बन्ध में विभागीय प्रोन्नयन समिति के अन्तिम बैठक कब हुई है ? क्या शीघ्र ही इस कैडर के अधिकारियों को प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नयन समिति की बैठक की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार गौर-

लगभग 11 वर्ष पूर्व ।

चिकित्साधिकारियों की ज्येष्ठता सूची को अंतिम रूप दिये जाने की कार्यवाही गतिमान है । उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त प्रोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक यथाशीघ्र की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर तहसील बिल्हौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डोडवा जमौली में रात्रि चिकित्सकों की उपस्थिति एवं नियमित औषधि वितरण की जांच की मांग

73-डा० धर्मेश मिश्र-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डोडवा जमौली, ब्लाक-शिवराजपुर तह० बिल्हौर, जिला कानपुर नगर में चिकित्सकों के समय से अस्पताल में न आने के कारण मरीजों को औषधियों का वितरण नहीं हो रहा है ? क्या यह सही है कि अस्पताल पर कोई भी डाक्टर रात में उपलब्ध नहीं होता और न निवास करता है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर अस्पताल को सुचारु रूप से संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोडवा, जमौली, तहसील बिल्हौर, जिला-कानपुर नगर में दो चिकित्सक कार्यरत हैं, जिनके द्वारा नियमित रूप से औषधियों का वितरण किया जा रहा है तथा चिकित्सालय नियमित रूप से समय से खुलता है । इस चिकित्सालय में आवास उपलब्ध न होने के कारण कोई भी चिकित्सक रात्रि निवास नहीं करता, किन्तु इसी ग्राम में दोनों चिकित्सक किराये पर आवास लेकर निवास करते हैं ।

जांच करायी गयी । जांचोपरांत यह पाया गया कि उक्त चिकित्सालय में प्रतिदिन नियमित रूप से दवाओं का वितरण होता है, किन्तु अस्पताल में आवास न होने के कारण चिकित्सक अस्पताल भवन में न रहकर किराये का आवास लेकर रहते हैं । अतः रात्रि में आवश्यकतानुसार आकस्मिक चिकित्सीय सेवायें ली जा सकती हैं । यह अस्पताल पूर्णतः नियमित रूप से संचालित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सैनिक कल्याण विभाग में वर्ष 1997 में समूह ''ग'' ''ब'' ''घ'' में की गयी अवैध नियुक्तियों संबंधी विचाराधीन प्रकरण

74–श्री रमेश राही तथा श्री अब्दुल मन्नान–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सैनिक कल्याण विभाग में वर्ष 1997 में समूह ''ग'' एवं ''घ'' में की गयी अवैध नियुक्तियों को निरस्त किये जाने के आदेश अप्रैल 2000 में दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है ? क्या इन नियुक्तियों हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

यह प्रकरण विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट लखनऊ में भर्ती हुए एड्स मरीजों की संख्या व श्री राजेश पाण्डेय की मृत्यु में दोषियों के विरुद्ध जांच की मांग

75–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ''संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट, लखनऊ'' में 1 जनवरी, 99 से अब तक कुल कितने ''एड्स'' के मरीज भर्ती हुये ? क्या यह सही है कि दिनांक 11 अप्रैल, 2000 को श्री राजेश पाण्डेय निवासी इलाहाबाद जो ''एड्स'' रोगी था, को भर्ती न किये जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

1 जनवरी, 1999 से अब तक कुल 15 एड्स के मरीज भर्ती हुये ।

श्री राजेश कुमार पाण्डेय दिनांक 10 अप्रैल, 2000 को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के इम्यूनोलॉजी ओ० पी० डी० में परीक्षण किया गया । जांच में पाया गया कि श्री पाण्डेय एड्स के साथ छाती की टी० बी० तथा निमोनिया से ग्रसित थे । श्री पाण्डेय को संस्थान के न्यूरोलॉजी ओ०पी०डी० में भी परीक्षण किया गया ।

इम्यूनोलॉजी विभाग से सम्बन्धित कोई विशिष्ट लक्षण न पाये जाने एवं टी०बी० निमोनिया हेतु संस्थान में कोई विशिष्ट विभाग न होने के कारण श्री पाण्डेय को के०जी०एम०सी० विभाग का इलाज हेतु अग्रसारित किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक हेल्थ एण्ड हाइजिन लखनऊ को अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग

76-श्री उबैदुर्रहमान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान चलाने हेतु सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों को अनापत्ति व अनुमति दो तरह के प्रमाण-पत्रों द्वारा निर्गत की जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह सही है कि इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक हेल्थ एण्ड हाइजिन उतरौठिया रायबरेली रोड, जनपद लखनऊ को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के पश्चात् मेडिकल फैकल्टी द्वारा अनुमति प्रमाण-पत्र की मांग की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

अनापत्ति व अनुमति दो अलग-अलग सोपानों में प्रदान की जाती है । अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रथम सोपान में इस आशय से दिया जाता है कि संबंधित संस्थान प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं जैसे चिकित्सालय जिसमें संबंधित विभाग आवश्यक साज-सज्जा, उपरकण, कक्ष एवं प्रशिक्षक इत्यादि शमिल होते हैं, को व्यवस्था करके अधिकृत परीक्षक संस्था से संबद्धता (एफीलिएशन) प्राप्त कर सके एवं उक्त व्यवस्था के पश्चात ही विधारोपरान्त प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

जी हां ।

इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक हेल्थ एण्ट हाईजिन उतरौठिया रायबरेली रोड, जनपद-लखनऊ को डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नालोजी एण्ड एक्स-रे एवं ई०सी०जी० टेक्नालोजी प्रशिक्षण हेतु उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पत्र सं०–7608/08, दिनांक 17-6-98 द्वारा केवल अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया था, परन्तु उक्त संस्थान ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आड़ में बिना किसी अधिकृत परीक्षक संस्था का एथेलिएशन प्राप्त किये अपने स्तर से प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया तथा प्रशिक्षणरत छात्रों को संस्थान द्वारा अपने स्तर से ही डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये, जिसके लिए उक्त संस्थान अधिकृत नहीं है । अतः उक्त संस्था से अनुमति प्रमाण-पत्र की मांग की गयी ।

समाज कल्याण विभाग में सहायक विकास अधिकारियों की पदोन्नीति विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

77–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि तथा श्री उदय राज–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुखदेव राजभर, स०वि०प० का पत्र दिनांक 14-9-2000 जो समाज कल्याण विभाग में सहायक विकास अधिकारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

सहायक विकास अधिकारियों (भक) को समाज कल्याण अधिकारी के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था करने से सम्बन्धित प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जहां तक सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) को खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने का प्रश्न है उ० प्र० ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी ही खण्ड विकास अधिकारी के पद पर

पदोन्नति हेतु पात्र हैं। उक्त सेवा नियमावली, 1991 में अन्य विभागों के सहायक विकास अधिकारियों के खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति का प्रावधान न होने के कारण समाज कल्याण विभाग के सहायक विकास अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर पदोन्नति नहीं दी जा सकती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, विकास खण्ड आसपुर के ग्राम मोहनापुर में पुलिया व एप्रोच रोड के निर्माण में मा० न्यायालय के आदेशानुसार पूर्ण कार्य

78. श्री शिव सिंह चक–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि जनपद–प्रतापगढ़ के ग्राम–मोहनापुर, विकास खण्ड–आसपुर देवसरा में पुलिया व उसकी एप्रोच रोड के निर्माण हेतु दायर याचिका संख्या–535/96 के सम्बन्ध में श्री सन्तोष राय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रतापगढ़ का पत्र एनेग्जर नं० सी ए–2 दिनांक 5-5-2000 के साथ प्रमुख सचिव, न्याय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

प्रश्न में इंगित रिट याचिका सं०–535/96 नहीं, बल्कि तद्विषयक रिट याचिका संख्या–535/99 से सम्बन्धित जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ का पत्र दिनांक 1-5-2000 प्राप्त हुआ है।

मा० न्यायालय के आदेशानुसार कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील मुरादाबाद के ग्राम देवापुर के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना की धनराशि के घोटाले की जांचोपरान्त वसूली की कार्यवाही

79–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम देवापुर तहसील व जिला मुरादाबाद के प्रधान के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मिले धन को गांव के विकास कार्यों में न लगाकर स्वयं हड़प कर लेने तथा "अम्बेडकर ग्राम" घोषित होने के बाद प्रधान द्वारा किये गये घोटालों की शिकायत से सम्बन्धित उक्त ग्रामवासियों के पत्र जिलाधिकारी, मुरादाबाद को दिनांक 30-1-2000 व मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद को दिनांक 1-12-99 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी टी०ए०सी० द्वारा जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां।

जी हां। प्रश्नगत प्रकरण की जांच टी० ए० सी० द्वारा कराई जा चुकी है। टी० ए० सी० जांच में रु० 8577.00 की अनियमितता पाई गई, जिसमें से आधी धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी से तथा आधी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान से किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक हेल्थ हाइजिन, लखनऊ को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक पत्र

80–श्री उदय राज–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक कोष्ठक के माध्यम से भेजा गया प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क–2–209306, दिनांक 14-9-2000 जो इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक हेल्थ

हाइजिन-स्वास्थ्य विहार रायबरेली रोड, जनपद लखनऊ को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, मल्लावां क्षेत्र के ग्राम देवीपुरवा में खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों को ठीक कराने के निर्देश

81–डा० धर्मपाल मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91 मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड माधौगंज की ग्राम पंचायत तेरवा कुल्ली के ग्राम देवीपुरवा में लल्लू किसान तथा ग्राम पंचायत परचल रसूलपुर के ग्राम जैलालपुरवा में गुलजारी यादव के मकान के सामने अधिष्ठापित इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प काफी दिनों से खराब है जिन्हें अभी तक ठीक नहीं कराया गया है ? क्या सरकार उक्त हैण्ड पम्पों को ठीक कराये जाने के आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद हरदोई में मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के वि० खण्ड माधौगंज की ग्राम पंचायत तेरवा कुल्ली के ग्राम देवीपुरवा में लल्लू किसान के मकान के सामने अधिष्ठापित हैण्डपम्प रिबोर हेतु प्रस्तावित है तथा ग्राम पंचायत परचल रसूलपुर के ग्राम जैलालपुरवा में गुलजारी यादव के मकान के सामने अधिष्ठापित हैण्डपम्प अस्थायी रूप से खराब है ।

उ० प्र० जल निगम को खराब हैण्डपम्प तत्काल ठीक कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम धानी खेड़ा में खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों को ठीक कराने के निर्देश

82–डा० धर्मपाल मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड माधौगंज की ग्राम पंचायत बलेहरा कमाल नगर के ग्राम धानीखेड़ा में छोटे ठाकुर एवं ग्राम टड़वा में मदन गोपाल के मकान के सामने अधिष्ठापित इण्डिया मार्का हैण्डपम्प काफी दिनों से खराब पड़े हैं जिन्हें अभी तक ठीक नहीं कराया गया है ? क्या सरकार इन्हें ठीक कराये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद हरदोई में मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के वि० खं० माधौगंज की ग्राम पंचायत बलेहरा कमालनगर के ग्राम धानीखेड़ा में छोटे ठाकुर के मकान के सामने अधिष्ठापित हैण्डपम्प चालू है तथा ग्राम टड़वा में मदन गोपाल के मकान के सामने अधिष्ठापित हैण्डपम्प अस्थायी रूप से खराब है ।

हैण्डपम्पों को ठीक कराने के आदेश उ० प्र० जल निगम को दे दिये गये हैं ।

प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु साप्ताहिक महिला मेले के आयोजन की मांग

83-श्री संजय गर्ग, श्री प्रदीप कुमार तथा श्री राम चन्द्र यादव–

क्या सरकार ग्रामीण अंचलों में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर साप्ताहिक महिला मेला का आयोजन करेगी ? यदि हां, तो कब तक तथा इसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसी कोई योजना विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

जनपद फैजाबाद में डी० आर० डी० ए० द्वारा ग्राम सुहावल/मोहम्मदपुर में गांव की बाजार हेतु कराये गये निर्माण कार्यों की जांच

84–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–फैजाबाद में डी०आर०डी०ए० द्वारा विकास खण्ड–सुहावल के गांव में लगने वाली बाजार के नव निर्माण कराये जाने हेतु दुकानों के लिए कितना-कितना धन किस-किस संस्था को आवंटित किया गया है ? क्या आवंटित की गयी धनराशि से निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्य व्यक्तिगत जमीन पर मोहम्मदपुर बाजार एवं मगलसी में कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण शासन की नीति के अनुसार कराया गया है ? यदि नहीं, तो दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां । विकास खण्ड–सुहावल के गांव में लगने वाली बाजार में चबूतरा/टीनशेड निर्माण कराये जाने हेतु सुलभ इन्टेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन, फैजाबाद को मु० 6,04,452.00 तथा उ० प्र० सहकारी विधायन एवं शीत गृह संघ० लि०, फैजाबाद को मु० 3,05,976.00 दिया गया है ।

जी हां ।

जी हां । मोहम्मदपुर में निर्माण कार्य निजी भूमि पर कराया गया है किन्तु मौके पर ग्रामीण बाजार विगत कई वर्षों से सप्ताह में दो दिन बुधवार एवं रविवार को लगती है तथा मगलसी में निर्माण कार्य ग्राम समाज की भूमि पर कराया गया है ।

जी नहीं । मोहम्मदपुर में निर्माण कार्य शासन की नीति के अनुसार नहीं कराया गया ।

सम्पूर्ण मामले की जांच मुख्यालय से अपर आयुक्त (कार्यक्रम) के नेतृत्व में टी० ए० सी० से जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फिरोजाबाद में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला प्रोवेशन अधिकारियों के वेतन आहरण की जांच

85–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद में दो जिला प्रोवेशन अधिकारियों का वेतन आहरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

माह जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 2000 में दो जिला प्रोवेशन अधिकारियों के वेतन आहरित हुए थे।

जांच की जा रही है।

जी नहीं।

उत्तरदायित्व निर्धारित कर प्रश्नगत अनियमितता के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण के संज्ञान में आने पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

निदेशालय महिला कल्याण को विधि व्यवसायिक सेल के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के व्यय विवरण की जानकारी

86–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि निदेशालय महिला कल्याण को वर्ष 1999-2000 में विधि व्यावसायिक सेवा के अन्तर्गत रुपया एक लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त धनराशि से किन-किन मदों में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या उक्त व्यय वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी कौन हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां।

यह धनराशि व्यय की मानक मद "16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के अन्तर्गत विधिक सेवा के मद में रु० 32,375.00 एवं परामर्शदात्री सेवा के मद में रु० 45,625.00 व्यय की गयी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह के सहायक अधीक्षक राजीव कुमार के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें की जांच

87–श्री प्रदीप कुमार–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–रायबरेली में संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह के सहायक अधीक्षक राजीव कुमार के विरुद्ध अ०स०–247/99 धारा–409 आई० पी० सी० के तहत स्थानीय कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा इसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त सहायक अधीक्षक को उसी संस्था में पुनः तैनात किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उक्त सहायक अधीक्षक का स्थानान्तरण करके जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशालय, महिला कल्याण, उ० प्र० लखनऊ में 10 वर्षों से अधिक समय से तैनात लिपिकों के स्थानान्तरण की मांग

88–श्री प्रदीप कुमार–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय महिला कल्याण उ० प्र० लखनऊ में कितने ऐसे लिपिक तैनात हैं जिनकी सेवा अवधि निदेशालय में ही दैनिक वेतन व नियमित सेवा अवधि मिलाकर 10 वर्ष से अधिक हो गयी है व एक ही पटल पर विगत 5 वर्षों से कार्यरत हैं ? ऐसे लिपिक निदेशालय से कब तक स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

निदेशालय, महिला कल्याण, उ० प्र०, लखनऊ में 6 लिपिक तैनात हैं जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक है :–

1–श्री सतीश कुमार आनन्द, वरिष्ठ लिपिक

2–श्री तनुज कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक

3–श्रीमती इला मिश्रा, कनिष्ठ लिपिक

4–श्री प्रेम सागर यादव, कनिष्ठ लिपिक

5 श्री दीवान सिंह बिष्ट, कनिष्ठ लिपिक

6–श्री अशोक कुमार, कनिष्ठ लिपिक

कोई भी लिपिक 5 वर्ष से एक पटल पर कार्यरत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान स्थानान्तरण नीति में समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है ।

जनपद रायबरेली, राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला फुरसतगंज की सिलाई टीचर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच

89–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला फुरसतगंज (रायबरेली) की सिलाई टीचर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच 1 अक्टूबर, 1997 को जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में किन-किन कर्मचारियों को वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाया गया तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर श्रीमती शीला, सिलाई प्रशिक्षिका को वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में दोषी पाया गया था । जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचारोपरान्त सिलाई प्रशिक्षिका को भर्त्सना प्रविष्टि दी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में सी० सी० आई० एम० के मानक के अनुसार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

91–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के आयुर्वेद एवं यूनानी कालेजों में सी०सी०आई०एम० के मानक के अनुसार शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालयों में सी० सी० आई० एम० के मानक के अनुसार शिक्षकों के पद सृजित नहीं है बल्कि महाविद्यालयों में शासन स्तर से पद सृजित किये गये हैं जिनका विवरण निम्नवत् हैं :–

क्र०सं०	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1	प्रधानाचार्य	10	5	5
2	प्रोफेसर	38	5	33
3	रीडर	65	35	30
4	प्रवक्ता	157	110	47

जी हां ।

प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता के शत प्रतिशत तथा प्रोफेसर एवं रीडर के 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से अधियाचन द्वारा तथा शेष पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं । रिक्त पदों के भरे जाने की दिशा में कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगे प्रतिबन्ध को प्रभावी बनाने की योजना की जानकारी

91–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगे प्रतिबन्ध को प्रभावी बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों के समस्त पदों को शासनादेश दि० 28-2-1978 के द्वारा नान प्रैक्टिसिंग कर दिया गया है तथा इस संबंध में उ० प्र० राजकीय डाक्टर (एलोपैथिक, प्राइवेट प्रैक्टिस पर निदन्धन नियमावली-1983) से प्रवृत्त है तथा इसे प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु समय-समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन एवं प्रशासन स्तर पर आकस्मिक निरीक्षण भी किये जाते हैं।अन्य कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि उक्त नियमावली के प्रस्तर–7 में प्राइवेट प्रैक्टिस को संज्ञेय दोष अवधारित किया गया है।

जनपद शाहजहांपुर के श्री महेश चन्द्र शर्मा, गृह दर्शक सामु० स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर के सेवानिवृत्त पश्चात उनके समस्त देयकों के भुगतान की जानकारी

92–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री महेश चन्द्र शर्मा, गृह दर्शक, सामु० स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर जनपद शाहजहांपुर दिनांक 30-9-98 को सेवानिवृत्त हो गये है ? यदि हां, तो क्या उक्त के समस्त देयों का भुगतान अधीक्षक सामु० स्वा० केन्द्र तिलहर के द्वारा कर दिया गया है यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने दिनांक 21-6-2000 को सी० डी० ओ० शाहजहांपुर को उपरोक्त भुगतान करने के लिए आदेशित किया है ? यदि हां,तो उक्त भुगतान किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त भुगतान सुनिश्चित कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी हां।

श्री शर्मा की ग्रेच्युटी 90% सामूहिक बीमा की धनराशि एवं उपार्जित अवकाश का नगदीकरण का भुगतान कर दिया गया है। इनकी पेंशन दिनांक 23-[illegible]-2001 को स्वीकृत हो चुकी है। 10% ग्रेच्युटी की धनराशि रु० 14,892.00 के भुगतान हेतु एवं जी० पी० एफ० के भुगतान हेतु बिल कोषागार में प्रस्तुत कर दिया गया है। चेक प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

जिला अधिकारी, शाहजहांपुर का दिनांक 21-7-2000 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि श्री महेश चन्द्र शर्मा के एक पत्र की दो प्रतियां क्रमशः दिनांक 21-6-2000 एवं 6-7-2000 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के माध्यम से प्राप्त हुई जिन पर इनके भुगतान हेतु अधीक्षक सामु० स्वा० केन्द्र, तिलहर को निर्देशित किया गया था।

श्री शर्मा के जी० पी० एफ० एवं 10% ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु बिल कोषागार में प्रस्तुत किया जा चुका है। अन्य समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है। अतः किसी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के सामु० स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

93–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रमेश चन्द्र महामंत्री नगर उद्योग व्यापार मण्डल तिलहर, शाहजहांपुर का पत्र जो सामु० स्वा० केन्द्र तिलहर के चिकित्सक के विरुद्ध दिनांक 14-7-2000 को जिला अधिकारी शाहजहांपुर को दिया गया था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां, प्रश्नगत शिकायतों की जांच अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर, शाहजहांपुर से करायी गयी । जांच आख्या में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं पायी गयी, फिर भी सम्बन्धित चिकित्सक को भविष्य में मरीजों के साथ उचित व्यवहार करने हेतु सचेत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड जैतीपुर में खामरिया से सिमरिया तक कराये गये कार्य में धांधली की जांच हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र

94–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के छठे बुधवार के अता० प्र० सं०–179 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां । प्रश्न संख्या–179 में उल्लिखित निर्माण कार्य की जांच कराई गई । जांच के फलस्वरूप कार्य संतोषजनक पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, तहसील सदर, ग्राम प्रधान पिपरोली द्वारा विकास कार्यों के धन दुरुपयोग की जांच में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

95–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पांचवें बुधवार को अता० प्र० सं०–185 के उत्तर के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच किस अधिकारी द्वारा किस तिथि को करायी गयी ? क्या जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को भी जांच के लिए बुलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच में कौन दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रश्नगत प्रकरण की जांच एवं कराये गये कार्यों का मूल्यांकन श्री एहतेशाम अहमद खां, अवर अभियन्ता, ददरौल, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से दिनांक 23-9-2000 को कराई गई ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच में दो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, श्री देवेन्द्र पाल एवं श्री सत्य पाल तथा पूर्व प्रधान श्री जदुनाथ सिंह दोषी पाये गये ।

दोषी व्यक्तियों से दुरुपयोग हुई धन की वसूली हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर दी गई है ।

प्रदेश में राजभर जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का सर्वेक्षण

96–श्री राम ललित चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजभर जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां।

राजभर जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर, लघु सिंचाई विभाग के खैराबाद स्थित स्टोर में गबन/भ्रष्टाचार की जांच

97–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, लघु सिंचाई के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1100(1)62-2-2000-2/13(1)/दिनांक 6 मार्च, 2000 के द्वारा लघु सिंचाई विभाग सीतापुर के खैराबाद स्थित स्टोर में तत्कालीन सहायक अभियन्ता व अन्य के द्वारा किये गये गबन व भ्रष्टाचार की जांच हेतु जांच समिति गठित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच समिति की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां।

जी हां।

जांच समिति द्वारा शासन को आरम्भिक जांच रिपोर्ट दी गयी थी जिसके आधार पर सहायक अभियन्ता, श्री बी० डी० श्रीवास्तव एवं श्री ए० एन० शर्मा को विधिवत् आरोप-पत्र देते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है तथा श्री डी० सी० शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता/स्टाफ आफिसर, लघु सिंचाई विभाग, उ० प्र०, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है। प्रकरण में एक अन्तर्ग्रस्त अवर अभियन्ता श्री लालता प्रसाद के विरुद्ध आरोप-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। संबंधित अवर अभियन्ता को आरोप-पत्र देकर उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जा रही है। प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध आरोप-पत्र बनाये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं जिसके प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जायेगी। जांच अधिकारी श्री डी० सी० शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता/स्टाफ आफिसर से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार दण्ड का निर्धारण करके दण्ड दिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुर्वेदिक निदेशालय, लखनऊ में तदर्थ आधार पर कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों को सेवा से पृथक का मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण

98–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेद निदेशालय में लगभग 8-10 वर्षों से तदर्थ आधार पर कार्यरत 31 कनिष्ठ लिपिकों को दिनांक 15-7-2000 को सेवा से पृथक कर दिया गया है ? यदि हां, तो पृथक किये जाने का आधार क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में मा० सदस्य विधान परिषद् श्री सुन्दर सिंह बघेल का पत्र दिनांक 17-8-2000 मा० चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री के कार्यालय पत्रांक सं०–2065/एस०इ०एम०एम०/2000, दिनांक 21-8-2000 द्वारा निदेशक आयुर्वेद को भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पृथक किये गये लिपिकों को सेवा में लेने पर पुनर्विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के आदेशों के अन्तर्गत की गई समीक्षा में नियुक्तियां अवैध एवं अनियमित पाये जाने के कारण।

जी हां।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच प्रगति में है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रकरण मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः न्यायालय के आदेशों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

90–श्री जगदीश नारायण राय–

(दिनांक 22-3-2001 को अता० प्र० सं०–169 द्वारा उत्तरित)

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड खीरों के बाल विकास परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों के कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के कार्य अवधि के मानदेय का भुगतान

100–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड खीरों में संचालित बाल विकास परियोजना के ग्यारह आंगनबाड़ी केन्द्रों को वर्ष 1999 में तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी ने निरस्त कर दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को जून, 2000 में पुनः बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को मानदेय का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार मानदेय का भुगतान कब तक सुनिश्चित करा देगी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां।

जी हां।

कार्य अवधि के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड माधोगंज की ग्राम पंचायत रूपनापुर में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराने के निर्देश

101–डा० धर्मपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के वि० खण्ड माधोगंज की ग्राम पंचायत रूपनापुर में अभी तक कितने हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कराये गये हैं ? इनमें से कितने खराब पड़े हैं ? क्या सरकार इन खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज की ग्राम पंचायत रूपनापुर में 9 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये गये हैं जिसमें से एक हैण्डपम्प वर्तमान में खराब है।

जी हां।

खराब पड़े हैण्डपम्प को शीघ्र ही ठीक कराये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम को निर्देश दे दिये गये हैं।

किशोर गृह ललितपुर में पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

102—डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किशोर गृह ललितपुर में पर्यवेक्षक के पद पर आदेश संख्या–984-89 ह०स०क०/प्रोवेशन दिनांक 10-4-91 द्वारा श्री पुजारी को नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या नियुक्तिकर्ता को नियुक्ति का अधिकार प्राप्त था ? यदि नहीं, तो दोषी नियुक्तिकर्ता के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी० एल० डब्लू० (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र/उनके संचालन/कार्यरत कर्मचारियों के विवरण की जानकारी

103—डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने बी०एल०डब्लू (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र हैं ? उनमें से कितने केन्द्र बन्द पड़े हैं और कितने संचालित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बन्द पड़े प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उन पर कितने रुपये प्रतिमाह व्यय किया जा रहा है ? क्या सरकार उन कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

प्रदेश में कुल 40 बी० एल० डब्लू० (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र हैं। बी० एल० डब्लू० (महिला) प्रशिक्षण वर्तमान में स्थगित है, अतः इन समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रशिक्षण एवं अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों यथा राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण, राष्ट्रीय आयोडीन डिफीसिएन्सी डिसऑर्डर कन्ट्रोल, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण, राष्ट्रीय अंधता निवारण, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण आदि कार्यक्रमों के प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार समस्त प्रशिक्षण केन्द्र क्रियाशील हैं और कोई केन्द्र बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के किशोर गृह में पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

104–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बिजनौर के किशोर गृह में पर्यवेक्षक के पद पर श्री सोमवीर सिंह की नियुक्ति आदेश संख्या–18-22-ह०स०का०/स्था०/दिनांक–13-4-91 द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो क्या नियुक्तिकर्ता को नियुक्ति का अधिकार प्राप्त था ? यदि नहीं, तो दोषी नियुक्तिकर्ता के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

कथित नियुक्ति-पत्र पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर को स्वीकार नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालयों में प्रीमेडिकल टेस्ट/मेरिट के आधार पर प्रवेश पद्धति का विचाराधीन प्रकरण

105–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार प्रदेश के आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालयों में प्री-आयुर्वेदिक/यूनानी परीक्षा अथवा मैरिट के आधार पर प्रवेश पद्धति लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालयों में कम्बाइण्ड प्री-मेडिकल टेस्ट (सी० पी० एम० टी०) के माध्यम से उत्तीर्ण छात्रों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है । सम्प्रति शासन स्तर पर प्री-आयुर्वेदिक एवं यूनानी परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर प्रवेश पद्धति लागू करने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

जनपद बलिया के मुख्य चिकित्साधिकारी के आवासीय टेलीफोन पर व्यय विवरण की जानकारी

106–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के आवासीय टेलीफोन पर वर्ष 1997 से अब तक कितना धन जमा किया गया है ? उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ? क्या यह सही है कि सी० एम० ओ० बलिया द्वारा सरकारी फोन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी सी० एम० ओ० को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया के आवासीय टेलीफोन पर वर्ष 1997 से अब तक रु० 18,906.00 की धनराशि का भुगतान किया गया है, जिसका वर्षवार विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष 97-98	कोई भुगतान नहीं किया गया ।
वर्ष 98-99	17,972.00
वर्ष 99-2000	934.00
वर्ष 2000-2001	कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया के सरकारी आवासीय फोन पर फैक्स अथवा एस० टी० डी० सुविधा नहीं है ।

107–श्री आर० के० सिंह पटेल–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड मियागंज के ग्राम सभा अहरा डडिया को कतिपय विकास योजना हेतु आवंटित धनराशि के व्यय विवरण की जानकारी

108–श्री अफजाल अहमद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996 से 1999 तक जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियांगंज के ग्राम सभा–अहरा डडिया को विकास कार्यों हेतु जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि कब-कब आवंटित की गयी है ? उक्त योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी है एवं कौन-कौन से कार्य कराये गये ? क्या स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्यों में से कौन-कौन से विकास कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किये गये हैं ? क्या सरकार इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

वर्ष 96-97 से 98-99 तक जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियांगंज के ग्राम सभा अहरा डडिया में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्न प्रकार धनराशि आवंटित की गयी है जिसका विवरण निम्न है :—

योजना का नाम	वर्षवार आवंटित धनराशि		
	96-97	97-98	98-99
जवाहर रोजगार योजना	63,767.00	75,466.00	89,070.00
इन्दिरा आवास योजना	—	60,000.00	40,000.00

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है ।

वर्ष 96-97 से 98-99 तक जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत धनराशि रु० 2,24,554.00 तथा इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत रु० 96,000.00 व्यय किये गये । प्राप्त धनराशि से उक्त ग्राम सभा में इन्दिरा आवास, मिट्टी कार्य, सम्पर्क मार्ग निर्माण आदि कार्य कराये गये ।

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि रु० 2,28,303.00 के सापेक्ष रु० 2,24,554.00 तथा इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवंटित 1,00,000.00 के सापेक्ष रु० 96,000.00 व्यय किया गया है ।

इन्दिरा आवास योजना में एक लाभार्थी द्वारा आवास पूर्ण नहीं कराया गया है । अगर लाभार्थी द्वारा आवास पूर्ण नहीं कराया जाता है तो दी गयी धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

109–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में की गयी नसबन्दी का प्रकरण

110–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–16 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में की गयी फर्जी नसबन्दियों की जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सरदार सिंह–

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल द्वारा करायी गयी जांच में कोई भी नसबन्दी केस फर्जी नहीं पाये गये । फलस्वरूप कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया । अतएव किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बरेली के साहू राम नरायन मुरली मनोहर आयुर्वेदिक कालेज के भवन की जानकारी

111–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बरेली में साहू राम नरायन मुरली मनोहर आयुर्वेदिक कालेज बरेली प्राइवेट भवन में शहर के मध्य में चल रहा है ? क्या आयुर्वेदिक कालेज के भवन बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

साहू राम नरायन मुरली मनोहर राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, बरेली नगर के मध्य में शासकीय भवन चल रहा है ।

सम्प्रति कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक के सृजित पदों पर आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

112–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक के कुल कितने पद सृजित हैं ? क्या सृजित पदों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षण पूरा न किये जाने के लिये दोषी कौन है ? क्या उक्त निदेशालय में रोस्टर के अनुसार लिपिकों को तैनात किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

दस

जी हां ।

कुल दस पदों में से 02 पद अनुसूचित जाति के बनते हैं । दोनों पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी नियुक्त हैं । इसी प्रकार पिछड़े वर्ग हेतु 03 पद आरक्षित होते हैं, जिन पर दो व्यक्ति कार्यरत हैं, तथा एक पद रिक्त है ।

स्थिति ऊपर स्पष्ट की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रिक्त पद को भरे जाने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, खण्ड विकास अधिकारी बेंहदर के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

113–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के खण्ड विकास अधिकारी, बेंहदर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं शासकीय आदेशों की अवहेलना करने के संबंध में प्रमुख क्षेत्र समिति, बेंहदर तथा प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र ग्राम्य विकास मंत्री, सचिव, ग्राम्य विकास तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास

को मई, 2000 में दिये गये थे, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

प्रकरण की जांच उप विकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ से कराई गई । जांचोपरान्त खण्ड विकास अधिकारी, बेंहदर, जनपद हरदोई के विरुद्ध शिकायतें निराधार पायी गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली की ग्राम सभा अतहर के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग की जांचोपरान्त वसूली की कार्यवाही

114–श्री उदय राज–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-1 नं० 111052 दिनांक 7-4-2000 जो जनपद रायबरेली की ग्राम सभा अतहर के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग करने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

प्रकरण की जांच खण्ड विकास अधिकारी खीरों से करायी गयी । जांच आख्या में रु० 18,145.00 का दुरुपयोग होना पाया गया । दुरुपयोग की गयी धनराशि का 1/2 भाग संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं तथा शेष 1/2 भाग की वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वासुदेव जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी ग्रेच्युटी से वसूली करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट में किसान/वृद्धा पेंशन हेतु नये पात्र व्यक्तियों का चयन की मांग

115–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद चित्रकूट में किसान पेन्शन/वृद्धा पेंशन में वर्ष 1997-98 के बाद से नवम्बर, 2000 तक कितने लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत कर लाभान्वित कराया गया है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1997-98 से इस योजना के लाभार्थियों का चयन करना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार नये पेंशन के पात्र व्यक्तियों का चयन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जनपद चित्रकूट में वर्ष 1997-98 के बाद से नवम्बर, 2000 तक किसी भी नये लाभार्थी को किसान पेंशन/वृद्धा पेंशन स्वीकृत कर लाभान्वित नहीं कराया गया है ।

6 मई, 1997 को सृजित जनपद चित्रकूट में किसान/वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का लक्ष्य 6546 निर्धारित है । निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत ही मृतक या अपात्र पाये गये लाभार्थियों के स्थान पर नये व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत की जा सकती है । जनपद चित्रकूट में वर्ष 1997-98 के पूर्व निर्धारित लक्ष्य से अतिरिक्त 1698 लाभार्थियों का चयन कर एक-एक किश्त का भुगतान कर दिया गया था, किन्तु अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित न होने के कारण उक्त का समायोजन नहीं हो सका था । इनमें से माह

नवम्बर, 2000 तक 1114 लाभार्थियों का समायोजन मृतक लाभार्थियों से हुई रिक्तियों के स्थान पर कर लिया गया । शेष 584 का समायोजन शेष है । वर्ष 1997-98 के पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त चयनित लाभार्थियों के समायोजन के उपरान्त ही नये पेंशनरों के चयन पर विचार किया जाना संभव होगा ।

जनपद शाहजहांपुर में देवकी योजना दाई प्रशिक्षिण में की गई अनियमितताओं की जांच हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र

116–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 196379 दिनांक 11-10-2000 एवं पत्र दिनांक 21-10-2000 जो देवकी योजना दाई प्रशिक्षण में की गई अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में था, क्रमशः अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी हां ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा जांच की गई तथा जांच में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद इलाहाबाद के सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में घोटाला सम्बन्धी कथित प्रकरण

117–डा० वकार अहमद शाह–

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा की गयी जांच अभियान के दौरान अभी हाल ही में इलाहाबाद के पांच सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के नाम पर लाखों रुपये की छात्रवृत्ति का घोटाला किये जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो वह सरस्वती शिशु मंदिर के कौन-कौन से विद्यालय हैं तथा इस घोटाले के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी नहीं । जनपद इलाहाबाद में सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यालयों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति धनराशि नहीं भेजी गई है । अस्तु, घोटाले का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता । स्थिति उपरोक्तवत है ।

जनपद शाहजहांपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र

118–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 2-5-99 मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ था ? क्या यह सही है कि मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर ने उपरोक्त पत्र की जांच के लिये

उपचिकित्साधिकारी प्रथम को आदेशित किया था ? यदि हां, तो उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रथम ने पत्र पर क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार उपरोक्त पत्र की जांच अपने स्तर से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के गन्ना समिति के श्री जगदीश नारायन अवस्थी के सेवानिवृत्त के पश्चात् उनके समस्त देयकों के भुगतान की मांग

119–श्री तेजभान सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश नारायन अवस्थी, पर्ची वितरक (सेवा निवृत्त) गन्ना समिति, सीतापुर के प्रार्थना-पत्र के साथ श्री शिव बहादुर सक्सेना, सभापति, सा० उ० स०, विधान सभा का पत्र सं०–66/2000, दिनांक 9-2-2000 तथा पत्रांक–221/2000 दि० 17 मई, 2000 प्रबन्ध निदेशक, चीनी मिल संघ को और पत्रांक–538/2000 दिनांक 12-12-2000 मा० गन्ना विकास मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? श्री अवस्थी के दि० 31-7-98 से सेवानिवृत्ति के पश्चात देयों का भुगतान अब तक न करने के क्या कारण हैं ? इसके विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है ? प्रश्नगत देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

श्री जगदीश नारायण अवस्थी, (सेवानिवृत्त पर्ची वितरण, गन्ना समिति, सीतापुर के देयों का भुगतान निम्न विवरण के अनुसार चेकें जारी करके प्रकरण को निस्तारित कर दिया गया है :–

		चेक सं०/दिनांक	धनराशि
1—	उपार्जित अवकाश	0436031 30-3-2000	14716.76
2—	भविष्य निधि	1—0298350 21-9-2000	25410.50
		2—0421504 15-12-2000	25000.000
		3—0421509 7-3-2001	8494.52
3—	ग्रेच्युटी	0748774 7-3-2001	25004.00
		योग–	98625.78

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के आई० ई० आर० टी० प्राविधिक शिक्षा संस्थान के सेवा निवृत्त शिक्षकों की पेंशन पुनरीक्षण के एरियर के भुगतान का विचाराधीन प्रकरण

120–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आई० ई० आर० टी० प्राविधिक शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 1996 से पूर्व सेवा निवृत्त शिक्षकों की पेंशन का पुनरीक्षण कर उन्हें एरियर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं ।

मामला विचाराधीन है ।

जनपद आगरा को सुनिश्चित रोजगार योजना हेतु आवंटित धनराशि पर प्राप्त ब्याज की राशि के व्यय विवरण की जानकारी

121–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा को सुनिश्चित रोजगार योजना हेतु शासन द्वारा वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में कितनी धनराशि दी गयी ? उक्त वर्षों की धनराशि से प्राप्त ब्याज की राशि किन-किन मदों पर व्यय की गयी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां । जनपद आगरा को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत ब्याज की धनराशि सहित निम्न प्रकार धनराशि प्राप्त हुई :–

वर्ष	प्राप्त धनराशि (लाख रु० में)	ब्याज से अर्जित धनराशि
1998-99	656.96	5,30,200.00
1999-2000	625.86	1,71,148.77

उक्त वर्षों में अर्जित ब्याज की धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष में योजना के अतिरिक्त संसाधन के रूप में सम्मिलित करते हुए सुनिश्चित रोजगार योजना की मार्ग निर्देशिका के अनुसार व्यय की गयी है ।

जनपद अलीगढ़ के कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा अपने गृह जनपद में तैनाती के प्रकरण की जांच

122–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि डा० उदयवीर सिंह कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अलीगढ़ अपने गृह जनपद अलीगढ़ में तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या चिकित्साधिकारियों को गृह जनपद में तैनात करना शासन की नीति के अन्तर्गत है ? यदि नहीं, तो उक्त

चिकित्साधिकारी को गृह जनपद में तैनात करने में कौन-कौन लोग दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

वर्तमान में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के पद पर डा० बृज मोहन शर्मा तैनात हैं। डा० उदयवीर सिंह, चिकित्सा अधिकारी गृह जनपद में तैनात थे जिनके स्थानान्तरण आदेश कर दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांचोपरान्त दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली व प्रोन्नति का प्रकरण

123–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा नियमावली बना दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उसमें जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सेवारत सहायक अभियन्ताओं को परियोजना निदेशक के पद पर प्रोन्नति का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

उ० प्र० ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सेवारत सहायक अभियन्ताओं का परियोजना निदेशक के पद पर प्रोन्नत का कोई प्राविधान नहीं है । जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों में से पदोन्नति की जाती है ।

जनपद मुरादाबाद के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के आशुलिपिक श्री उमेश चन्द्र सक्सेना का मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थगित स्थानान्तरण

124–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या यह सही है कि श्री उमेश चन्द्र सक्सेना, आशुलिपिक, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, मुरादाबाद में एक ही स्थान पर लगभग 26 वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार स्थानान्तरण मुरादाबाद जनपद से अन्यत्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1/3/96-का०–4/2000, दिनांक 30 जून, 2000 द्वारा वर्ष 2000-2001 में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निर्धारित स्थानान्तरण नीति† संलग्न है ।

---

† छापी नहीं गई ।

जी हां ।

आशुलिपिक का पद एकल पद है, जो जनपद संवर्ग का पद है, इसलिए एकल पद पर कार्यरत कर्मचारी के स्थानान्तरण नहीं किया जाते है फिर भी श्री उमेश चन्द्र सक्सेना, आशुलिपिक, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय के आदेश दिनांक 10-11-98 द्वारा श्री सक्सेना का स्थानान्तरण जनपद मुराददाद से जनपद पीलीभीत किया गया था । श्री सक्सेना द्वारा अपने स्थानान्तरण एवं शिकायतों के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 1866/99 प्रस्तुत की गयी, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20-1-99 को श्री सक्सेना का स्थानान्तरण आदेश स्थगित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर, ब्लाक लालगंज के ग्राम पंचायत पतुलकी को विकास कार्यों हेतु आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों की टी० ए० सी० जांच की मांग

125–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के लालगंज ब्लाक के ग्राम पंचायत पतुलकी को वर्ष 1999-2000 में कुल कितनी धनराशि विकास कार्यों हेतु शासन द्वारा दी गयी ? प्रश्नगत धनराशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गयी ? क्या यह सच है कि प्रश्नगत ग्राम पंचायत में खड़ंजा निर्माण एवं आवास निर्माण में घटिया ईंट लगाकर प्रथम श्रेणी के ईंटों का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उसके गुणवत्ता की जांच टी० ए० सी० से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां । जनपद मिर्जापुर जिले के लालगंज ब्लाक के ग्राम पंचायत पतुलकी को वर्ष 1999-2000 में कुल रु० 221360.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी ।

उक्त धनराशि के सापेक्ष रु० 220751.00 लाख व्यय करते हुए निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं :–

1–खड़ण्जा निर्माण, केवट बस्ती ।

2–खड़ण्जा निर्माण, पतुलकी के० बस्ती ।

3–खडण्जा निर्माण, पतुलकी खलिहान से लालमनि बिन्द के घर के पास ।

4–खड़ण्जा निर्माण नान्हू के घर से बुद्धू यादव के घर ।

5–रीवा रोड से दूबे जी के घर तक मो० रंगीकरण ।

6–भौहुर मभिगवां केवटान बस्ती में खड़ण्जा निर्माण ।

7–महिला काम्पलेक्स से नान्हू के घर तक खड़ण्जा निर्माण

जी नहीं ।

उक्त कराये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन में खड़ण्जा एवं आवास निर्माण में प्रथम श्रेणी ईंट का प्रयोग पाया गया है । ऐसी स्थिति में टी० ए० सी० जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

जनपद मुरादबाद की तुरैहा जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की मांग

126–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि शासन द्वारा जारी की गयी अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक–66 पर "तुरैहा" जाति अंकित है ? यदि हां,तो क्या जिला मुरादाबाद के अन्तर्गत निवास करने वाली "तुरैहा" जाति के लोगों को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जिलाधिकारी, मुरादाबाद ने सूचित किया है कि मुरादाबाद जनपद में निवास करने वाली "तुरैहा" जाति कहार, धीवर व कश्यप पिछड़ी जातियों की उपजाति है । इसलिए कहार, कश्यप व धीवर जातियों के सदस्यों को पिछड़ी जाति के प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाते हैं .जनपद मुरादाबाद में तुरैहा जाति के लोगों को अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से जांच करायी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

127–श्री सौलत अली एडवोकेट–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

महिला कल्याण निदेशालय स्तर पर कतिपय लिपिक वर्गीय कर्मचारी के स्थानान्तरण/उनके प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरण की जानकारी

128–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–45 के उत्तर के संबंध में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय से जनपदों में किसी कर्मचारी को स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ? क्या निदेशालय में तैनात कर्मचारियों को प्रोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि निदेशालय एवं जनपद स्तर के कर्मचारियों का संवर्ग एक किया गया है ? यदि हां, तो जनपदों में कार्यरत कर्मचारियों की प्रोन्नति न करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

विभगीय कार्यहित में किसी कर्मचारी को निदेशालय से जिलों में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जी हां ।

जी हां ।

जनपदों में मात्र वरिष्ठ लिपिक स्तर के पद हैं जबकि उक्त प्रोन्नति फिलहाल उच्चतर पदों से की गई है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति में दोषी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

129–डा० ज्ञानवती सिंह तथा श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फर नगर में संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में 1993 से 1996 के मध्य चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्तियां की गयी थी ? यदि हां, तो कुल कितनी ? क्या नियुक्ति अधिकारी को नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त था ? यदि नहीं, तो अवैधानिक तरीके से नियुक्तियां करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

मात्र एक ।

जी नहीं ।

अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद रायबरेली के मुख्य चिकित्साधिकारी के टेलीफोन पर व्यय धनराशि के विवरण की जानकारी

130–श्री संजय गर्ग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि–जनपद रायबरेली में मुख्य चिकित्साधिकारी के आवास एवं कार्यालय टेलीफोन पर जनवरी, 1999 से 4 अगस्त, 2000 तक कितना धन व्यय किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अधिकारी को उक्त मदों में उक्त अवधि में कितना धन व्यय करने का प्राविधान था ? अतिरिक्त धन किस प्रकार व्यय किया गया ?

श्री रमापति शास्त्री–

रायबरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आवास एवं कार्यालय टेलीफोन पर जनवरी, 1999 से अगस्त, 2000 तक कुल रु० 17,884.00 व्यय किया गया ।

वित्तीय वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 में कुल रु० 24,300.00 की धनराशि उक्त अधिकारी को, व्यय करने का प्राविधान टेलीफोन मद में किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में उपचारिका संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

131—श्री संजय गर्ग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में उपचारिका संवर्ग में कितने पद रिक्त हैं ? क्या इन रिक्त पदों को भरने के लिये वर्ष 1994 में प्रशिक्षण प्राप्त उपचारिकाओं की नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्तमान समय में प्रदेश में उपचारिका के 558 पद रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1979 में दिये गये प्राविधानों के अधीन वर्ष 1998 में सम्पन्न अन्तिम चयन के अन्य वर्षों की प्रशिक्षित उपचारिकाओं के साथ वर्ष 1994 की प्रशिक्षण प्राप्त अर्ह उपचारिकाओं को भी अवसर प्रदान किया जा चुका है । अतः वर्तमान में इनकी नियुक्ति किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर के नगर/देहात में विधवा पेंशन वितरण करने हेतु किये गये कार्यों का विवरण

132–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर तथा कानपुर देहात में दिनांक 1-1-98 से जुलाई–2000 तक विधवा पेंशन वितरित करने हेतु कितने कैम्प कहां-कहां लगाये गये तथा उनमें कितने चेक वितरित किये गये ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

कानपुर नगर में निम्नलिखित विवरण के अनुसार विधवा पेंशन चेक वितरण हेतु कैम्प आयोजित किये गये :–

क्र०सं०	दिनांक	कैम्प स्थल	वितरित चेकों की संख्या
1	18-6-99	तहसील सदर कानपुर नगर (प्रथम किश्त)	77
2	20-6-99	तदैव	52
3	21-6-99	तदैव	85
4	3-7-99	ब्लाक घाटमपुर	14
5	7-7-99	ब्लाक पतारा	19
6	9-7-99	ब्लाक भीतरगांव	23
7	12-7-99	ब्लाक बिल्हौर	27
8	14-7-99	ब्लाक शिवराजपुर	18
9	16-7-99	ब्लाक चांदपुर	15
10	19-7-99	ब्लाक ककवन	12
11	26-7-99	ब्लाक बिधनू	247
12	28-7-99	ब्लाक सरसेल	254
13	31-7-99	ब्लाक कल्यानपुर	342
14	5-8-99	ब्लाक घाटमपुर	25
15	5-11-99	ई० के० एम० हाल फूलबाग (द्वितीय किश्त)	1945

कानपुर देहात में उक्त अवधि में कोई कैम्प आयोजित नहीं किये गये ।

जनपद रायबरेली के आदर्श नवीन छात्रावास को महापुरुष बाबू बैजनाथ कुरील राजकीय छात्रावास बनाने सम्बन्धी प्रकरण में विचाराधीन कार्यवाही

133–श्री उदयराज–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि महापुरुष बाबू बैजनाथ कुरील की स्मृति में रायबरेली में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदर्श नवीन छात्रावास को राजकीय करके उसका नाम बाबू बैजनाथ कुरील राजकीय छात्रावास करने हेतु एवं छात्रावास में उनकी मूर्ति लगाने हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग–1 के आदेश सं०–ए–1503/रा०का०–1/95 दि० 14-12-95, आदेश सं०–ए/805/ सी०एम०–1/96 दि० 1-4-97, तथा आदेश सं०–ए/805/सी०एम०–1/96 दि० 25-5-97

के अन्तर्गत जिलाधिकारो के पत्र संख्या–6311-13 दि० 28 फरवरी, 1996 तथा पत्र जून 97 द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण को संस्तुति भेजी गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जिलाधिकारी, रायबरेली के पत्र दिनांक 23-1-96 के द्वारा यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि रायबरेली स्थित आदर्श नवीन अनुसूचित जाति छात्रावास को राजकीय छात्रावास घोषित करते हुए अधिष्ठान पर पदों की स्वीकृति एवं छात्रवास का नाम स्व० श्री बैजनाथ कुरील अनुसूचित जाति राजकीय छात्रावास रायबरेली कर दिया जाय ।

प्रकरण में कार्यवाही विचाराधीन है ।

लखनऊ, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

134–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उ० प्र० ने गोपनीय पत्र संख्या–17357 शिक्षा–66/74 गोपन, दिनांक 22-9-94 द्वारा प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के विरुद्ध गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र शासन को भेजा था ? यदि हां,तो उक्त पत्र में उल्लिखित वित्तीय एवं अन्य अनियमिततायें क्या-क्या हैं ? क्या उस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां,तो क्या ? क्या उक्त आरोप-पत्र के आधार पर किसी जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

डा० शिव सागर शुक्ल तत्कालीन प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के विरुद्ध वित्तीय एवं अन्य अनियमिततायें निम्नलिखित हैं :–

(1) बिना बजट के औषधि आदि का क्रय किया जाना ।

(2) बिना पूर्व अनुमति के आवंटित बजट से अधिक धनराशि का व्यय किया जायगा ।

(3) स्नातकोत्तर छात्रों के लिए साज-सज्जा एवं उपकरण हेतु स्वीकृत धनराशि का लम्बे समय तक उपयोग न किया जाना ।

(4) स्थानान्तरण होने पर उनके द्वारा स्थानान्तरण निरस्त किये जाने हेतु राजनैतिक दबाव डलवाना ।

(5) आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ में बिना मा० कुलाधिपति की अनुमति प्राप्त किये सात विभागों के स्थान पर चौदह विभाग खोला जाना ।

(6) मा० उच्च नयायालय में गलत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना ।

प्रकरण में डा० शिव सागर शुक्ल, प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए शासन के आदेश संख्या 380एम/71-2-2000-329/92(टीसी) दिनांक 1-5-2000 द्वारा निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है तथा शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 2147(1)71-2-2000-329/92टीसी, दिनांक 4-5-2000 के द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र० लखनऊ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । शेष का प्रश्न नहीं है ।

जनपद बिजनौर के उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई चांदपुर के श्री राधेश्याम पाण्डेय के समस्त रिटेनिंग एलाउन्स के भुगतान की मांग

135–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्टूबर, 2000 के अन्तिम सप्ताह में प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न श्री राधेश्याम पाण्डेय, पैन इंचार्ज, उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई चांदपुर, जनपद बिजनौर का पत्र जो वर्ष 1997-98, 1998-99 का रिटेनिंग एलाउन्स का भुगतान कराये जाने से संबंधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो क्या रिटेनिंग एलाउन्स का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

श्री राधेश्याम पाण्डेय को वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 के समस्त रिटेनिंग एलाउन्स का भुगतान मिल द्वारा किया जा चुका है ।

लखनऊ मण्डल, लखनऊ के अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन की धनराशि बदमाशों द्वारा लूट लेने/उक्त धनराशि का भुगतान करने की मांग

136–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन एवं अन्य मदों की धनराशि बैंक से लाते समय वर्ष 1993 में बदमाशों द्वारा लूट ली गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि का भुगतान संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? क्या सरकार इस हेतु दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस सम्बन्ध में शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में मृतक आश्रित की नियुक्ति में अनियमितता के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

137–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में मृतक आश्रित के रूप में की गयी नियुक्तियों में अनियमितता के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र–क–2–158320 एवं पत्रांक–क–2–158319, दिनांक 2 मार्च, 2000 तथा पत्रांक–2-1-117567, दिनांक 15 मई, 2000 उनके कार्यालय में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2-मार्च, 2000 व 15 मई, 2000 के संदर्भ में निदेशक (प्रशासन) से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार श्री शिव कुमार, वार्ड ब्वाय की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 26-6-85 को आदेश निर्गत किये गये थे। तत्समय श्री शिव कुमार, तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं थे जबकि उक्त पत्रों में उल्लिखित श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव एवं कु० पूजा चौहान नियुक्ति के समय इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण थे तथा तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह थे। अतः इन्हें क्रमशः दिनांक 19-12-96 तथा 3-1-98 को महानिदेशालय द्वारा अवर वर्ग लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी। ऐसी स्थिति में इनकी नियुक्तियों में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

पी० जी० आई० लखनऊ से सेवानिवृत्त श्री त्रिवेनीगिरी के सेवा निवृत्त पश्चात उनके पुनरीक्षित वेतनमान व समस्त देयकों के भुगतान की मांग

138–श्री उदय राज–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी०जी०आई०, रायबरेली, रोड लखनऊ में श्री त्रिवेनीगिरी स्टाफ नर्स की सेवा निवृत्ति के पश्चात् इसके समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या इन्हें इनके पूर्व वेतन 1400-2600 के स्थान पर पुनरीक्षित वेतनमान 5500 से 9500 वेतन निर्धारण कर उनके एरियर का भी भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो 30 अप्रैल, 1999 को सेवा निवृत होने के पश्चात् अब तक उपरोक्त भुगतान न करने वाले दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उपरोक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

श्री त्रिवणी गिरी सेवानिवृत्त सिस्टर ग्रेड–1 के समस्त देयकों यथा पंचम वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का भुगतान तथा पदोन्नति के पश्चात् के एरियर का भुगतान एवं भविष्य निधि, धुलाई भत्ता, वर्दी भत्ता, नर्सिंग भत्ता तथा नगदीकरण समेत लम्बित देयकों का भुगतान संस्थान द्वारा कर दिया गया है। नगदीकरण के भुगतान का चेक रजिस्टर्ड डाक द्वारा श्री त्रिवेणी गिरी के पते पर भेज दिया गया है।

सामूहिक बीमा की राशि के भुगतान से सम्बन्धित कागजात बीमा कार्यालय की 17-11-99 को प्रेषित किये गये है। बीमा कार्यालय से राशि प्राप्त होते ही सामूहिक बीमा राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। ग्रेच्युटी का भुगतान के सम्बन्ध में श्री त्रिवेणीगिरी के द्वारा सैन्य सेवा से निर्गत पेंशन पेमेन्ट आदेश की प्रति उपलब्ध न कराने के कारण स्थगित है। जिसके लिये उनसे इसे उपलब्ध कराने को कहा गया है।

वेतनमान रु० 1400-2500 का पंचम वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान रु० 5000-8000 के एरियर तथा पदोन्नत पद सिस्टर ग्रेड–1 वेतनमान रु० 5500-9000 के एरियर का भुगतान कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा। इसमें किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर, विकास खण्ड महोली के ग्राम भिरिया में बिगत वर्षों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत हुए कार्यों का विवरण

139–श्री मथुरा प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के ग्राम पंचायत भिरिया के मजरा ग्राम भिरिया में गत तीन वर्षों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई विकास कार्य हुए हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या कार्य हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

ग्राम पंचायत भिरिया के मजरा ग्राम भिरिया में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्षवार निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं:–

वित्तीय वर्ष 1997-98

नहर की पुलिया से राम दुलारे के मकान तक मिट्टी/कंकड़ कार्य । 205 मीटर

वित्तीय वर्ष 1998-99

कोई कार्य नहीं हुआ ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000

1—बड़ा गांव रोड़ से मतदान स्थल तक मिट्टी/कंकड़ कार्य । 300 मीटर

2—गोविन्द के मकान से रविशंकर के मकान तक कंकड़/मिट्टी कार्य । 113 मीटर

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम तरौली को स्वर्ग जयन्ती योजना के अन्तर्गत लेकर सड़क निर्माण की मांग

140–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ग्राम तरौली विकास खण्ड बिलग्राम को अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? क्या सरकार इस गांव को स्वर्ण जयन्ती योजना में लेकर मुख्य सड़क से जोड़ने तथा बिलग्राम रजबहा से ग्राम तरौली तक डामर सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

ग्राम तरौली स्वर्ग जयन्ती ग्राम नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के कतिपय ग्रामों में स्थापित किये गये हैण्ड पम्पों की जानकारी

141–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91 मल्लावां–निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में वि० ख० मल्लावां के ग्राम कटिया, भिखारीपुर तथा आलापुर में स्वीकृत

हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त स्वीकृत हैण्डपम्प कब तक अधिष्ठापित करा दिये जायेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां । उल्लिखित ग्रामों में मानक के अनुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में विधवा पेंशन के सभी आवेदकों की स्वीकृत पेंशन

142–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर में 1 जनवरी, 1999 से 1 अगस्त, 2000 तक विधवा पेंशन के कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये ? उनमें कितने आवेदकों की पेंशन स्वीकृत की गयी और कितने प्रकरण लम्बित हैं और क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

संदर्भित अवधि में 91 आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।

सभी आवेदकों की पेंशन स्वीकृत की गई ।

कोई प्रकरण लम्बित नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

143–श्री उबैदुर्रहमान–

[दिनांक 22-3-2001 को अता० प्र० सं०-170 द्वारा उत्तरित ।

जनपद बलरामपुर के अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण द्वारा की गयी विभागीय अनियमितताओं की जांच हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

144–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण द्वारा की गयी विभागीय अनियमितताओं की जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या सी० एम०/वि०को०/एम–2/31543/गोण्डा/2000 दिनांक 22-2-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में दिये गये शिकायती बिन्दुओं की जिलाधिकारी बलरामपुर से जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती/वाल्टरगंज शुगर मिलों द्वारा कम्प्यूटर स्थापना व पास बुक हेतु गन्ना मूल्य से कटौती के औचित्य की जानकारी

145–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2000 के आरम्भ के सत्र में बस्ती तथा वाल्टर गंज शुगर मिलों द्वारा कम्प्यूटर खर्च तथा अन्य खर्च आदि के नाम पर गन्ना मूल्य से कटौती की गई है ?

यदि हां, तो उक्त दोनों मिलों द्वारा गत वर्ष के सीजन में कुल कितनी कटौती की गई तथा इसका औचित्य क्या था ? क्या सरकार किसान हित में इस प्रकार की कटौतियों पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

पेराई सत्र, 2000-2001 में कोई कटौती नहीं की जा रही है । पेराई सत्र, 1999-2000 में कटौती हुई है ।

गत वर्ष सीजन अर्थात 1999-2000 में बस्ती तथा वाल्टरगंज इकाई क्षेत्र में निम्न प्रकार कटौती विभिन्न मदों में की गयी है :–

(1) बस्ती–

1—	कम्प्यूटर	497778.00
2—	पासबुक	1016730.00
3—	शेयर	2207806.00
	योग–	3722323.00

(2) वाल्टरगंज–

1—	कम्प्यूटर	170952.00
2—	पासबुक	499183.00
3—	शेयर	555728.00
	योग–	1225903.00

कम्प्यूटर स्थापना व पास बुक तैयार किये जाने हेतु कटौती समितियों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण की गयी ।

वर्तमान पेराई सत्र, 2000-2001 में कोई कटौती नहीं की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र सण्डीला में महिला पी० पी० चिकित्सालय में चिकित्सकों की तैनाती की मांग

146–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद–हरदोई में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र, सण्डीला में महिला पी० पी० चिकित्सालय में निर्धारित मानक के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति हैं ? यदि नहीं, तो कब तक मानक के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रदेश में महिला चिकित्सकों की कमी चल रही है । स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सकों की तैनाती कर दी गयी है ।

147–श्री अब्दुल मन्नान–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई क्षेत्र सण्डीला में महिला पी० पी० सी० चिकित्सालय में चिकित्सकों को कमी की दृष्टिगत रखते हुए डा० सक्सेना को चिकित्सीय कार्य करने के आदेश।

148-श्री अब्दुल मन्नान–

सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद हरदोई में महिला/पी०पी०सी० चिकित्सालय सण्डीला में डा० आर० के० सक्सेना स्वीकृत पद के अतिरिक्त चिकित्सक के पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें अन्य जनपद में स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

डा० आर० के० सक्सेना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला (हरदोई) में कार्यरत हैं। महिला/पी० पी० सी० सण्डीला में चिकित्सकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए वहां के नागरिकों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डा० सक्सेना को वहां बैठकर चिकित्सीय कार्य सम्पादित करने हेतु आदेशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पी० जी० आई० लखनऊ के सेवानिवृत्त सुश्री त्रिवेनी गिरी के समस्त देयों के भुगतान की जानकारी

149–श्री संजय गर्ग–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० जी० आई० रायबरेली रोड, लखनऊ से दिनांक 30-4-1999 को सेवानिवृत्त सुश्री त्रिवेनीगिरी, स्टाफ नर्स के समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सेवानिवृत्त नर्स के देयों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

सुश्री त्रिवेनी गिरी सेवानिवृत्त सिस्टर ग्रेड–I के समस्त देयकों तथा पंचम वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का भुगतान तथा पदोन्नति के पश्चात् एरियर का भुगतान एवं भविष्य निधि, धुलाई भत्ता, वर्दी भत्ता, नर्सिंग भत्ता तथा नगदीकरण समेत लंबित देयकों का भुगतान संस्थान द्वारा कर दिया गया है। नगदीकरण के भुगतान का चेक रजिस्टर्ड डाक द्वारा सुश्री त्रिवेनी गिरी के पते पर भेज दिया गया है।

सामूहिक बीमा की राशि के भुगतान से सम्बन्धित कागजात बीमा कार्यालय को 17-11-99 को प्रेषित किये गये हैं। बीमा कार्यालय से राशि प्राप्त होते ही सामूहिक बीमा राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। ग्रेच्युटी भुगतान के सम्बन्ध में श्री त्रिवेनी गिरी के द्वारा सैन्य सेवा से निर्गत पेंशन पेमेन्ट आदेश की प्रति उपलब्ध न कराने के कारण स्थगित है, जिसके लिये उनसे इसे उपलब्ध कराने को कहा गया है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

नगर पंचायत, खड्डा कुशीनगर में ग्राम पंचायत नौतार जंगल को नाव आदि क्रय करने हेतु विधायक निधि से दी गयी धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

150–श्री दीप लाल भारती–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक निधि वर्ष 2000-2001 वित्तीय वर्ष में नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) में जनहित को देखते हुये प्रश्नकर्ता द्वारा सड़कों, नालियों की सफाई हेतु भैंसा व भैंसागाड़ी हाथठेला, चलता-फिरता पानी टंकी क्रय करने हेतु तथा नाविक जल-मत्स्य श्रमजीवी संघ

(मछुआरा संघ) नौतार जंगल (कुशीनगर) को नाव क्रय करने हेतु समुचित धन जुलाई, अगस्त, 2000 में ही आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव जिला प्रशासन को दिया था ? क्या उक्त को 45 दिन के भीतर क्रय होना था ? क्या उक्त सामग्री अभी तक क्रय नहीं की गयी ? यदि हां, तो प्रश्नगत सामग्री को कब तक क्रय कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

नाव के क्रय हेतु ग्राम पंचायत नौतार जंगल को रु० 25,000/- की प्रथम किश्त दिनांक 24-2-2001 को दी जा चुकी है ।

सड़कों, नालियों की सफाई हेतु भैंसा व भैंसागाड़ी, हाथठेला तथा चलता-फिरता पानी टंकी के क्रय किये जाने का प्राविधान विधायक निधि (मार्गदर्शी सिद्धान्त) के अन्तर्गत नहीं है ।

जनपद बलरामपुर, क्षेत्र उतरौला के कतिपय विकास खण्डों में विगत कई वर्षों में कराये गये मार्गों के निर्माण में गुणवत्ता की जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

151–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र संख्या क–1 नं० 187446 दिनांक 29-8-2000 जो जनपद बलरामपुर की विधान सभा क्षेत्र उतरौला के विकास खण्ड श्री दत्तगंज उतरौला, गैडास बुजुर्ग में गन्ना विभाग बलरामपुर द्वारा 1995-96 तथा 1998-99 में कराये गये मार्गों के निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य न कराये जाने की जांच विषयक था, विधायक कोष्ठक के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

इस क्षेत्र में प्रश्नगत वर्षों में कराये गये मार्गों के निर्माण कार्यों की जांच विभागीय क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता, फैजाबाद से कराई गई । जांच में पत्थर/ब्रिक सोलिंग का कार्य गुणवत्ता के आधार पर सन्तोषजनक स्थिति में पाया गया । वर्ष 1998-99 में कराये गये मिट्टी के कार्यों को दो वर्षा ऋतु बीत जाने व गत वर्ष आयी बाढ़ के कारण तथा वर्ष 1995-96 में कराये गये मिट्टी के कार्यों को लगभग पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण मिट्टी के कार्यों की मात्रा, गुणवत्ता आदि का सत्यापन सम्भव नहीं हो सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर, क्षेत्र उतरौला में गन्ना विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की जांच विषयक प्राप्त शिकायती पत्र

152–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र संख्या क–1 नं० 187442 दिनांक 29-8-2000 जो जनपद बलरामपुर की विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में गन्ना विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की जांच विषयक था, विधायक कोष्ठक के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

विधायक कोष्ठक से शिकायती पत्र संख्या–क–1 नं० 187442 गन्ना विकास विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

153–श्री उबैदुर्रहमान–

[दिनांक 22-3-2001 को अता० प्र० सं०–171 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलरामपुर, क्षेत्र उतरौला के मनकापुर मार्ग पर मिट्टी पटाई की जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

154–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर की विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत उतरौला मनकापुर मार्ग पर इमलिया बसुन्धरा से चीती तक मिट्टी की पटाई की जांच के संबंध में विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम 31549, दिनांक 22-2-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जनपद बलरामपुर की विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत उतरौला मनकापुर मार्ग पर इमलिया बसुन्धरा से चीती तक का निर्माण कार्य वर्ष 1998-99 में कराया गया । क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 9-2-2001 को सड़क का निरीक्षण करने पर कार्य सन्तोषजनक पाया गया । वर्ष 1998-99 में कराये गये मिट्टी के कार्यों को दो वर्षा ऋतु बीत जाने व गत वर्ष आयी बाढ़ के कारण मिट्टी के कार्यों की मात्रा, गुणवत्ता आदि का सत्यापन सम्भव नहीं हो सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महिला एवं बाल विकास विभाग में सुधार अधिकारियों के पदों को सम्मिलित करते हुए नये संवर्ग का गठन

155–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक समाज कल्याण के पत्र संख्या–739-50/प्रो०/स०क०/77, दिनांक 28-6-77 जो जिलाधिकारियों को सम्बोधित है, के निर्गमन के समय उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारियों के कुल कितने पद सृजित थे तथा उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जिला सुधार अधिकारियों के कुल कितने सृजित पदों को शामिल करते हुये नया संवर्ग गठित किया गया ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

परिवीक्षा अधिकारी के कुल 38 पद सृजित थे । सुधार अधिकारियों के 26 पद सम्मिलित करते हुए कुल 64 पदों का नया संवर्ग गठित किया गया है ।

जनपद बहराइच, खण्ड विकास अधिकारी इकौना द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी को भेजे पत्र में अनुदान पाने वाली पात्र विधवाओं की अनुदान सूची की जांच की मांग

156–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि खण्ड विकास अधिकारी, इकौना, जनपद बहराइच ने अपने पत्र संख्या 429/स/चेक/दिनांक 30-10-1998 द्वारा 18 विधवाओं की सूची

जिला प्रोवेशन अधिकारी, बहराइच को भेजी है ? क्या यह सही है कि उक्त सूची में उल्लिखित सभी विधवायें अनुदान पाने हेतु पात्र नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के सहायक अधीक्षक, राजकीय बाल सदन के श्री रज्जन बाबू मिश्रा के विरुद्ध सम्बन्धित व्यक्तियों को भुगतान न करने की शिकायत पत्र पर दर्ज प्राथमिकी

157–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–रायबरेली के सहायक अधीक्षक, रज्जन बाबू मिश्रा राजकीय बाल सदन के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली में दिनांक 2 जनवरी, 2000 को अ० सं०–2/2000 के अन्तर्गत स्थानान्तरित के अन्तर्गत कोई दर्ज प्राथमिकी कराई गयी है ? यदि हां, तो वह क्या हैं ? क्या उन्हें निलम्बित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

भुगतान हेतु प्राप्त की गई धनराशि को सम्बन्धित व्यक्तियों को भुगतान न करने की शिकायतों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा–409 के अन्तर्गत उक्त प्राथमिकी दर्ज कराई गई ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी/कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी नियुक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

158–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई में जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा अपने कार्यकाल में जगपाल तथा नानक चन्द की चतुर्थ श्रेणी के पद पर तथा रामस्वरूप की कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या वे नियुक्ति करने की अधिकारी थे ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

तत्कालीन जिला परिवीक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा मात्र श्री नानक चन्द्र की चपरासी पद पर तथा श्री राम स्वरूप की लिपिक के पद पर नियुक्ति की गई थी ।

जी नहीं ।

श्री नानक चन्द्र की चपरासी के पद पर अनियमित नियुक्ति के लिए तत्कालीन जिला परिवीक्षा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी, जिसमें उन्हें दण्डित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में यू० पी० एग्रो एवं नलकूप निगम द्वारा हैण्डपम्प लगाने में की गयी अनियमितता की जांच

159–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी में यू० पी०/एग्रो एवं नलकूप निगम द्वारा कोई इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प अनियमित तरीके से लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच मुख्य सचिव के आदेश से की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त जांच के बिन्दु क्या हैं और जांच में अब तक क्या प्रगति हुई ? क्या अब तक की जांच में कोई दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां ।

जांच के बिन्दु निम्नवत् है :—

1—3 जून, 99 के बाद नलकूप निगम मैनपुरी एवं यू० पी० एग्रो द्वारा जनपद मैनपुरी में अधिष्ठापित किये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प मानक के अनुसार लगे हैं अथवा नहीं ।

2—दोनों एजेन्सियों द्वारा मानक के अनुसार सामग्री लगाई गई है अथवा घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है ।

3—3 जून, 99 के शासनादेश के बाद उक्त एजेन्सियों को धन क्यों दिया गया है एवं जो धन दिया गया है उसका उपभोग क्यों नहीं हुआ ।

4—दोनों एजेन्सियों द्वारा गहराई में पाइप लगाये गये अथवा नहीं ।

मामले की जांच आख्या में कतिपय विसंगतियां पाये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रकरण की जांच पुनः करायी जा रही है ।

जांच आख्या के आधार पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोण्डा, खण्ड विकास अधिकारी छपिया द्वारा मातृत्व लाभ योजनान्तर्गत लाभार्थियों के पात्रता/लाभांश के भौतिक सत्यापन की मांग

160–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 1999-2000 में मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत कितने लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया ? क्या जिनको लाभान्वित किया गया वे पात्रता श्रेणी में आते हैं ? क्या सरकार इसका भौतिक सत्यापन कराकर दोषी पाये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

वर्ष 99-2000 में मातृत्व लाभ योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के विकास खण्ड–छपिया में 117 महिलाओं को लाभान्वित कराया गया ।

जी हां ।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा लाभार्थियों की पात्रता का परीक्षण करने के उपरान्त ही अनुदान भुगतान की कार्यवाही की गई है । अतः खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम घेघइया से बढ़नवा तक रोड के निर्माण में आवंटित धनराशि का मानक के अनुसार कार्य पूर्ण कराने की जानकारी

161–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम घेघइया से बढ़नवा तक रोड का निर्माण वर्ष 1997-98 में कब आर० ई० एस० द्वारा प्रारम्भ किया गया था ? उसके लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या उक्त निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है तथा मानक के अनुसार रोड का निर्माण भी नहीं हुआ है ? यदि हां,तो क्या सरकार समय सीमा के भीतर उक्त रोड का निर्माण मानक के अनुरूप कराने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

उक्त मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1997-98 में प्रारम्भ न होकर वर्ष 1998-99 के माह फरवरी, 99 में आरम्भ किया गया था ।

उक्त मार्ग के लिए कुल रु० 8.637 लाख का आवंटन किया गया ।

प्राप्त आवंटन एवं मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम दुधैला तक का सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण कराने/व्यय धनराशि की जानकारी

162–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि जिला हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पक्यिानो से ग्राम दुधैला तक बनी सड़क का निर्माण वर्ष 1997-98 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा करवाया गया था, जो आज भी अधूरी बनी पड़ी हैं ? यदि हां, तो उस पर अभी तक कितनी धनराशि व्यय हुई है ? क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी नहीं, प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग पर निर्माण कार्य वर्ष 97-98 में नहीं बल्कि वर्ष 1998-99 में 1.00 कि०मी० मिट्टी तथा उस पर पत्थर सोलिंग एवं 2 नं० पुलिया का निर्माण कराया गया, जो स्वीकृति के अनुसार पूर्ण है ।

प्रश्नगत मार्ग पर कुल रु० 4.35 लाख की धनराशि व्यय की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के स्व० शिवरतन लाल टाटधारी चिकित्सालय, माधोगंज में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

163–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० शिवरतन लाल टाटधारी चिकित्सालय, माधोगंज जनपद हरदोई में बाल रोग विशेषज्ञ, दन्त रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलाजिस्ट, पैथोलाजिस्ट व कनिष्ठ लिपिक के स्वीकृत पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

स्व० शिवरतन लाल टाटधारी चिकित्सालय, माधौगंज, जनपद हरदोई में दंत रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं रेडियोलोजिस्ट के ही पद स्वीकृत हैं । बाल रोग विशेषज्ञ, पैथोलोजिस्ट व कनिष्ठ लिपिक के पद स्वीकृत नहीं हैं ।

उक्त चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर डा० (श्रीमती) [illegible]ला देवी तैनात हैं ।

रेडियोलाजिस्ट तथा दंत रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनाती हेतु अपर [illegible], चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के कतिपय राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी की नियुक्ति की मांग

164–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, माधौगंज, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कुरसठ तथा समुखा व राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सदरपुर में चिकित्साधिकारी नियुक्त नहीं हैं ? क्या केवल फार्मेसिस्ट के सहारे उक्त [illegible]कित्सालय चल रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालयों में कब तक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति [illegible] जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० [illegible] कुमार सिंह गौर–

जनपद हरदोई के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय माधोगंज, कुरसठ तथा समुखा में चिकित्साधिकारी तैनात हैं । राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सदरपुर का पद मैदान से उत्तरांचल भेजे जाने के कारण वहां चिकित्सा अधिकारी नियुक्त नहीं है ।

जी नहीं । राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सदरपुर में चिकित्सा अधिकारी का पद उपलब्ध होने तक समीपवर्ती चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्य देखे जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सदरपुर में जहां चिकित्साधिकारी का पद उपलब्ध नहीं है, वहां चिकित्सा अधिकारी का पद सृजित होने पर नियमित चिकित्साधिकारी की तैनाती की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम रूदामऊ में सड़क निर्माण हेतु व्यय धनराशि की जानकारी

165–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम रूदामऊ में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा वर्ष 1997-98 में 2 कि०मी० रोड का निर्माण प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो इस हेतु कितना धन उपलब्ध कराया गया और उसमें से कितना धन खर्च किया गया है ? क्या उक्त रोड अभी तक अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो कब तक उक्त रोड का निर्माण कार्य पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां । प्रश्नगत मार्ग का निर्माण वर्ष 1997-98 में नहीं बल्कि वर्ष 1996-97 में प्रारम्भ किया गया था ।

उक्त मार्ग के निर्माण हेतु कुल रु० 9.940 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी, जिसके सापेक्ष रु० 9.525 लाख की धनराशि व्यय हुई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही में विधायक निधि में अवमुक्त धनराशि की जानकारी

166–श्री गोरखनाथ पांडेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिये शासन द्वारा विधायक निधि का धन अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या भदोही जिले में केवल 50 हजार रुपया ही पहुंच पाया है ? यदि हां, तो बाकी धन कब तक निर्गत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां ।

जनपद भदोही को कुल रु० 162.50 लाख अवमुक्त हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध सतर्कता जांच विषयक पत्र की जानकारी

167–श्री मुराद लारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सण्डीला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध सतर्कता जांच कराने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं० सी०एम०/विधायक/एम–2/38115/हरदोई/2000 दिनांक 17-9-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्साधिकारी किसी सृजित पद पर कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक वहां से स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के मुख्य गन्ना अधिकारी चीनी मिल तिलहर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

168–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-9-2000 जो मुख्य गन्ना अधिकारी चीनी मिल तिलहर शाहजहांपुर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में था,

मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र दिनांक 26-9-2000 को सचिव, गन्ना विकास को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जी नहीं । अपितु मा० मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा मा० गन्ना विकास मंत्री जी को यथोचित निर्णयोपरान्त मा० सदस्य को अवगत कराने की अपेक्षा की गई थी, जो मा० गन्ना मंत्री जी के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, सहकारी चीनी मिल संघ को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था ।

उक्त शिकायती पत्र पर मुख्य गन्ना अधिकारी एवं आडिट टीम चीनी मिल संघ द्वारा प्रारम्भिक जांच की गयी । जांचोपरान्त मुख्य गन्ना अधिकारी, चीनी मिल तिलहर के स्तर से तौल केन्द्रों पर मानक से अधिक कर्मचारियों की तैनाती करने तथा ट्राली एवं बुग्गी पर निर्धारित मानकों से अधिक तौल कराये जाने आदि की अनियमितता के लिए प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये जाने पर इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है ।

प्रदेश में होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के संविलियन का निर्णय

169–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश में होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को बन्द करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं । प्रदेश के दस राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में से राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ को राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ में, राजकीय टी० डी० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज जौनपुर को राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज बिजनौर को राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद में संविलियन का निर्णय लिया गया है । संविलियन के कारण न तो छात्र संख्या घटेगी न अध्यापकों की वर्तमान संख्या घटेगी । यह निर्णय केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् द्वारा राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के किये गये निरीक्षण के कारण उनके सुधार हेतु लिया गया है । संविलियत मेडिकल कालेजों में स्थित चिकित्सालय पूर्ववत् संचालित रहेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

170–श्री जगदीश नारायण राय–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर फर्जी सामुदायिक विकास योजनाओं की जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

171–श्री तेजभान सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सुल्तानपुर के संजय गांधी पालिटेक्निक जगदीशपुर द्वारा चलायी जा रही फर्जी सामुदायिक विकास योजनाओं की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो इसकी जांच कब तक पूर्ण करा ली जायेगी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां।

शिकायती-पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 2000 की जांच कर जांच आख्या तत्काल प्रेषित करने हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, उन्नाव/प्रभारी संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को निर्देशित किया गया है। जांच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करा ली जायेगी।

शासनादेश के अनुसार समाज कल्याण विभाग में कार्यरत सुपरवाइजरों के कार्य एवं दायित्व की जानकारी

172–श्री शिव सिंह चक–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि शासन द्वारा समाज कल्याण विभाग में कार्यरत सुपरवाइजरों के कार्य एवं दायित्व के संबंध में जारी शासनादेश संख्या–1837-25-1-99-रिट-98-99, दिनांक 1 मई, 1999 का पालन क्या जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में कार्यरत सुपरवाइजरों द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां। शासनादेश सं०–1837/26-199-रिट(9)/99, दिनांक 1 मई, 1999 द्वारा निर्धारित कार्य एवं अधिकारों के अतिरिक्त कार्य हित में समाज कल्याण सुपरवाइजरों से अति आवश्यक कतिपय अन्य कार्य भी लिये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिलखुआ के चिकित्साधिकारी द्वारा वित्तीय अनियमितताओं हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

173–श्री शिव सिंह चक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिलखुआ जनपद गाजियाबाद में तैनात चिकित्साधिकारियों द्वारा व्यापक वित्तीय अनियमितताय किये जाने के संबंध में पूर्व जिलाध्यक्ष, मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड, जिला गाजियाबाद का पत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2000 जिलाधिकारी, गाजियाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी जनों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां। उप जिलाधिकारी, हापुड़ से शिकायतों की जांच कराई गयी तथा जांच आख्या के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिलखुवा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को हटा दिया गया है तथा उन्हें परिनिन्दित भी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवार कल्याण विभाग के मुख्यालय में आशुलिपिक के पदों को एकीकृत संवर्ग घोषित करने की जानकारी

174–श्री शिव सिंह चक–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के छठे बुधवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के 210 आशुलिपिक के पदों को क्या किसी शासनादेश के अन्तर्गत एकीकृत संवर्ग में घोषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश की संख्या एवं तिथि क्या है ?

श्री सरदार सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा, उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम) के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी आवंटित करने की मांग

175–श्री नेतराम सिंह तथा श्री रामेश्वर सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के उप मुख्य चिकित्साधिकारी प्रथम के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी आपूर्ति हेतु कितना धन वित्तीय वर्ष 2000-2001 में आवंटित किया गया है ? क्या आवंटित धन के भुगतान हेतु श्री ओम प्रकाश यादव, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 12 मई, 2000 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

चतुर्थ श्रेणी कमर्चारियों में केवल कार्यालय के चपरासी/अर्दली को ही वर्दी देने का प्राविधान है । वर्दी हेतु आय-व्ययक में पृथक रूप से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, बल्कि 08–कार्यालय व्यय मद में व्यवस्थित धनराशि से ही वर्दी का व्यय वहन होता है । मानक मद 08–कार्यालय व्यय मद में वित्तीय वर्ष 2000-2001 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा को रुपये 2,06,200/- का आवंटन किया गया है । उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम) के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी आपूर्ति हेतु धनावंटन नहीं किया गया है ।

आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम पंचायत परचल में अधिष्ठापित खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत की मांग

176–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बिलग्राम की ग्राम-पंचायत परचल रसूलपुर के ग्राम परचल में लालता गुप्ता के मकान के सामने तथा ग्राम परचल में गजोधर धानुक तथा गुरुदयाल पासी के मकान के सामने ग्राम रसूलपुर में दयाशंकर एवं अलीहसन तथा ग्राम पखियानी में राम दयाल के मकान के सामने अधिष्ठापित हैण्डपम्प खराब पड़े हैं जिनकी मरम्मत नहीं करायी जा रही है ? क्या सरकार उक्त हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां । सभी 6 हैण्डपम्प स्थायी रूप से खराब थे ।

श्री गजोधर धानुक व श्री दयाशंकर के मकान के सामने अधिष्ठापित हैण्डपम्पों को मरम्मत कराकर चालू करा दिया गया है, शेष चार हैण्पम्पों की मरम्मत कराकर शीघ्र ही चालू करा दिया जायेगा ।

जी हां । प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम को आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार कल्याण निदेशालय व चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु आशुलिपिकों के पुनरीक्षित वेतनमानों की वित्त विभाग द्वारा सहमत सम्बन्धी शासनादेश जारी करने की जानकारी

177–श्री शिव सिंह चक–

क्या स्वस्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–वे० आ०–1–808/दस–97, दिनांक 10-11-97 द्वारा परिवार कल्याण निदेशालय के 9 आशुलिपिक के पदों सहित चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिधिगत कार्यालयों के कुल 172 आशुलिपिकों के पदों के लिये दिनांक 1-1-86 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या परिवार कल्याण निदेशालय के नौ पदों के वेतन पुनरीक्षित किये जाने हेतु पुनः सहमति वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–वे० आ०–1–987/दस/98, दिनांक 2-2-98 द्वारा प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

वित्त विभाग से प्रश्नगत अशासकीय पत्र संख्या–वे०आ०–1-808/दस-97, दिनांक 10-11-97 जारी नहीं हुआ है, अपितु उनकी स्वीकृति, जो उनके अशासकीय संख्या–वे०आ०–1-808/दस-97 दिनांक 10-11-97 में प्राप्त हुई, से शासनादेश संख्या–154-एम०-सेक–4/पांच-जी–63/93, दिनांक 27-12-1997 जारी हुआ है, जो समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में है । इससे यह स्वतः स्पष्ट है कि इस शासनादेश में परिवार कल्याण महानिदेशालय के प्रश्नगत आशुलिपिकों के पद सम्मिलित नहीं है ।

वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–वे०आ०–1-987/दस/98, दिनांक 2-2-98 द्वारा नहीं अपितु उनके अशासकीय संख्या–वे०आ०–1-987/दस/98, दिनांक 2-2-98 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी शासनादेश संख्या–1980/5-9-98-9(17)/95, दिनांक 19-4-1998 द्वारा परिवार कल्याण निदेशालय के आशुलिपिकों के प्रश्नगत 9 पदों के संबंध में पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गयी है । चूंकि प्रश्नगत आशुलिपिकों के वेतनमान का पुनरीक्षण समता समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार किया जाना था । अतः उनका वेतन पुनरीक्षण संदर्भित शासनादेश द्वारा किया गया है ।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त धन से इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की कार्यवाही

178–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना में जिस प्रोजेक्ट पर धन अवमुक्त हो गया है, उसे तकनीकी कारणों से फेल होने पर उस धन के व्यय की क्या प्रक्रिया है ? क्या जनपद जौनपुर में जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में पानी की टंकी निर्माण हेतु धन का आवंटन हुआ था ? यदि हां, तो क्या टंकी का निर्माण कराया गया ? यदि नहीं, तो इसके लिये आवंटित धन किस मद में खर्च किया गया ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जिला नियोजन एवं अनुश्रवं समिति द्वारा लिये गये निर्णय एवं अनुमोदन के अनुसार धन को व्यय करने की कार्यवाही की जाती है ।

सुजानगंज ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु वर्ष 1999-2000 में धनावंटन हुआ था ।

जी नहीं ।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के उपरान्त उक्त धन से इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर, तहसील सदर में लगाये गये हैण्डपम्पों में की गयी अनियमितताओं की जांच सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

179–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-8-2000 जो सदर तहसील, शाहजहांपुर में वर्ष 2000 में लगाये गये पेयजल हैण्डपम्पों में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मा० सदस्य का पत्र दिनांक 11-08-2000 प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु पत्र दिनांक 22-07-2000 प्राप्त हुआ है, जो सदर तहसील, शाहजहांपुर में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में है।

मा० सदस्य के उक्त पत्र के सन्दर्भ में तहसील सदर के वर्ष 3/2000 तक लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची मा० सदस्य को दिनांक 09-11-2000 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल सात सूचनाएं प्राप्त हुई। नियमानुकूल होने के कारण सभी सूचनायें स्वीकार की गयी हैं। जिसमें पहली सूचना श्री राम विशुन आजाद की जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत मनकापुर, मसकनवा, बल्लीपुर, भगवन, वजीरगंज, कस्बों की सड़कों की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी हुई मानी जाती है। दूसरी सूचना डा० मंजार अहमद शाह की है अनुपस्थित हैं। तीसरी सूचना श्री सौलत अली की है, अनुपस्थित हैं। चौथी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की है जो कि अनुपस्थित है। पांचवीं सूचना श्री रूप चौधरी की है जो गाजियाबाद जनपद के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत बसायी जा रही अवैध कालोनियों को रुकवाने एवं सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटवाने के संबंध में है पढ़ी हुई मानी जाती है। छठी सूचना श्री मेजर जगतपाल सिंह जी की है जो जनपद मुरादाबाद एवं ज्योतिबाफुले नगर के भूमिहीनों को वर्ष 1998 में आवंटित पट्टों का कब्जा दिलाये जाने के संबंध में है पढ़ी हुई मानी जाती है। सातवीं सूचना श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की है जो जनपद सीतापुर के लहरपुर क्षेत्रान्तर्गत नैपालापुर कसरैल लहरपुर मार्ग पर खस्ताहाल सड़कों के निर्माण कार्य की जांच कराने एवं अधूरे कार्य को पूर्ण कराने के संबंध में है पढ़ी हुई मानी जाती है।

(स्वीकृत सूचनाएं सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत मनकापुर–मसकनवा बल्लीपुर बभनान, वजीरगंज कस्बों की सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में सड़कों की दुर्दशा है जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। जिला मार्गों पर पड़ने वाले कस्बे मनकापुर, मसकनवा, बल्लीपुर, बभनान, वजीरगंज में यदि थोड़ी सी बरसात हो जाय तो सड़क कीचड़ युक्त हो जाती है कस्बे में छोटे-छोटे गड्ढे होने से तालाब के रूप में परिवर्तित

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हो जाते है जिससे आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो जाता है । जल-भराव से संक्रामक रोग फैलने की संभावना बनी रहती है, यदि बरसात के पहले कस्बे से जाने वाली सड़कों का निर्माण तत्काल नही कराया गया तो आने वाली बरसात के समय में सड़क पूर्ण रूप से बाधित हो जायेगी इस संबंध में क्षेत्रीय जनता द्वारा प्रशासन एवं शासन को अवगत कराया जा चुका है और मेरे द्वारा भी सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया है परन्तु समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी जनाक्रोश है और कल्याणकारी सरकार कहने वाली भाजपा सरकार पर प्रश्नवाचक चिह्न लग चुका है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त सभी कस्बों में तत्काल सड़कों की मरम्मत करावाकर जलभराव की समस्या को दूर किया जाय जिससे आवागमन पूर्ण रूप से चल सके ।]

जनपद गाजियाबाद के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत बसाई जा रही अवैध कालोनियों को रुकवाने एवं सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रूप चौधरी–

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गाजियाबाद जनपद के पर्तापुर, मौजपुरा, लोनी, टीला, बेहटा, हाजीपुर, बंथला सादुल्लाबाद, गढ़ी कटैया, मानपुर, भिलक चमारान, नयी गाजिपुर, गढ़ी जस्सो, लोनी देहात आदि गांवों में सकैड़ों स्थानों पर अवैध रूप से कालोनियां बसाई जा रही हैं । नियमानुसार केन्द्र सरकार से बिना भूमि उपयोग परिवर्तन कराये कालोनी बसाना गैर कानूनी और दण्डनीय अपराध है । परन्तु इस क्षेत्र में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की मिली भगत के कारण इस क्षेत्र में सैकड़ों अवैध कालोनियों में लाखों लोग बसा दिये गये हैं । इस वजह से क्षेत्र की नारकीय स्थिति बनती जा रही है और स्लम का रूप ले लिया है । क्षेत्र में हजारों बंगलादेशी और अपराधी छवि के लोग आकर बस गये हैं जिसके कारण इस क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं । भू-माफियाओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करके कालोनियां बसा दी हैं ।

यह भी देखने में आया है कि जिस वक्त भू-माफिया व कालोनाइजर इन कालोनियों को बसाते हैं तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी कुम्भकर्णी नींद में सोते रहते हैं और जब गरीब और भोले-भाले ठग लिये जाते हैं तब प्रशासन इनके खिलाफ उजाड़ने की कार्यवाही करता है ।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस क्षेत्र में अवैध कालोनियों का बसना रुकवाने, सरकारी जमीनों पर कब्जे बंद करवाने एवं दोषी अधिकारियों कर्मचारियों, भू-माफियाओं के खिलाफ जांच करवाकर कड़ी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।]

जनपद मुरादाबाद एवं ज्योतिबाफूले नगर के भूमिहीनों को वर्ष 1998 से आवंटित पट्टों पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

मेजर जगतपाल सिंह–

[मान्यवर, आपका ध्यान सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

सरकार का आदेश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन प्रधानों ने प्रस्ताव पारित करके अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि पट्टे आवंटित कर दिये गये है तथा परगना अधिकारियों ने भी स्वीकृत की मोहर लगा दी है । फिर भी पट्टों का पजेशन आवंटियों को नहीं दिये जाते हैं । मेरे क्षेत्र में ऐसे मामले हैं जिससे आवंटियों की स्थिति अनिश्चितता में असंतोष व्याप्त है । मैं आपकों सदन के माध्यम से

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अवगत कराना चाहता हूं कि उक्त विषय को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भारी विवाद हो सकता है एवं साम्प्रदायिक तनाव भी हो सकता है क्योंकि मुरादाबाद साम्प्रदायिक जिला है ।

प्रकरणः–1. गांव मढ़न ब्लाक असमोली तहसील संभल जिला मुरादाबाद–73 भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को 1998 में पट्टे आवंटित लिये गये थे परगना अधिकारी की स्वीकृति है परन्तु पट्टा धारियों को कब्जा नहीं दिया गया है ।

प्रकरणः–2. गांव असरफ पुर फैजगंज ब्लाक जोया तहसील अमरोहा जिला ज्योतिबाफूलेनगर में 40 भूमिहीनों को 1998 में पट्टे आवंटित किये गये थे परगना अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त है परन्तु पट्टा धारियों को कब्जा नहीं दिया गया है ।

मेरा अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र के दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में अविलम्बनीय शासन द्वारा भूमिहीनों को पट्टे दिलवाने का कार्य सम्पन्न कराने का कष्ट करें ।]

जनपद सीतापुर के लहरपुर क्षेत्रान्तर्गत नैपालपुर, कसरैल, लहरपुर मार्ग पर खस्ताहाल सड़कों के निर्माण कार्य की जांच कराने एवं अधूरे कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[महोदय, जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र लहरपुर वर्ष 1999-2000 और वर्ष 2000-2001 के जिला योजना, पंडित दीन दयाल योजना तथा नाबार्ड आदि योजनाओं की सड़कें लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही है । जिन पर धन भी आवंटित है अभी तब कार्य पूर्ण नहीं कराया जा रहा है सड़कों पर पत्थर मिट्टी डाल दी, जिससे रास्ता चलना मुश्किल है इस कारण जनता में रोष व्याप्त है संभवतः धन का उपयोग फर्जी रूप से दिखा दिया है । नैपालापुर, कसरैल, लहरपुर मार्ग पर आवागमन बंद है, काम खराब और बहुत धीरे किया जा रहा है मरम्मत कार्य भी नाम मात्र है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करके जांच कराने और कार्य पूर्ण कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद बहराइच के पुलिस चीड़घर में पोस्टमार्टम हेतु स्थायी स्वीपर की नियुक्ति करने एवं कार्यरत प्राइवेट स्वीपर को बकाया वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० वकार अहमद शाह–

[मान्यवर, पुलिस लाइन, जनपद बहराइच के चीड घर में पोस्टमार्टम के लिए कोई स्वीपर नहीं है । इस कारण पोस्टमार्टम के समय जनता को भारी असुविधा हो रही है एक प्राइवेट स्वीपर से कार्य कराया जा रहा है और उसे भी 3 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है उससे एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थायी स्वीपर की नियुक्ति जनहित में आवश्यक है ।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि स्थायी स्वीपर की तत्काल नियुक्ति की जाय और वर्तमान में कार्य कर रहे स्वीपर जो पूरा बकाया वेतन तत्काल दिलाया जाय ।]

लोक लेखा समिति की भांति स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच हेतु समिति बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25-4-2001 को नियम–300 के अन्तर्गत कुछ 8 सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना डा० अशोक बाजपेयी की, लोक लेखा समिति की भांति स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच हेतु समिति बनाये जाने के सम्बन्ध में है ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश में जिस तरह से बजट के माध्यम से प्रदेश के आय-व्ययक को पारित करने के लिए कार्यपालिका द्वारा जब उस धन का व्यय किया जाता है तो उसकी सम्परीक्षा रिपोर्ट ए०जी० द्वारा तैयार की जाती है फिर उसे पटल पर रखा जाता है और फिर लोक लेखा समिति द्वारा आय व्ययक आहरण के परीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण होता है तत्पश्चात पुनः उसे इस सदन के पटल पर रखा जाता है फिर कार्यवाही और चर्चा होती है लेकिन आज तमाम स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से व्यय किया जाता है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद यह स्थिति और ज्यादा मजबूत हुई है एवं विभागों का कार्य ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायतों के माध्यम से सम्पादन हो रहा है। लेकिन उनका लेखा परीक्षण न होने के कारण कार्यपालिका पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है और स्वेच्छाचारिता से असामाजिक ढंग से अपव्यय कर रहे हैं। इस पर निरन्तर चर्चा हो रही है। पिछली तमाम बार विधान सभा में भी यह महत्वपूर्ण विषय उठाया गया था और इसी के चलते 1979-80 में एक व्यवस्था की गई कि लोक लेखा समिति ने अपना एक प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें अपेक्षा की गई कि स्थानीय निकायों, पंचायतीराज समितियों सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा हेतु एक समिति अलग बनाई जाय जो इनके लेखों का परीक्षण करके अपना प्रतिवेदन दे।

मान्यवर, यह संस्तुति लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन में जो कि सदन में रखा था उसमें दी थी। इस पर निर्णय हुआ और उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम–1984 बनाया गया। अधिनियम तो बन गया कि लोक लेखा समिति के समकक्ष एक समिति का गठन किया जायेगा जो तमाम स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और पंचायती राज समितियों के लेखों का परीक्षण करके रिपोर्ट देगी। शासन ने इस तरफ इतनी उदासीनता दर्शायी कि यह अधिनियम तो बन गया लेकिन उसकी कोई नियमावली नहीं बनी, कोई परिनियम नहीं बनाये गये। आज यह विषय महत्वपूर्ण हो गया है कि इन संस्थाओं के ऊपर विधायी नियंत्रण कैसे मजबूत हो ? यह संस्थाएं जनता के पैसे का अपव्यय कर रही हैं। मान्यवर, पिछले दिनों आपकी अध्यक्षता में इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ था कि लोक धन पर विधायी नियंत्रण कैसे हो ? इन सहकारी संस्थाओं द्वारा लोक धन का जो दुरूपयोग हो रहा है उस पर किस प्रकार से विधिक नियंत्रण हो ? इसमें आडिट परीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये आवश्यक है कि उन पर नियंत्रण हो, उनके लेखों का परीक्षण हो और उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सके। इस स्वैच्छाचारिता को रोकने के लिये, सार्वजनिक पैसे के अपव्यय को रोकने के लिये आवश्यक है कि आप अपने स्तर से शासन को निर्देश दें कि तत्काल इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की जाय। लोक लेखा समिति के समकक्ष विधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति का गठन किया जाय जो स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं के लेखों का परीक्षण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। यह औचित्य का प्रश्न है इस पर आपकी व्यवस्था की मांग करता हूं।

* संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

इससे पूर्व कि जो विषय रखा गया, मैं कुछ बात कहूं पहले मैं आपका ध्यान नियम–300 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, कहीं न कहीं तो सीमा निर्धारित करनी होगी, कहां तक ले जायेंगें। कोई विषय कहीं न आता हो नियम–300 में लिखकर ले आयेंगे और उस पर भाषण दे दीजिए। मान्यवर, कहीं कोई सीमा निर्धारित कर दीजिये मेरा आपसे यही आग्रह है।

डा० अशोक बाजपेयी–

आप ही बता दीजिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह–

सीमा लाघेंगे आप । सीमा तो तय मान्यवर, करेंगें । मैं तो केवल अपनी बात रख रहा हूं । औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो, सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा । मेरा अनुरोध यह है कि इस नियम के अन्तर्गत जितने विषय आ सकते हों, उठाने में कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन यदि नियम में नहीं आता है तो उस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । यह नियम–300 की परिधि में नहीं आता है । जहां तक विषय की बात है हमारे यहां सुदृढ़ व्यवस्था पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में है । विधायी और कार्य पालिका का अपना-अपना क्षेत्र है और अपने अपने दायित्व हैं । जिसकी जो जिम्मेदारी है वह उसको निभा रहा है किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण न किया जाय । 1979-80 में लोक लेखा समिति ने एक प्रतिवेदन दिया और उस पर विचार हुआ और विचार के बाद पाबन्दी कैसे लगायेंगे ? यह भी इसका व्यवहारिक पहलू है इसको भी देखें । 56,000 ग्राम सभायें इस प्रदेश में हैं । 70 जिला पंचायतें हैं । सबके बारे में एक टिप्पणी कर दें कि अपव्यय हो रहा है यही सही नहीं है एक तरफ तो गांव सभा बना रहे हैं, ग्राम पंचायत बना रहे हैं कि धन का अपव्यय न हो और इसके लिए सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं जनता के साथ भागीदारी शुरू की, उनको अधिकार दिये जिम्मेदारी जब उनको दी है तो कुछ कदम चलने तो दें,चले हैं नहीं, मजबूत वह नहीं हुए और अभी से अंकुश लगा दें, इसमें मेरा आग्रह है कि यह नियम 300 में नहीं आता है इसको आप निरस्त कर दें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

नियम 300 में नहीं आता है कहां, मैं कहना चाहूंगा कि लोक लेखा समिति में 1979-80 में लोक लेखा प्रतिवेदन गया, 1984 में अधिनियमित किया ।

श्री अध्यक्ष–

उप नियम–(2) को देखें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

लोक लेखा समिति सदन की समिति है । अधिनियम बनाने का कार्य विधान सभा द्वारा ही होता है । विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली से संबंधित समितियों को बनाना समीचीन है । यह समितियां गठित हुई धन का अपव्यय हो रहा है, लोकतंत्र की पारदर्शिता बनी रहे, लोकतंत्र पदच्युत न हो पाए, लोक धन की क्षति न हो लोक धन सामाजिक कार्यों में व्यय हो इसमें लोक लेखा समिति परीक्षण करती है इसमें गम्भीरता से आप विचार कर लें विचार करके आप इसमें निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष–

अशोक बाजपेयी जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इस सूचना को निरस्त करता हूं । सूचना के माध्यम से जो सुझाव आया है वह महत्वपूर्ण है नियम समिति के सामने इसको विचार करने के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा क्योंकि नई समिति के गठन की बात होती है तो नियम समिति इस पर विचार कर लेगी ।

तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री के कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार सम्बन्धी पत्र पर जांच न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

इस सूचना के माध्यम से आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं। विगत सत्र में 25-4-2000 को स्वर्गीय बाबूराम यादव जी, आज हमारे बीच में नहीं हैं, माननीय सदस्य विधान सभा थे उन्होंने एक अभियन्ता संघ का एक पत्र पढ़ा था वह पत्र लोक निर्माण मंत्री तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जी आदरणीय कलराज मिश्र जी के कार्यकाल के समय के संबंध में अभियन्ता संघ द्वारा दिया हुआ था। उस पत्र में बहुत गम्भीर आरोप लगाये गये थे। जब वह पत्र इस माननीय सदन के समक्ष पढ़ दिया गया और वह विधान सभा की सम्पत्ति हो गया तो आज भी प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि उस गम्भीर पत्र में लगाये गये आरोपों का क्या हुआ, उसकी जांच हुई या नहीं हुई। जांच क्यों नहीं हुई। यह प्रश्न यह सदन और इस प्रदेश की समूची जनता जानना चाहती है यह विषय कार्यवाही का अंग है जो 25-4-2000 को पढ़ा गया। 27-4-2000 को पूर्व लोक निर्माण मंत्री कलराज मिश्र ने कहा उसका एक अंश मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। "मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो एजेन्सी उपयुक्त समझें जांच करा लें यह सार्वजनिक हानि हुई है" तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जी ने उस पत्र की जांच की हो जो अभियन्ता संघ ने गम्भीर आरोप लगाए हैं दुबारा मैं उस पत्र की भाषा पढ़कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन निश्चित रूप से यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर चलता है वह भी कहा गया कि मुख्यालय से कमीशनखोरी होती है। तो मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो सदन की सम्पत्ति बन गया और उसमें जांच होनी आवश्यक थी तो जांच क्यों नहीं हुई। उसमें जांच कराई जाय।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष, औचित्य के प्रश्न के रूप में यह प्रश्न कहीं से भी नहीं आता है। जो बात कही गयी है, कार्यवाही मेरे समक्ष भी है, माननीय बाबू राम जी ने अनेकों बार कहा कि कोई आरोप नहीं है, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। यह पत्र है मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है यह कहा था।

श्री हुकुम सिंह–

उन्होंने यह कहा था कि मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। आपने निर्देश दिये कि यह प्रमाणित नहीं है पहले इसे प्रमाणित कीजिये। कोई प्रमाण सदन के समक्ष या आपके समक्ष नहीं आया। जो यह कहा गया कि यहां पर यह प्रकरण आया है यह सदन की सम्पत्ति हो गया। तो वह यहां पर आयेगा तो सदन की सम्पत्ति तो हो ही जायेगा। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने बड़े साहस के साथ कहा था कि इसकी जांच करा लें। अपनी ईमानदारी का सबूत इससे ज्यादा वह और क्या दे सकते थे। माननीय बाबू राम जी ने कहा कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह तो मंत्री जी का मारल था जो उन्होंने कहा कि जांच करा लीजिये। फिर इस मामले का पदाक्षेप हो गया था। आज यह फिर रिओपेन हो रहा है और यह कह रहे हैं कि यह औचित्य का प्रश्न बनता है तो यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि माननीय मंत्री जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है लेकिन जो पत्र पढ़कर सुनाया है वह तो कार्यवाही का अंग बन गया है। अब यह सदन की जिम्मेदारी बनती है कि जो आरोप कहे गये हैं चाहे किसी के भी खिलाफ हो, यह विषय महत्वपूर्ण हो

जाता है । तो इसके लिए इस आधार पर कार्यवाही का अंग हो गया और सदन की सम्पत्ति हो गया । आगे आने वाली पीढ़ियां इस पत्र का हवाला पढ़कर कार्यवाही करेंगी और यह देखेंगी कि इतने गम्भीर आरोप थे फिर भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई सदन ने क्या किया । इस प्रकरण का पटाक्षेप इसलिए हो गया कि अभियन्ता को यहां पर बुलाया गया था.....

श्री अध्यक्ष–

मैं सारे अभिलेखों का अवलोकन कर लूंगा । एक जगह भाषण में उन्होंने कहा है कि "मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो एजेन्सी उपयुक्त समझें जांच करा लें । यह सार्वजनिक होने जा रहा है" यह अनुरोध उन्होंने सदन से किया था या किसी और से किया था ? इस प्रश्न पर आपको और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं । मैं अभिलेख देख लूंगा । यदि आश्वासन समिति या किसी समिति में भेजने की आवश्यकता हुई, तो उसे भेजा जा सकता है ।

श्री हुकुम सिंह–

आप विचार कर लें । जहां तक आश्वासन समिति का सवाल है तो जब सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आता है तभी उसे आश्वासन समिति को संदर्भित किया जाता है । उन्होंने तो यह कहा कि आप जांच करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने सदन में कहा था कि जो एजेन्सी उपयुक्त समझें जांच करा लें । अगर आश्वासन में नहीं आता है तो दूसरी समिति में....

श्री हुकुम सिंह–

आपने बड़े विस्तार से कहा है कि आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़ेंगी । 289-क भी पढ़ेंगी यह मैं कहना चाहता हूं । इस नियम में पूरी प्रक्रिया दी हुई है आरोप लगाने की ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, पीठ की व्यवस्था आ गयी अब उसके बाद अपनी बात कहना यह तो सबसे बड़ा औचित्य का सवाल है ।

श्री हुकुम सिंह–

आपसे अनुमति मांगी । आपने अनुमति दे दी । जब भी आप व्यवस्था दें इन पर आप विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था देते समय नियम–289-क पर भी ध्यान दे दूंगा ।

प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान सूची पर लाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की प्रदेश के लगभग 3800 जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान सूची पर लाये जाने के संबंध में है यह नियम–300 में नहीं आती है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

श्रीमन्, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 45 में उल्लिखित है–राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा ।" मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने संविधान की इस मंशा को क्रियान्वित करने का संकल्प इस सदन में प्रस्तुत महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में लिया है । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह कहा गया कि "प्राथमिक शिक्षा के

सार्वभौमिककरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मेरी सरकार अपने संवैधानिक दायित्व को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्प है । भारत सरकार के सहयोग से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा सुलभ कराने के लिए प्रदेश स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान चलाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है ।" इसी प्रकार मा० वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ 33 पर कहा है कि "भारत सरकार के सहयोग से 14 वय वर्ग तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा सुलभ कराने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक किमी० की परिधि में स्कूल/वैकल्पिक स्कूल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।" मान्यवर, प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो प्रदेश में माध्यमिक विद्यालय हैं 68 माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–300 में नहीं आता है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

किन्तु प्रदेश के 3800 जूनियर हाईस्कूलों में से एक भी जूनियर हाईस्कूल को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया गया है । जबकि इन विद्यालयों के 40,000 अध्यापक 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं । प्रदेश सरकार का यह निर्णय संविधान की भावना और उसके द्वारा घोषित नीति के विपरीत है । इसलिए कि संविधान के उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में चल रहे 3800 जूनियर हाईस्कूलों को भी अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव को सुनने के पश्चात चूंकि यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है, मैं इसको निरस्त करता हूं ।

शासन की नीतियों के विरुद्ध कतिपय मंत्रियों द्वारा घोषणायें किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

चौथी सूचना माननीय जगदम्बिका पाल और माननीय प्रमोद कुमार जी की है ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं । मैं समझता हूं कि आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 163 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल जी को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् का गठन होता है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अन्तर्गत राज्य मंत्रिपरिषद् का गठन होता है ।

श्री अध्यक्ष–

कब घोषणा कर दी ? कहां घोषणा कर दी ? सदन के अन्दर कर दी या सदन के बाहर कर दी आपने कहीं यह नहीं दिया, न ही तिथि दी है, न कुछ दिया है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपकी अनुकम्पा मुझ पर सदैव रही है, अभी तो हमने संविधान का उल्लेख किया है।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इन्होंने कहा है कि आपकी अनुकम्पा रही है, उसका यह परिणाम है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आपकी अनुकम्पा है, जिसके कारण हम यहां पर हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण लेते हुए इस बात को कहा है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, वह आपकी कृपा से वहां बैठे हैं।

मान्यवर, स्वाभाविक है कि मंत्रिपरिषद् उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश की जनता के समक्ष मंत्रिपरिषद् के उस सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन किया। उन्होंने घोषणा की मंत्रिपरिषद् के रहते हुए कहा कि हमारे किसान प्रदेश का गठन नहीं हुआ है उसके लिए उन्होंने एक समिति भी बनाई जिसकी अध्यक्षता वह स्वयं कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद् में रहते हुए कोई घोषणा करता है तो वह उसकी व्यक्तिगत घोषणा नहीं है। इस तरह से माननीय मंत्रीगण अपने मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में जिसके लिए वह सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना है उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इसका संज्ञान लें। इसी तरह से ऊर्जा मंत्री का बयान आया है उन्होंने सरकार की नीति के विपरीत कुछ घोषणायें की हैं इससे पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति बन रही है। यह औचित्य का प्रश्न बनता है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इसको औचित्य के रूप में स्वीकार करें।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं सिर्फ 164(2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है यह बात आ गयी। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त से बंधी हुई है और इसी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के नाते हम इनको सरकार कहते हैं और हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। एक मंत्री का कथन सरकार का कथन माना जाता है। जब से यह भारत का संविधान बना है तब से यह माना जा रहा है।

मान्यवर, सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला जोडतोड़ कर बहुमत बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा है कि यह अस्पष्ट है इसीलिए आपने अगुवाई पाल जी को दे दी क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें क्या कमजोरी है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, दलबदल की याचिका आपके सामने जब तक रहेगी और मैं याची रहूंगा तब तक मैं कहूंगा कि दलबदल हुआ है।

* कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

दलबदल नहीं हुआ है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इनका हाल यह है कि यह कैलेण्डर की भांति बदल जाते हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं है। इन्होंने सभी दलों की सेवा की है। इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहना चाहता हूं कि चूंकि दलबदल करके यह सरकार बनाई गयी है । बहुत से दल जो भारतीय जनता पार्टी को अंधकार में देख रहे हैं इसलिए वे निकलकर सीधे जनता में ऐसी बात रख रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल जाते हैं । यह सरकार की हालत ऐसी है एक पत्नी की तरह है जिसके कई पति हैं इसलिए इस सरकार की यह स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष–

किसने कहा, कब कहा, कहां कहा, माननीय मंत्री जी ने क्या घोषणा की

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [× × ×] अब मैं विषय पर आ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इसका मतलब यह कि अब तक जो आपने कहा, वह विषय से अलग कहा है, उसे हटा दिया जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपने ही तो कहा कि तथ्य बता दो, मैं तो तथ्य बता रहा था । मान्यवर, सामूहिक उत्तरदायित्व से सरकार बंधी है और संविधान से ऊपर यह सरकार नहीं चल सकती । आप मंत्रियों को निर्देश दें कि जो भी नीतिगत बयान दें वह वही होने चाहिए जो सरकार का बयान हो । आपने कहा कि यह उनके निजी विचार हो सकते हैं । मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि नीतिगत विचार किसी के निजी विचार नहीं हो सकते । यदि उन्हें निजी विचार देना है तो मंत्रि परिषद् से अलग होना पड़ेगा । मान्यवर, आप जानते हैं कि मैं आपका कितना आदर करता हूं और निश्चित रूप से यह नियम 300 के लिए सबसे उचित विषय है ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई मंत्री इस मंत्रि-परिषद् का, मंत्रि-परिषद् के विरोध में कोई बयान नहीं दिया है । हम संविधान के अनुच्छेद 164 (2) से बंधे हुए हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है । प्रभु जी की एक पीड़ा थी, ऐसे बैठे हैं, इनके कई पति हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि जो बिना पत्नी के बैठे हैं, इनका क्या हाल होगा, यहां तो कुछ है, वहां तो कुछ है ही नहीं। मैं आपसे केवल इतना आग्रह करना चाहता हूं कि औचित्य के प्रश्न की आड़ में अनावश्यक क्लेम करना, अनावश्यक दोषारोपण करना ठीक नहीं है । नियम 300 की भी कुछ परिधि रहनी चाहिए, यह नियम 300 में आता नहीं, इसलिए निरस्त किया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इन्होंने एक चीज तो स्वीकार कर ली, अगर संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ और बताना चाहते हैं तो बता दें, यह स्वीकार कर लिया कि हमारे दो हैं, एक तो मुझे मालूम है, दूसरे कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 300 में नहीं आती, इसलिए निरस्त की जाती है ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान भवन के प्रवेश द्वार पर वाहनों की भीड़ से यातायात अवरुद्ध होने तथा प्रदेश में निर्माण कार्यों के शिलान्यास लोकार्पण के अवसर पर भूतपूर्व लोक निर्माण मंत्री के नाम से पत्थर लगाये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

श्री राम अचल राजभर की सूचना निरस्त हो गयी है और मैंने इसे नियम–51 में ले लिया है। अगली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है, इस पर हम बैठक कर लेंगे। अगली सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है यह नियम–51 में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है।

दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को अतारांकित प्रश्न संख्या–145 का गलत उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री राम ललित चौधरी की है जो दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को अतारांकित प्रश्न संख्या–145 का गलत उत्तर दिये जाने के संबंध में है। आप इसकी सूचना नियम–165–166 में दे दें कि यह गलत उत्तर है। उत्तर गलत है या नहीं, इसका परीक्षण होगा।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, औचित्य के रूप में सुन लें। मान्यवर, मनमाने ढंग से वर्ष 99-2000 में बस्ती शुगर मिल और बाल्टरगंज शुगर मिल में कम्प्यूटर खर्च के रूप में और पासबुक के नाम पर भारी कटौती की थी। 491778 रुपये कम्प्यूटर खर्च के रूप में किसानों से काटा गया और पासबुक के नाम पर 10 लाख रुपये काटा गया। वाटरगंज में 7 लाख 70 हजार कम्प्यूटर खर्च में और 4 लाख 99 हजार पासबुक के लिए काटा गया। आप जानते हैं कि समितियों में पासबुक का कोई औचित्य नहीं है और इन दोनों समितियों में कम्प्यूटर भी नहीं लगे हैं तो कम्प्यूटर के नाम पर कटौती का कोई औचित्य नहीं है। मंत्री जी ने कहा है कि कटौतियां कम्प्यूटर की स्थापना और पासबुक दिये जाने हेतु की गयी है। कई समितियों की आर्थिक स्थिति खराब है उसकी सरकार बहुत हिमायती है तो समितियों की आर्थिक स्थिति बहुत दिनों से खराब है और पूरे प्रदेश की समितियों ने लगभग 34 करोड़ रुपया खा लिया है या उपयोग कर लिया है अगर सरकार हिमायती है तो यह जो 34 करोड़ रुपया समितियों ने उपयोग कर लिया है उसे दे दे। मान्यवर, इस पर आप व्यवस्था दें जो पैसा कम्प्यूटर और पासबुक के नाम पर काटा गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं। आप इसकी सूचना निदेश 165-166 में दे दें, उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, बंगलादेश की घटना के संबंध में.....

श्री अध्यक्ष–

इस संबंध में हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक पर विचार कर लेंगे।

सहारनपुर से निकलने वाली हिन्दुस्तान की सबसे पुरानी नहर की खुदाई करवाये जाने विषयक सूचना

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के हों जो लोग भी पूर्वी यमुना नहर के अन्तर्गत आते हैं उनकी हाय सुनी नहीं जा सकती, इतनी बुरी हालत है। यह नहर हिन्दुस्तान की सबसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुरानी नहर है और यह तकरीबन 1718 में बनी और 204 कि०मी० लम्बी नहर है, 935 रजबहे हैं, 2.5 लाख वर्ग हैक्टेयर जमीन की सिंचाई करती है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पिछले 4 साल से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। यह ताजेवाला से निकलती है जो सहारनपुर के करीब है। इस साल बिल्कुल एक बूंद पानी इसमें नहीं आया। सरकार ने कहा कि हम खुदाई करवा रहे हैं, खुदाई करवा देंगे तो पानी टेल तक पहुंच जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

एक लिखित सूचना दे दीजिए ताकि सरकार उत्तर दे सके। आप मौखिक रूप से कह रहे हैं, सरकार को जानकारी नहीं है और इस समय सिंचाई मंत्री जी भी नहीं हैं कैसे आपकी बात का उत्तर आयेगा। जो संगत नियम है उसके अन्तर्गत सूचना दे दीजिए।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं लिखकर दे देता हूं।

प्रदेश में अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को समुचित सहायता दिये जाने विषयक सूचना

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में अग्निकाण्ड हो रहे हैं। आपके जनपद में एक आदमी की मृत्यु हो गयी, खीरी में 3 बच्चियों की मृत्यु हो गयी, लखनऊ में मलिहाबाद का बंशगढ़ी गांव पूरा जल गया परन्तु कोई अहेतुक सहायता नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित सूचना दे दीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने सूचना दी थी लेकिन लिया नहीं गया।

श्री अध्यक्ष–

कल दे दीजियेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अग्निकाण्ड हो रहे हैं लेकिन कोई सहायता नहीं दी जा रही है। टी०आर०–27 से जिलाधिकारी भी कोई सहायता नहीं दे रहे हैं। लोग खुली छत के नीचे रह रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी अग्निकाण्ड हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

अगर माननीय विधायक के क्षेत्र की कोई समस्या है उनके बारे में निर्णय लिया गया था कि नियम–51 की सूचनाओं के बाद माननीय सदस्य को सुन लिया जायेगा या तो नियम–51 आये तब तक प्रतीक्षा कीजिए या फिर लिखित सूचना दे दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पाल साहब जो बात कह रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

यह हमेशा महत्वपूर्ण बात ही करते हैं। सरकार भी इनकी बात को ध्यान से सुनती है लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया है।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जो विषय पाल साहब उठाते हैं, उसमें प्रमोद जी क्यों खड़े हो जाते हैं और उनका विषय चुरा लेते हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो 1500–1500 रुपये की सहायता दी जाती है वह भी नहीं दी जा रही है....

श्री अध्यक्ष–

आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को लिखित सूचना भिजवा दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

जिनके घर जले हैं उनका इन्दिरा आवास का आवंटन अवश्य किया जाय ।

दिनांक 27 अप्रैल, 2001 को डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास राज्य मंत्री का शोधन वक्तव्य

* ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह पटेल)–

मान्यवर,मैं आपकी आज्ञा से दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संबंध में उ० प्र० विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या–44(1) के अन्तर्गत मैं शोधन वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इसको पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के संबंध में श्री अशोक बाजपेयी, मा० सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "मान्यवर,मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि इन योजनाओं का आउटपुट क्या है ? अब तक इन योजनाओं के माध्यम से कितने कुटीर उद्योग स्थापित हुए हैं और कितने लोगों को रोजगार मिल सका है ? आप जो भी बात कह रहे हैं वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है वास्तविकता में कोई कार्य नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई योजना बनाने जा रहे हैं जिससे कुटीर उद्योग लग सकें और लोगों को रोजगार मिल सके ? मान्यवर, मैंने बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछा है और उसका उत्तर चाहता हूं ।

2—उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अन्तर्गत 41,436 व्यक्तियों को, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत 36927 मानव दिवस को सृजित किया गया था । अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत 1,06,779 इसी प्रकार से विकलांग कल्याण विभाग से 25, अल्पसंख्यक से 36, समाज कल्याण के द्वारा 1,291, पशुधन विभाग द्वारा 360, इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा 110 लोगों को लाभान्वित किया गया ।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है :—

स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 41,436 व्यक्तियों को, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत 369.27 लाख मानव दिवस को सृजित किया गया । अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत 1,13,041 इसी प्रकार से विकलांग कल्याण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विभाग से 30, अल्पसंख्यक से 3890, समाज कल्याण के द्वारा 98398, पशुधन विभाग द्वारा 360, इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा शून्य लोगों को लाभान्वित किया गया ।

4–मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर की प्रतियां संलग्न हैं ।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के लिए डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए क्या सरकार गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ?	गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्व-रोजगार तथा मजदूरी परक विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं ।
यदि हां, तो वह योजना क्या है ?	रोजगार के सतत् अवसर उपलब्ध कराने हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना मुख्य रूप से संचालित है । इनके अन्तर्गत क्रमशः गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले तथा अन्य बेरोजगार व्यक्तियों को बैंक ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है ।
	इसके अतिरिक्त जवाहर ग्राम समृद्धि योजना व सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी परक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं ।
यदि नहीं, तो क्यों	प्रश्न नहीं उठता ।]

पूर्व विधायक श्री भीमा प्रसाद यादव की मृत्यु की सूचना विधान सभा सचिवालय को प्राप्त न होने के प्रकरण पर श्री अध्यक्ष का निर्देश

* श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री भीमा प्रसाद यादव का देहांत 8 महीने पहले हो गया है । मगर आज तक उनके निधन की सूचना नहीं आयी है । मान्यवर, श्री यादव आजमगढ़ से कई बार सदस्य निर्वाचित हुए हैं । मैं चाहूंगा कि ऐसे दोषी अधिकारियों को आप दंडित करें ।

श्री अध्यक्ष–

हमें, जब जिलाधिकारी के माध्यम से पुष्टि हो जाती है तब यहां पर निधन के निर्देश की सूचना दी जाती है । जिलाधिकारी से पूछ लिया जायगा कि उन्होंने अभी तक सूचना क्यों नहीं दी, यह उनका कर्तव्य था ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव † (क्रमागत)

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो 66 पृष्ठों का है, शब्दों का जाल है वह यहां पर महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है । श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हुआ करता है वह सरकार की नीतियों के संबंध में हुआ करता है लेकिन श्रीमन् इस दस्तावेज में प्रदेश की बहुत सी समस्यायें हैं जिनसे प्रदेश की जनता त्रस्त है, किसान दुखी है,आम आदमी की जिन्दगी दूभर है विद्यार्थी परेशान हैं और अधिकारी राज चल रहा है । इन सारी की सारी बातों का निराकरण किये जाने का उसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है श्रीमन्, इसलिए मैंने ठीक ढंग से उस फर्जी दस्तावेज को पढ़ने के पश्चात् 47 बिन्दुओं पर संशोधन प्रस्तुत कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने संशोधन पढ़ दीजिये ।

श्री धनीराम वर्मा–

संशोधन कल मैंने पढ़ दिये हैं । कल मैंने 47 बिन्दु सदन के समक्ष रख दिये हैं । मान्यवर, इन बिन्दुओं के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि यदि इन बिन्दुओं पर अमल नहीं किया गया तो आगामी वर्ष के लिए जो महामहिम राज्यपाल द्वारा नीति घोषित की गयी है उससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला है । श्रीमन्, कहा गया है कि कानून व्यवस्था को चुस्तदुरुस्त बनाया जायगा । मैं कहना चाहता हूं कि आज सारे प्रदेश में कानून और व्यवस्था (इस समय । बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए) पूरी तरह से जर्जर है और बैठ गयी है । कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । सारे प्रदेश की बात तो श्रीमन्, दूर रही, लखनऊ में, राजधानी में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है । रिवर बैंक कालोनी में वी० आई० पी० की हत्या कर दी गयी । एक डाक्टर की निमर्म हत्या कर दी गयी और लखनऊ में ही परिवार कल्याण के निदेशक की हत्या हो गयी । आज घरों में घुसकर हत्या की जा रही हैं । यह प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है और यहां पर ऐसी गंभीर घटनायें हो रही हैं । हमारे माननीय सतीश शर्मा जी कह रहे थे कि गाजियाबाद में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । इतना ही नहीं लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार की हत्या हो गयी । सी० जे० एम० लखीमपुर खीरी में खींचकर मारा गया और उनके साथियों को लूट लिया । यह सारी घटनायें हो रही हैं इससे साबित हो रहा है कि इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । आप देखें कि यह सब क्यों हो रहा है भा०ज०पा० की सरकार अपराधियों को शरण देती है जिससे अपराधी निडर हो गये हैं । मान्यवर, तिकुनियां में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता को गोली मार दी गयी, हत्या कर दी गयी । उसकी सी०आई०डी० जांच शुरू हुई लेकिन कोर्ट के आदेश से सी०आई०डी० जांच खत्म कर दी गयी । इस घटना के अपराधियों को नहीं पकड़ा गया । तो जब अपराधियों को शरण भा० ज० पा० के नेता देंगें तो कैसे अपराध में कमी आयेगी । मान्यवर, कानपुर देहात में गांव भोलापुर, थाना रसूलाबाद में एक महिला प्रधान का चुनाव जीत कर आयी थी उसके पति की हत्या कर दी गयी । दूसरे प्रभावशाली लोग प्रधान होते रहे हैं उन्हें यह गंवारा नहीं हुआ कि यह प्रधान रहें इसलिए उनकी निर्मम हत्या कर दी गई । इसकी नामजद रिपोर्ट है । मैंने स्वयं लिखकर दिया मुख्यमंत्री जी को भी लिखकर दिया जब पिछला सत्र चल रहा था । मैने डी० जी० पी० को भी लिखकर दिया उनका लेटर भी आया कि 15 दिन के अन्दर एस०पी० कानपुर देहात कार्यवाही करके इसकी जांच करके अवगत कराएंगे लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । एस० पी० कानपुर देहात आज तक कोई सूचना

नोट :– † दिनांक 23 अप्रैल, 2001 की कार्यवाही से ।

डी०जी०पी० को नहीं दी है । न ही अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है । मुख्यमंत्री कार्यालय को लिफाफा दिया उस पर क्या कार्यवाही हुई उसकी भी कोई जानकारी नहीं है ? क्योंकि इसके पीछे एक स्थानीय विधायक का पूरा-पूरा हाथ और संरक्षण है । जिसके कारण एस०पी० गिरफ्तार नहीं करवा रहे हैं और थानाध्यक्ष को यह हिदायत दे रखी है कि इसकी सी०आई०डी० जांच करवा लो । सी०आई०डी० जांच हो जायेगी तो मामला लटक जायेगा । इसलिए लोग लगे हुए हैं इस तरह की जहां कानून व्यवस्था हो जहां गरीबों को प्रताड़ित किया जाता रहे चाहे बाराबंकी की घटना हो जिससे आप भी अवगत होंगे वहां पर दलित जाति के लोग तालाब से मछली मारकर अपनी रोजी-रोटी चलाते थे कुछ असरदार जाति के लोगों ने मैं नाम नहीं लेना चाहता मुख्यमंत्री जी अवगत होंगे उन दलित जाति के लोगों पर जुल्म किया तेजाब डाला उनकी कोई सुनने वाला नहीं है । इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है । चूंकि 47 बिन्दु है मैंने एक ही बिन्दु पर अपने विचार रखे हैं अन्य पर भी मुझे अपने विचार रखना है इसलिए संक्षेप में कहना चाहता हूं । यह सारी घटनाएं जो घटित हो रही है प्रदेश में जो उत्पीड़न हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, गरीब किसान, मजदूर छात्रों पर हम लोग किस तरह से उसकी अनदेखी कर सकते हैं। उसके खिलाफ निश्चित रूप से हम संघर्ष करते रहेंगे, कर रहे हैं और सदन में भी अवगत करायेंगे । अगर मुख्यमंत्री जी अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन अपराधियों पर जिन्होंने शोषण किया है, प्रताड़ित किया है उनको दंडित करने की कार्यवाही करें । मैं एक उदाहरण दूंगा कितना प्रशासन चुस्त-दुरूस्त है, क्या अधिकारी राज नहीं है इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि जो अधिकारी रिपोर्ट दें उसी की डिटो न कर दें । इसी सदन में जब पिछला सदन चला था तो मैंने एक प्रकरण रखा था । श्रीमन् प्रकरण यह था कि हमारे जनपद औरया के तहसील विधूना के एस०डी०एम० ने विद्यालय का शिलान्यास किया । सारे जी० ओ० जिसमें लिखा है कि कोई भी अधिकारी उद्घाटन नहीं कर सकता है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि इस प्रकरण पर कार्यवाही की जायगी । यह सब मजाक बनकर रह गया है । अधिकारी जो लिख देगा मुख्यमंत्री उसी पर दस्तखत कर देंगे और मान लेंगे सही है । इस प्रकरण पर जांच हुई जांच के बाद यह 26 सितम्बर, 2000 का दैनिक जागरण है फोटो सहित उद्घाटन करते हुए एस०डी०एम० उनका वक्तव्य भी छपा है कि "शिक्षा के बिना समाज और देश का विकास सम्भव नहीं है" और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि कार्यवाही की जायेगी लेकिन कार्यवाही क्या होती है कि एस०डी०एम० पर आरोप है और जांच कराई जा रही है तहसीलदार से । डी०एम० डिटो करते है और मुख्यमंत्री जी उस पर दस्तखत करते हैं पास हो जाता है । इसमें लिखा है कि श्री त्रिपाठी डिप्टी कलक्टर जनपद औरेया द्वारा ग्राम जगतपुर में विद्यालय का शिलान्यास करना और शासनादेशों की अवहेलना करना । इस पर जिलाधिकारी औरैया की आख्या भी प्राप्ति कर ली गई और उन्होंने कहा कि स्थानीय जांच तहसीलदार से कराई गई और इस पर माननीय मूख्यमंत्री जी के दस्तखत हैं । इसमें लिखा हुआ है मैं पूरा पढ़े देता हूं । प्रश्नगत मामले की स्थानीय जांच तहसीलदार द्वारा कराई गई ग्राम जगतपुर में प्राइमरी पाठशाला का शिलान्यास ग्राम प्रधान शिवदयाल के साथ एस०डी०एम० ने शिलान्यास किया । इसमें बयान भी दिया है । क्या मैं झूठा हूं । तहसीलदार सही हो गया डी० एम० सही हो गया । मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी अधिकारी लोगों द्वारा आपको गुमराह करके गलत सलत सूचनायें लिखकर भेज रहे हैं । कोई भी मुख्यमत्री हो कार्यव्यस्तता रहती है लेकिन श्रीमन् मेरा ही प्रश्न था । कोई भी नेता विरोधी दल हो उसी को प्रश्न भी हो तो कम से कम ऐसे कुछ प्रमुख मामलों को तो समय निकालकर दृष्टिपात कर लेना चाहिए जिससे गलत सलत सूचनायें न आया करें । बस इतना सरकार की तरफ से बयान आ जाता कि गलती हो गई। गलतियां तो होती ही रहती हैं हमारी भी बात रह जाती । शासनादेश के परिपालन में अगर कोई सदन से कोई बात उठाता है तो इस तरह से उसके साथ इस तरह करना ठीक नहीं है । इसमें कुछ बनता बिगड़ता नहीं है । श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से यह किस तरह से शासन अधिकारी लोग चला रहे हैं और किस तरह से अनदेखी मुख्य मंत्री और मंत्री महोदय कर रहे हैं । यह सब इन सब

बातों से मालूम हो जाता है । आगे जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं वह कानून व्यवस्था से जुड़ी है । उद्योग किसी भी देश और प्रदेश में तब ही पनपेंगे, कोई उद्योगपति तब ही अपनी पूंजी निवेश करेगा जब वहां पर कानून व्यवस्था ठीक होगी, शांति होगी । अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो कोई भी पूंजीपति अपना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा । कोई भी उद्योगपति वहां उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं होगा । यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में जितने भी उद्योग हैं लगभग चौपट हो गये हैं । नये खुलने की तो बात दूर रही ! चाहे सूत उद्योग हो या अन्य उद्योग हो, सारे उद्योग धीरे-धीरे चौपट हो गये हैं इस कानून व्यवस्था के चलते । कानून व्यवस्था इनकी ध्वस्त होती चली जा रही है । कानपुर में लगातार व्यवसाइयों या उद्योगपतियों के अपहरण हो रहे हैं । गाजियाबाद में उद्योगपतियों के अपहरण हो रहे हैं । आज ही अखबार में आया है कि कानपुर में एक उद्योगपति का अपहरण हो गया और उसके बाद 30 लाख की फिरौती मांगी गई है । जब उद्योगपतियों का अपहरण होगा 30/50 लाख फिरौती मांगी जायेगी तो कौन सा उद्योगपति होगा जो उत्तर प्रदेश में जहां की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, अपनी पूंजी लगाने के लिए तैयार हो जायेगा ।

श्रीमन्, आज जहां उत्तर प्रदेश उद्योग शून्य होता चला जा रहा है यह बड़ा ही चिन्तनीय विषय है । जहां बहुत से लोगों को रोजी-रोटी मिलती थी उद्योगों में काम करने पर आज उनकी रोजी-रोटी भी छिन गई । कौन कौन सी मिलें कानपुर में बन्द हो गयी हैं । वेतन कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है । काम नहीं तो दाम कैसे मिलेगा । मालिक कब तक पैसा देगा बिना काम के । यह सारी समस्यायें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उद्योगों के बढ़ावे के लिए प्रदेश में उद्योग स्थापित हों । निश्चित तरीके से कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त की जाय, उद्यमियों को सुविधायें दी जाएं उनको आकर्षित करने का काम किया जाय । तब इस प्रदेश का कुछ कल्याण सम्भव हो सकता है ।

श्रीमन्, इसी से लगा हुआ प्रश्न है कृषि का । श्रीमन्, कृषि हमारे देश और प्रदेश का मुख्य धन्धा है और इस पर हमारे देश और प्रदेश की 70 प्रतिशत जनता जुड़ी है । आज के आंकड़ों के हिसाब से यह प्रतिशत बढ़कर 75 हो गया है । आबादी बढ़ी है लेकिन खेती रबर की तरह नहीं बढ़ाई जा सकती। आबादी बढ़ने के साथ-साथ स्थिति यह हो गयी कि खेती करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है । दूसरे देशों में यह संख्या कम होती जा रही है । विकसित देशों में खेती करने वालों की संख्या कम है वे धनी और धनाढ्य हैं । हम विकासशील हैं वे विकसित हैं । खेती के लिए क्या हो रहा है,यह हो रहा है कि विदेशी कम्पनियां विदेशी लोग और विश्व बैंक प्रतिबन्ध लगा रहा है । मगर हिन्दुस्तान की सरकार खेती पर सब्सिडी देगी और खेती में जो चीजें खेती के काम में लगायी जाती हैं चाहे बिजली हो, खाद हो, बीज हों इन पर सब्सीडी दी जायेगी । निश्चित तरीके से विदेशी सहायता नहीं देगी, विश्व बैंक सहायता नहीं देगा । विदेश में गेहूं का उत्पादन मूल्य लगभग 150 डालर पर मीट्रिक टन और आपके यहां लगभग 200 डालर मीट्रिक टन है । उनकी लागत कम है इसलिए कम है क्योंकि वहां की सरकारें सब्सिडी देती हैं । यहां तक कि जापान 67 प्रतिशत अपने कास्तकारों को सब्सिडी दे रहा है । जो लागत है किसानों की जितना खेती पर लगता है उसकी 67 प्रतिशत सब्सिडी दे रहे हैं हमारे यहां 18–20 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दो प्रतिशत भी नहीं आता है । इतना अन्तर होगा तो क्या हालत होगी । आज जनसंख्या बढ़ रही है । श्रीमन् 1.9 के हिसाब से सारे देश और प्रदेश में, और 1.7 खेती का उत्पादन बढ़ रहा है क्या होगा निकट भविष्य में । खाद्यान की कमी होगी । जैसे बंगाल में अकाल पड़ गया वही हाल होगा । आज एक्सेस जरूर है खाद्यान लेकिन कल क्या होगा उसको सोचना चाहिए अगर नहीं सोचेंगे तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से अंधकार में चला जाएगा । इसमें विनाश सुनिश्चित है कोई इसको रोक नहीं सकता है होकर रहेगा । श्रीमन्, जब हम और हमारे साथी विधान सभा में प्रश्न उठाते हैं कि धान का समर्थन मूल्य क्या है समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है श्रीमन्, सरकार उत्तर देती है समर्थन मूल्य मिल रहा है विगत वर्ष चार-पांच गुना धान खरीदा गया,

यहां पर बैठकर यह लोग कहते हैं लेकिन जनता के सामने नहीं कह सकते हैं समर्थन मूल्य देने की जरूरत नहीं पड़ती है जरूरत तो तब पड़ती है जब समर्थन मूल्य से कम कर बिकने लगे । दो साल पहले इस धान को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी सभी विधायकगण जानते हैं जब चावल का मूल्य 740 रुपये था, चावल का समर्थन मूल्य 400–500 रुपये था क्योंकि प्राइवेट में 770–890 बिक रहा था इसलिए किसान को समर्थन मूल्य की जरूरत नहीं थी वह खुले बाजार में बेचते थे । आज समस्या यह आ गयी है कि जो चावल लेवी का है वह 870/- की दर से कर रखा है लेकिन खरीदा नहीं गया अभी मिल मालिकों के यहां पड़ा है । फर्रुखाबाद के चावल की गाड़ी झांसी में खड़ी है जगह नहीं है 100–200 गाड़ियां खड़ी हैं । प्राइवेट की हालत क्या है 650–700 में खरीद लीजिए जो 870–890 रुपये मिलता था उस समय समर्थन मूल्य की आवश्यकता नहीं थी अब मिल मालिक खरीदने को तैयार नहीं है तो काश्तकार क्या करेगा ? अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं यहां पर जो उत्तर दिया गया है, कल हमारे खाद्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा था कि विगत वर्ष मई, जून, 2000 का जो केहूं खरीदा गया उसका कोई पैसा बकाया नहीं है । श्रीमन्, मैंने कहा कि बकाया है, धान का, गेहूं का बकाया है । कल मैंने मौखिक कहा था आज मैं लिखित रूप में दे रहा हूं । मेरे पास अनेकों लोगों ने लिखकर भेजा है । हमारे पास बहुत सारे लेटर हैं । मैं कुछ पढ़कर सुना रहा हूं । एक किसान सेवा सहकारी समिति, रायपुर, बिलपुरी, पूरनपुर में है वहां के इंचार्ज लिख रहे हैं कि विधायक जी निवेदन यह है कि रायपुर बिलपुर समिति ने गेहूं क्रय केन्द्र द्वारा गत वर्ष जो गेहूं खरीदा गया उसका 35 लाख का बकाया है । उस अधिकारी की सील लगी है, हस्ताक्षर हैं और खाद्य तथा रसद मंत्री जी कह रहे हैं कि बकाया नहीं है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह समिति ने लिखा है ?

श्री धनीराम वर्मा–

यह समिति ने लिखा है लेकिन यह किसानों का बकाया है । मुख्त्यार सिंह, अनूप सिंह, सरवन सिंह, परम लाल इत्यादि का लाखों रुपयों का बकाया है । इसमें सब काश्तकार के दस्तखत हैं । मैं फोटो कापी आपके पास भिजवा दूंगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं जानकारी के लिए यह पूछना चाहता हूं कि यह खरीद कब की गयी ?

श्री धनीराम वर्मा–

यह गत वर्ष मई, जून, 2000 की है । श्रीमन्, यह आरोप लगाया गया था हमारे साथियों द्वारा कि फर्जी आंकड़े दिये जा रहे हैं । मान्यवर, यह सही है कि बिचौलियों का धान गेहूं खरीदा गया किसानों का नहीं खरीदा गया । अखबार में दैनिक जागरण में साफ दिया है । परसों डी० एम० लखीमपुर ने छापा मारा । सेन्टर पर एक दाना भी गेहूं नहीं खरीदा गया और कुल 901 कुन्तल की खरीद दिखा दी गयी । मैं वहां के डी० एम० साहब की तारीफ करना चाहूंगा उन्होंने कहा कि यह हो नहीं सकता है यह गलत है । उन्होंने एस० डी० एम० से जांच करायी । जांच में यह गलत पाया गया । उसमें यह कहा गया है कि कुछ खेत में गेहूं काटा ही नहीं गया है । कुछ ऐसे हैं जिनके पास खेत हैं नहीं । यह सब दिया है । बिचौलियों से खरीदा जा रहा ह, काश्तकार का नहीं खरीदा गया । कल सब लोग कहते थे कि यह झूठ है । जनता इसे माफ नहीं करेगी । श्रीमन्, यही नहीं काश्तकार बिल्कुल मिट गया है । सदन में हम लोगों ने प्रश्न रखा था जब आलू अक्टूबर-नवम्बर के महीने में सड़ रहा था कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा रहा था तो मुख्य मंत्री जी ने शपथ लेते समय यह घोषणा की थी कि हम आलू लंका भेजेंगे । अब उस बात को छह महीने तो हो गये फिर उसके बाद एक महीने पहले यह अभिभाषण की

कापी में लिखा हुआ है कि दस लाख मीट्रिक टन हम दूसरे प्रदेशों को और दूसरे देशों को भेजेंगे तो क्या आप किसी देश से समझौता हुआ है किसी प्रदेश से हुआ है और क्या भेजा गया अथवा नहीं ?

मान्यवर, आलू का काश्तकार, धान का काश्तकार मिट गया गेहूं का काश्तकार पिछली बार मिटा और अब मिटने जा रहा है उसका गेहूं साढ़े चार सौ और पांच सौ रुपये से ज्यादा बिकने वाला नहीं है । ये दैनिक जागरण और अमर उजाला में समाचार निकला है कि साढ़े पांच सौ तक बिक रहा है यह मण्डियों की न्यूज है अब एक कुन्तल पर सारा खर्चा मिलाकर 40 रुपया आता है तो फिर 500 रुपये में कोई व्यवसायी खरीदेगा और फिर बेचेगा वह फ्लोर मिल को तो कुछ तो फायदा देगा अब किसान के सामने समस्या है कहीं लड़के का तिलक है, कहीं लड़की की शादी है और दूसरी बातें पैसों की वजह से किसान परेशान है उसे जल्दी ही गेहूं निकालना है प्रकृति के प्रकोप से बचाना है उसे गेहूं की थ्रेसिंग करनी है अब तो पूर्वी जिलों में और हमारे यहां भी कम्बाइन आ गया है जिससे जल्दी कटाई हो जाता है थोड़ा पैसा लग जाता है आधे से ज्यादा कटाई हो चुकी हो लेकिन गेहूं बिक्री की बड़ी दुर्दशा है । किसी क्रय केन्द्र पर खरीद नहीं हो रही है बी० पी० एल० का गेहूं जो आया उसको बेच दिया गया बिचौलियों ने फायदा उठाया । आज किसान मिटने वाला है वह आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी हालत से आप उसको बचाइये बजट में25 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर आ रहा है आप कहते हैं टैक्स बहुत कम हैं और खर्चे बहुत ज्यादा है । जब उद्योग धन्धे आपके नहीं बढ़ेंगे तो टैक्स कहां से आयेगा । आपका जूट नहीं पैदा होगा, कपास नहीं पैदा होगा तिलहन नहीं पैदा होगा उनकी मिलें नहीं लगेंगी तो टैक्स कहां से आयेगा आप धान पर शुल्क ले लेते हैं मण्डी शुल्क है व्यापार कर है ले लिया जाता है एक कुन्तल पर 23 रुपये खर्चा हो जाता है तो वह मिलेगा कहां से मिलेगा तो तब जब उत्पादन होगा । दलहन पर 4 प्रतिशत दस चौका चालीस, एक हजार का बिकेगा तो 40 रुपये मिलेंगे तो दलहन तिलहन पैदा तो हो और जब पैदा ही नहीं होगा तो आयेगा कहां से । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि पैदावार बढ़ाने की कार्ययोजना तैयार करिये और उसके लिए सिंचाई खाद बीज आवश्यक है । सिंचाई की व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी तब तक उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती है ।

श्रीमन्, बार-बार कहा जाता है कि ट्यूबवेल के लिए सब्सिडी और फला योजना सिंचाई की और यह काम सिंचाई के लिए किया जा रहा है । श्रीमन्, आज़ यहां सदन को बताने की कृपा की जाय कि बुन्देलखण्ड में सिंचाई जो विगत 10 वर्ष के पहले थी आपके कार्यकाल में कितनी बढ़ोत्तरी हुई । यह बात नहीं ठीक है कि फर्जी सिंचाई दे दी गयी नहरों की । आपका लेखपाल सिंचाई नोट करता है पहले यह था कि सींचपाल पर्ची देता था उसके बाद अमीन वगैरा जो होते थे, जिलेदार होते थे वह जांच करते थे कि सिंचाई सही भरी गयी है या नहीं । लेखपाल ने जैसे पर्ची भर ली उसके हिसाब से सिंचाई भर ली और काश्तकार मजबूर हैं देने के लिए और नहीं देता है तो क्या होता है कि घसीटकर ले जायेंगे जैसा प्रदेश में कई जगह हुआ है वसूलने के लिए तहसीलदार नायब तहसीलदार गये हैं और मौतें भी हुई हैं । काश्तकार मजबूर हैं मजबूरी में जो लगेगा उसको देने के लिए मजबूर होगा । यह सारी बातें होंगी तो काश्तकार कहां जायेगा 75 प्रतिशत तो काश्तकार ही है और 10 प्रतिशत खेतिहर मजदूर होता है तो इस तरह से 85 प्रतिशत हो गया इनको कहां आश्रय मिलेगा ? तो सिंचाई की बात मैं कह रहा था अगर बुन्देलखण्ड में खाली सिंचाई की व्यवस्था कर दी गयी होती वहां पर नहर की व्यवस्था की गयी होती बंधे बनाये होते, नदियों का पानी रोका होता तो निश्चित तरीके से सिंचन क्षमता बढ़ती । वहां सूखा पड़ गया, लाहा पैदा नहीं हुआ, मटर चना की पैदावार घटी । एक फसली की पैदावार घट गयी तो अगर पानी मिलने लगे तो उसी बुन्देलखण्ड में 3-3 फसले होने लगे, गन्ना भी हो सकता है दलहन, तिलहन भी हो सकती है, जायद की फसल भी हो सकती है, इतनी अधिक पैदावार हो सकता है और हम इतना ज्यादा निर्यात कर सकते हैं दलहन और तिलहन का, मैं तो कहता हूं कि कपास वहां इतनी

अधिक पैदा हो सकती है क्योंकि बरसात वहां जल्दी खत्म हो जाती है, जहां जल्दी बरसात खत्म हो जाती है जैसे दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश है उसी तरह से वहां से लगा हुआ यह बुन्देलखण्ड है जहां कपास अच्छी पैदा हो सकती है और कपास का निर्यात किया जा सकता है । दलहन तिलहन जो विदेश से आता है उसका आयात भी कम करके हम निर्यात की क्षमता में हो सकते हैं । अगर हमारी मंशा सही है हम कुछ करना चाहते हैं तो ठीक है । हम कुछ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आजादी से लेकर अब तक जो स्थिति रही है अगर उस पर भी हम कायम रहना चाहते हैं तो देश के सामने प्रदेश के सामने अहम समस्याएं पैदा होंगी और ऐसी समस्यायें पैदा होंगी, जिसके लिए हमको आगे आने वाली पीढ़ी अच्छे शब्दों में नहीं पुकारेगी, हमारा इतिहास अच्छा नहीं लिखा जायेगा । हब सबका परम कर्तव्य है, हम सभी इस बात के लिए प्रयास करें और मैं माननीय मुख्य मंत्री, माननीय मंत्रीगणों से निवेदन करूंगा कि हम लोगों का जहां भी रचनात्मक सहयोग लेना चाहें, पूरा-पूरा लिया जाय, हम सब लोग इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं । प्रदेश की प्रगति के लिए, विकास के लिए । बशर्ते सहयोग लेने की कोशिश करें । तमाम स्टैन्डिंग कमेटियां बनी हुई हैं, क्या कभी किसी मंत्री साहिबान ने कोशिश की । विभागों में जो गलतियां हैं, खमियां हैं, कमियां हैं, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के हों, कभी उनसे पूछने का काम किया है । यह कमेटियां इसीलिए बनाई जाती हैं कि विभाग में यदि कोई कमी हो तो उसे दूर किया जाय और कैसे विभाग को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है । यह सब तभी हो सकता है, जब माननीय मंत्रीगण हम लोगों की राय लें और हमारी राय सुनी जाय । यदि इस प्रकार के विचार विमर्श हों तो निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट्स निकल सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि माननीय गंत्रीगणों को अपने काम से फुरसत नहीं, प्रदेश की बात कौन सोचे, कौन किससे राय ले, न इनके अपने कुछ विचार हैं, न समय है । यह बड़ी दयनीय स्थिति है, इस प्रदेश के लिए , जो अत्यन्त घातक है । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं, नदियों की जो तलहटियां हैं, चाहे छोटी नदियां हों, उनकी ऊबड़-खाबड़ जमीन होती है, उनमें ट्यूबवेल नहीं लगाये जा सकते हैं, लेकिन इतना तो किया जा सकता है कि जब अक्टूबर में नदियों में पानी कम हो जाता है तो उनके पानी को रोककर लिफ्ट करके काश्तकार को पानी दिया जा सकता है और सिंचन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है । यमुना, चंबल आदि नदियों में पानी काफी कम है, उन क्षेत्रों में पैदावार भी कम हुई है, वहां इंजन लगाये जा सकते हैं, कई जगह ऐसी है भी ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि किसान को सब्सिडी चाहे बीज हो, चाहे खाद हो और चाहे अन्न उत्पादन के काम में आने वाली और चीजें हों, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे पम्पिंग सेट हो, सभी सब्सिडी दी जानी चाहिए । इस समय 65 प्रतिशत सब्सिडी जापान अपने किसानों को दे रहा है, इतनी तो हमारा प्रदेश नहीं दे सकता, लेकिन 25 प्रतिशत तो अवश्य दी जाय । आप किसान को निरीह बनाना चाहते हैं । विश्व बैंक की बात मानकर, विदेशी लोगों की बात मानकर, विदेशों से सस्ता गेहूं आप खरीदेंगे । मैं तो यह कहता हूं कि कि आप खुद क्यों न सस्ता गेहूं पैदा करिये और बाहर सस्ता भेजिये । जैसे अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि दूसरे देशों को भेज रहे हैं । आप भी ज्यादा और सस्ता पैदा कराइये । पाकिस्तान ने 700 रुपये क्विंटल पर चावल दूसरे देशों को भेजना शुरू कर दिया है, जब पाकिस्तान चावल भेज सकता है तो हम 650 रुपये में भेजें, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप काश्तकार की पैदावार बढ़ाइये, इससे प्रदेश और देश में विदेशी मुद्रा आयेगी देश और प्रदेश की सरकार आज उसे मान भी ले तो केवल यहां खाली दूध बिकेगा जो दूध अब केवल 6-7 रुपये लीटर दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में खरीदा जायेगा । यहां के भैंसों को रखने वाले, गायों को रखने वाले जिनके दूध से जो यहां श्वेत क्रांति का नारा दिया गया उसका क्या होगा ? कैसे यहां के लोग रहेंगे । उनका गाय और भैंस का दूध कहां जायेगा ? श्रीमन्, आज स्थिति यह है कि बाजारों में जो गाय भैंस का दूध से घी 125 रु० किलो 150 रु० किलो बिकता था वह घी आज बाजारों में 80 रु० किलो 90 रु० किलो मिलने वाला है । आज दूध बेचने वाले, घी बेचने वाले अपनी भैंसों, गायों का दूध, घी कहां

ले जायेंगे और गाय तथा भैंस को कैसे पालेगें ? तो मान्यवर, जो यह श्वेत क्रांति है वह असफल हो जायेगी । अन्य सामान जो किसान अपने खेतों से पैदा करता है चाहे जूट हो, कपास, दलहन, तिलहन हो उसकी पैदावार कम हो जायेगी और जब कम हो जायेगी तो पैसा कहां से आयेगा और आपको मालूम होगा अंग्रेजी जमाने में बहुत ही कम ऐसे थे जिन्होंने लगान न देने पर जिनकी खेती चली गई । गेहूं तीन रुपये, 5 रुपये बिकता था अंग्रेजी राज्य में क्या होता था यहां के कारखाने नष्ट हो गये थे । कभी मलमल के कारखाने, दस्तकारी नष्ट हो गयी थी । लंकाशायर और मैनचेस्टर में कपड़ा बनता था पैसे वाले खरीदते थे और जो किसान के सामान थे वह मिट्टी के मोल बिक रहे थे । अगर विदेशी सामान है उसके आने मात्र से इस देश के किसानों की पैदावार कम हो जायेगी, कल-कारखानें कम हो जायेंगे । मान्यवर क्या आने वाली संताने और हमारे आगे आने वाले जीवन में क्या यही होने वाला है ? श्रीमन् इन सब बातों की टेन्ड्स बहुत कम है ।

मान्यवर, मैं अब आपका ध्यान शिक्षा की तरफ करना चाहूंगा । श्रीमन् आज शिक्षा बहुत मंहगी हो गई है । हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जब सरकार में, तो उन्होंने कक्षा–12 तक की शिक्षा शुल्क को माफ कर दिया था और निःशुल्क शिक्षा को चलाया था, लेकिन आज शिक्षा शुल्क को बढ़ाकर 5 गुना, 15 गुना कर दिया है, जबकि आपने शिक्षा शुल्क को बढ़ा दिया है । गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पायेगा ? हमारे देश में 75 प्रतिशत खेतिहर मजदूर है वह अपने बच्चों को कानवेंट स्कूलों में कैसे पढ़ा पायेगा ? जो ऐसे स्कूल है जहां 200, 300, 400, 500 रुपये नहीं डेढ हजार रुपये शुल्क लिया जाता है क्या आप ऐसे स्कूलों में शिक्षा दिला पायेंगे । हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने बच्चों को बैठने के लिए भवन बनवाये थे, खैर उसकी शुरुआत है, यह अच्छी बात है । क्या वह बच्चा समता कर पायेगा ऐसे स्कूलों की जहां सारी सुविधाएं मौजूद हैं, और इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं क्या उनकी बराबरी किसान और मजदूर का बेटा कर पायेगा । जो मांटेसरी स्कूल हैं और उनमें पढ़ने वाले बच्चों को वातावरण भी मिला है और उसी आधार पर उनका दिमाग विकसित होता है । जो बड़े लोग हैं जो आई०ए०एस०, आई०पी०एस० है, पूंजीपति हैं उनके बच्चों को अच्छा माहौल पढ़ाई का मिला है, क्या केवल यह उन्हीं का अधिकार है, उनके बच्चे ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं, क्या उन्हीं का विकसित माइन्ड है, क्या किसान मजदूर के बच्चे का पैदा होते ही दिमाग इतना खराब था । ऐसा नहीं है गरीब किसानों के बच्चों को भी जहां उन्हें अच्छा वातावरण मिला है अच्छी पोजीशन प्राप्त की है । एक किसान और मजदूर का लड़का इण्टरमीडिएट कर लें, फर्स्ट क्लास परीक्षा पास कर लें ।

इंजीनियरिंग और डाक्टरी में प्रवेश के लिए भी परीक्षा पास कर ले लेकिन क्या वह इंजीनियरिंग और डाक्टरी कर सकता है, उसके पास पैसा नहीं है । आपने डाक्टरी और इंजीनियरिंग की जो व्यवस्था की है वह पूंजीपतियों के बच्चों के लिए है और किसान का बच्चा खेती करे, फावड़ा चलाये । यदि आप ऐसा करेंगे तो जो हालत अंग्रेजी जमाने में थी उस समय केवल 14 प्रतिशत लोग शिक्षित थे, केवल शिक्षित थे, पढ़े-लिखे नहीं थे । आज अगर 65 प्रतिशत लोग शिक्षित हुए हैं वह हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था की थी और किसानों को सुविधा दी थी, उसका गेहूं 800-900 रुपये प्रति कुन्तल में बिका और उससे बच्चों को पढ़ाया-लिखाया और उनके बच्चे अच्छी नौकरियों पर भी पहुंचे । मान्यवर, हमें दुख है कि आज भी 35 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं, जो स्कूल का मुंह नहीं देख पाते हैं, क्या आपने इस बारे में भी कुछ सोचा है ? इसी से लगा हुआ एक प्रश्न हमने रख दिया है कि बहुत से खानाबदोश लोग जिनकी संख्या लाखों में है क्या उनको अच्छी जिन्दगी व्यतीत करने का अधिकार नहीं है । उनके पास रोजी-रोटी का कोई जरिया नहीं है । वह कभी यहां और कभी वहां घूमते रहते हैं, वह भिक्षा पर आधारित हैं । चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो, खुले में ही वह अपना कपड़े का तम्बू लगाकर रहते हैं, क्या आपने इनके लिए कभी सोचा है ? क्या उनका जीवन ऐसे ही व्यतीत होता रहेगा ? तो फिर लाखो-लाख बच्चे शिक्षा से ऐसे ही वंचित रहेंगे तो शिक्षा का प्रतिशत

क्या बढ़ेगा, कैसे आप शत-प्रतिशत लोगों को पढ़ा-लिखा पायेगें, क्या कोई जरिया है । आप यह भी सोचिये । वह भी मनुष्य हैं उनको भी लिखने-पढ़ने का हक है लेकिन वह आज जानवरों से भी गये बीते जिन्दगी व्यतीत करते हैं । यह हमारे लिये और आपके लिए दुःख की बात है, जिनका शासन है उनको सोचना चाहिए ।

श्रीमन् अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा का स्तर इसलिए गिरता चला जा रहा है क्योंकि आपने शिक्षा के क्षेत्र में लूट मचवा दी है । ठीक है कि खर्च आपका बचा, जहां आप प्राइमरी अध्यापक को 5-6 हजार रुपये देते थे आप शिक्षा-मित्र को 1400-1500 रुपया दे रहे हैं । आपका खर्च घट गया तो क्या आप शिक्षा पर ही खर्च घटाना चाहते हैं ? आप आमदनी बढ़ाइये, आमदनी बढ़ेगी तो खर्च कितना भी बढ़े आमदनी उसके अनुरूप बढ़ेगी तो कोई परेशानी नहीं होगी । आमदनी नहीं बढ़ेगी खर्च घटता चला जायेगा तो एक दिन ऐसा आयेगा जब खर्च घटते-घटते सारे स्कूल बन्द हो जायेंगे । जब शिक्षा मित्र जैसे अन्ट्रेण्ड लोग स्कूलों में पढ़ायेंगे तो लड़के जायेंगें ताल्लुकेदारों के स्कूलों में, सामन्तों के स्कूलों में लेकिन गरीब के बच्चों का क्या होगा ? प्राइमरी की बात छोड़िये, माध्यमिक शिक्षा में भी आज क्या है, अगर किसी इण्टरमीडिएट या हाईस्कूल का टीचर रिटायर हो जाता है, गणित, कैमेस्ट्री या अंग्रेजी का टीचर है । प्रमोशन नीचे से होता है । सोशियोलोजी का अध्यापक कैमेस्ट्री का लेक्चरर बन गया । बहुत से साथी बैठे हैं जिनके कालेज भी होंगें और वह स्वयं टीचर भी होंगे । कैमेस्ट्री के अध्यापक की नियुक्ति नहीं होगी, गणित के अध्यापक की नियुक्ति नहीं होगी क्योंकि नियुक्ति पर रोक लगी है ।

छात्र संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन पदों का सृजन नहीं हो रहा है । जो टीचर अवकाश प्राप्त कर लिये हैं या जिनकी डेथ हो गई है उनकी जगह नई नियुक्तियां नहीं की गयी है, यह बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है ? बच्चा कैसे मैथ पढ़ेगा, कैसे कैमैस्ट्री पढ़ेगा, कैसे विज्ञान पढ़ेगा और कैसे वह दूसरे सब्जैक्ट पढ़ेगा, इस पर विचार करियेगा । आप खर्च में कटौती करिये, लेकिन शिक्षा के खर्च में कटौती मत करिये क्योंकि इससे देश का शिक्षा स्तर गिरेगा, जब देश की शिक्षा स्तर गिर जायेगा तो देश की प्रदेश की प्रगति रुक जायेगी । जिस देश का शिक्षा स्तर नीचे होता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता । आज जितने विकसित देश हैं चाहे अमेरिका, कनाडा, जापान या इग्लैण्ड हो उनमें शत-प्रतिशत शिक्षा है और आप शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । इसके बारे में आप सोचिये, विचारिये, कुछ करिये नहीं तो इतिहास कभी नहीं बखसेगा और शिक्षा जगत में आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जायेगा । हमें कुछ कहना है श्रीमन् यही नहीं जब बालकों की शिक्षा कक्षा–6 तक फ्री शिक्षा थी, शिड्यूल कास्ट और गर्ल्स फीस माफ थी शिड्यूल कास्ट बालकों को शिक्षा मुफ्त दी जाती थी और एक से कक्षा 6 तक शिक्षा मुफ्त मिलती थी । और शिड्यूल कास्ट के छात्रों के लिए रिअम्बर्स मिलता था अब वह बन्द कर दिया गया है तो खर्च कैसे चलेगा । अब अगर 100 में से 60 लड़के शिड्यूल कास्ट हो गये और अब सरकार उनको रिसम्बर्समेन्ट नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा ? आप संस्कृत को पढ़ाने की बात करते हैं । संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं हैं । त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार नहीं किया गया । आप संस्कृत को बढ़ावा देकर त्रिभाषा फार्मूला बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने संस्कृत के अध्यापक नियुक्त किये गये हैं । आप आज उस त्रिभाष फार्मूला को नकार रहे हैं त्रिभाषा फार्मूला देश के लिए हितकर था लेकिन आप उसको नष्ट करने पर तुले हुए हैं और आज जितने प्रयोग शिक्षा क्षेत्र में किये जा रहे हैं इतने प्रयोग अन्य किसी क्षेत्र में नहीं किये जा रहे है । आप हर 6 माह में नहीं तो सालभर बाद किताबे बदल देते हैं, प्रकाशक परेशान है । आपने पूरी तरह से शिक्षा का पाठ्यक्रम बदल दिया है । जिससे गरीब लोगों की शिक्षा का हक मारा जा रहा है । पहले गरीब लड़का भी पुरानी किताबें खरीद लेता था और उससे पढ़ाई करता था उसे सहेज कर रखता था जिससे कि उसे अगले साल नहीं कुछ तो आधे दाम ही मिल जायेंगे जिससे उसकी शिक्षा की पूर्ति में

सहायता हो सकेगी लेकिन आज आपने पूरा का पूरा पाठ्यक्रम ही बदल दिया है आज उतने प्रयोग प्रयोगशालाओं में उतने प्रयोग नहीं किये होंगे जितने शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे हैं । आपने किसी प्रयोगशाला में उतने प्रयोग नहीं किये होंगे जितने शिक्षा के क्षेत्र में किये हैं । सारे प्रकाशक भी परेशान है कि अगर आज उन्होंने कोई किताब छाप दी तो अगले ही साल सरकार फिर पाठ्यक्रम बदल देगी और फिर उनकी किताबें बेकार हो जायेंगी वह बिकेंगी नहीं । सरकार की तरफ से कोई नीति निर्धारित न होने के कारण जुलाई अगस्त में किताबें छप नहीं पाती है । काफी समय बाद किताबें उपलब्ध होती हैं जिससे पढ़ाई का नुकसान होता है । शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके इसीलिये मैंने संशोधन रखा है । मैने जो विचार व्यक्त किये हैं मुझे आशा है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी जो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी जो बैठे हैं उन पर विचार करेंगे । अगर मेरे सुझाओं पर ध्यान देंगें तो हो सकता है कि सुधार हो ।

अब मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहता हूं श्रीमन् जब देश, प्रदेश के बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होगा तो उनका दिमाग स्वस्थ होगा और उनको हर काम में सफलता मिलेगी । जब व्यक्ति रुग्ण होगा तो उसकी कार्य क्षमता पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और वह कमजोर होगा । अगर बच्चा कमजोर होगा तो उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी और वह अच्छे अंक नहीं ला पायेगा और पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में कमजोर हो जायगा । हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । देहात में 75 प्रतिशत ऐसे अस्पताल हैं जहां पर डाक्टर नहीं हैं । आप कह रहे हैं कि डाक्टर गांवों में जाना नहीं चाहते हैं, अगर नहीं जाना चाहते तो नौकरी से हटायें और जो जाना चाहते हैं उनको भेजें । आप एक सर्वे करा लें । हमारे यहां सुजानपुर और याकुबपुर में डाक्टर नहीं हैं । 50 प्रतिशत ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां डाक्टर नहीं हैं । जब डाक्टर नहीं हैं तो दवा कहां से होगी ? कंपाउडर अस्पताल चला रहे हैं । उनको अनुभव नहीं है तो कैसे मरीजों का इलाज होगा । ऐसा माहौल बनायेगें और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करगें तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य बिगड़ेगा । अगर बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो वह कैसे खेल में आयेंगे और कैसे कोई राममूर्ति या दारासिंह बनेगा । आज क्या हो रहा है आप बता दीजिये, आज जनता का स्वास्थ्य क्यों गिर रहा है, यह चिंता का विषय है । अगर राष्ट्र का स्वास्थ्य गिर गया तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकेगा । आप शिक्षा और स्वास्थ्य को जहन्नुम में ले जाना चाहते हैं इस पर विचार करें । आपने स्वास्थ्य केन्द्र बनवा दिये लेकिन वहां पर दवाइयां नहीं हैं आप दवायें वहां भिजवाइये । आपने इमारत बना दी लेकिन क्या इमारत मरीज का इलाज कर लेगी वह तो डाक्टर ही करेगा । तो दवाओं और डाक्टर की व्यवस्था करिये । आपने कहा कि कोई बी०एड० बेरोजगार नहीं है लेकिन मेरा कहना है कि बहुत से लोग बेरोजगार हैं । आज आप देखें चाहे बलरामपुर अस्पताल हो चाहे कोई दूसरा अस्पताल हो वहां गरीब को भर्ती नहीं किया जाता भर्ती के लिये पैसा देना पड़ता है और वह बेमौत मरते हैं तो उनकी हालत सुधारने की कोशिश करें । अगर कोई चोट खा जाय तो अस्पताल में कहा जाता है कि रुई मंगा लीजिये । रुई तक अस्पताल में नहीं है । इतनी रुई यहां नहीं है यह भी पता लगा लें । यह सारी बातें होंगी तो देश का क्या होगा प्रदेश का क्या होगा ।

आगे विद्युत की बात है हमारे विद्युत मंत्री जी को जरूरत नहीं है कि यहां सदन में आकर हमारी बात सुनें जब भी कुछ कहा जाता है तो सुनी अनसुनी कर देते हैं । मैं जानता हूं मुख्य मंत्री जी आपकी मजबूरी है उनसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वह अलग हो जायेंगे और आप मुख्य मंत्री नहीं रहेंगे, सरकार नहीं रहेगी । विधायक निधि से जो पैसा दिया गया मैं स्वयं अपनी बात कहता हूं जो विधायक निधि से विगत वर्ष पैसा दिया गया था उन गांवों में भी विद्युतीकरण न कराकर विभाग के लोगों ने खर्च कर लिया इससे ज्यादा बिडम्बना क्या हो सकती है ? और जो 5-5 गांव विद्युतीकरण के लिए दिये गये थे विधायकों के लिए उन गांवों में विगत वर्ष के गांव भी विद्युतीकरण नहीं हुए हैं कहते हैं कि सामान नहीं है, पैसा नहीं अगर नहीं है तो क्यों वाहवाही

लूट रहे हैं कि हम पांच-पांच दे रहे हैं ? खेती की पैदावार बढ़ाई जाए, अस्पतालों को बिजली मिले, एक्स-रे वगैरह ठीक ढंग से हों, खेती बारी का काम ठीक तरह से चले । इन सब चीजों की जरूरत है। विद्युत व्यवस्था में बहुत सुधार की जरूरत है । यह खेती के लिए बहुत बड़ा आधार है । मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी मजबूर रहते हुए भी कुछ न कुछ करेंगे । ऐसी आशा है ।

यही समस्या सड़कों की है । सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी यहां नहीं हैं सारे प्रदेश की सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं । इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भलीभांति परिचित हैं । हमारे पास दो तीन लेटर आए कि आपके क्षेत्र में गड्ढा मुक्त सड़क हुई है आप देखकर हमकों लिखें हमने लिखा कि पहले हमें यह तो बतायें कि कौन सी सड़क गड्ढा मुक्त हुई है बार-बार लिखा जाता है कि हमें बताएं लेकिन उत्तर नहीं आता । कम से कम हम भी तो देखें कि कौन सी सड़क गड्ढा मुक्त हुई है । क्या शहर से विधूना तक सड़क गड्ढा मुक्त हुई है, क्या विधूना से अछल्दा तक सड़क गड्ढा मुक्त हुई है ? क्या स्टेट लेविल को औरैया से तिरवा तक सड़क गड्ढा मुक्त हुई है ? डेढ़ करोड़ रुपया दिबियापुर–तिरवा रोड पर सुधार के लिए डामरीकरण के लिए स्वीकृत हुआ लेकिन विभाग की आपसी लड़ाई से काम नहीं हुआ । औरैया वाले कहते हैं कि पैसा हमें दिया जाए इटावा के अधिकारी कहते हैं कि पैसा हमें दिया जाए । इस सम्बन्ध में मैंने मंत्री जी को लिखा है कि पैसा है वहां पर 10-10 मिनट में बसें चलती हैं, ट्रक चलते हैं अतः उस पैसे को वापस न किया जाए । मंत्री जी ने कृपा की और पैसे को वापस करवा दिये लेकिन काम शुरू नहीं हुआ । इस तरह की बात सारे प्रदेश में है । जो सड़क जिस पर कच्ची मिट्टी डाल दी गई अगर चाहते हैं मिट्टी बर्बाद न हो सड़क पर पैसा बरबाद न हो तो उसको पक्का कर दीजिए वह भी नहीं तो सिर्फ सड़क पर बड़ी गिट्टी है उस पर छोटी गिट्टी डलवाकर डामरीकरण कर दीजिए यदि वह भी नहीं कर सकते हैं तो जहां डामर मिली गिट्टी पड़ी है उसको ही ठीक करवा दीजिए । मैंने यह सब लिखकर भी दिया है वही कह भी रहा हूं । यदि यह भी नहीं कर सकते हैं तो जो मण्डी परिषद् द्वारा, आर ई एस द्वारा पी डब्लू डी द्वारा ऊसर भूमि द्वारा जो सड़कें बनवाई गई हैं कम से कम उनको तो बर्बाद होने से बचा लीजिए मैं कहता हूं कि नई सड़कें मत बनाइये नया काम हाथ में मत लीजिए लेकिन कम से कम जो पुरानी सड़कें हैं उनको तो ऐसा कर दीजिए कि उनका सदुपयोग किया जा सके । सारी सड़कें जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं । जब नेता विरोधी दल के यहां भी ऐसा किया जा रहा है तो और जगह क्या स्थिति होगी हो सकता है कि हमारे यहां जानबूझ कर किया जा रहा हो ताकि जनता भड़के । तो मैं चाहता हूं कि ऐसा आप करे जनता सब जानती है । मैं तो यहां वास्तविकता बता रहा हूं । मैंने 47 पोइन्ट का संशोधन इसीलिए प्रस्तुत किया है उस पर कुछ खासखास बातें संक्षेप में कह रहा हूं यदि आप देश प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो इन पर जरा ध्यान दीजिए । दो साल से यह हो रहा है आप देखें कि जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ करता था पहले उसमें क्या विकास गति गत वर्ष रही उसका जिक्र किया जाता था चूंकि इनका कोई विकास हुआ ही नहीं तो चर्चा किस बात की । आपका कहना है 1.7 विकास गति रही है लेकिन यह शून्य है इसीलिए विगत वर्ष भी यह प्रतिशत नहीं दर्शाया गया । पूरे देश में आज कहा जा रहा है कि विकास की गति 6.7 प्रतिशत है । आज तक प्रदेश में पहले 6 प्रतिशत था । विगत वर्ष 1.7 । मैं तो कहता हूं कि उससे भी नीचे चली गई है और दर्शायी इसलिए नहीं है कि छीछा लेदर होगी । इस साल भी विकास की दर नहीं दर्शाई । बजट तो वित्त मंत्री जी ने तैयार किया होगा, मुख्य मंत्री जी ने तैयार करवाया होगा । विकास दर शून्य है । जब हम कमजोर हैं, बीमार हैं, तो डाक्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं ? मैं कहता हूं कि बीमार हैं कि डाक्टर के पास जरूर जायं । बीमारी ही नहीं पता होगी तो डाक्टर क्या इलाज करेगा ? आप बतायें तो सही कि बीमार हैं । आप बीमारी बताना नहीं चाहते । प्रगति कहां रखी है ? विकास कहां रखा है मैंने संक्षेप में बता दिया । शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था में जब तक विकास नहीं होगा विकास की दर नहीं बढ़ सकती है । विकास की दर नीचे आ रही है । मैं कहना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी से, माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जरूर अब की दफा घोषणा की जाय कि हमारे प्रदेश में विकास की दर इतनी प्रतिशत होगी और पिछले वर्ष यह इतनी रही थी । यह जरूर लिखा होना चाहिए जिससे प्रदेश की जनता अवगत हो सके ।

श्रीमन्, आगे इन्हीं बातों से जुड़े हुए सवाल को कहना चाहता हूं । हमारे प्रदेश और देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । इन्सान गरीब कब होता है, पैसा जब नहीं मिलता है उसे । पैसा होगा तो गरीबी रही कहां । हमारे यहां गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 40 प्रतिशत के लगभग है और यह इतनी संख्या इसलिए है कि लोगों के पास यहां काम नहीं है । काम नहीं तो दाम कहां से आयेगा ? जब काम होगा तब ही दाम मिलेगा । यह एक सिद्धान्त की बात है । खेती में लगे हुए 75 प्रतिशत लोग जरूर हैं लेकिन खेती घाटे का धन्धा है । यह खेती भी एक सीजनल धन्धा है । कुछ समय ही काम रहता है शेष में वे बेकार रहते हैं और जब बेकार रहते हैं तो फिर पैसा कहां से आयेगा । हमारे देश में खासतौर से हमारे प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वालों की संख्या इसीलिए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । अगर नये-नये उद्योग धन्धे खुल जायं तो बहुत से लोग उद्योग धन्धे में लग सकते हैं । बड़े उद्योग न सही कम से कम लघु उद्योग ही खोले जायं । यहां के बुनकर जो कपड़ा बुनते हैं उनकी दशा अत्यन्त दयनीय हो गयी है । उनका धन्धा चौपट हो गया है, आप उसको भी रोकिये नहीं तो करोड़ों करोड़ लोग जो आज बेकार हैं उनकी हालत खस्ता होने जा रही है, हालत बिगड़ने वाली है उनकी विदेशी सस्ते कपड़े की वजह से । बुनकर भुखमरी की कगार पर आ गये हैं उनके बारे में भी कुछ सोचिये । हमारे साथियों को, हमारे मुख्य मंत्री जी को भी मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में इटावा का बना कपड़ा परदे का अमेरिका और रूस में लोकप्रिय था । हमारे यहां का हैंडलूम विदेशों में लोकप्रिय था लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है । जो सूत मिलता था पहले वह अच्छी किस्म का था और आज वह इतना महंगा हो गया है कि बुनकर उसमें इतना लागत नहीं लगा पाता है । इतनी मेहनत नहीं लगा पाते हैं जिसकी वजह से अच्छा उत्पादन नहीं कर पाते हैं । मैं समझता हूं कि बुनकरों को सुविधा दी जानी चाहिए सब्सिडी दी जानी चाहिए । अगर उनको सुविधा दी जाएगी तो पहले जो हमारे यहां मलमल चलता था, सात परतों की साड़ी पहन ली जाती थी क्या चाइना जापान की जारजट की साड़ियां अच्छी हो गई । हमारे देश में अच्छी नहीं बन सकती हैं । चाइना, जापान और चाहे कोई देश हो वहां के सरकारी उद्यमियों को सब्सिडी दी जाती है सुविधा देते हैं इसलिए विदेशों का माल हमारे देश में सस्ता आना शुरू हो गया है । इसी कारण हमारे देश के जितने कपड़ा उद्योग हैं वह चौपट हो रहे हैं जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे चल रहे हैं उससे ज्यादा नीचे जीने की नौबत आ जाएगी । छोटे-छोटे कुटीर उद्योग धन्धे नष्ट हो जायेंगे तो यहां भुखमरी फैलेगी । इसके लिए हमारी सरकार को चाहे प्रदेश की हो चाहे केन्द्र की हो सोचना पड़ेगा । हम लोग तो आपको सहयोग दे सकते हैं, सहयोग हमसे लीजिए करना आपको है । यह सोचकर कि विपक्ष के लोग जो कहते हैं वह सब हवा में उड़ने वाले तिनके हैं, बेकार है व्यर्थ है, तो फिर जैसा चाहे करें ।

इतिहासकार और साहित्यकार अपने आप आपका मूल्यांकन करेंगे । इससे कोई नहीं बचा है न बचेगा यह शाश्वत सत्य है । साहित्य समाज का दर्पण है । समाज के अंग आप भी हैं और हम भी साहित्यकार समाज बनाते हैं इसलिए सजग हो जाइए । अगर सजग नहीं हुए तो आपका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा । श्रीमन्, मैं यहीं पर यह भी कहना चाहता हूं वैसे बहुत से रोजगार दिवस सृजित करें काम करावें यह अलग है । गरीब आदमी को मिट्टी का काम मिल जाता था अब आप कच्चा काम नहीं करवायेंगे यह ठीक बात होगी ? दुरुपयोग होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि दुरुपयोग ही होता हो । जब पक्का काम होगा ईंटा भट्ठे से आएगा तो वह ठेले पर लाया जाएगा फिर गरीब व्यक्ति को जो कच्चा काम होने पर काम का मौका मिलता था वह कहां मिलेगा ? गरीबी इससे और ज्यादा बढ़ेगी या नहीं । इससे गरीब आदमी को रोजी-रोटी नहीं मिल पाएगी । तो ऐसा करिए कि गरीबों को रोजी रोटी मिलती रहे । आप दो-तीन रुपया किलो चावल गेहूं जनता को देने जा रहे हैं तो इसका दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको जरूर देखें । अगर नहीं देखेंगे तो गरीब और गरीब होता

चला जाएगा । श्रीमन्, आसमान से जो पानी गिरता है वह स्वच्छ और साफ होता है । पृथ्वी पर आयी । जब स्कीम अच्छी है और क्रियान्वयन पर पहुंची तो गन्दगी आ गयी और गन्दगी से सही क्रियान्वयन नहीं हुआ और जब क्रियान्वयन नहीं हुआ तो जो स्कीम बनी उसका लाभ नहीं होगा । यह स्कीमें सब कागज पर रह जाती है ।

अब मैं राजस्व के बारे में कहना चाहूंगा । राजस्व की बढ़ोत्तरी के लिए, बिना राजस्व की बढ़ोत्तरी के जो बढ़े हुए खर्चे हैं वह पूरे नहीं हो सकते हैं । लेकिन राजस्व की बढ़ोत्तरी उत्पादन में बढ़ोत्तरी करके हो सकती है । फर्जी सिंचाई, फर्जी टैक्स, फर्जी आय या टैक्स बढ़ोत्तरी करके इससे नहीं हो सकती है । यह कोई जरिया नहीं है । इसका जरिया यह है कि टैक्स अधिक लोगों से लिया जाय, ज्यादा आये । लेकिन आयेगा तब जब अधिक लोगों की आय हो । चाहे वह छोटे व्यवसायी हों या बड़े व्यवसायी हों, चाहे सर्विस करने वाले अधिकारी हों, उनसे तो आप ले ही रहे है उनकी संख्या बढ़ाइये । अब तो एल० टी० ग्रेड के अध्यापक भी आ गये हैं । उनसे भी वसूली हो रही है । लेकिन उनकी संख्या बढ़ाइये । जब एल० टी० ग्रेड के अध्यापक बढ़ेंगे, लेक्चरर्स बढ़ेंगे और दूसरे अधिकारी बढ़ेंगे तभी टैक्स बढ़ सकता है ।

आप किसान की पैदावार घटाकर नहीं बढ़ा सकते हैं । विदेशी वस्तुओं के आयात से टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं, देश और प्रदेश की आमदनी नहीं बढ़ा सकते हैं । आप प्रयास करिये कि फर्जी आबपाशी न लिखी जाय, फर्जी टैक्सेशन न हो । आपने कहा कि टैक्स नहीं बढ़ाया है । लेकिन पिछले वर्षों का अनुभव हो चाहे कोई टैक्स हों दूसरे नाम देकर टैक्स बढ़ा रहे हैं । कोई न कोई सोच रही [illegible] कि किस तरह से टैक्स बढ़ायें । खैर इस विषय को मैं यहीं रोक रहा हूं । आगे जब बजट पर चर्चा होगी तब विस्तार से कहूंगा । आपने कहा कि राजस्व वसूली करायी गयी । तो जिनके ऊपर 100, 200/- रुपया बकाया है उनका उत्पीड़न किया गया, लाठियों और डंडों से पीटा गया उनकी हत्या करवा दी लेकिन जिनके ऊपर 10 लाख, 15 लाख या एक करोड़ रुपया बकाया है उनसे नहीं वसूल कराया । उनसे वसूल करायें । टैक्स बढ़ेगा जब देने वालों की संख्या बढ़ेगी । मैं इसे अभी इसी स्तर पर छोड़ता हूं। सामान्य बजट पर इसमें बात करूंगा । पंचायत चुनवों के बाद इसमें बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव करवा दिये । पंचायतों के चुनाव हुए लेकिन सत्तापक्ष के लोगों ने उसमें बड़ा दुरुपयोग किया । धन बल जन बल बाहुबल सत्ता बल सबका खुलकर दुरुपयोग किया गया । श्रीमन्, जिला पंचायतों और उनके अध्यक्षों के चुनाव में लाखों लाख का वारा न्यारा क्या नहीं हुआ चुने जाने के लिए क्या लाखों के चुनाव में लाखों रुपये नहीं बहाये गये ? क्या ये सही नहीं है कि इन चुनावों में जिम्मेदार मंत्रियों के इशारे पर लोगों ने अधिकारियों ने, वोटों को प्रभावित नहीं किया । जगह-जगह किया है ऐसे उदाहरण न पेश [illegible] आने वाले लोग इसका अनुसरण करें फिर प्रजातंत्र का विकृत स्वरूप और फिर [illegible] उससे तानाशाही आने वाली है, विकृति आयेगी । उसके बाद तानाशाही के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है । क्या ये सही नहीं है कि पंचायतों के चुनाव में चाहे उन्नाव का प्रश्न हो या दूसरे जिलों का प्रश्न हो ब्लाकों के आरक्षण में पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण में जो धांधली गर्दी की गयी और जब यहां कहा गया तब कुछ सुधार किया गया लेकिन अनेक जगहों में सत्ता का दुरुपयोग करके पिछड़ों का आरक्षण कम किया गया यह सही है । आप उन्नाव जनपद का ही आरक्षण का विवरण मंगा लीजिए माननीय मुख्य मंत्री जी या अन्य माननीय मंत्री जब अपनी बात कहें तो उससे यह साबित हो जायेगा कि कितना आरक्षण होना चाहिए हर ब्लाक में और कितना हुआ पिछड़ों को और किस तरह से आरक्षण को घटाया गया ।

हमारे [illegible] भी सत्ता की लालच में इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं । हम उच्च वर्ग के अधिकार की बात नहीं कह रहे हैं लेकिन जो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों के [illegible] हमने लड़ाई लड़ी है और [illegible]

रहेंगे। मेरी राय है कि जिला पंचायतों के अध्यक्ष के चुनाव आम जनता के बीच से कराये जायें, ब्लाक प्रमुखों से कराये जायें, ताकि सत्ता का धन बल का दुरुपयोग न हो। मान्यवर, संविधान में कई संशोधन हो चुके हैं अगर इसमें भी संशोधन हो जायेगा तो कहां क्या दिक्कत होगी भले ही संशोधन का विषय केन्द्र का है, हम सब लोग तैयार हैं कि यह किसी तरह से धन बल जन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग रुके। श्रीमन्, हम उदाहरण के तौर पर यह भी कहना चाहते हैं कि दुरुपयोग हुआ है सत्ता का, मैं नहीं जानता कि हमारे मंत्रियों ने, अधिकारी भी सम्मिलित हैं किसी न किसी तरह से लोगों से प्रभावित होकर, किसी भी कारण से ऐसा भी हुआ आप केवल एक जगह का पता लगा लीजिए वैसे यह सारे प्रदेश में हुआ है औरैया जनपद में दो हजार मतदाता और डेढ़ सौ वोट इसलिए कैंसिल करवा दिये गये कि उन पर स्याही लगी हुई है, अरे 10–15 में स्याही लग सकती है डेढ़ सौ पर स्याही नहीं लग सकती है। हुआ क्या कि जो अधिकारी थे प्रभावित हो गये किसी कंडीडेट्स से और वह डेढ़ सौ मतपत्र खारिज हो गये दूसरा प्रत्याशी किस पार्टी का है वह हार गया हो सकता है कि वह आपकी पार्टी का हो, यह भी नहीं बता सकता। क्या स्वाभाविक तरीके से 2000 में डेढ़ सौ वोट में स्याही लगी हो सकती है।

एक दूसरी घटना और है वह है कि औरैया के विधूना ब्लाक जलालपुर ग्राम पंचायत में तीन दिन एक बक्शा ही नहीं मिला, सारी इलेक्शन कमीशन को सूचना दी गयी, डी० एम० को लिखित सूचना दी गयी उसके बाद बक्शा पास के केले की झाड़ी में मिला। 3 दिन बक्शा गायब रहा है क्या जो अधिकारी कर्मचारी थे जिनकी कस्टडी में बक्शा गायब रहा है क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। अगर लिखापढ़ी में शिकायत है और तीन दिन तक बक्शा गायब रहा है, तो कार्रवाई की जाय। मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत इलेक्शन में जहां यह धांधलियां हुई हैं जिसे हमारे बहुत से साथी भलीभांति जानते हैं कि अगर कोई वोट डालने जाता है और उसका वोट डालते समय खराब हो गया है या सील गलत लगा दी है तो वह उस समय कह सकता है कि हमें दूसरा मतपत्र दीजिए हमसे गलती हो गयी है और टेण्डर वोट समझ कर कैन्सिल कर दिया जाता है और दूसरा दे दिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। औरैया जिले में एक सहार ब्लाक के इलेक्शन में एक महिला अपना वोट डालने जाती है, जैसे ही मेज पर उसने कलम रखी तो मतपत्र फट गया तो उसने कहा कि दूसरा दो यह हमारा खराब हो गया लेकिन वहां के निर्वाचन अधिकारी ने दूसरा मतपत्र नहीं दिया वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही लेकिन उसे दूसरा मतपत्र नहीं दिया गया। ऐसे अधिकारी को अगर जो गलत अधिकारी है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वोट उसने किसे दिया यह राज की बात है लेकिन अगर ऐसा हुआ है लिखा पढ़ी में है तो क्या ऐसे अधिकारी को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। क्या अधिकार नहीं था, उसको दूसरा मतपत्र पाने का। यह सारी खामियां हैं, जिनको मैं उजागर कर रहा हूं, इसलिये उजागर कर रहा हूं ताकि भविष्य में इन पर अंकुश लगे। श्रीमन् अब मैं बुन्देलखंड विकास निधि के बारे में, जिसका दुरुपयोग होता है, उसके संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं। बुन्देलखंड क्षेत्र में जितने जनपद हैं, उन सारे जनपदों को उसकी जनसंख्या के अनुसार जो सम्पूर्ण धनराशि आवंटित है, के हिसाब से देनी चाहिये। होता यही है कि 50 प्रतिशत स्टेट लेविल पर रोक दी जाती है और 50 प्रतिशत पैसा कुछ एक मंत्री लोग खर्च कर लेते हैं, अपने क्षेत्र में। वहां के जो मंत्री जी हैं, उन्होंने आधे से ज्यादा पैसा शहर पर खर्च करवा दिया। आखिर शहर पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, मुख्यमंत्री जी इसको भी बतायेंगे कि झांसी शहर में बुन्देलखण्ड निधि का कितना पैसा खर्च हुआ और झांसी देहात में कितना खर्च हुआ। जरूरत है देहात में पेयजल की जरूरत है सिंचाई सुविधाओं की, जरूरत है देहात में स्वास्थ्य के लिये दवाओं की, भवन निर्माण की। जरूरत है, देहात में सहकारिता क्षेत्र में सहायता करने की। जरूरत है, उर्वरकों पर छूट देने की, इन सारी चीजों की जरूरत देहात क्षेत्रों में ज्यादा और शहरी क्षेत्रों में कम है, लेकिन दुख की बात है कि आधे से ज्यादा पैसा अकेले शहर क्षेत्र में खर्च कर दिया गया। यदि इस तरह होगा तो देहात

का विकास कैसे होगा । बुन्देलखण्ड ऐसा इलाका है, जहां देहात का विकास होने पर ही बुन्देलखण्ड सरसब्ज हो सकता है, हमारा प्रदेश सरसब्ज हो सकता है, उसकी उपेक्षा होगी तो इसे पैसे का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग ही कहा जायेगा । आगे बात बढ़ाते हुये कहना चाहूंगा, प्वाइंट्स तो बहुत हैं। श्रीमन्, यह भी एक दिन हमारा चला गया, नहीं तो उसमें भी लोगों को अपने विचार, चाहे सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष के हों, रखने का मौका मिल जाता । मैं समय नहीं लूंगा, लेकिन मजदूरी है, मैं कोशिश करूंगा आज ही समाप्त हो जाये । श्रीमन्, जो चन्द समस्याओं से जुड़ा है मुद्दा पेयजल का है । पेयजल मनुष्य की आवश्यक आवश्यकता है । जिस तरह से बिना हवा के आदमी जिन्दा नहीं रह सकता है वैसे ही एक निश्चित समय के बाद पानी के बिना भी आदमी जिन्दा नहीं रह सकता है । लेकिन क्या सरकार ने प्रदेश के सभी प्राणियों के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करने का कार्य किया है । अभी पीछे वक्तव्य यह आया कि हैण्ड पम्प लगा दिये, ट्यूबवेल लगा दिये । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड ही नहीं प्रदेश के अनेक जनपद ऐसे हैं जो गन्दा पानी पीने के लिए और एक-एक बाल्टी पानी के लिए तरस रहे हैं । झांसी, ललितपुर, आगरा की स्थिति भी यही है । प्रश्न यह है कि स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है । इस स्वच्छ पानी को उपलब्ध कराये जाने के लिए आगरा में ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया है । यमुना पर बैराज बांध बांधकर हम आगरा के लोगों को पानी पिलायेंगे । श्रीमन्, आगरा में आगरा में बैराज बांधेंगे तो क्या दिल्ली, आगरा, मथुरा या अन्य शहरों की गन्दगी नहीं आयेगी । गन्दगी आयेगी तो फिर वह स्वच्छ पेजल को उपलब्ध करने के लिए यह सरकार क्या लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा पायेंगे ? मैंने पीछे भी सुझाव रखे थे कि चम्बल पर आगरा पर बैराज बनाकर या पाइप लाइन फैलाया जाये तो निश्चित तौर से आगरा के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है और उसके लिए जो बैराज बनाया जा रहा है उससे शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकता है । बैराज बनाये जाने से नहरें निकाली जा सकती हैं, लेकिन स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है । बैराज से भी बांध बनाकर नहरें निकाली जा सकती हैं और इन लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है यह हमारी मांग है । हम यह चाहेंगे कि हमारे मा० मुख्य मंत्री जी इसका सर्वे जरूर करा लीजियेगा और अगर सम्भव हो तो जो वहां तमाम बीमारियां फैली हैं गन्दे पानी को पीकर संक्रामक रोग होता है वह गन्दगी से फैलता है । यह दूषित वातावरण समाप्त हो ।

मैं कहना चाहूंगा कि जो बीहड़ इलाका यमुना, चम्बल रिवाइन्स हों, चाहे नदियों का रिवाइन्स हो । श्रीमन्, हमारे बहुत से विधायक साथी जानते होंगे कि हवाई जहाज से इन क्षेत्रों में विलायती बबूल के बीज बोये गये । पहले से ही वहां झाड़ियां थी । बबूल बोने के बाद वहां और घनी झाड़ियां हो गयीं और डाकुओं की यह और अच्छी शरण स्थली बनी । यह काम आपने हरियाली के लिए शायद किया हो लेकिन उसका तरीका होता है, मैं बता रहा हूं कि हरियाली कैसे हो ? कृषि विशेषज्ञों की कमी नहीं है, राय भी आयी थी, गहरे जड़ों वाली जैसे बबूल है । आज नीबू की प्रजाति जो इस वातावरण में उगायी जा सके उसके पेड़ वहां लगवाना शुरू करें । आप रिवाइन्स को समतल करवाते और उसे समतल करवाकर अगर आपने वहां सिंचाई की व्यवस्था कर दी होती तो निश्चित तरीके से डाकुओं की शरण स्थली आज वहां न होती आप वहां अच्छे बाग लगाते, चाहे नीबू, आम के बाग होते । जो उस क्षेत्र के विधायक हैं वह भलीभांति जानते हैं कि वहां जमीन ऊसर नहीं है, जमीन अच्छी है । अगर सिंचाई की पूर्ति कर दी जाए तो वह निश्चित रूप से रिवाइन्स एरिया सोना उगलेगी । आज आगरा, इटावा से लेकर कानपुर तक रिवाइन्स है । डाकू लोगों का अपहरण कर लेते हैं, बच्चों का अपहरण कर लेते हैं और फिरौती देकर छोड़ते हैं । आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं वहां कुछ कर गुजरने की बात सोची हो । ऊसर में अगर आप बबूल बोयें तो बात समझ में आती है लेकिन रिवाइन्स में हवाई जहाज से हेलीकाप्टर से बबूल के बीज फेंकना उचित नहीं है । यह मेरी राय है ।

मान्यवर, पेयजल की स्कीम के बारे में मैंने कहा है उसमें भी आप देखें, आप परीक्षण करवा लें । हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो, आपके जल निगम के जितने भी हैण्डपाइप लगे हैं, उखड़वाकर देख लें 40, 50, 60 फीट तो 4 इंच पाइप और 20, 30 फीट में लोहे का पाइप डालकर बोरिंग कर दी गयी है । आपके आधे से ज्यादा हैण्डपाइप खराब पड़े हैं । आप कहेंगे कि स्टेटा नीचे चला गया । स्टेटा तब नीचे जाने की बात आयेगी जब आप सवा सौ, डेढ़ सौ फीट की गहराई तक पाइप डाले हों । चार इंच का पाइप भी बोर हुआ हो और लोहे का पाइप भी जो पानी खींचता है 80 फीट गया हो तब तो हम मानें कि स्टेटा नीचे चला गया । अगर पाइप ही न हो तो स्टेटा नीचे कहां चला गया, इसको भी देखना पड़ेगा । भूमिगत जल का निरन्तर अभाव होता चला जा रहा है यह भी पेयजल की समस्या के लिए एक संकट बना हुआ है । आप इस ओर प्रयास कीजिए, भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए । नदियों के जल का सदुपयोग करने के लिए आप प्रयास कीजिये, नदियों का पानी रुकेगा, नहरें ज्यादा बनेंगी तो निश्चित रूप से भूमिगत जल की बढ़ोत्तरी होगी । जहां पर बांध ज्यादा हैं वहां पर पानी भी सीपाई पर नहीं है ।

जो 10 लाख कूप योजना थी उसके तहत कुछ तालाब बनाने का काम हुआ, यह ठीक बात है । बहुत सी जगह फर्जी तालाब बनाये गये इसके लिए लोगों को दण्डित किया जाना चाहिए, पैसा रिकवर कराना चाहिए । तालाब बनने से बरसात का पानी रुकता, तालाबों से सिंचाई हो सकती थी, इससे पानी का स्टेटा भी ऊपर आता, सिंचाई के लिए नलकूपों को पानी मिलता । स्कीम अच्छी थी लेकिन उसके क्रियान्वयन में गलती हुई, उसको ठीक करना चाहिए कि न उस स्कीम को बन्द कर देना चाहिए था ।

डा० बकार अहमद शाह–

मान्यवर, आप थके से लग रहे हैं, पहले आप पानी पी लीजिए ।

श्री धनीराम वर्मा–

पानी मंगवाइये ।

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता सहमति हो तो माननीय नेता विपक्ष बैठकर अपने विचार व्यक्त कर दें ।

(पानी पीने के बाद माननीय नेता विपक्ष पुनः खड़े हुए)

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मैं संक्षेप कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी परेशानी हो रही है । श्रीमन्, विधायकों और विधायिका की गरिमा दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है । यह एक बड़ा चिन्तनीय विषय है । विधायकों का अधिकारीगण सम्मान नहीं करते हैं । आपके सत्तापक्ष के विधायक, आपके टाइम में नहीं एक साल पहले सदन में रोये थे कि किस तरह से जिलाधिकारी ने उन्हें अपमानित किया । अभी कल हमारे ब० स० पा० के साथी प्रश्न उठा रहे थे कि उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ । हमारे रामपुर के विधायक के साथ एस० पी० ने दुर्व्यवहार किया । हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं । श्रीमन्, इस तरह का व्यवहार विधायकों के साथ होगा तो निश्चित रूप से विधायकों की गरिमा गिरेगी और विधायिका का आदर और सम्मान घटेगा । मैं चाहता हूं कि हमारे विधायक साथी भी अपने स्तर को बनाये रखने का काम करेंगे साथ ही साथ आप भी अधिकारी राज को समाप्त करने का काम करें । साथ ही आप भी अधिकारी राज को खत्म करने का काम करें जिससे आम जनता और विधायकों को जो अपमानित किया जा रहा है वह उन्हें अपमानित न कर पायें । श्रीमन्, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा इन निगमों में आपकी जनता का भी पैसा लगा हुआ 100 में से 68, 69 निगम ही कार्य कर रहे बाकी बन्द हो गये हैं और इनमें 5, 6 को छोड़कर बाकी सभी घाटे में ही चल रहे हैं और आप इन निगमों

को भी बन्द करने वाले हैं इनमें हजारों लोग काम करते हैं और अगर आप इन निगमों को भी बन्द कर देंगे तो हजारों लोग बेरोजगार हो जायेंगे, बात इन्हें बन्द करने का काम न करें मैं कहना चाहता हूं कि इन निगमों को घाटे में चलने का क्या तुक है आप देखें सभी निगम घाटे में ही चल रहे हैं। आप परिवहन निगम को ही देख लीजिए। श्रीमन्, जिसके पास एक बस है वह एक साल बाद ही दूसरी बस खरीद लेता है और अगर उसे मुनाफा नहीं होता है तो वह दूसरी बस कैसे खरीद लेता है ? बात इन निगमों को बन्द करने की नहीं है होता क्या है कि इन निगमों को घाटा क्यों होता है ? श्रीमन्, यह सब इसलिए हो रहा है कि बसों में यात्री यात्रा करता है और उससे जो पैसा प्राप्त होता है उसमें हेरा-फेरी कर दी जाती है और उसके पुर्जे बेंच लिये जाते हैं जिससे बसे खटारा हो जाती हैं। वह इसलिए होता है कि जो आपकी वर्कशाप है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की उदाहरण मैं देना चाहता हूं। निगम में घाटा है ऐसा इसलिए है कि वहां पर पुर्जे बेच लिये जाते हैं। अब मैं वस्त्र निगम की बात कहता हूं जो व्यापारी वर्ग है वह वस्त्रों का व्यापार करता है तो उसे मुनाफा होता है लेकिन हमारा वस्त्र निगम घाटे में है इन निगमों में जो लोग काम करते हैं जो लोग काम पर रखे गये हैं उनको उन्हीं निगमों से रोजी रोटी मिल रही है। इस तरह इन निगमों को ऐसे रास्ते पर लाने का काम करिये जिससे उनकी कार्यकुशलता के साथ-साथ यह निगम घाटे से भी उबर जायें और लोगों को रोजी-रोटी भी दे सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से और अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि मैंने जो संशोधन के प्रस्ताव रखे हैं वह उनका समर्थन करने का कष्ट करें और जो सम्भव हो उन पर विचार कर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मा० डंग जी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर रखे गये संशोधन के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को बहुत ध्यान से पढ़ने का काम किया और उसके साथ मैंने माननीय डंग साहब ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके पक्ष में उन्होंने जो तर्क रखे उसको भी मैंने सुनने का काम किया है। माननीय डंग द्वारा जिस तरह से अपनी बात को रखने का प्रयास किया गया उसको सुनने के पश्चात् मुझे ऐसा लगा कि माननीय डंग साहब को स्वतः ही इस अभिभाषण में तमाम कमियां नजर आ रही हैं। मैंने इसी सदन में डंग साहब के अभिभाषण पर चर्चा सुनी है वह बड़े जोश खरोश के साथ अपनी बात, अपने तर्क रखने का काम करते हैं लेकिन जब कल वह अपना पक्ष रख रहे थे तो उनकी बातों से यह लग रहा था कि उन्हें भी अभिभाषण से निराशा हाथ लगी और फर्ज अदायगी के लिए वह कवल बातें कर रहे हैं।

मान्यवर, जो वर्तमान सरकार है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक पिक्चर आयी थी उसका नाम था आज का एम० एल० ए० राम औतार। उससे इस वर्तमान सरकार की तुलना करना मैं समझता हूं कि समीचीन होगा। उस पिक्चर में राम औतार बाल बनाने का काम करते थे और उनको टिकट मिल गया और वह एम० एल० ए० बन गये। उसके बाद मुख्य मंत्री बनने के लिए उन्होंने सभी को मंत्री बनाने के लिए वादा किया ठीक उसी तरह से हमारी यह सरकार है। बहुमत में थे नहीं, अनैतिकता के आधार पर सभी को मंत्री बनाने का लालच देकर यह सरकार आज सत्ता में बैठी हुई है। अनैतिकता में विश्वास करने वाली सरकार के जमाने में विकास की बात करना सूरज को दीप दिखाने के जैसा है। माननीय डंग साहब ने जो बातें कही हैं उस पर मैं अपनी बातें संक्षेप में रखना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

वर्माजी समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरी पार्टी की तरफ से हमारे नेता नहीं बोल रहे हैं इसलिए मुझे 10 मिनट का समय दिया जाय मुझे अधिकृत किया है ।

श्री हुकुम सिंह–

क्या इसके लिए भी अधिकृत किया है कि सदन में आप अकेले रहेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेताओं के लिए 10 मिनट और माननीय सदस्यों के लिए 5 मिनट निर्धारित हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस अभिभाषण में बड़ा जोर दिया गया है कानून और व्यवस्था के संबंध में । आज प्रदेश में किसी नागरिक का मान सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित नहीं है । सरकार कमजोर वर्गों को पूरी तरह से उत्पीड़ित कर रही है । मान और सम्मान केवल भ्रष्ट अधिकारियों और गुण्डों और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों का बढ़ाया जा रहा है जिसके कारण प्रदेश में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियों के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है । निर्दोष लोगों को जेलों में भेजा जा रहा है और उनकी हत्यायें की जा रही हैं। मान्यवर, डंग साहब ने एक बात कही थी जिससे मैं सहमत हूं, उनका कहना था कि गुंडा-गुंडा होता है और गुंडों में विभेद नहीं करना चाहिए । किसी का हो, कैसा हो उसको किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए लेकिन आज यह सरकार पूरी तरह से [× × ×] से मिलकर बनी हुई है और इस सरकार में दर्जनों से अधिक मंत्री [× × ×] प्रवृत्ति के हैं और उन्हीं के कारण यह सरकार पूरी तरह से असहाय होकर [× × ×] तत्वों के सामने काम कर रही है । इसी तरह से [× × ×] को संरक्षण देने का काम कर रही है । अभी मुख्य मंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे हैदरगढ़ से मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला था मैंने देखा कि किस तरह से अपराधी तत्व के लोग पूरे प्रदेश के वहां इकट्ठा हो गए और अनुसूचित जाति के और अति पिछड़ी जाति के लोगों को बूथों से खदेड़-खदेड़ कर भागा रहे थे उनके मतों को लूटकर इस जीत को रिकार्ड बनाने का प्रयास किया गया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मुख्य मंत्री जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए वह बिल्कुल आधारहीन हैं तथ्यहीन हैं । हैदरगढ़ में पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न हुए कोई घटना नहीं हुई कहीं कोई आरोप नहीं लगाया गया सदन में निराधार बातें कहकर यह प्रदेश की जनता को गलत संदेश देना चाहते हैं । यह कहते हैं कि यह [× × ×] की सरकार है तो इसी सदन में जब प्रारम्भिक सरकार थी तो क्या वह [× × ×] की सरकार थी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आप इन लोगों से कहें कि यह सब से दूसरे की बात सुनें कोई बात कड़वी भी हो तो उसका समय आने पर प्रतिरोध करें ।

श्री लालजी वर्मा–

गांधीपुर गांव है वहां अनुसूचित जाति के पासी जाति के लोग अपने घरों पर हाथी निशान बना रहे थे इसलिए उनके बच्चों बूढ़ों और महिलाओं को मारा गया इसी तरह से तमाम जगहों पर ऐसे लोगों को वोट देने का अवसर नहीं दिया गया । बड़े पैमाने पर उनको खदेड़कर और पुलिस कर्मियों को

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सादी ड्रेस पहनाकर उनसे वोट डलवाए गए । मैं जिस जनपद अम्बेडकर नगर से आता हूं । इस जनपद ने बहन मायावती को सांसद बनाने का काम किया । बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर वह जिला बनाने का काम उन्होंने किया था । वहां पर लगातार पिछड़ी जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को अक्लियत के लोगों को पुलिस के द्वारा उत्पीड़ित कराने का काम किया जाता है या दूसरे अपराधी तत्वों द्वारा यह काम कराया जाता है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । यह सब इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर लोगों ने बहन मायावती को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया । इसलिए वहां इस तरह की घटनाएं की जाती हैं । राम अचल राजभर हमारी पार्टी के विधायक हैं उनके लड़कों की निर्मम पिटाई होती है लेकिन इस घटना में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती ।

सम्मनपुर थाने में अनुसूचित जाति के और पिछड़ी राजभर बिरादरी वाले मारे जाते हैं । 23-23 दिन तक थानों में बिठाकर उल्टा लटकाए जाते हैं, न उनका किसी अपराध में चालान किया जाता है । न उनको छोड़ने का काम किया जाता है टांडा कोतवाली है उसमें 7/8 अप्रैल की रात में जगदीश राजभर को पकड़कर ले जाते हैं उल्टा लटकाकर पीटा जाता है 8 तारीख को जनता की भीड़ उमड़ आती है तो उसको छोड़ देने का काम किया जाता है एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं इसकी लम्बी फेहरिस्त है । अम्बेडकर नगर के एस० पी० द्वारा वहां की पिछड़ी, अनुसूचित जाति की जनता को सजा देने का काम किया जा रहा है क्योंकि वहां पर बहन मायावती को चुनने का काम उन लोगों ने किया है । डंग साहब जैसे अनुभवी आदमी को यह मंत्रिमण्डल में नहीं लेते इनके जैसे व्यक्ति को मंत्रिमण्डल से बाहर निकालने का काम किया जाता और अपराधी तत्वों के सामने सरकार घुटने टेक देती है । आज कानून व्यवस्था की बात करना निरर्थक होगा । मान्यवर, एक निवेदन और कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के बाद दूसरे नम्बर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है । हमको यथोचित समय दिया जाय । इसी तरह से मैं कह रहा था कि जनता के साथ सीधा संवाद का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया । मैंने देखा था बचपन में प्रायःगांव में बाजीगर आया करता था जादू दिखाने के लिए और वह तरह-तरह की हरकतें करता था ऊपर से लड़के के ऊपर काला कपड़ा उड़ा कर उसे छुरा भोंका करता था लेकिन लड़के का बाल बांका नहीं होता था । इसी प्रकार से यह सरकार बाजीगरी करने का काम कर रही है किसान पंचायत, शिक्षक पंचायत और तमाम पंचायत करके । किसान पंचायत के नाम पर किसानों के सामने तमाम घोषणायें की जाती हैं मगर किसी को पूरा नहीं किया जाता है । इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया गया है कि धान जब तक किसान लाता रहेगा धान का क्रय होता रहेगा लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह धान का क्रय किया गया आपने भी देखा होगा । गेहूं क्रय की बात कल इस सदन में चल रही थी। लखीमपुर खीरी में कोई क्रय नहीं हुआ और कल 900 कुन्तल खरीद लिया गया । जब जांच हुई तो पाया गया कि एक भी कुन्तल गेहूं नहीं खरीदा गया है । यह सरकार किसान को मटियामेट करने का काम कर रही है । एक ओर किसानों को ट्रैक्टर ट्राली पर छूट देने की बात करती है तो दूसरी ओर किसान की उत्पादन लागत बढ़ाती जा रही है । कनाडा में एक हेक्टेयर खेती पर किसानों को 23 हजार छूट देने का काम होता है लेकिन हमारे यहां कुछ नहीं । इसी तरह से आज बड़ा ढिंढोरा पीटा गया सड़कों का ।

आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि डंग साहब से कि वे जब अपना उत्तर पढ़ें तो इस बात का जवाब अवश्य दें कि सन् 2000-2001 में उत्तर प्रदेश की जिला योजना में एक भी नई सड़क का निर्माण नहीं किया गया है । इसी तरह से जो पांच गांव विद्युतीकरण करने की बात कही गई तो एक भी गांव का सन् 2000-2001 के मध्य विद्युतीकरण नहीं किया गया है । दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत भी पूरे प्रदेश में 2000-2001 में कुछ नहीं किया गया एक भी पैसा नहीं लगाया गया । इसके बाद भी सरकार 50 करोड़ रुपया खर्च करने की बात करती है । अभी डंग साहब कह रहे थे कि

6 नई सड़कें का निर्माण किया गया तो ऐसा कुछ नहीं है । यहां तक कि लुम्बनी दुद्धी मार्ग जो प्रदेश की सबसे लम्बी सड़क है उसे राष्ट्रीय मार्ग अभी तक बनाने का काम नहीं किया गया है । इसी तरह से पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र में ज्यादती करने का काम यह सरकार कर रही है । बुनकरों के साथ विश्वासघात करने का कम किया गया है । जिला परियोजना के अन्तर्गत एक भी सड़क का निर्माण नहीं किया है और न ही इसके लिए धन आवंटित किया गया है यदि ऐसा हुआ होगा तो मैं निश्चित रूप से अपनी गलती मानते हुए क्षमा मांग लूंगा और इसी तरह से पूरे प्रदेश में एक भी गांव का विद्युतीकरण का काम नहीं किया गया है । इसी तरह से अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना का जिक्र किया गया । इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में जब से यह सरकार बनी है किसी भी गांव में कोई भी विकास का काम नहीं किया गया केवल इन्दिरा आवास के अलावा । इस तरह से यह पूरी तरह से 'राम औतार आज का एम० एल० ए०' वाली फिल्म थी, उसी के रास्ते पर चलने वाली सरकार है । व्यापारियों से कहते हैं कि टैक्स बढ़ाओ । पांच प्रतिशत बढ़ाना है तो 10 प्रतिशत बढ़ाओ हम पांच प्रतिशत कम कर देंगें । पूरी तरह से यह जनता को लूटने का काम कर रही है और जनता को लूटने में यह सरकार अग्रसर है । यह जो कर्जा बताया गया कि इतना है । आने वाले समय में यह और बढ़ जायेगा । 1997 में यह 47 हजार करोड़ था । अभी यह 77 हजार करोड़ बताया है । मार्च 2002 में यह 85 हजार करोड़ हो जायेगा और इस तरह से प्रदेश की हालत और बदतर होती चली जायेगी । इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय, परम्परा है कि सदन का कोई भी माननीय सदस्य किसी अन्य माननीय सदस्य का नाम लेकर इंगित करके हास्यास्पद या अपमानजनक बात नहीं कहेगा । वर्मा जी बड़े योग्य और अनुभवी सदस्य हैं बार-बार राम औतार शाक्य की ओर इशारा करके जिस तरह की भाषा बोल रहे थे और कह रहे थे इससे मुझे कष्ट हुआ है और सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

मैं राम औतार शाक्य नहीं कह रहा था । 'राम औतार आज का एम० एल० ए०' फिल्म की बात कर रहा था । 'राम औतार आज का एम० एल० ए०' के रूप में श्री राज नाथ सिंह कार्य कर रहे हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

अब तो वे मुख्य मंत्री हो गये हैं । एम० एल० ए० तो राम औतार हैं ।

डा० वेद प्रकाश सिंह (एम०एस०)–

माननीय, डा० डंग द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने के लिये आपने अवसर दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं । अपने माननीय मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह की सरकार की सफलताओं को आंकड़ों के हिसाब से कह सकता हूं । आज की तारीख में इसकी संख्या का, जनता की भावनाओं में जो जोश है, उत्साह है, उससे सहज ही इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की कार्य प्रणाली, इसकी नीतियां कितनी अच्छी हैं और कितने सटीक तरीके से जा रही हैं ।

(किसी सदस्य के कुछ बोलने पर व्यवधान)

यह सब तो चुनावों से पता चल गया कि जनता किसके साथ है । आजकल विपक्ष बौखलाया हुआ है चाहे केन्द्र में हो या राज्य में । अपनी सरकार के सब कार्यों को बताऊं तो उसमें काफी समय लग जायेगा । मुझको निश्चित समय दिया गया है उसी के अन्दर मुझे अपनी बात कहनी है । सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है । कम्प्यूटरीकरण के काम में उत्तम काम किये गये हैं । सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सम्पत्तियों के हस्तान्तरण का, राजस्व विभाग में किसानों के लेखा पत्र

होते हैं, उनको भी कम्प्यूटरीकरण से करने का निर्णय लिया है । इससे भ्रष्टाचार ही समाप्त नहीं होगा बल्कि आने वाले समय में किसानों को, जनता को इससे बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं ।

बार-बार यहां पर गांव और किसान की चर्चा हो रही थी । गांव और किसान को केन्द्र बिन्दु मानकर जो नीति बनायी गयी है जो नीति और सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं वह बहुत सराहनीय है । सबने लम्बी चर्चा की है मैं उल्लेख करना चाहता हूं बीते साल में धान की खरीद का मामला रहा हो, चाहे गन्ने के पेमेन्ट की, बैंक द्वारा पेमेन्ट की बात हो, चाहे आलू की बात हो । यह सोचा जा रहा था कि आलू की पैदावार इतनी होगी कि आलू सड़ न जाए लेकिन हमारी सरकार के सही निर्णय से 5-7 रुपये किलो आलू आज बाजार में है । जबकि हम लोग समझ रहे थे कि एक रुपये से कम में आलू बिक जायेगा । जबकि सीजन में कभी आलू ढाई तीन रु० किलो से कम नहीं गया । यह सब सुचारु व्यवस्था का नतीजा है । हमारी सरकार ने केन्द्र, गांव और किसान को बनाया है इससे परिलक्षित होता है कि आने वाला भविष्य देश और समाज का स्वर्णिम भविष्य है ।

यह तो मैं धन्यवाद दे रहा था । अब दो -तीन सुझाव देना चाहूंगा । अनेक सरकारें आई इन्होंने सामाजिक समरसता की सामाजिक एकता की बात कही । सामाजिक एकता की बात होती है लेकिन [× × ×]

श्री लालजी वर्मा–

यह पूरी जाति का सीधा अपमान है यह इनकी स्वयं की मानसिकता है । इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

डा० वेद प्रकाश सिंह, एम० एस०–

जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था आपको निकालना हो तो कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री लालजी वर्मा–

यह पूरी जाति का अपमान है ।

डा० वेद प्रकाश सिंह एम० एस०–

आर्थिक सहायता के लालच में झूठे केस दर्ज किये जा रहे हैं यह आर्थिक सहायता तुरन्त बन्द होनी चाहिए । जो भी कानून व्यवस्था है उसमें आर्थिक सहायता का प्राविधान नहीं होना चाहिए चाहे वह उ० प्र० समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती हो चाहे जिस विभाग द्वारा दी जाती हो । मान्यवर, हमारे यहां गोहावर गांव में [× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

डा० वेद प्रकाश सिंह एम० एस०–

मान्यवर, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है पं० जवाहर लाल नेहरू कैम्ब्रिज में लन्दन पढ़ने गये वहां उन्होंने [× × ×] तो अंग्रेजों ने एक हजार पौंड का जुर्माना दर्ज कर दिया ।

(शोर)

जब मोतीलाल जी को पता चला तो उन्होंने दस गुना पैसा जवाहर लाल जी को भेजा [× × ×] इससे परिलक्षित होता है कि अंग्रेजी कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी । 25 हजार से 2 लाख रुपये तक

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आप देंगे तो क्या होगा, मेरा सुझाव है पैसे का प्राविधान नहीं होना चाहिए । एक बात और कहना चाहता हूं । समाज की समरसता और एकता के बारे में । मान्यवर, छात्रवृत्ति दी जाती है अल्पसंख्यक और अनुसूचित वर्ग के छात्रों को । साधारण किसान गांव में होते हैं बीज बोते हैं देखते हैं मिट्टी में कितनी नमी है । खाद सही मात्रा में देते हैं तो बीज पैदा होता ताकि बीज अच्छी फसल दें । आप समाज का बीज बो रहे हैं विद्यालय बच्चे पढ़ाने जा रहे हैं वहीं से हमने भेदभाव की नीति शुरू कर दी । अगर आप छात्रवृत्ति देते हैं तो आपको जो गरीब हैं । उन सबको देनी चाहिए । बिलो पावर्टी लाइन की सूची बनी है । बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म के गरीबी की रेखा से नीचे वाले जो छात्र हैं उनको दी जानी चाहिए ताकि बच्चों के मन में आपस में द्वेष न हो । यही मेरा सुझाव है । इसी के साथ डा० डंग जी द्वारा रखे धन्यवाद के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह यह है कि माननीय सदस्य ने अपने भाषण में आरोप लगाया है पूरे अनुसूचित जाति/जनजाति के ऊपर आरोप लगाया है । उन्होंने कहा कि [× × ×] ये पूरी जाति का अपमान है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, इन्होंने अनुसूचित जाति के पूरे समाज पर आरोप लगाया है । यह घोर अपमान है । वे कहते हैं [× × ×] यह पूरी जाति का अपमान है ।

(समाजवादी पार्टी के श्री राम विशुन आजाद एवं श्री भीम प्रसाद सोनकर अध्यक्ष आसन की ओर यह कहते हुए बढ़ने लगे कि यह पूरी अनुसूचित जाति का अपमान है)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपने स्थान पर जाइये । मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं ।

(श्री राम विशुन आजाद और श्री भीम प्रसाद सोनकर अपने स्थान पर वापस गये)

श्री अधिष्ठाता–

मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसमें जो भी आपत्तिजनक शब्द होंगे मैं उसको दिखवा लूंगा और कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह पूरी जाति का अपमान कर रहे हैं । यह कहते हैं कि केवल ऐसे पैसे के चक्कर में झूठी एफ० आई० आर० लिखाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी और उसमें व्यवस्था आ गयी है तो फिर क्या बात है ? मुझे लगता है कि मेरी इस व्यवस्था से सदन के एक-एक सदस्य सहमत हैं तो फिर आप क्यों नहीं सहमत हो रहे हैं । आपको चिल्लाने के अलावा और कुछ तो आता नहीं है ।

श्री राम विशुन आजाद–

यह चिल्लाने का मामला नहीं है । यह सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का अपमान कर रही है और हम इसके लिए आवाज उठा रहे हैं [x x x]

विरोध स्वरूप श्री राम विशुन आजाद एवं श्री भीम प्रसाद सोनकर सदन के फ्लोर पर आकर जोर-जोर से बोलने लगे किन्तु कुंवर रेवती रमण सिंह के अनुरोध पर अपने स्थान पर वापस चले गये ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है तो इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। एक दो स्पेसिफिक केस हो सकते हैं लेकिन पूरी जाति का अपमान करना या लांछित करना, यह नहीं होना चाहिए और दूसरे मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप उस आसन पर बैठे हैं तो आप भी थोड़ा धीरज से काम लें। सदस्य इसलिए उत्तेजित हैं कि एक जाति विशेष पर लांछन लगाने का काम किया गया है। आप स्पष्ट निर्देश देने का काम करें कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार इस सदन में नहीं करेगा भविष्य में अगर करेगा तो उसके लिए उसे खेद प्रकट करना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता–

जैसे ही माननीय लालजी वर्मा जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया बल्कि संकेत दिया हमने निर्देशित कर दिया कि अगर कोई आपत्तिजनक बात कही गयी है तो वह कार्यवाही निकलवाकर, देखकर, निकाल दी जायेगी।

श्री राम प्यारे सिंह–

मान्यवर, जब माननीय सदस्यों की भावना को ठेस लगी तो यह बात कही गयी। अब उस पर पीठ से चिल्लाना शब्द कहा जाय यह दुखद है।

श्री अधिष्ठाता–

जो आपकी पीठ से अपेक्षा है वह पूरी हो गयी उसके बाद शांत हो जाना चाहिए।

श्री राम विशुन आजाद–

हम अपनी भावनाओं को सदन के अन्दर व्यक्त कर सकते हैं। अब हमारी भावना को चिल्लाना कहेंगे कि माननीय सदस्य चिल्ला रहे हैं.....

श्री अधिष्ठाता–

इतना उत्तेजित होकर बोल रहे हैं कम से कम बात भी आ जाये।

श्री राम विशुन आजाद–

अनुसूचित जाति के लोगों पर लांछन लगाने की बात यहां पर कही गयी, अब बाहर भी भेदभाव, अन्दर भी भेदभाव अब इस मामले को हंसी मजाक में ले लिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब व्यवस्था आ गयी है, उसके बाद यह कौन सा अनुशासन है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं धनीराम वर्मा नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार की ओर से यह कहा गया कि बहुत अच्छा प्रदेश चल रहा है हम नयी योजना लाये हैं हमने तरक्की के वह मापदण्ड स्थापित कर दिये हैं जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुए। मान्यवर, जो सत्यता है उसको छिपा नहीं सकते हैं मान्यवर, किसी भी प्रदेश की उन्नति वहां के उद्योगों से हुआ करती है। मान्यवर, कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। जो जमा अनुपात है बैंकों का वह प्रदेश का 29 फीसदी है महाराष्ट्र का 72 प्रतिशत है कर्नाटक में 68 फीसदी और हरियाणा में 43 प्रतिशत और जहां कोई उद्योग लगाने को तैयार न हो कोई यहां बाहर का उद्यमी व्यवसाय नहीं लगाना चाहता है तो कहां तरक्की हो रही है हमारी समझ से बाहर है जो। डंग साहब ने स्पीच दी है और जो सरकार ने आंकड़े दिये हैं कि हम बेपढ़ों को पढ़ा रहे हैं। जो लिटरेसी रेट है यहां का वह 42 फीसदी है और पूरे हिन्दुस्तान का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

54/56 फीसदी है । तो मान्यवर, जब हम केरल के 90 फीसदी से, महाराष्ट्र के 70 फीसदी से अपनी तुलना करते हैं तो हम कहीं खड़े नहीं रहते हैं, हम आखिर में हैं चाहे बिहार से ऊपर हों या बराबर हों तो यह कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहां तरक्की हो रही है केवल भाषण पढ़ने से भाषण पढ़वाने से यह समस्या हल नहीं हो सकती है ।

मान्यवर, प्रति व्यक्ति जो सालाना आय है उसको सुन लें उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है 6700 रुपये, दिल्ली में 22680 रुपये, पंजाब में 18006 रुपये, हरियाना में 14,400 रुपये और महाराष्ट्र में 16,300 रुपये हैं । मान्यवर, इस सरकार ने जो तीन बजट दिये हैं इसमें कोई भी ऐसा मापदण्ड साबित कर दिया हो जिसमें तरक्की सिद्ध हो जाय ।

मान्यवर, यह कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूं कि बहुत पुरानी कहावत है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड । अगर यह मुकाम तय नहीं करेंगे तो सही तरीके से काम नहीं कर पायेंगे । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी जब आये तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो बदमाश गुण्डा होगा उनको खत्म कर देंगे और इन्होंने जब मीटिंग एस० पी० और आई० जी० की बुलाई तो उसमें सीधे यह कहा होगा इन्होंने कि आपने कानून व्यवस्था में कितने मुजरिम पकड़े मान्यवर, यह मुख्य मंत्री और इनके पहले के जो इनकी पार्टी के मुख्य मंत्री रहे हैं उन्होंने जब कानून व्यवस्था की दुहाई सदन में दी तो उन्होंने अपने आंकड़े बता दिये कि हमने इतने आदमी बन्द कर दिये गुण्डा एक्ट में इसका नतीजा यह हुआ कि जो जेबकतरी कर रहा था, चोरी कर रहा था उसके ऊपर गैंगस्टर लगा दिया, दफा 25 का मुकदमा और गैंगस्टर बन गया । मान्यवर, मैं बता रहा हूं कि 6000 केसेज पेन्डिंग है गैंगस्टर के 2000 तक । यह होम डिपार्टमेन्ट्स उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं । पिछले साल 1554 मुकदमें और बढ़ गये । अब 8206 मुकदमें हैं और खूबी की बात यह है कि 155 मुकदमें हर साल तय होते हैं गैंगस्टर के, तो एक आदमी को 60 साल 65 साल इंतजार करना पड़ेगा अपने मुकदमें को हटाने के लिए । मान्यवर, कानपुर दंगे को कानून व्यवस्था के रूप में देखें तो मैं बता रहा हूं कि सरकार ने हर कोशिश करी कि वहां पर हिन्दू और मुसलमानों का झगड़ा हो जाय जो नहीं हुआ । दुबारा 3 दिन पहले फिर हुआ वहां भी हिन्दू मुसलमान नहीं भिड़े वहां प्रशासन और मुसलमानों के बीच टकराव हुआ अगर यही तरीका है सरकार का तो कानून व्यवस्था की दुहाई मत दो । मान्यवर, मैं सारी बात खत्म कर दूं और बिजली की बात न करूं, जिसका बड़ा जिक्र हुआ है तो यह सदन भी माफ नहीं करेगा, और आप भी माफ नहीं करेंगे । मान्यवर, 16 घंटे बिजली गांवों में देने का अभिभाषण में जिक्र किया गया है । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि एकै भी व्यक्ति चाहे वह वह झूठ ही कह दें कि हमारे यहां 12 से 14 घन्टे बिजली मिल रही है । आपने कहीं से बिजली इम्पोर्ट भी नहीं की, बना आप पा नहीं रहे हैं । एक स्कीम जरूर बनी थी, जिसको आप बना सकते थे, अनपरा सी की, लेकिन पिछले 15 सालों से वह ऐसी ही पड़ी है, जिसमें तीन बार यहां बात हो चुकी है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करिये ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं अभी समाप्त किये दे रहा हूं । पता नहीं क्यों यह सरकार हुन्डई से नाराज हो गई, कभी जापान ने लेने से मना कर दिया, इसकी वजह से अनपरा सी को जो आप बना सकते थे, नहीं बना पाये, अब जब ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली मिलेगी नहीं तो वहां क्या मड़ाई होगी, क्या गेहूं कटेगा, मंत्री जी का आज सुबह का बयान है, 4600 बिजली केन्द्र खोल दिये । अभी तक पश्चिम में कटाई ही शुरू हुई है, वहां पर कहां खोल दिये, यह तो वही बता पायेंगे । आप जब बात करते हैं कि 16 करोड़ का यह प्रदेश और 74 फीसदी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के, हमारा पूरा प्रदेश चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्र

उठे, गन्ने की फसल की आप बात करते हो, आप हरियाणा से मिलान मिलाते हो, आपके गन्ने की कीमत और वहां की कीमत में 30 रुपये क्विंटल का फर्क है। मैं आपसे चाहूंगा कि जो हमने और नेता विरोधी दल ने सुझाव रखे हैं, उन संशोधनों को माना जाय।

श्री अजय कुमार पोइया–

माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर डंग साहब ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुखिया सहृदय राजनाथ सिंह जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुखिया द्वारा जो शान्ति व्यवस्था के लिए आमूलचूल सुधार किये गये हैं, वह सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के मुखिया द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें कोई दो राय नहीं कि इससे उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी सभी वर्ग लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुखिया को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर तालिबान अफगानिस्तान में बौद्ध प्रतिमाओं की तोड़फोड़ से उनके धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा है। उन्होंने सारग्रन्थ में बौद्ध प्रतिमा के उसी ऊंचाई की स्थापना का निर्णय लिया है उनके लिए बधाई देना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री राजनाथ सिंह को मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की मलिन बस्तियों को सुधारने के लिए 3052 लाख रु० की जो व्यवस्था की है जिससे उत्तर प्रदेश की मलिन बस्तियों में रहने वाले निवासी हैं, जहां उनकी ओर कोई सोचता भी नहीं है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के मा० मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि तत्कालीन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो आयोग हैं। तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ही पूर्व बहन मायावती जी ने कोई भी वारंट जारी करने के अधिकार से वंचित कर दिया था। वह एन० वी० डब्लू० जारी करने का आयोग को अतिरिक्त सुविधा दें जिससे कि उत्तर प्रदेश के निवासियों के अनुसूचित जाति के ऊपर होने वाले अन्याय को रोकने में आयोग सक्षम हो सके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की संख्या बहुत कम है जिसमें शासन एवं प्रशासन इस प्रकार से चला सकें। वृद्धि हो उच्चशिखर पर बैठे लोगों ने यहां बजट प्रस्तुत किया है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अभिभाषण में जिन-जिन मुद्दों को उठाया गया है वे बहुत ही सराहनीय है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा इस प्रकार का बजट पेश कभी नहीं हुआ जो उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए अच्छा है एवं शांति व्यवस्था है तथा सभी वर्ग उससे आज खुशहाल हैं और उत्तर प्रदेश का जन-जीवन सामान्य रूप से चल रहा है। कुछ असामाजिक तत्व हैं उनको कठोरता के साथ अपनी सरकार निपटायेगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। श्रीमन्, प्रदेश के विकास की अवधारणा को वर्तमान में जब तक हम यह नहीं देख लें कि डब्लू० टी० ओ० विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की योजना विकास की योजना जब हमारे देश में विदेशी सामान सस्ते में आयेगा तो दूध, घी, पनीर आदि आयेगा और आने पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा देंगे। तो आज स्थिति हमारे देश में मंदी की पैदा हो जायेगी। हमारे देश में असमंजस की स्थिति होगी तो हमारे उद्योग चौपट हो जायेंगे, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। हमारे जिले में सरसों अन्य स्थानों की सरसों से 100 रुपया कुन्तल महंगा बिकता है उसमें तेल की मात्रा बेहतर है जो डाक्टर लोग कहते कि जो सरसों का तेल है वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जो तेल आज बाजार में 32 रु० किलो बिक रहा है वह 12 रुपया किलो बिकेगा तो हमारे उत्पादन में असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की हालत तबाह हो जायेगी। जो लोग

गांव से गाय और भैंस का दूध लेकर बेचने आते हैं वह 7-8 रु० किलो बिकता है जब वह 6 रु० किलो बिकेगा उस स्थिति में हमारे दुग्ध औद्योगिक विकास की जो योजना महामहिम ने इस सरकार की घोषणा में की है उस स्थिति में क्या होगा । इस पर ध्यान हमारे प्रदेश सरकार का नहीं है और हमारे जो विधायक भाई बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि हर बात का विरोध नहीं करना चाहिए । इस मुल्क में क्या परिस्थितियां इस नई स्थिति में पैदा होंगी, इस पर विचार करना चाहिए । जब हमारे यहां चीन की साइकिल आ जायेगी बिना पंचर वाली, जब वहां की मोटर साइकिल हमारे यहां 15 हजार रुपये में बिकेगी तो हमारी जो साइकिल इन्डस्ट्री हैं, मोटर साइकिल की इंडस्ट्री हैं उनकी क्या स्थिति होगी । इससे बड़ी बेरोजगारी हमारे देश में आयेगी । इस पर उत्तर प्रदेश सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सरकार कह रही है कि रोजगार के अवसर बढ़ा रही है लेकिन यह स्थिति तब पैदा होगी जब उद्योग धन्धे होंगे, खेती का विकास होगा, तब होगी । जब हमारे बाजार में विदेशी माल बिकेगा और इससे जो कम्पटीशन होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हमारे उद्योग धन्धे उनका मुकाबला कर सकेंगे । हमारे उद्योग मंत्री कहते हैं कि हम उद्योग को बढ़ावा देने की नीति बना रहे हैं । आपकी नीति डब्लू०टी०ओ०, विश्व बैंक और मुद्रा कोष की नीतियों के आधार पर बनती है । मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा देने से जो स्थिति पैदा हुई है और उत्तर प्रदेश में जिसका असर पड़ने वाला है, उससे उद्योग की प्रगति कैसे होगी ? मान्यवर, यह गम्भीर विषय है । इस गम्भीर विषय पर सदन को चर्चा करनी चाहिए । हमारे प्रदेश की आबादी अधिक है और हम बेरोजगार होंगे इस पर विचार करना चाहिए । हम आदरणीय सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि इस पर चर्चा करायें कि प्रदेश की प्रगति का रास्ता कैसे बने ? किस प्रकार से हमारे उद्योग धन्धे चलें ? हमारा कोई उद्योगपति साइकिल का कारखाना लगाना नहीं चाहता, कोई भी उद्योगपति यहां पर किसी भी तरह का कारखाना लगाने को तैयार नहीं है । मान्यवर, जो स्थिति आज पैदा हुई है उस पर हमें गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो जो विकास की घोषणा की गयी है और जो महामहिम राज्यपाल का भाषण आया है उसकी दुर्दशा होने वाली है ।

दूसरी बात मान्यवर, गरीबों के लिए सभी अस्पताल बन्द हो गये, निःशुल्क अस्पताल बन्द हो गये, यह इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है । इस सरकार ने उच्च शिक्षा, के लिए फीस वृद्धि करके गरीबों के दरवाजे बन्द कर दिये हैं, यह इस सरकार की उपलब्धि है । मान्यवर, पंचायत व्यवस्था में पंच वह होता है जो कोई पक्षकार न हो, न वादी हो न प्रतिवादी हो । आप बिजली की बात लें उत्तर प्रदेश के मुखिया न बिजली दे रहे हैं, न पानी दे रहे हैं, किसानों को फसल की वाजिब कीमत नहीं मिल रही है, गन्ना खरीदा नहीं गया । मान्यवर, यह तो हिन्दुस्तान है, पंचायत व्यवस्था में ऐसा कभी नहीं होता । उत्तर प्रदेश के मुखिया ने किसानों की पंचायत की, किसानों को क्या मिला ? बिजली मंहगी हो गयी, गन्ने का भाव मिला नहीं । यही स्थिति धान के मामले में भी है । यह जो स्थितियां पैदा हुई हैं इन स्थितियों में विकास की कल्पना करना एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न है । मैं अनुरोध करूंगा कि पिछली साल जिला प्लान का एक पैसा भी किसी मद में नहीं मिला है, न पी०डब्लू०डी०, न शिक्षा, न पशुधन में एक पाई भी नहीं गया । पांच-पांच गांव प्रत्येक विधान सभा सदस्यों को दिये गये थे और यह बात आयी थी कि इनका विद्युतीकरण किया जायेगा लेकिन एक गांव का भी नहीं हुआ । पिछले वर्ष का जिला प्लान का बजट खत्म कर देना इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है । सत्ता पक्ष के विधायक बैठे हुये हैं लेकिन वह कह नहीं पा रहे हैं । आप अपने नेता को कहिये कि जिला प्लान खत्म कैसे किया, जिला प्लान का पैसा क्यों नहीं पहुंचा, यह बहुत गम्भीर मामला है । यह धोखे वाली बात कब तक चलेगी । यहां उपस्थित माननीय विधायक जी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं । फिरोजाबाद को जिला प्लान का धन नहीं मिला । आखिर में एक बात कहना चाहता हूं । अभी भू-गर्भ जल के बारे में चर्चा आयी । 115 विकास खण्ड हैं जिनमें भू-गर्भ जल बहुत नीचे चला गया है । फिरोजाबाद में भू-गर्भ जल लगभग डेढ़ मीटर नीचे प्रतिवर्ष जा रहा है । महामहिम राज्यपाल महोदय के

अभिभाषण में और जो बजट सरकार ने पेश कर दिया है उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है जिससे भू-गर्भ जल बढ़ाने के लिए कोई योजना लाये हों । महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी पंचायती राज्यमंत्री हैं वह बतायें कि भू-गर्भ जल की वृद्धि के लिए कोई चर्चा हुई । कोई चर्चा नहीं हुई । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भू-गर्भ जल की स्थिति बहुत भयानक होने जा रही है। 1912 में वन विभाग के एक अधिकारी ने अध्ययन किया था जिसमें कहा गया था कि मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद से लेकर इटावा, इलाहाबाद तक उत्तर प्रदेश के इस इलाके में भू-गर्भ जल कम हो जायेगा, लोग पीने के पानी को तरसेंगें, वह स्थिति अब हमारे सामने आ गयी है । इसलिए अनुरोध करना चाहता हूं कि भू-गर्भ जल की पूर्ति के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है । समय है, इस तरफ ध्यान दे, अगर ध्यान नहीं देंगें तो स्थिति बहुत भयानक हो जायेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं और नेता विपक्ष की बात का समर्थन करता हूं ।

श्री जय प्रकाश निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय डंग जी द्वारा रखे गये महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं । मेरा मानना है कि आजादी से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं उसमें 13वीं विधान सभा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, आप पिछला रिकार्ड निकाल कर देखें, सभी सरकारों की रिकार्ड निकालकर देखिये, चाहे गांवों का विकास हो या शहरों का विकास रहा हो या किसी भी समस्या के समाधान के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में हुआ है उतना कभी भी किसी सरकार में आजादी से लेकर इन 52 सालों में नहीं हुआ । वर्तमान सरकार गांव और किसान के उत्थान को धुरी बनाकर, लक्ष्य बनाकर बजट लायी है और सरकार का प्रयास है कि निरन्तर किसानों की समस्या और गांवों की समस्यायें क्या हैं, उसका समाधान कैसे करें । इस प्रकार की सोच अभी तक किसी भी सरकार की नहीं रही । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार आयी है जिसमें किसानों की समस्याओं को सुनकर उसके समाधान के लिए उचित प्रयास किया है । उसके लिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं । धान क्रय के माध्यम से किसानों को राहत दी गयी । पूरे प्रदेश का रिकार्ड मेरे पास नहीं ला पाया हूं लेकिन मैं जानता हूं कि देवरिया जनपद में पिछले वर्ष 6 हजार कुण्टल धान की खरीददारी हुई थी । इस वर्ष सरकार द्वारा एक लाख 25 हजार कुन्टल धान की खरीददारी हुई हैं । इस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में रिकार्ड तोड़ खरीद सरकार द्वारा हुई । इस प्रकार सरकार के द्वारा जितनी भारी मात्रा में किसानों का धान खरीदा गया है उतनी भारी मात्रा में पहले कभी भी खरीद नहीं की गई इसी प्रकार पिछले वर्ष गेहूं की खरीददारी के लिए सरकार ने हिम्मत के साथ क्रय केन्द्र शुरू किये थे बड़े पैमाने पर खोलने का निर्णय लिया था । इस वर्ष श्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि और प्रत्येक किसान का उचित गेहूं उचित दर पर आवश्यक होगी प्रदेश में बड़ी पैदावार पैमाने पर हुआ है । जिससे किसानों को यह भय था कि सरकार हमारा अनाज नहीं खरीद पायेगी लेकिन भारी पैमाने पर धान खरीद कर हमारी सरकार ने किसानों को यह विश्वास दिला दिया है कि हमारी सरकार आगे गेहूं की भी खरीद करेगी और इसके साथ हमारी जो कृषि नीति है उसी के चलते रिकार्ड उत्पादन हुआ है इससे यह स्पष्ट है कि किसानों को बिजली, पानी खाद की कहीं कोई समस्या नहीं है इससे पहले गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका से खाद्यान्न सरकार द्वारा मंगाया जाता था वहीं लोग खाते थे और हम लोगों के स्रोतों में भी खाने को मजबूर होते थे और मजबूरी बस हमें पेट भरने के लिए सड़ी बजरिया खाना पाना पड़ता था । हालत यह था कि चार-चार दिनों तक लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते थे लोगों को भूखा रहना पड़ता था लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसे भूखा रहना पड़ता हो आज कहीं पर भी अनाज की कोई कमी नहीं है ।

मान्यवर, मैं एक बात और बताना चाहता हूं आलू के बारे में, पिछले वर्ष आलू की रिकार्ड पैदावारी हुई लेकिन उसके सही दाम किसानों को नहीं मिल रहे थे, कोई आलू की खरीद पचास पैसे किलो तक नहीं कर रहा था जबकि हमारी सरकार के समय में भी आलू की रिकार्ड पैदावारी हुई है और किसानों को उसका दाम भी कम से कम तीन-चार रुपये प्रति किलो मिल रहा है इस प्रकार हमारी सरकार द्वारा इस समय बिजली भी 18 घन्टे बिजली तहसील मुख्यालय पर और 12 घन्टे ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही है। इससे यह बात स्पष्ट है किसानों को बिजली, पानी, खाद की कहीं कोई कमी नहीं है और अनाज का उत्पादन भी सही है बिजली, पानी, खाद्य का संचालन भी सही रूप से हो रहा है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार ने विधायकों के लिए विधायक निधि की भी व्यवस्था की है जिससे विधायकों के क्षेत्रों में जो समस्याएं होती थी वे छोटी मोटी समस्याएं अब विधायक निधि की व्यवस्था हो जाने से विधायकों को नहीं होगी। और वे अपने क्षेत्र की उन समस्याओं को जिनको समय से नहीं पूरा कर पाते थे उनको समय से पूरा कर लेंगे और नियमों और कानून की जो समस्याएं थीं वह नहीं होंगी और क्षेत्रों का संतुलित विकास होगा इस प्रकार इस विधायक निधि से अब तक विकास कार्यों में जो समस्याएं आ रहीं थी उनका समाधान हो जायेगा। मान्यवर, मेरा एक छोटा सा सुझाव है। जमींदारी एवोलीशन और विकास अधिनियम किसानों के लिये बनाया गया। जिस समय यह बना उस समय देश की जनसंख्या 38–40 करोड़ थी इस समय देश की आबादी 100 करोड़ है। तो इस अधिनियम में परिवर्तन होना चाहिये। किसानों को अपनी जमीन का पार्ट कराने में दिक्कत होती है। जिस आदमी का काम नहीं चलता है वह अपनी जमीन बेचना चाहता है तो उस पर रोक लगी होने के कारण वह उसको बेच नहीं पाता है जिससे किसान परेशान होते हैं इसलिये इस अधिनियम में सुधार करना चाहिये इसके लिये शासनादेश सरकार को लाना चाहिये। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और माननीय डंग जी द्वारा जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में आपने भाग लेने के लिये मुझे अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, बजट भाषण तो मैंने भी पढ़ा है और उस पर चर्चा भी बहुत से माननीय सदस्य कर चुके हैं। कानून व्यवस्था पर बहुत डिटेल से चर्चा हुई है। हर तरह के अपराध इस प्रदेश में बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो गयी है। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बार सरकार ने मात्र 5 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया है। सरकार ने आदेश दिया था कि 14 दिन में किसान का पेमेंट हो जायेगा। हमारे यहां मोदीनगर शुगर मिल, मलकपुर शुगर मिल, अगौता शुगर मिल, मुहीउद्दीनपुर शुगर मिल पर 173 करोड़ 98 लाख रुपया बकाया है। जो आपकी 14 दिन में पेमेंट की घोषणा थी वह खोखली साबित हुई है इतना ही नहीं मोदीनगर शुगर मिल पर किसान धरना दे रहे हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी०पी०सिंह भी वहां धरने पर हिस्सा लेने पहुंचे। माननीय मुख्य मंत्री जी से वहां के 15 लोगों का एक डेलीगेशन 23 तारीख को मिला। उन्होंने कहा कि हमारी लड़कियों की शादी की डेट हटानी पड़ रही है। गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है। आपने कहा था कि रिकवरी किसान से नहीं की जायगी लेकिन रिकवरी हो रही है और किसानों को जेल भेजा जा रहा है। प्रदेश में केवल 4 चीनी मिलों पर 174 करोड़ रुपया बकाया है तो पूरे प्रदेश की चीनी मिलों पर कितना बकाया होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री जी गन्ने की स्थिति से अवगत होंगें।

संसदीय कार्य, स्वतन्त्र प्रभार वित्त, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

हमारे यहां इस जिले में 15 दिन पर पेमेंट हो रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहां 14 दिन पर पेमेंट हो रहा है तो क्या वह एक जिले के मिनिस्टर हैं या पूरे उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर की हैसियत से यह बात कह रहे हैं । माननीय अधिष्ठाता जी, पहले आप हमारे जिले के प्रभारी मंत्री थे और अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं वह गौतमबुद्ध नगर को मीटिंग में गये थे । सत्तापक्ष के विधायक माननीय होराम सिंह जी ने मंत्री जी से शिकायत की और मैंने भी शिकायत की थी बमकौर और जेवर ब्लाक में धान की खरीद नहीं की जा रही है । मंत्री जी ने निर्देश किया था कि 3 दिन में सूचना दी जाय कि 10 क्विटल से ज्यादा धान दमकौर और जेवर ब्लाक में खरीदा गया है या नहीं । वह सूचना मेरे पास आयी है । दमकौर ब्लाक में ही अकेले लाखों टन धान पैदा हुआ है । वहां मात्र 7 किसानों से 10 कुंतल ज्यादा धान खरीदा गया । 10 कुंतल से कम धान लेकर तो कोई ट्रेक्टर ट्राली में आता नहीं है भैंसागाड़ी में भी 10 कुंतल से ज्यादा धान आता है । मेरे पास जो सूची आई थी उसमें 7 किसान मात्र थे दो गांव अट्टा गजराना और सालारपुर के यह धान की स्थिति है । अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि एक लाख 25 हजार कुंतल धान एक ही जिले में खरीदा गया तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने या सरकार ने दो चार जिलों में ही धान खरीदने का निर्देश दिया है । अभी तक सरकार ने यह आंकड़े एक भी नहीं दिये कि इस वर्ष धान पैदा कितना हुआ है । यह 5 लाख 40 हजार टन खरीदने की बात कर रहे हैं । मेरा कहना है कि 25 लाख टन से ज्यादा धान पैदा हुआ है । अगर 5 लाख 40 हजार टन धान खरीदा गया तो बाकी धान कहां गया । बाकी धान बरबाद हुआ है । मैं मेरठ मण्डल की बात कर रहा हूं वहां स्थिति भयावह है । एक विचित्र चीज मुझे बजट भाषा में देखने को मिली आप 22 पेज पर इसके देखें जहां महिलाओं के उत्थान की बात आई है दुग्ध विकास में उसमें लिखा है इस बजट में गांवों में रहने वाली महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कि मेरी सरकार द्वारा महिला डेरी परियोजना के अन्तर्गत 1266 समितियों का गठन किया गया है तथा 42,043 महिला सदस्यों के माध्यम से 34,570 ली० दुग्ध प्रति दिवस दुग्ध उपार्जन किया गया है । मेरी समझ में नहीं आया है कि सरकार की नीति क्या है । किस जानवर का दुग्ध इकट्ठा किये हैं । मेरे यहां एक भैंस 15-20 ली० औसत दूध देती है महिलाएं लगी हैं 42,043 तथा 24 घंटे में दो बार दुग्ध इकट्ठा हुआ 34,570 ली० एक टाइम में 17 हजार ली० के करीब दूध एक महिला पर 350 एम०एल० दुग्ध आ रहा है इससे प्रदेश की महिलाओं का उत्थान कैसे होगा । अगर आप एक महिला को एक भैंस भी दे देते तो कम से कम 42 हजार ली० दुग्ध इक्ट्ठा होता । महामहिम राज्यपाल महोदय अभिभाषण में इस तरह की बातें आने से सरकार की स्थिति हास्यास्पद हो जाती है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

यह सारी चीजें सत्य से परे लिखी है । प्रदेश की जनता इनको पढ़ रही है । मेरे पास पत्रकार साथी बैठे थे कुछ जिले के आये हुए थे उन्होंने भी यह पढ़ा था वह जाकर इसको अपने यहां दिखाएंगे । इससे सरकार की विश्वनीयता कहीं नहीं रहेगी वैसे तो सरकार की विश्वसनीयता है ही नहीं । इन चीजों को पढ़कर तो लोगों की नजरों में सरकार की विश्सनीयता कहीं नहीं रहेगी । इन सबके साथ मैं नेता प्रतिपक्ष के द्वारा रखे गये संशोधन पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । श्रीमन्, आजकल लखनऊ की सड़कों पर बोर्ड लगा हुआ है पारदर्शिता नीति में ही नजर आयेगी । वह पारदर्शिता महामहिम के भाषण में नजर आ रही है । सन् 1939 और 45 के युद्ध में जर्मनी के रेडियो मिनिस्टर फील्ड मार्शल डा० गोबिल हुआ करते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उनसे अच्छा झूठ

दूसरा कोई नहीं बोल सकता और यह मैं अपना सौभाग्य कहूं या इस प्रदेश का दुर्भाग्य कि आज एक ऐसी सरकार का गठन इस प्रदेश में है जो गोविन्स को मात कर रही है । महामहिम ने उत्तर प्रदेश में नई खनिज नीति की बात की है । महामहिम ने कहा पट्टे पर खरीद लिया जायेगा हजारों लोगों को लाभ होगा यहां सदन में महामहिम का प्रस्ताव आ गया । अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि खनिज पट्टे उत्तर प्रदेश के जिन जनपदों में हो रहे हैं उनमें सोनभद्र, मिर्जापुर, बुन्देलखण्ड, वाराणसी, ललितपुर उनका पता लगा लिया जाय । इन पट्टों का दस्तूर क्या है ? यह गरीबों को लाभ पहुंचा रहे हैं या वर्ग विशेष को लाभ पहुंचा रहे हैं । दूध की बात हमारे माननीय सदस्य ने बतायी ।

सिंचाई की बात में उत्तर प्रदेश आज कृषि प्रधान देश है । यहां पर 86 प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है और गांव में रहने वाली जनसंख्या 76 प्रतिशत कृषि पर निर्भर रहती है । यह कृषक हैं या कृषक मजदूर और खेती के लिए सम्भवतः सिंचाई सबसे आवश्यक चीज है अज एक ऐसी सरकार बनी है जिसको इस बात का ख्याल नहीं है । डा० के० एल० राव भारत सरकार के सिंचाई मंत्री थे । मैं जनपद मिर्जापुर से चुनकर आता हूं । हमारे क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल दोनों की भीषण समस्या थी । डा० राव वहां गये और उन्होंने सर्वेक्षण के बाद कहा कि इस समस्या का उद्धार दो जगहों से हो सकता है या तो सोन नदी से या गंगा से । गंगा का जल आने में परेशानी होगी सोन का जल इस पछार में कर दिया गया । 1974 में योजना मंजूर हुई और चालू हो गई । आज हमारे निवर्तमान मुख्य मंत्री जी कल्याण सिंह जी उनका कहना था यह योजना लक्जरी है । अधिष्ठाता जी 77 में भारत के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी थे और उन्होंने वैज्ञानिक विभाग के बारे में कहा था कि यह हमारे लिए लक्जरी है । उनमें से 6 वैज्ञानिकों को जो सेटेलाइट बनाया करते थे उस समूह में शामिल कर लिया गया । रूस, अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन और भारत वही लक्जरी थी । सोन का पानी वहां प्रति वर्ष शासन की तरफ से 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये पेयजल में टैंकरों के द्वारा पानी लेकर जन वितरित कराने के लिए दिया जाता था । सौभाग्य है हमारे मुख्य मंत्री जी चन्दोली जनपद के हैं । उनके जनपद में नौगढ़ क्षेत्र है जहां अभी भी टैंकर से पानी जाता है । हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री जनपद मिर्जापुर से हैं और सम्भवतः उनको जानकारी होगी कि पठार पर पेयजल टैंकरों से जाता है । सोन की योजना बनकर तैयार हुई, चल रही थी लेकिन बन्द कर दी गयी । कहा जाता है इसमें 30 मेगावाट बिजली का खर्चा होगा । बिजली का बिल इतना ज्यादा होगा कि पानी महंगा हो जायेगा । किसान उसको नहीं दे सकेगा और यह सोचकर निर्णय लेकर उसको बन्द कर दिया गया । उस पर सैकड़ों-करोड़ों रुपये खर्च हुआ था । यही हालत नहरों की भी है ।

उत्तर प्रदेश में 76 हजार किलोमीटर नहरें हैं । पंचम्, षष्टम्, सप्तम् और अष्ठम् वित्त आयोग ने इन नहरों के रखरखाव का खर्चा बढ़ाया । नहरों के रख-रखाव में क्या होता है ? नहरों की सफाई होती है और नहरों की सफाई जब होती है तब नहरों में पानी की क्षमता बढ़ती है । इसी सदन में हमारे सम्मानित विधायक लोगों ने बार-बार यह प्रश्न किया कि नहरों की टेल तक पानी नहीं आ रहा है कैसे होगा ? जब नहरों की सफाई नहीं होगी, नहरों में क्षमता नहीं बढ़ेगी तो टेल तक पानी नहीं जायेगा । आज इस मद में जो धन मिलता है उसका क्या सदुपयोग होता है यह अधिष्ठाता महोदय आप स्वयं भलीभांति जानते होंगे । हम जानते हैं कि नहरों की सफाई नहीं हो रही है । उसमें बालू भरी है, मिट्टी भरी है । 50 क्यूसिक की है तो उसमें उतना नहीं है । हमारे यहां 30 हजार राजकीय नलकूप उत्तर प्रदेश में से 60 हजार किलोमीटर नहरें और गूल बनी हैं । आज इतने नलकूपों में से 12,876 नलकूप उत्तर प्रदेश में बन्द पड़े हैं । उनके मेन्टीनेंस की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी उस क्षेत्र से हैं जहां किसान यदि नलकूप की मरम्मत करवाना चाहता है तो अपने ट्रैक्टर पर लाद कर ले जायेगा, अपने हाथ से कम्प निकालेगा तब विभाग उसकी मरम्मत करेगा । किसान का

सौभाग्य होगा यदि विभाग उसकी मरम्मत कर दे। करेगा। 60 हजार किमी० लम्बी मूल हैं और गुलों की क्या हालत है ? मैं इस प्रदेश का सिंचाई मंत्री रहा हूं। आपके जनपद में था मुज्जफरनगर में। जाड़े की रात में एक नहर की गूल टूट गई। वहां किसान अपने खेत के लिये वहां से पानी ले जा रहा था। जहां से गूल टूटी थी वह किसान वहां पर लेटा था अपनी पीठ से पानी रोक कर अपने खेत में पानी ले जा रहा था। यह उसके लिये पानी की महत्ता थी। शासन के लिये पानी की क्या महत्ता है। बिजली के बिल का, नलकूपों के रखरखाव के लिये किसान पर चार्ज लग जायेगा मगर गूल टूट जायगी वह ठीक नहीं होगी। किसान नहीं देगा तो आर० सी० जारी हो जायेगी। श्रीमन्, हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं। यह मौसम है गेहूं का। आज भी लाखों टन गेहूं खेतों में पड़ा हुआ है। कटाई और मढ़ाई के लिए गांव में बिजली नहीं आ रही है मढ़ाई कैसे होगी। शासन की नीति पारदर्शिता की है यह सोच रहे हैं गेहूं खेत में पड़ा रहे ताकि किसान का गेहूं खरीदने का मौका न मिले वर्षा हो जाये और यह कह दें गेहूं सड़ गया है। यह लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। यह कृषि प्रधान देश है। हम गांव से आते हैं किसान की फसल पड़ी रहे हम बिजली न दें, रोज हमारे सम्मानित मुख्य मंत्री जी घोषित करते हैं। मुख्यमंत्री जी के बयानात हैं कि गांव में बिजली की कटौती नहीं होगी। 8-10 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन मिलती है डेढ़-दो घंटे, वह भी हफ्ते में तीन दिन। कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस क्षेत्र में भवानीपुर नाम का गांव है। यह हमारे क्षेत्र बिहार से लगा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप करें।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वहां पर गोली चली वहां की स्थिति जानते हैं थाना नौगढ़, थाना सुकुल, थाना पन्डकगंज, थाना घोरावल, थाना राजगढ़ थाना मड़ियान, थाना करमा नक्सली किसानों की फसल ले जाते हैं गांव में कोई सन्देह हो जाये तो उस व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं। हम जहां रहते हैं मुश्किल से ढाई किलोमीटर दूर तक लगे सड़क एक महिला मारी गई उनको संदेह था यह महिला पुलिस की मुखबरी करती है। नौ वर्ष का लड़का मारा गया उनको संदेह है कि यह लड़का पुलिस को सूचना देता है। गांव में जाते हैं तो गांव के लोग उन्हें खिलाते हैं जो नहीं खिलाता है उसका मर्डर कर देते हैं। अगर आपने उचित समय पर, उचित कार्यवाही नहीं की तो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल बलिया से लेकर मिर्जापुर तक और हिमालय की सरहद का क्षेत्र चम्पाराड़ बिहार तक इस चपेट में हैं। राजनीति के लिए प्रदेश को आग में नहीं रखना चाहिये। आप प्रदेश को न जलाइये। असलहे गांव को देने का क्या अंजाम होगा। गांव-गांव में गोलियां चलेंगी। यह गलती न करें। आप अपनी एक टीम भेजें। मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में वही गलती हुई। असलहे आंध्र प्रदेश में दिये गये इसका परिणाम है कि गोलियां चल रही हैं, लूट हो रही है, क्या आप चाहते हैं यही हालत हो ? गोलियां चलें, लूट हो। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है जो उसी क्षेत्र के हैं वह चेतें अन्यथा उत्तर प्रदेश आग की ज्वाला बनकर धधक जायेगा। धन्यवाद।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मैं संशोधन के प्रस्ताव के समर्थन पर अपनी बात कहूंगा। माननीय डंग साहब ने धन्यवाद के प्रस्ताव रखते हुए इस सरकार की हर मौके पर भूरि-भूरि प्रशंसा की। मैं उनकी बात को झुठला लेने की हिम्मत तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि वह एक अच्छे पार्लियामेन्टीरियन और सम्मानित सदस्य है लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि माननीय डंग साहब अपनी सरकार के मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों से विचारों का आदान-प्रदान नहीं करते हैं। अगर उनका आदान-प्रदान होता रहता तो जो उ० प्र० के एक मंत्री ने प्रेस से कहा कि

गाजियाबाद में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, उससे अपने को अलग न करते । बुलन्दशहर के इसी सरकार के सहयोगी मंत्री ने कहा प्रेस के सामने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी जब पी०टी०सी० की सलामी लेने के लिये गये थे तो उन्होंने मुरादाबाद में कहा था कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत है । महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह कहा है कि "मोर नीड्स टू बी डन आन लॉ एण्ड आर्डर फ्रंट" । इसका कारण यह है कि मंत्रीमण्डल और माननीय सदस्य इस चीज को नहीं देख रहे हैं और कमियां होती जा रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है । माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने नारा दिया कि "पारदर्शिता अब नीति में नहीं बल्कि नीयत में भी दिखायी देगी" । पारदर्शिता दिखायी दे रही हैं । अभिभाषण में यह कहा गया कि दलितों पर अत्याचार नहीं किया जायेगा । लेकिन अखबार में क्या है–"प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न बढ़ा", "दबंगों की पिटाई से दलित युवती का गर्भपात", "हर पचास मिनट में एक दलित पर जुल्म", राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री श्रीराम अरुण का कहना है कि प्रदेश में दलित उत्पीड़न की घटनाओं के गिरते ग्राफ के पीछे एक मुख्य वजह यह भी है कि इस अधिनियम के तहत मुकदमों की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी तक ही कर सकते हैं । विवेचना से बचने के लिए पुलिस उपाधीक्षक दलित उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करते हैं।" इस तरह से बहुत से उदाहरण हैं जिनकी वजह से सत्ता पक्ष के सदस्य और मंत्रिमंडल के सदस्य यह कहने पर मजबूर हैं कि शांति व्यवस्था बिगड़ी हुई है और सुधार कंट्रोल से बाहर है । उसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी निरंकुश हो चुकी है । इस सरकार का कोई अंकुश नहीं है और कारण भी है कि एक-एक विभाग के 6-6 विभाग बन गये हैं और 6-6 मंत्री बना दिये गये हैं । अब हर अधिकारी के हिस्से में एक मंत्री आ गया है । उसकी पहुंच बढ़ गयी है और उसे डर नहीं रहा । एक उदाहरण दूं । इसी प्रशासन में एक अधिकारी है श्री अनीस अंसारी साहब, सीनियर आई०ए०एस० हैं जिन्होंने सर्विस रूल्स का उल्लंघन करते हुए जिसमें स्पष्ट दिया है कि कोई भी अधिकारी इलेक्टेड पोस्ट का इलेक्शन नहीं लड़ेगा और उन्होंने उसकी परवाह नहीं की बाम्बे कोआपरेटिव मरकेन्टाइन बैंक के डायरेक्टर पद पर निर्वाचित कराया, सरकार से अनुमति नहीं ली 18 अक्तूबर, 1999 को निर्विरोध इलेक्ट होकर डायरेक्टर बन गये । इस सरकार में बैठे हुए माननीय मंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को भी यह पीड़ा है । भाजपा सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर दी अवगत कराया, माननीय मंत्री ने अलग तारीख में चिट्ठी लिखकर दी माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया । आप अधिकारियों के आगे बेवस हैं, सर्विस रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं । किसान पंचायत का इसमें जिक्र किया गया, 2 हजार चार हजार की रिकवरी पर किसानों को जेलों में बंद किया जा रहा है किसानों को पीटा जा रहा है दूसरी ओर 5 लाख 10 लाख के बकायेदार पर कोई कार्यवाही नहीं है । वे कितने लोग जेल में चले गये। आपने किसानों की बात की है बिजली नहीं मिल रही है खाद नहीं आ रही है धान की खरीद नहीं, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है । आपने कहा कि 3 साल से रिकार्ड उत्पादन हुआ आलू का धान का गेहूं का गन्ने का किसान को क्या मिला ? वही अनाज जब किसान का जमीखोरों के पास पहुंच जाता है तो उसका भाव चार गुना हो गया आलू का एक्सपोर्ट होने लगा । व्यापारी पंचायत हुई क्या नया काम कर दिया । आपने कहा 3/7 खत्म कर दिया, यह तो माननीय मुलायम सिंह जी ने खत्म कर दिया आपने फिर लागू करने की कोशिश की फिर खत्म करना पड़ा । शिक्षक पंचायत हुई शिव सुन्दरी मान्टेसरी स्कूल, मुरादाबाद का वेतन एरियर व फिक्सेशन का चार लाख रु० बी०एस०ए० के एकांउट में है लेकिन वहां के जो शिक्षा माफिया हैं मैनेजमेंट है पैसा नहीं बाटना चाहते हैं दो साल से वहां के शिक्षक अनुरोध कर रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही है । आपने किसान के फसल के मॅय की बात कही है आप वह दिला नहीं रहे हैं । किसान सुसाईड कर रहा है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में तो सुना था आप बधाई के पात्र हैं जब से माननीय राजनाथ जी मुख्य मंत्री हुए हैं, काश्तकार सुसाईड कर रहा है । पंचायतों को शक्तियां की बात कहीं गयी प्रधानमंत्री योजना से जो पैसा आया जिला योजना को उसमें सम्मिलित कर दिया अब जो

जिला योजना के अधिकार थे उसको उसमें सम्मिलित करके हमारे उन अधिकारों को खत्म करने का काम कर दिया आज तक प्रधानमंत्री योजना से सम्बन्धित कार्यक्रम की बैठक नहीं हो सकी है वह पैसा कितना आया कहां चला गया ? पर्यटन आपके पास कुछ है नहीं उत्तरांचल में 75 प्रतिशत चला गया, जो 25 प्रतिशत आपका रह गया है । उत्तरांचल बनाकर आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली वन विभाग चला गया । प्राथमिक शिक्षा में आपकी शिक्षा नीति लागू नहीं हो रही है जब 300-400 बच्चों को टीचर बिठा नहीं पायेगा तो पढ़ायेगा क्या ? दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों में 50 बच्चों पर एक टीचर पढ़ा रहा है । अल्पसंख्यक कल्याण की बात है जितना अनुदान आप दे रहे हैं प्रदेश मुख्यालय पर 20 प्रतिशत ले लिया जाता है जब जिले में जाता है यह सबको मालूम है । आपने कितने स्कूलों को अनुदान दे दिया कितनों का नवीनीकरण कर दिया । आपने 700 कुछ माडेल स्कूल बना दिये क्या कर दिया कम्प्यूटर दे दिया, क्या माडल बना दिया है ? मान्यवर, मुरादाबाद के एक मदरसे के शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद 3 साल से तनख्वाह नहीं दे रहे हैं और माननीय मंत्री जी फर्जी कमेटी की एक फर्जी टीम को वेतन दे दिया गया और माननीय हाईकोर्ट में उसके खिलाफ कंटेम्ट आफ कोर्ट का केस चल रहा है । मान्यवर, यह बात बुनकरों की करते हैं इनके मंत्री जी ने कल इसी सदन में एक सवाल का जवाब दिया है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, यह अपने कार्यालय भवन का किराया तक तो दे नहीं पा रहे हैं मुरादाबाद में सवा दो लाख रुपया यूपिका पर किराये का श्रीपति उमासरन का ही बकाया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, आप बैठ जायें ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, यहां पर दूध का उत्पादन नहीं हो रहा है इस सरकार में कृत्रिम दूध का उत्पादन अवश्य किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

यदि आप समाप्त नहीं करेंगे तो मुझे न लिखने के लिए कहना पड़ेगा ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं––

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 अप्रैल, 2001 की बैठक में सदन के दिनांक 25 अप्रैल से 1 जून, 2001 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :––

(1) दिनांक 26 तथा 27 अप्रैल, 2001 को सदन की बैठक न हो ।

(2) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को निलम्बित करते हुए निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण की मदें दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को ही ले ली जायं :–

(क) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (आधा घण्टा)

(ख) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (आधा घण्टा)

(ग) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (आधा घण्टा)

(3) सदन का दिनांक 25 अप्रैल से 1 जून, 2001 तक का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :–

अप्रैल, 2001

25 बुधवार

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

(2) 5.00 बजे अपराह्न से

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(1) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001–आधा घण्टा ।

(2) उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001–आधा घण्टा ।

(3) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–आधा घण्टा ।

(4) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–आधा घण्टा ।

(5) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–आधा घण्टा ।

26 गुरुवार
27 शुक्रवार
28 शनिवार
29 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

30 सोमवार

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)

मई, 2001

1 मंगलवार

(1) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

(2) असरकारी दिवस (आधा दिन)

अप्रैल, 2001

(3) (क) नियम–103 के अन्तर्गत श्री बालचन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय।"

(ख) नियम–103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामन नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय।"

(ग) नियम–103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा (.....) सदस्यगण, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पालीथीन बैग्स के कारण जन-स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबन्दी लगायी जाय।"

2 बुधवार — (1) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य

3 गुरुवार
4 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

5 शनिवार
6 रविवार
7 सोमवार — (बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश) (बैठक नहीं होगी।)
8 मंगलवार — (हनुमान जी का मेला का अवकाश)

9 बुधवार
10 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

11 शुक्रवार — असरकारी दिवस (आधा दिन–आधा दिन 4 मई, 2001 के स्थान पर)

12 शनिवार
13 रविवार — बैठक नहीं होगी।

अप्रैल, 2001	
14 सोमवार 15 मंगलवार 16 बुधवार 17 गुरुवार 18 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
19 शनिवार 20 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
21 सोमवार 22 मंगलवार 23 बुधवार 24 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
25 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस । (आधा दिन–आधा दिन 18 मई, 2001 के स्थान पर) (2) 5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य ।
26 शनिवार 27 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
28 सोमवार 29 मंगलवार 30 बुधवार 31 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
जून, 2001	
1 शुक्रवार	(1) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (2) 4.00 बजे अपराह्न से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रीकरण शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न वर्गीकृत किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

मुझे ऐसा लगता है कि अब अध्यादेश ले लिये जायें और जो लोग चर्चा के लिए रह गये हैं, वह 30 को भाग ले लेंगे । अब विधेयकों को ले लें ।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001, के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसे ही पास करा दें तो हम केवल प्रस्तुत कर दे रहे हैं ।

मानयवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है ।

(मद संख्या–9 पुकारे जाने एवं माननीय मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

पहले मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह तो गलत हो जायेगा, प्रश्न तो दोनों एक साथ ही उपस्थित होंगे ।

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, करापवंचन को रोकने, कर की वसूली सुनिश्चित करने एवं कर प्रणाली में सुधार को ध्यान में रखते हुए व्यापार कर अधिनियम में कतिपय संशोधन किया जाना अनिवार्य पाया जाए और उक्त के क्रियान्वयन हेतु अध्यादेश के द्वारा कतिपय संशोधन भी किये गये थे । उक्त संशोधन को समावेश करते हुए अन्य संशोधनों के साथ उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 प्रस्तुत किया जा रहा है । इस विधेयक द्वारा किये जाने वाले मुख्य संशोधन निम्नवत् हैं :–

श्री अधिष्ठाता–

इसको पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से यह अंश पढ़ा हुआ माना गया)

[(1) व्यापार कर अधिनियम की एक विशिष्ट धारा में एक अन्य धारा का उल्लेख करते हुए कर की दर 8 प्रतिशत लिखी गयी थी, इस अन्य धारा में संशोधन करते हुए कर की दर 10 प्रतिशत कर दी गयी थी । इस विषमता को दूर करते हुए इस विशिष्ट धारा में कर की दर 10 प्रतिशत संशोधित रूप में रखा जा रहा है ।

(2) निर्माता इकाइयों को कच्चे माल के क्रय हेतु रियायती दर से कर देने की सुविधा प्राप्त है किन्तु कभी-कभी जिस वस्तु का व्यापारी निर्माण करते हैं उसमें प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल को पूर्व में व्यापारी के द्वारा घोषणा करने से छूट जाता था और ऐसे व्यापारी को रियायती दर का लाभ नहीं मिल पाता था । संशोधन करते हुए यह प्राविधान किया जा रहा है कि यदि पूर्व में अघोषित कच्चे माल का वास्तव में निर्माता व्यापारी के द्वारा निर्माण में प्रयोग किया गया है तब उप कमिश्नर की अनुमति से वह ऐसे कच्चे माल के क्रय पर रियायती दर का लाभ प्राप्त कर सकेगा । इस प्रकार व्यापारियों को सुविधा पहुंचेगी ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(3) (क) व्यापारियों पर ब्याज की देयता प्रथम बार किये गये कर निर्धारण के अनुसार संबंधित तिथि से रखी जा रही है, जो पूर्व में पुनः कर निर्धारण की कोई तिथि के अनुसार ही है । इससे व्यापारी शीघ्र कर जमा करेंगे एवं अनावश्यक विवाद न्यायालयों में अनिस्तारित अवशेष रखने का प्रयास नहीं किया जायेगा ।

(ख) व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत रुपया 10 लाख वार्षिक से अधिक विक्रय धन वाले व्यापारी को रुपया 1 हजार की जमानत नकद अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के द्वारा जमा करने का प्राविधान था और व्यापार की समाप्ति के बाद ऐसी धनराशि पर पोस्ट आफिस, सेविंग बैंक एकाउन्ट में नियत दर पर ब्याज के अनुसार व्यापारी को धनराशि की वापसी की जाती थी । व्यापार कर अधिनियम में जमानत लिये जाने की और अन्य व्यवस्थायें भी हैं अतः इस व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है जिससे व्यापारियों को राहत पहुंचने के साथ प्रक्रिया का सरलीकरण भी होगा ।

(4) उपरोक्त धारा 4 में किये गये संशोधन के परिणाम स्वरूप संशोधन से संदर्भित है ।

(5) व्यापार कर अधिनियम में संकर्य कार्य संविदा में संविदी को भुगतान के समय 4 प्रतिशत की दर से कटौती करने का प्राविधान इस शर्त पर है कि कमिश्नर व्यापार कर यदि चाहें तो कटौती की दर 4 प्रतिशत से कम कर सकते थे । कर निर्धारण कार्य अन्तिम रूप से कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा किया गया है । अतः व्यापारियों को सुविधा दिये जाने हेतु इस कटौती में कमी करने के अधिकार कमिश्नर व्यापार कर के स्थान पर कर निर्धारक अधिकारी को दिया जा रहा है ।

(6) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में कुछ विक्रेताओं को व्यापारी की परिभाषा में नहीं रखा गया है यद्यपि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति व्यापारी की परिभाषा में आते हैं । करापवंचन के उद्देश्य से ऐसे व्यक्तियों के द्वारा प्रांत बाहर के व्यापारियों के क्रेता ऐजेंट के माध्यम से प्रांत बाहर माल भिजवायें जाने पर कर की अदायगी सुनिश्चित नहीं हो पाती थी क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना संभव नहीं होता है । इस कारण व्यापार कर अधिनियम में ऐसे समव्यवहारों पर जब क्रेता ऐजेंट के द्वारा प्रांत बाहर माल भिजवायें जाने वाले व्यक्ति विशेष को भुगतान किया जायेगा जब 54 प्रतिशत या उससे कम दर पर कटौती करके राजकीय कोषागार में जमा करने का अधिकार दिया जा रहा है ।

(7) व्यापार कर अधिकरण के एक सदस्यीय पीठ को दिनांक 9 जुलाई, 97 से रुपया 50 हजार से अनधिक विवादित अपीलों का अधिकार निस्तारण हेतु दिया गया है और इसके पूर्व यह सीमा रुपया 10 हजार विवादित धनराशि तक की थी । ऐसी अपीलें जो दिनांक 9 जुलाई, 97 के पूर्व की रुपया 50 हजार से अनधिक विवादित धनराशि की लम्बित है उनके निस्तारण में कठिनाई आ रही थी अतः इस कारण ऐसी पुरानी अपीलों के निस्तारण का अधिकार एक सदस्यीय पीठ को दिया जा रहा है ।

(8) व्यापार कर अधिनियम में अपील स्तर पर व्यापारी की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत होने पर कमिश्नर व्यापार कर को चुनौती देने या खंडन करने का अवसर देने का प्राविधान है किन्तु इस प्राविधान को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी जिसे पूरे तथ्यों का ज्ञान होता है, को समय से सूचना न मिल पाने के कारण प्राविधानों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा था इस कारण कमिश्नर व्यापार कर के स्थान पर कर निर्धारण अधिकारी को समुचित अवसर दिये जाने का प्राविधान किया जा रहा है ।

(9) व्यापारी पर पुनः कर निर्धारण किये जाने के निर्देश कमिश्नर व्यापार कर द्वारा करापवंचन को रोकने हेतु संबंधित वर्ष के कालवाधन होने के वर्ष के 8 वर्ष बाद तक दिये जाने के प्राविधानों को

6 वर्ष किया जा रहा है क्योंकि पूर्व में वादों के निस्तारण के कालवाधन अवधि 4 वर्ष थी और अब उसे घटा कर 2 वर्ष कर दिया गया है ।

(10) प्रांत के बाहर से वाहन द्वारा ऐसे रास्ते से माल लाये जाने पर जिस पर चेकपोस्ट न हो, के संबंध में माल से संबंधित आयात घोषणा-पत्र, दूसरे कार्य दिवस तक कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के प्राविधानों का दुरुपयोग करते हुए करापवंचन किया जा रहा था इस कारण प्रांत के अंदर वाहन से माल लाये जाने की स्थिति में नजदीकी चेकपोस्ट से होकर माल का लाया जाना अनिवार्य किया जा रहा है ।

(11) प्रांत के बाहर से माल लाकर प्रदेश के अंदर होते हुए दूसरे प्रांत में माल ले जाये जाने की स्थिति में जब किसी वाहन के द्वारा माल का प्रांत में उतार दिया जाना ज्ञात होता था तब ऐसे माल पर कर निर्धारण किये जाने पर उसकी वसूली वाहन के भाड़ेदार पर की जाती थी जिसे ढूंढ पाना संभव नहीं होता था, इस कारण ऐसे माल पर बने व्यापार कर की धनराशि की वसूली वाहन के भाड़ेदार के साथ वाहन के स्वामी पर भी किये जाने का प्राविधान किया जा रहा है ।

(12) द्वितीय अपील फीस की अधिकतम सीमा रुपया 10 हजार से घटाकर रुपया 2100 करने के साथ यह भी प्राविधान किया जा रहा है कि विभिन्न शुल्क जिनका भुगतान कोर्ट फीस स्टैम्प के द्वारा रुपया 15 तक किया जा सकता था उसके स्थान पर अब रुपया 50 तक का भुगतान कोर्ट फीस स्टैम्प द्वारा किये जाने का प्राविधान किया जा रहा है ।

(13) व्यापार कर के बकाया की वसूली के संबंध में यह प्राविधान है कि बकाया होने पर चल सम्पत्ति का हस्तांतरण अवैध माना जायेगा, अब इस संबंध में चल-अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति का हस्तान्तरण अवैध होने का प्राविधान किया जा रहा है ।

(14) व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी माल के उपयोग करने के अधिकार या संदर्भ संविदा के निष्पादन में अन्तर्गत माल के कर लगाने के प्राविधान को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करने के बाद अधिनियम में संशोधन कर दिया गया किन्तु पूर्व के प्राविधानों के अन्तर्गत जारी विज्ञप्तियों में संशोधन नहीं किया गया था,इस कारण पूर्वगामी प्रभाव से कर लगाने में कठिनाई हो रही थी अतः पूर्वगामी प्रभाव से कर लगाने की विधिक कठिनाई को दूर करने का प्राविधान किया जा रहा है ।।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

मा० मंत्री जी बहुत छोटा सा यह संशोधन है । मान्यवर, इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रदेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का माल बहुत ज्यादा आ रहा है और नेपाल की सीमा से आ रहा है और दूसरे प्रदेशों से आ रहा है । मान्यवर, आपने यह तो कहा निर्माता से हम इतना कर जमा करा ले, इस देश और प्रदेश की जो फैक्ट्रीज हैं बहुत संकट आ गया है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी कंपनियों का माल इस प्रदेश में भी आ रहा है, राष्ट्र में भी आ रहा है तो आपको कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का माल यहां पर इस प्रदेश में न आये या उनको प्रतिबंधित कराने की कोई योजना बनायें । आप यह तो कह रहे हैं कि जो निर्माता से कर लेने के प्रति जागरूक होते और इस देश के उद्योगों को लाभान्वित करते और प्रदेश के उद्योगों को फलने-फूलने का अवसर देते तो आप यहां भी और वहां भी, भारत सरकार भी आपकी है तो भारत सरकार से कोई सहमति बनाकर कोई ऐसा

इफेक्टिव संशोधन करते जिससे उन कम्पनियों का माल यहां रुकता इसलिए हम अपने संकल्प और संशोधन पर बल देते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

(क) प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

(ख) प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से 4 तक खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

(2) यह 26 फरवरी, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000 में एक नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात :–

विनिर्माता के माध्यम से कर की वसूली

"4–क (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखता हो, वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय, स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को प्राप्त करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर प्राप्त करने वाला विनिर्माता कर निर्धारक प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा प्रदाय किये गये माल और प्राप्त किये गये कर के सम्बन्ध में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्राप्त किये गये कर को यथाविहित रीति और समय के भीतर जमा करेगा ।

(3) जहां कोई विनिर्माता इस धारा के अधीन कर को प्राप्त करने से इंकार करता है या जमा करने में असफल रहता है, वहां वह कर का भुगतान उस पर देय ब्याज और शास्ति,–यदि कोई हो, सहित करने का दायी होगा । जिसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायगा ।

(4) जहां कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई माल विनिर्माता द्वारा उसके परिदान के पश्चात् और स्थानीय क्षेत्र में उसके प्रवेश के पूर्व खो गया है या नष्ट हो गया है वहां वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे माल के सम्बन्ध में भुगतान किया गया कर उस व्यक्ति को जिसने उपधारा (1) के अधीन कर का भुगतान किया है, वापस कर दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि माल के खो जाने या नष्ट हो जाने के दिनांक से छः माह की समाप्ति के पश्चात् ऐसी वापसी के लिए किसी दावे को ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(5) धारा 5 के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे और इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति पर कर निर्धारण नहीं किया जायगा या उससे कोई विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायगा ।''

इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व विनिर्माता को भुगतान किये गये कर के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

3—(1) जहां किसी व्यक्ति ने विनिर्माता को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन देय कर का भुगतान कर दिया हो, वहां विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को ऐसे प्रारम्भ से एक माह के भीतर मूल अधिनियम के अधीन विहित रीति से जमा करेगा और कर निर्धारक अधिकारी को कर एवं उस माल के सम्बन्ध में जिसके लिए उसके द्वारा कर प्राप्त किया गया है, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) जहां कोई विनिर्माता उपधारा (1) के अनुसार कर जमा करने में असफल रहता है, वहां वह कर का भुगतान उस पर देय ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, सहित करने का दायी होगा जिसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायगा ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2001

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है :–

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट **अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा** यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बाबूराम एम०काम०–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है ।

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपकी अपील स्वीकार इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी सरकार ब्लैक मेकिंग को बहुत बढ़ावा देती है और जैसा आपने कहा है व्यापारी पर कर लगाने की बात, तो कोई न कोई तरीका तो व्यापारी कर ही लेता है । इससे वित्तीय घाटा होता है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह पहला मौका है जब बिना प्रस्ताव के बहस हो रही है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं संशोधन का प्रस्ताव रख देता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

मान्यवर, यह अन्तिम चरण है और माननीय सदस्यगण ज्यादा बहस सुनना चाहते भी नहीं हैं इसलिए मैं भी लम्बी बहस नहीं करूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपने करापवंचन को समाप्त करने के लिए योजना बनायी और जो आपका वित्तीय घाटा है उसमें बड़े जोर शोर से सरकार कहती है कि करापवंचन को रोकेंगे और वसूली करेंगे । जो आपने कर लगाये हैं उससे ज्यादा तो आपके

व्यापारी ब्लैक मेलिंग कर लेते हैं इसलिए इस संशोधन के जरिए हम अपनी बात कहना चाहते हैं। मान्यवर, यह संशोधन बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। अगर सही तरीके से इसे इफेक्टिव बनाना है और वास्तव में राजस्व बढ़ाना है और इस प्रदेश के कोई हित की बात सोचनी है तो इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन दे।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

(क) प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

(ख) प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–16 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

(2) धारा, 6, 11 और 14 दिनांक 29 जनवरी, 2001 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, और 13 दिनांक 5 मार्च, 2001 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 7 दिनांक पहली अप्रैल, 2001 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 3-कक का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3-कक में, शब्द और अंक "धारा 3-क की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में यथाविनिर्दिष्ट आठ प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहण करेगी" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा–3-क की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट दस प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहण करेगी" रख दिये जायेंगे।

धारा 4-ख का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4-ख की उपधारा (4) में, खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(iii) उप कमिश्नर, व्यापारी के आवेदन पर और अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल का वास्तव में विज्ञापित माल के विनिर्माण में या राज्य में व्यापारी द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत ऐसे विज्ञापित माल के पैकिंग में उपयोग हुआ है, उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त मान्यता प्रमाण-पत्र को भूतलक्षी प्रभाव से किन्तु 5 मार्च 2001 के पूर्व के किसी दिनांक से नहीं, संशोधित कर सकता है ।"

धारा 8 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 8 में,–

(क) उपधारा (1-ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायंगी, अर्थात् :–

"(1-ख) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर से भिन्न कोई कर जो कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, का भुगतान उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट निर्धारण तथा मांग की नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय, तो ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से संगणित अदत्त धनराशि पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से साधारण ब्याज देय हो जायगा ।

(1-खख) यदि इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कोई कर किसी प्राधिकारी, अधिकरण या न्यायालय द्वारा किये गये पुनः निर्धारण में या अन्यथा बढ़ाया जाय, तो व्यापारी, उपधारा (1-क) के अधीन व्यापारी पर पहले से तामील की गयी निर्धारण तथा मांग की नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति के दिनांक से, बढ़ाये गये कर की अदत्त धनराशि पर, उपधारा (1-ख) में विनिर्दिष्ट दर से, साधारण ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा और बढ़ाये गये कर के सम्बन्ध में निर्धारण तथा मांग की नई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा और यह समझा जायगा कि इस प्रकार बढ़ाये गये कर का निर्धारण प्रथम बार किये गये कर निर्धारण आदेश में किया गया था ।"

(ख) उपधारा (1-ग) में, शब्द और अंक "उपधारा (1), (1-ख) और (2)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1), (1-ख), (1-खख) और (2)" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (2-क) में, शब्द और अंक "उपधारा (1), (1-क), (1-ख), (1-ग) या (2)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1), (1-क), (1-ख), (1-खख), (1-ग), या (2)" रख दिये जायेंगे ।

धारा 8-ग का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 8-ग में,–

(एक) उपधारा (1) और (1-क) निकाल दी जायेंगी ;

(दो) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) जहां कर निर्धारक को–

(क) इस अधिनियम के अधीन देय या देय योग्य किसी कर, अर्थदण्ड या अन्य धनराशि की समुचित वसूली के लिए, या

(ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्धारित रूप-पत्रों की समुचित अभिरक्षा या प्रयोग के लिए, या

(ग) मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृत या, यथास्थिति, नवीकरण करने या उसको प्रभावी बने रहने के लिए एक शर्त के रूप में,

ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, जहां वह लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसे प्रमाण-पत्र की स्वीकृति या, यथास्थिति, नवीकरण के पूर्व या किसी समय जब ऐसा प्रमाण-पत्र प्रवृत्त हो, निर्देश दे सकता है कि व्यापारी या सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारित रीति से और ऐसे समय के भीतर जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसी प्रतिभूति या, यदि व्यापारी या सम्बन्धित व्यक्ति ने ऐसी प्रतिभूति पहले ही दे दी हो तो, किसी प्रकार की ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति देगा, जैसी उपर्युक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की जाय।"

(तीन) उपधारा (7) में, शब्द "उपधारा (1) के उपबन्धों या" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 8-घ का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 8-घ में, उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "कर निर्धारक अधिकारी" रख दिये जायेंगे।

नयी धारा 8-ङ का जोड़ा जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 8-घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

अभिकर्ता द्वारा कटौती

"8-ङ धारा 2 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (पांच) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकर्ता, जो राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यापारी के स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे उक्त धारा के खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन व्यापारी नहीं माना गया है, उस व्यक्ति द्वारा उत्पन्न किये गये या ऐसी भूमि में उत्पन्न किये गये जिसमें उसका चाहे स्वामी, भोगबन्धकदार, काश्तकार के रूप में या अन्यथा कोई हित हो, कृषि या उद्यान-कृषि उपज के विक्रय के लिए या उसके द्वारा पाले गये कुक्कुट या पशुओं से कुक्कुटादि या दुग्ध उत्पाद के विक्रय के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी दायित्व के निर्वहन हेतु भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसा भुगतान करते समय चार प्रतिशत के बराबर या ऐसी निम्नतर दर से जो धारा 3-घ के अधीन अधिसूचित की जाय, धनराशि की कटौती करेगा और धारा 8-घ की उपधारा (3) से (9) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।"

धारा 10 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (10) में खण्ड (क) के उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) किसी अन्य मामले में, या किसी ऐसे मामले में, जहां 9 जुलाई, 1997 के पूर्व प्रस्तुत कोई अपील जो अपर कमिश्नर (अपील) के आदेश के विरुद्ध न हो, 5 मार्च, 2001 को लम्बित रही हो और विवादग्रस्त कर, शुल्क, या अर्थ दण्ड पचास हजार रुपये से अधिक न हो, एक सदस्य द्वारा किया जाएगा ;"

धारा 12-ख का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 12-ख में, शब्द "कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "कर निर्धारक प्राधिकारी" रख दिये जायेंगे ।

धारा 21 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "ऐसे वर्ष की समाप्ति से आठ वर्ष की समाप्ति के पश्चात्" के स्थान पर शब्द "ऐसे वर्ष की समाप्ति से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या 31 मार्च, 2002 के पश्चात्, जो भी पश्चातूवर्ती हो," रख दिया जाएगा ।

धारा 28-क का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 28-क में,–

(एक) उपधारा (2) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"(क) आयातकर्ता, पारेषक को सम्यक् रूप से भरे गये और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र को निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में देगा और कोई ऐसा माल ले जाने वाला गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति अपने साथ निर्धारित रीति में पारेषक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित ऐसे घोषणा-पत्र की प्रतियां और ऐसे अन्य लेख-पत्र, जो निर्धारित किये जायं, ले जायगा और ऐसे घोषणा-पत्र की एक प्रति,–

(एक) जहां ऐसे माल को ऐसी सड़क से लाया जाय, जिस पर धारा 28 के अधीन कोई जांच चौकी या नाका स्थापित हो, तो जांच चौकी या नाके को पार करने के पहले ऐसी जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को, और

(दो) जहां ऐसे माल को ऐसी सड़क से लाया जाय, जिस पर कोई जांच चौकी या नाका स्थापित न हो, तो राज्य के भीतर ऐसे माल को आगे ले जाने से पहले उक्त धारा के अधीन स्थापित निकटतम जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को देगा;

और माल सहित घोषणा पत्र की दूसरी प्रति और शेष लेख-पत्र आयातकर्ता या उसके अभिकर्ता को देगा ।"

(दो) उपधारा (2) में, खण्ड (ग) निकाल दिया जायगा ।

धारा 28–ख का संशोधन

12— मूल अधिनियम की धारा 28–ख में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिये, गाड़ी के भाड़ेदार को भी गाड़ी का स्वामी समझा जायगा ।"

धारा 32 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 32 में,–

(एक)–उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में शब्द "अधिक से अधिक दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "5 मार्च, 2001 को और से अधिक से अधिक दो हजार एक सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ।

(दो) उपधारा (2) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "पन्द्रह रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 34 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 34 में, शब्द "स्थावर" के स्थान पर शब्द "जंगम या स्थावर" रख दिया जायगा ।

15—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, पहली मई, 1987 को या उसके पश्चात् और पहली मार्च, 1997 के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 3-च के अधीन प्रयोग या तात्पर्ययित प्रयोग में कृत कोई कार्य या कार्यवाही जो उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप हो, विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायेगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण रही समझी जायेगी मानो उक्त अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। वैधीकरण

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2001 और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2001

16—(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 और उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :— निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–16 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

माध्यमिक शिक्षा, भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का इस पर विचार आ जाये। माननीय मंत्री जी क्या विचार रखना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी सदन के कीमती विचारों से अवगत तो हो जाये।

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा चूंकि पूर्व में सदस्यों की संख्या 7 थी, उसे बढ़ाकर 10 की जा रही है। यह प्राविधान इसलिए किया जा रहा है कि अध्यापकों की जो रिक्तियां हैं चयन बोर्ड भर्ती करती है, चूंकि संख्या काफी है इसलिए इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, इसीलिए संख्या बढ़ा दी गयी है।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, असली कार्य तो यही है असली काम में जल्दबाजी न करिये। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि चूंकि रिक्तियां बहुत भरी जानी हैं, जल्दी हो जाये, इसलिए संख्या 7 से 10 कर दी गयी है। अभी 7 लोग थे तो क्या वह इन्कॉम्पीटेंट थे या वह भर्ती नहीं कर पा रहे। अगर माननीय सदन में इससे कोई ज्यादा समझ पाया हो तो बता दें। मेरा स्पष्ट आरोप है कि यह संख्या मात्र आर० एस० एस० के लोगों को एडजस्ट करने के लिए बढ़ाया गया है मान्यवर,–

हम आह भी भरते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम।
वो कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होती ॥

मान्यवर, पहले 7 लोग थे तो कितनी कम भर्ती होती थी और अब 10 लोग हो जायेंगे तो कितनी भर्ती हो जायगी इसकी सदन में स्पष्ट व्याख्या करें।

श्री चन्द्र किशोर–

माननीय सदस्य संख्या की बात कह रहे हैं वह उनको उपलब्ध करा दी जायगी।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पहले 7 सदस्य थे अब 10 किये जा रहे हैं। पहले 7 थे तो क्या असुविधा हो रही थी अब 10 कर दिये गये हैं तो कितनी कार्य क्षमता बढ़ जायगी। मान्यवर, जो सदस्य बढ़ाये जायेंगे उनको चयन करने का अधिकार किसका होगा ? क्या यह राजनीतिक लोगों में से सदस्य बनाये जायेंगे या किस तरह के लोग यह होंगे, किस वर्ग के होंगे इसको विस्तार से बताने की कृपा करें ?

श्री अधिष्ठाता–

जो पहले का मानक है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है।

श्री चन्द्र किशोर–

इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें जो रखे जायेंगे वह शिक्षाविद रखे जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

(2) यह 3 मार्च, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 1982 की धारा 4 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"4–(1) बोर्ड में एक अध्यक्ष और दस सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा बोर्ड की संरचना नियुक्त किये जायेंगे ।

(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह,–

(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो, या

(ख) राज्य सरकार की राय में, प्रशासनिक सेवा का ऐसा उत्कृष्ट अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव या शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश से निम्न पंक्ति का न हो या न रहा हो ।

(3) सदस्यों में से–

(क) दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो ऐसे शिक्षाविद् हों जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो

(ख) दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो, राज्य सरकार की राय में, राज्य शिक्षा सेवा के ऐसे उत्कृष्ट अधिकारी हों या रहे हों जो अपर निदेशक से निम्न पंक्ति के न हों ;

(ग) अन्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो,–

(एक) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में या ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय में उपाचार्य के रूप में दस वर्ष से अनिम्न अवधि के लिए कार्य किया हो ; या

(दो) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी संस्था के प्राचार्य के रूप में, दस वर्ष से अनिम्न अवधि के लिए कार्य किया हो ; या

(तीन) राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात शिक्षाविद् हो, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो ।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय ."

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2001

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम के सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

* माध्यमिक शिक्षा, भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

*वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, एक लम्बे अरसे से यह महसूस किया जा रहा था कि वृक्षों के पातन की अनुमति में कठिनाइयां हैं । पहले यह प्राविधान था कि 90 दिन के अन्दर पातन की अनुमति देना आवश्यक था तो उसको घटाकर 30 दिन कर दिया गया है । इसमें 20 में जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट देगा और 15 दिन में अपनी अनुमति देगी । इसमें वन विभाग के अधिकारी के साथ-साथ यह प्राविधान किया गया है कि अन्य सक्षम अधिकारी भी जिसमें बी० डी० ओ०, एस० डी० एम० आते हैं उनको भी आख्या देने का अधिकार दिया है । उनकी आख्या को आधार मानकर अनुमति प्रदान की जायगी । तो इस संशोधन से कठिनाइयां कम होंगी ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

(2) यह 24 फरवरी, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976 की धारा 5 व 6 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 व 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए अनुज्ञा की प्रक्रिया

"5(1) कोई व्यक्ति, जो किसी खड़े वृक्ष को गिराने या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने के लिए हकदार है, ऐसे अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, ऐसे खड़े वृक्ष को गिराने या ऐसे किसी गिरे हुए वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र देगा और वह अधिकारी जिसे ऐसा आवेदन-पत्र दिया जाय, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, बीस दिन के भीतर आवेदन-पत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदित अनुज्ञा देगा या उसे देने से इंकार करेगा :

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन दी गयी रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है तो वह ऐसी अग्रतर जांच कर सकता है जैसी वह उचित समझे :

परन्तु यह और कि आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं किया जायगा :–

परन्तु यह भी कि यदि उस वृक्ष से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को खतरा हो तो ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि ऐसे क्षेत्र के सिवाय जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, ऐसी अनुज्ञा किसी वृक्ष के निपातन के लिए इस दृष्टि से कि ईंधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिए उसकी लकड़ी या पत्ती को हस्तगत करना है, अपेक्षित नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसी तात्कालिक कार्यवाही की जा सकती है जो किसी अवरोध या अपदूषण को हटाने के लिए या किसी खतरे को रोकने के लिए आवश्यक हो ।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है वहां यह समझा जायगा कि आवेदित अनुज्ञा दे दी गयी है ।

(4) इस अधिनियम के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा ऐसी शर्त के अधीन होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र में पुनरुत्पादन और वृक्षों के पुनः आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए या अन्यथा प्रतिभूति लेना भी है ।

सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अभ्यावेदन

6—धारा 5 के अधीन समक्ष प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चिय के दिनांक से तीस दिन के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी को अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर पुनरीक्षण प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2001

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजधारी सिंह –

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2001

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर,मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश मंडी समितियों में निर्वाचन कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है । इसमें गत वर्ष आदेश निर्गत किया गया था तो महसूस किया गया कि प्रबन्ध मण्डल में सदस्य संख्या में अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व [illegible] अब उसमें महिलाओं के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजाति

के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है । पुराने विधेयक में यह व्यवस्था नहीं थी । इसलिए चुनाव नहीं करा पाये । इसलिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव किया है और 31 दिसम्बर, 2001 तक का समय बढ़ाने के लिए यह संशोधन लाया गया है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने उद्देश्य बताया यदि यह कहने की मंशा है तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है । लेकिन 1986 से मैं यह देख रहा हूं कि कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है और समय पर चुनाव नहीं होते हैं । आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि 31 दिसम्बर, 2001 तक चुनाव सम्भव नहीं हो पायेंगे । अगर मंत्री जी पक्का आश्वासन देंगे कि चुनाव हो जायेंगे तो मुझे आपत्ति नहीं है और सर्वसम्मति से पास करा लें । अगर हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि इन संस्थाओं में निष्पक्ष लोग रहें । किसी व्यक्ति की कृपा पर रहने वाले व्यक्तियों के माध्यम से जब समितियां चलती हैं तो निश्चित रूप से उसमें तमाम दिक्कते आती हैं । इसलिए हम सभी का निवेदन है मंत्री जी से कि कम से कम एक नई परम्परा इस बात की डालें ताकि बार-बार संशोधन लाकर कार्यकाल बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े अबकी बार जब भी कार्यकाल बढ़े तो निश्चित रूप से उसके पहले चुनाव कराकर निर्वाचित सदस्यों की इस व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने दें । यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री वर्मा जी ने जो अपनी बात रखी है और जो अपनी आशंका प्रकट की उस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं और आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बड़ी साफगोई से बड़ी होशियारी से मंत्री जी ने यह कह दिया कि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जन जाति के वर्गों को आरक्षण के संबंध में प्राविधान नहीं कर पाए थे इसलिए इसकी समयावधि बढ़ानी पड़ी जैसा कि श्री वर्मा जी ने कहा कि प्रजातांत्रिक ढांचा तब तक सरवाइव नहीं करेगा जब तक आने वाली सरकारें या मौजूदा सरकार डेमोक्रेटिक पैटर्न में विश्वास नहीं करते हैं । हिटलर ने भी इसी तरह से धीरे-धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अपना कब्जा किया था और ताकतवर बना था और जब ताकतवर बना तो उसके बाद वह पूर्ण रूप से डिक्टेटर बन गया । इसी तरह से यह फासिस्ट सरकार कानून का सहारा लेकर ताकत अर्जित करने जा रही है और ताकत अर्जित करके डिक्टेटर का रूप ले रही है । यह इससे भी परिलक्षित होता है कि पहले 31 दिसम्बर, 2000 तक की बात थी अब इसको बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2001 कर दिया गया । अब भी कोई गारण्टी नहीं है कि इस समय तक प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर यह चुनाव करा देंगे । यह कार्यवाही एक विशेष संगठन के लोगों को एडजस्ट करने के लिए की जा रही है । पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति के लोगों के आरक्षण का बहाना लेकर यह काम करने जा रहे हैं इनकी नीयत साफ नहीं है इनकी नीति साफ नहीं है जैसा कि मुख्य मंत्री नीति और नीयत की बात करते हैं उसका यह पर्दाफाश हो रहा है । इसलिए मैं इस कानून के संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले बताया इसमें कार्यवाही प्रारम्भ भी कर दी गयी थी चुनाव कराने के संबंध में । जिलाधिकारियों को निर्देश भी भेज दिये गये थे लेकिन जनप्रतिनिधियों के तमाम स्रोतों से यह मांग उठाई गई कि चूंकि इसमें आरक्षण नहीं है, महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों का अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का इसलिए संशोधन करने की बात हुई । चूंकि इसमें समय लगता इस नाते समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है । हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसी सत्र में संशोधन भी विधेयक का ले आयेंगे । हम प्रयास करेंगे कि जैसे ही यह कार्य हो जाएगा तुरन्त चुनाव कराने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर यह मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन दें कि इस सदन में ले आयेंगे तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2001

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) यह 27 दिसम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2000 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2001 तक" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2000

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में किसानों की उपज का उचित मूल्य प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, यह विषय कल आया था और इस विषय को रखते हुए अनेक माननीय सदस्यों ने जो आशंका व्यक्त की थी वह आशंका अब सार्थक दिखाई पड़ रही है । लखीमपुर खीरी में माननीय मंत्री जी ने कहा था 23 हजार मीट्रिक टन खरीद हुई तो वह किस तरह से गेहूं खरीदा गया, ऐसे कि जिस 900 कुन्तल खरीद की बात की गई वह बीपीएल ने गेहूं खरीदा और दिखा दिया गया कि आवश्यक वस्तु निगम ने खरीदा ।

(इस समय 5 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राम औतार शाक्य पीठासीन हुए)

दूसरे गेहूं क्रय केन्द्र की बात की जा रही थी । पूरे प्रदेश में गेहूं का क्रय कहीं भी नहीं हो रहा है । मैं पूरे प्रदेश की बात तो नहीं जानता मगर अम्बेडकर नगर जनपद में तो नहीं हुई है हां लखीमपुर खीरी जैसी स्थिति बाकी सब जगह बता दी गई होगी । मेरे जनपद में तो गेहूं की कटोई भी हो गई है लेकिन एक भी क्रय केन्द्र आज की तारीख में नहीं है जो गेहूं खरीदे । धान के क्रय के बारे में माननीय मंत्री जी ने बड़े लम्बे चौड़े भाषण के माध्यम से कहा कि हमने 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान क्रय किया है तो हमारे मित्र ने कहा था कि 25 लाख में से 5 लाख खरीद भी लिया तो कौन सा तीर मार लिया । मुझे पूरे प्रदेश की जानकारी नहीं है परन्तु टाण्डा क्रय केन्द्र के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां के मार्केटिंग इंस्पेक्टर पूरे से क्रय के समय उससे मुलाकात करने का प्रयत्न मैं करता रहा परन्तु वह कहीं नहीं नजर आया । मैंने उसके घर पर जब फोन किया तो उसकी पत्नी ने उठाया और कभी यह कहा कि मीटिंग में गये हैं तो कभी यह कहा कि बोरी उठवाने गये हैं । मैंने देखा कि जो चावल की मिनी राइस मिल थी और वह इंस्पेक्टर लोगों से कहता था कि आप उसी मिनी राइस मिल पर धान ले जांय और जो किसान उस मिल पर थे उनको चेक देने का काम किया और 10 किलो प्रति कुन्तल काटने का भी काम किया गया । इसी तरह से पूरे प्रदेश के अन्दर बड़े पैमाने पर फर्जी खरीद का काम किया गया । हमारे अम्बेडकर नगर में बसखरी क्षेत्र ऐसा है जहां पर मार्केटिंग इन्स्पेक्टर ने खरीदने का काम किया । इसके अलावा किसी क्षेत्र में खरीद का काम नहीं हुआ है । जहां पर खरीद का काम हुआ है उसके बारे में कह रहा हूं । मैं यूंही आलोचना ही नहीं कर रहा हूं । पूरे जिले में जो क्रय केन्द्र खोले गये थे वहां पर फर्जी खरीद दिखाकर खरीदने का काम किया गया है जिसका परिणाम यह है कि धान का दाम आज भी 400 रुपये क्विंटल से ऊपर नहीं बिक रहा है । किसान की स्थिति अति दयनीय है वह आज भी किसी तरह से धान जुगाये बैठा है लेकिन उसको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है । मजबूरी में उसे औने-पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं गेहूं की भी स्थिति ऐसी ही न हो जाय इसलिये मैंने इस विषय को आपके संज्ञान में लाने का काम किया है । धान के बारे में तो

तरह-तरह की बात कहीं गई पर अधिकारियों का रोना रहा, परता की बात कही गई । इस तरह की परेशानी का जिक्र करते थे लेकिन गेहूं में तो कोई परता की भी बात नहीं है । सीधे खरीदा जाता है और उसका आटा बनता है । इसी कारण से मान्यवर, यह आशंका बनी हुई है कि जो किसान बेचना चाहेगा उसमें किसी न किसी तरह से बात कह कर कि इसमें गर्दा ज्यादा है, यह छोटा है, स्टैन्डर्ड साइज का नहीं है, यह कहकर उसके गेहूं को लौटाने का काम किया जायेगा तब वे उस गेहूं को आढ़तियों को बेचेगें और आढ़ती से वही आप क्रय करेंगें जिसको कि किसान से क्रय किया हुआ दिखाया जाता है । इस तरह से सरकार का पैसा भी जा रहा है और किसानों को लाभ भी नहीं मिल रहा है जैसा धान की खरीद में दिखाया गया पैसा सरकार ने दिया खरीद के नाम पर और किसानों को उसका लाभ नहीं मिला । मेरी आशंका है और मैं इसी कारण से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई बढ़िया नियम-कानून बनाने का काम करें कि प्रत्येक किसान का एक कोटा निर्धारित करें खतौनी से आधार पर । अभी जैसा धान के समय में आया कि खतौनी जीरो और खरीद उसकी 10 लाख की दिखाई ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं खत्म ही कर रहा हूं । मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी किसानों का कोटा उसकी खतौनी के आधार पर निर्धारित करें और यह भी पड़ताल करा लें कि उसने गेहूं बोया है कि नहीं और उसी के आधार पर किसान से गेहूं क्रय करने का काम किया जायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री गोपाल कृष्ण–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कुछ ही ज्वलन्त समस्या पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं पूरनपुर, जिला पीलीभीत यह उत्तर प्रदेश में रिकार्ड उत्पादन गेहूं का करता है । सारे विधायकों को पता है कि पूरनपुर एक अकेले जिले के रूप में माना जाता है गेहूं के लिये । आज स्थिति यह है कि किसान की खुली लूट हो रही है । कहा जाता है कि क्रय केन्द्र खोले गये हैं लेकिन यह क्रेय केन्द्र केवल कागजों पर ही खोले गये हैं । खाद्य मंत्री मौजूद हैं बड़े अनुभवी हैं । आप एक स्पेशल टीम भेजिये और पता कराइये । राइस मिल वालों ने और उद्योगपतियों ने अपने-अपने गोदामों में 4-5 हजार बोरी खरीदकर स्टाक लगा दिया है । जो खरीद की एजेन्सी है पी०सी०एफ० के डी०एस० ने उन व्यक्तियों के हाथों पैसा लेकर क्रय केन्द्र बेचे हैं जो गेहूं क्रय करने का काम करते हैं । किसानों की लूट हो रही है, किसान परेशान है । धान के मामले में देखें धान जमुनिया क्रय केन्द्र पर 22 लाख बकाया है । राजपुर सोसायटी में, परसों मैं वहां से आया था वहां काश्तकार सरदारों ने बताया कि करीब 35 लाख बकाया है इस प्रकार से किसानों का शोषण किया जा रहा है यह सरकार किसान विरोधी सरकार है ? इस तरह तो किसान लुट जायेगा कैसे यह देश चलेगा ? कैसे प्रदेश चलेगा । ढाई सौ बोरी 50 किलो खाद थी उसकी 300/- रुपया कीमत मिली । शारदा ट्रांस का क्षेत्र है किसान बरबाद है एक भी सेन्टर वहां नहीं है । कासगंज में एक भी सेन्टर नहीं खुला है । वरवनवुटाला मेगनेधुरडिया मैनपुरी क्षेत्र में एक भी सेन्टर नहीं है । सेन्टर कागज पर खुले हैं लेकिन वास्तव में एक भी क्रय केन्द्र नहीं है । 50/- रुपया कुंतल काश्तकारों से सुविधा शुल्क के रूप में लेंगे, और सेन्टर खोलेंगे नहीं । पूरनपुर में जहां न बोर्ड है न कार्यालय है उनको खरीद के लिए लाइसेंस दिया गया है । मान्यवर, पिछले वर्ष कासगंज ग्राम में 20 हजार का गेहूं ठेकेदार लेकर भाग गया, जब इस तरह से होगा तो फर्जी एजेन्सी क्या करेंगी ? जब कोआपरेटिव एजेन्सी पैसा नहीं दे रही है तो फर्जी

एजेन्सी कैसे पैसा देंगी ? पूरनपुर सबसे बड़ा क्षेत्र है । गेहूं का उत्पादन यहां सबसे ज्यादा होता है । लेकिन न तो यहां भण्डारण के लिए गोदाम है न ही और कोई व्यवस्था है ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप करिये ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, पिछले साल स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ने किसानों का गेहूं रखा और वह गेहूं जानवर के खाने लायक नहीं है । मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा किसान रीढ़ की हड्डी है । 'किसान भवन में किसान बना है, सिर पर बोझ रखे, फड़ुआ लिये लगुंटी लगाये है तस्वीर संगमरमर की बनी है हम लोग बैठे हैं हमारे क्षेत्र के किसान लुटेंगे तो क्या होगा–"पगड़ी संभाल भाई, पगड़ी संभाल" गांव की कहावत है ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप करिये ।

श्री गोपाल कृष्ण–

यहां किसान आपसे सवाल पूछेंगे । यहां जनता और किसान की बात नहीं सुनी जा रही है । किसान की बीमा योजना है । मान्यवर, किसान बीमा योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि किसान को एक लाख अगर दिया जाता है तो उसमें 1600 रुपया काट लिया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि गेहूं क्रय केन्द्र खोले जायें और सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था हो, बारदाना हो, भुगतान किया जाय । सेन्टर पर जो सुविधा किसानों की दी जाती है तो वहां पर कोई सामान नहीं लगता है और दस बीस हजार मण्डी से ले लिया जाता है । ठेकेदार और अधिकारी मिलकर खुली लूट मचा रहे हैं । किसान रीढ़ की हड्डी है उसे खोखला न होने दें नहीं तो जमीन पर गिर पड़ेंगे ।

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, इसका उत्तर तो माननीय खाद्य मंत्री जी ही देंगे । क्योंकि सहकारिता का नाम लिया गया इसलिए मैं उसका उत्तर दे दूं । यह सरकार किसनों के प्रति प्रतिबद्ध है और किसानों की हितैषी सरकार है। इसका प्रमाण यह है कि आज की सरकार ने जो कर दिखाया है उसको इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा । केवल आलोचना करना ही विपक्ष का उद्देश्य न हो । अगर वह कोई सकारात्मक सुझाव दें तो हम उसका स्वागत करेंगे । मान्यवर, जब किसान बही की बात आ गयी है तो बगैर बही के किसानों के गेहूं की खरीद नहीं होगी । हमने यह किया है कि किसान 10 कुन्तल बेचेगा तो उसको बेयरर चेक देंगे और यदि दस कुन्तल से ऊपर बेचेगा तो हम उसका पैसा एकाउन्ट में डाल देंगे और भी यदि कोई रचनात्मक सुझाव आप देंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे । यह सरकार किसानों की सरकार है, उनके हितों के संरक्षण करने वाली सरकार है । उसके हित में यदि कोई सुझाव आते हैं तो यह मानेगी और उनका हित करेगी ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। धान की खरीद में गेहूं की खरीद में किसान मण्डी समिति में पड़ा रहा और गिनती के किसानों की खरीद हुई और सुविधा शुल्क के रूप में 60 या 70/- रुपया लिया गया। मैं प्रमाण दे दूंगा। वहां पर फर्जी कोआपरेटिव सोसाइटी बनी थी उन्होंने खरीद की। मान्यवर, यह स्वीकार कर रहे हैं। 60 रु० क्विंटल का पैसा किसानों से लिया गया कोई निशुल्क नहीं हुआ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपने किसानों की उपज का सपोर्ट प्राइज दिया है उसको खरीदने की व्यवस्था करें जहां खामी हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाय जिन खरीद केन्द्रों पर खरीदने की अभी तक व्यवस्था नहीं हो पायी है जो संस्था है उसके बारे में आप जिलाधिकारी से रिपोर्ट ले लीजिये हमारे यहां फिरोजाबाद में खरीद केन्द्र भटसैना में है, वहां पर क्रय केन्द्र के लिए आपके कोआपरेटिव ने मना कर दिया कि पैसा नहीं है। इसी तरह से अनेक खरीद केन्द्र हैं। आप जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखें ताकि सत्यतायें आपके सामने आ जायें और एक सामंजस्य स्थापित हो सके। जो कल आपने आंकड़े प्रस्तुत किये थे सदन में विभाग ने आपको पूरी जानकारी नहीं दी आपको कुछ देर चुप रहना पड़ा। आपके पास प्रत्येक दिन खरीद के आंकड़े आने चाहिए। बी० पी० एल० के० गेहूं के बारे में एक खतरा है, आपके लोग उसी गेहूं को केन्द्रों पर खरीद कर रहे हैं। यह गेहूं गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है यह बहुत बड़ा पाप है किसान का गेहूं क्रय केन्द्रों पर आये। जो माहिर अधिकारी हैं फर्जी खरीद दिखाकर उसको वहां से लाकर यहां दिला रहे हैं। ऐसे अधिकारियों की जो पूर्व में भी शिकायतें आयी हैं उनके खिलाफ आपको कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी। हमारे यहां फिरोजाबाद में कृषि उत्पादन मण्डी समिति है वहां किसान बेचारे से गल्ला रखवा लिया और उसकी खरीद दिखायी नहीं हम लोगों ने उसका निरीक्षण भी किया वह खरीदने वाला आदमी/एजेन्सी भाग गयी। यह बात कोआपरेटिव में भी है अन्य एजेन्सी में भी है सारा गोलमाल का काम हुआ है। आपके इस विभाग में बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। जब तक अधिकारी दण्डित नहीं होंगे तब तक किसान को न पैसा मिलेगा न उसके माल की खरीद हो पायेगी आप किसानों के गेहूं को सपोर्ट प्राईज पर खरीद की सुनिश्चित व्यवस्था करें।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जब प्रदेश के किसान का सरकार के द्वारा शोषण किया जाता है तो किसान की हालत बहुत गम्भीर हो जाती है आज जो सरकार कहती है कि हम किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं लेकिन जब किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है तो वह आत्महत्या करने की कगार पर आता है। गेंहूं की फसल गन्ने के बाद कैश क्राप है। आज समस्या यह है कि गेहूं क्रय केन्द्र खोले नहीं गये अभी तक कल माननीय मंत्री जी ने बताया कि धान के क्रय केन्द्र पूरे उत्तर प्रदेश में 16000 से अधिक खोले गये और धान की खरीद बड़े पैमाने पर की गयी। मैं निश्चित जानकारी के आधार पर जनपद गोण्डा की बात कहना चाहता हूं कि धान की जो खरीद हुई वह आंकड़े में हुई जो बिचौलिये थे, बिचौलियों ने धान को सस्ते दाम पर खरीदा। चाहे एग्रो के, कोआपरेटिव के या पी० सी० एफ० के कर्मचारी हों इन कर्मचारियों ने अपने दलाल बना रखे थे उन्होंने बिचौलियों से धान खरीद कर अपना आंकड़ा बढ़ाया और किसान को लाभ नहीं मिला इसलिए किसान परेशान है। अभी एक माननीय सदस्य हमारे जनपद गोण्डा के बावन सिंह जी कह रहे थे कि धान की खरीद हुई। मान्यवर, अभी प्रभारी मंत्री गये थे उन्होंने कहा था कि धान के क्रय केन्द्र नहीं खुले। मान्यवर, वह तो सत्ता पक्ष के हैं बोल नहीं सकते हैं उनके मुंह पर ताला लगा हुआ।

श्री बावन सिंह–

मान्यवर, ताला नहीं लगा हुआ है, हमारे विधान सभा क्षेत्र में किसानों से धान खरीदा गया है।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में धान की खरीद नहीं हुई है। आज गेहूं की बात आयी है गेहूं के क्रय केन्द्र खोले जायं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान से खरीद की जाय बिचौलियों को न रखा जाय ये आयेंगे तो किसान का शोषण होगा। मान्यवर, सरकार तो प्रयास कर रही है कि गेहूं का उचित मूल्य किसान को मिले लेकिन जो ये सरकारी दलाल लोग हैं ये गेहूं खरीदेंगे जैसे धान की खरीद करके किसान का शोषण किया था उसी तरह से बिचौलिये गेहूं की खरीद कर किसान का शोषण करेंगे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, चर्चा का समय बढ़ा दें।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, अगर किसान को खाद और बीज मुहैया करा दिया जाय तो उत्तर प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न पैदा कर सकता है तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील होकर गेहूं क्रय केन्द्रों को पूरे प्रदेश में प्रभावी बनायें जिससे किसानों को उसका उचित मूल्य मिल सकें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, इसमें और भी सदस्य भाग लेना चाहते हैं, तीन मिनट रह गये हैं इसमें और समय बढ़ाना पड़ेगा। उचित होगा कि इस चर्चा का समय आधा घटा बढ़ा दिया जाय।

श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों को जाना है इसको भी देख लें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, पीठ से कोई निदेश होता है हम उसका आदर करते हैं।

श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि माननीय सदस्यों को जाना है।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें आधा घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

(सहकारिता मंत्री एवं विपक्ष के सदस्यों के अनुरोध पर श्री अधिष्ठाता ने चर्चा का समय 6 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया।)

* श्री अरविन्द गिरि–

माननीय अधिष्ठाता जी, वर्तमान सरकार की किसानों के प्रति मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। इसी सदन में समय-समय पर किसानों की दुर्दशा पर चिन्ता व्यक्त की गयी है और सत्ता पक्ष की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरफ से किसानों के प्रति अपने लुभावनी वादों और नारों को कहा गया है । जनपद लखीमपुर खीरी, जिसके संबंध में माननीय सहकारिता मंत्री जी ने टोका भी था और कहा था कि हमारे जनपद में खरीद बिल्कुल ठीक रही है, मैं बताना चाहूंगा कि लखनऊ से लखीमपुर तक छोटी लाइन का ट्रैक है और यह अपने आप में एक इतिहास है, जब गोला से मैलानी तक 15 हजार किसानों ने 30 घण्टे ट्रैक पर बैठकर धरना दिया था, जब यहां से फूड कमिश्नर और जिलाधिकारी गये थे, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन सब आश्वासन धरे रह गये, आज किसान अपनी दुर्दशा पर रो रहा है, लेकिन सरकार का वक्तव्य आता है कि धान की खरीद हो रही है । वास्तविकता यह है कि किसान परेशान है और आगे आने वाले समय में यह दिख जायेगा, किसान आपको उसका फल जरूर देगा ।

मैं कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार आज गेहूं किसानों की दुर्दशा होने वाली है, जिसको यह सरकार बचा नहीं पायेगी । कुछ भी कहें, आज की तारीख में केवल बैनर लगे हुए हैं, खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे धान की खरीद की गयी, उसी तरह गेहूं की खरीद हो रही है । आज साढ़े चार सौ और पौने पांच सौ में धान खरीदा जा रहा है, सरकार की यही मंशा है कि बिचौलिया इसको खरीदे और 610 में इसको बेचे, पूरा का पूरा तंत्र इसी में लगा हुआ है । जो अभी हमारे सक्सेना जी कह रहे थे, उनको आपने टोकने का प्रयास किया है, मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था । इनकी मंशा साफ है, इनकी ही सरकार के लोग हैं, जिन्होंने जनपद लखीमपुर में इतिहास लिखने का काम किया है । पूरे उत्तर प्रदेश में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा । इस मामले में माननीय मंत्री जी आपको कोई निर्णय लेना पड़ेगा और यदि सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो जिस तरह धान की लूट हुई है, उसी तरह गेहूं की लूट से कोई बचा नहीं सकता । तमाम फर्जी रजिस्ट्रेशन किये गये हैं, वही धान मिल हैं, वही गेहूं, वही काश्तकार के माध्यम से फर्जी चेक दिये जा रहे हैं । आप यह निश्चित रूप से जान लें कि धान को किसान तीन सौ और सवा तीन सौ में बेचने को मजबूर हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि यह किसान विरोधी सरकार है जिसने कभी किसान के पक्ष और हित को नहीं समझा है, केवल ढिंढोरा पीटने का काम किया है । वहां तमाम फर्जी सोसाइटियां हैं, जिनके द्वारा किसान के गेहूं में 100 रुपये प्रति क्विंटल दलाली लेने का काम किया जा रहा है, आप लखीमपुर जनपद में इसकी जांच करा दें, यह पूरे प्रदेश के लिए कलंक है और आपकी सरकार के माथे पर कलंक है, इसकी पूरे मामले की जांच कराई जाय ।

पटेल राम कुमार वर्मा–

मा० चर्चा का समय साढ़े 6 बजे तक कर दें, इस पर विचार तो कर लें ।

श्री मोहम्मद मुकीम–

मान्यवर, कल किसानों की गेहूं खरीद का मामला सदन में सभी माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उठाया था । इस पर माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया था कि सभी जगह क्रय केन्द्र खोल दिये गये हैं और इतने गेहूं की खरीद कर दी गयी है । अभी हमारे एक सदस्य बोल रहे थे और आज के अखबार में भी है, जिस तरह से खरीददारी की जा रही है, उसका सीधा-सीधा प्रमाण आज के अखबारों में छपा है . कई सदस्यों ने कहा था कि गेहूं की खरीद नहीं हुई है, यह बात स्वतः स्पष्ट है । धान की जो खरीद पिछले वर्ष हुई, उसमें 25 प्रतिशत किसानों का धान क्रय केन्द्रों द्वारा खरीदा गया और 75 प्रतिशत व्यापारियों द्वारा धान खरीद की गई और सरकार का जो आंकड़ा था, वह व्यापारियों से धान लेकर उनका कोटा पूरा किया गया । मान्यवर, जो 25 परसेन्ट किसानों ने धान क्रय केन्द्रों पर बेचा उसका अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है । मैं जनपद सिद्धार्थनगर इटवा विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं । मेरे क्षेत्र के किसानों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है । जो वहां पर किसानों को चेक दिये गये हैं उनकी फोटोकापी हमारे पास मौजूद है और उसे हमने मंत्री जी को भी उपलब्ध कराया है । मान्यवर, जिस प्रकार से बिचौलिये लाभ उठा रहे हैं उस पर सरकार का कोई

व्यवस्था करनी पड़ेगी ! मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पिछली बार जिस तरह से धान क्रय केन्द्रों पर धांधली की गयी इस तरह की पुनरावृत्ति गेहूं की खरीद में न हो और इसके लिए कोई ठोस निर्देश दें कि अगर बिचौलियों से खरीददारी की गयी और कहीं से शिकायत मिली तो सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का आश्वासन माननीय मंत्री जी सदन में दें । तभी किसानों की समस्या का समाधान होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, कल माननीय सदन में नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचना दी गयी और मान्यवर, बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं और मुझे बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, यहां पर बहुत अनुभवी सदस्य बैठे हैं, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का काम करते हैं । सचमुच में नियम–311 के अन्तर्गत कोई प्रश्न जब महत्वपूर्ण समझा जाता है तब उस पर चर्चा स्वीकार होती है । जो चर्चा स्वीकार हुई है उससे पता चलता है कि यह कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस पर चर्चा कराये जाने के संबंध में सरकार का पक्ष रखते हुए भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि यह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है और आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है । कुछ तथ्य माननीय सदस्यों ने रखे हैं, कुछ कल भी रखे गये थे, जब कि चर्चा आज के लिए स्वीकार हुई थी लेकिन ग्राह्यता पर बोलते हुए काफी तथ्य आ गये थे, मान्यवर, उन्हें दोहराने का कोई इरादा नहीं है । मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं । आज जो चर्चा हुई उसका मुख्य कारण यह था कि कुछ ऐसी जानकारी आज इस सदन के सम्मुख उपस्थित हो जाए, प्रस्तुत कर दी जाए जो कल की हड़बड़ी में या समयानुसार नोटिस न लिये जाने के कारण समय पर न आ सकी हों, उससे इस सदन को अवगत कराया जा सके और किसानों की समस्या जिस पर आज हम विचार कर रहे हैं उसका समुचित ढंग से हल निकाला जा सके, कोई सुझाव आ सके । कदाचित् यही मंशा सरकार की भी रही होगी । मान्यवर, हमें इस बात का कष्ट है कि हम लोगों को, मान्यवर, हमने अपना पिजनहोल खोलकर देख लिया, इस चर्चा के बारे में कोई भी जानकारी मान्यवर, जिलेवार कि किस जिले में कितनी खरीद हुई है, स्पेशिफक सवाल था और माननीय मंत्री जी को यह उपलब्ध कराना था । उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया है । जिस तरह से सामान्य चर्चा कल हो रही थी उसी तरह से आज भी हो रही है । कदाचित् चर्चा करने की यह मंशा नहीं थी । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, अब तक उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया है, मैंने नेता विरोधी दल के कार्यालय में भी पता किया उन्होंने कहा था कि आज उपलब्ध करा देंगे, जनपदवार खरीददारी की सूची न कल प्राप्त हुई और न आज हुई । इस तरह से अगर सरकार अधिकारियों या बेईमान लोगों को बचाने का काम करेगी जो फर्जी आंकड़े उपलब्ध कराने का काम करते हैं । तो हम चाहे कितनी भी चर्चा कर लें, इन चर्चाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता । एक और अनुरोध है विद्वान सदस्य भोगांव की बात भी रखनी है । मान्यवर, मैं एक शब्द भी दोहराऊंगा नहीं । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि खरीददारी में कुछ ऐसी एजेन्सियां लगा दी गयी हैं जिनका इस खरीददारी के अलावा कोई अता-पता नहीं होता है । इसी खरीददारी में इतने वारे-न्यारे हो जाते हैं कि जायज और नाजायज सारा काम साल भर का चल जाता है । आपने ऐसी-ऐसी संस्थायें किसानों को लूटने के लिए इन्ट्रोड्यूस कर दी है उसकी समीक्षा सरकार को करनी चाहिए । बेशक हमारा सुझाव मंत्री जी न मानें लेकिन जिनके साथ बैठते हैं उनसे पूछ ले, वह भी मेरी बात का समर्थन करेंगे, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी संस्थाओं को निश्चित रूप से खरीददारी में नहीं लगाना चाहिए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

जो टूटी हुई संस्थायें है, जो किसानों का खून चूसकर के खड़ा हो जाना चाहती है। तीसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि एस०डब्लू०सी० जो वी०पी०एल० का गेहूं रखती है और जारी करती है और किसानों की गेहूं की खरीददारी करती है, उसकी पल्लेदारी भी बच जाती है, बोरे की भी जरूरत नहीं पड़ती है, यहां तक की गोदाम खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कागज पर ही गेहूं जारी हो जाता है और, किसान का गेहूं बिक भी जाता है क्योंकि यह संस्था वी०पी०एल० का गेहूं जारी करने का और रखने का काम भी करती है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कल दावा किया था कि धान के क्रय का कोई पैसा बकाया नहीं है। जिस केन्द्र प्रभारी ने खरीदा उसने लिखकर दिया है कि पिछला बकाया है, चेकों की फोटो स्टेट कापियां हैं लेकिन समय नहीं है इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। माननीय सदस्यों ने भी लिखकर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सिर्फ औपचारिक उत्तर न देकर आंकड़ों के साथ स्थिति स्पष्ट करें। 4010 से अधिक क्रय केन्द्र खोले जाने का फर्जी आंकड़ा दिया है, जिन्होंने भी यह अपराध किया है उनको दण्डित करने का काम करें और किसानों का गेहूं खरीदवाने का काम सीधे-सीधे करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय खाद्य मंत्री जी, 5 मिनट का समय शेष है।

* खाद्य रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा और सारी की सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मान्यवर, कल और आज की चर्चा में बहुत सी बातें आयी, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने बहुत गम्भीरता के साथ कुछ सुझाव भी दिये और कुछ अच्छी बातें भी बतायीं जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मान्यवर, अगर जनपदवार कहें तो जनपदवार नहीं तो मण्डलवार स्थिति बता दूं। मान्यवर, मेरठ में 125 मीट्रिक टन, गौतम बुद्ध नगर में 12 मीट्रिक टन, बुलन्दशहर में 360 मीट्रिक टन और इस पूरे मण्डल में 461 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। सहारनपुर मण्डल में कोई खरीद नहीं हुई। मुरादाबाद मण्डल में मुरादाबाद में 1752 मीट्रिक टन, बिजनौर में 100 मीट्रिक टन, रामपुर में 1769 मीट्रिक टन, बरेली मण्डल में-बरेली में 873 मीट्रिक टन, बदायूं में 531 मीट्रिक टन, मीट्रिक टन, पीलीभीत में 1493 मीट्रिक टन, शाहजहांपुर में 1724 मीट्रिक टन, लखनऊ में 35 मीट्रिक टन, सीतापुर में 40 मीट्रिक टन, खीरी में 223 मीट्रिक टन, हरदोई में 366 मीट्रिक टन, उन्नाव में 31 मीट्रिक टन, आगरा में 769 मीट्रिक टन, अलीगढ़ में 149 मीट्रिक टन, मथुरा में 2680 मीट्रिक टन, एटा में 115 मीट्रिक टन, मैनपुरी में 41 मीट्रिक टन, कानपुर नगर में 137 मीट्रिक टन, इटावा में 60 मीट्रिक टन, फर्रूखाबाद में 18 मीट्रिक टन, औरैया में 52 मीट्रिक टन, फैजाबाद मंडल के बाराबंकी में 234 मीट्रिक टन, देवीपाटन मण्डल के गोण्डा में 30 मीट्रिक टन, बहराईच में 60 मीट्रिक टन, श्रावस्ती में 12 मीट्रिक टन, गोरखपुर में 515 मीट्रिक टन, देवरिया में 22 मीट्रिक टन, कुशीनगर में 28 मट्रिक टन, महराजगंज में 1849 मीट्रिक टन, बस्ती में 202 मीट्रिक टन, सन्त कबीर नगर में 15 मीट्रिक टन, सिद्धार्थ नगर में 109 मीट्रिक टन, आजमगढ़ बलिया और मऊ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कोई खरीद नहीं हुई । वाराणसी में खरीद नहीं हुई मिर्जापुर में भी नहीं हुई । इलाहाबाद में 163 मीट्रिक टन, फतेहपुर में 45 मीट्रिक टन, जालौन में 4943 मीट्रिक टन, झांसी में 1637 मीट्रिक टन, ललितपुर में 227 मीट्रिक टन, चित्रकूट मण्डल में बांदा में 20 मीट्रिक टन, हमीरपुर में 163 मीट्रिक टन, शाहू जी नगर में 100 मीट्रिक टन, मान्यवर, इस प्रकार से कुल मिलाकर 23,807 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है और वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ में कोई खरीद नहीं की गई है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मिर्जापुर, आजमगढ़ और वाराणसी मण्डल में इनकी खरीद शून्य है तो यह मंत्री जी के आंकडे हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

यह आंकड़े फर्जी नहीं है जो वास्तविक खरीद हुई है वह मैं बता रहा हूं । मान्यवर, कल यहां कहा गया कि गेहूं का भुगतान नहीं हुआ है धान का हुआ है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

धान के बारे में भी कहा गया कि नहीं हुआ, आप कार्यवाही देख लें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, पिछले वर्ष 15 लाख 27 हजार मी० टन की खरीद हुई है उसके सापेक्ष 885 करोड़ और 66 लाख का भुगतान किया गया है और सभी क्रय एजेंसियों को इसका भुगतान कर दिया गया है । अगर कहीं कोई शिकायत है कि गेहूं के मूल्य का भुगतान नहीं हुआ तो हमारी जानकारी में लायें, भुगतान कराया जायगा और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, मुकीम साहब ने पत्र लिखा है और चेक्स की फोटो कापी लगायी है इसको मैं दिखवा लूंगा और जो धान किसानों का बकाया होगा उसका भुगतान सुनिश्चित करायेंगे । हमनें एजेंसियों को पैसा दे दिया है । होता यह है कि यह क्रय केन्द्रों को पैसा देती है, हो सकता है कि कहीं कोई सोसाइटी ने भुगतान नहीं किया हो तो हम इसको दिखवा लेंगे । मैं माननीय सदस्यों से गुजारिश करूंगा कि अगर कहीं कोई ऐसी जानकारी उनके पास हो कि भुगतान नहीं हुआ है तो वह हमारी जानकारी में लायें हम भुगतान करायेंगे ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मैं यह लिखित सूचना आपको दे रहा हूं । इसको दिखवा लें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

आप इसको भेज दीजिए मैं आश्वस्त करता हूं कि यदि किसानों का पैसा बकाया होगा तो पेमेंट किया जायगा ।

श्री लालजी वर्मा–

धान का पैसा कब तक दे देंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर,मैंने बताया कि क्रय एजेंसियों को भुगतान कर दिया गया है कोई सोसाइटी ऐसी हो सकती है जिसका भुगतान न हुआ हो । अगर आपकी जानकारी में हो तो दे दें हम सुनिश्चित करा लेंगे कि किसानों का भुगतान हो जाय ।

श्री अम्बिका चौधरी–

कोई तिथि बता दीजिये कि कब तक भुगतान हो जायेगा ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

15 दिन के अन्दर । जैसा मैंने पहले बताया जो गेहूं की खरीद हो रही है उनके क्रय केन्द्र स्थापित हो चुके हैं और बोरों तथा धन की व्यवस्था की गयी है । जहां पर क्रय केन्द्र नहीं खुले हैं मैं

समझता हूं कि 2-3 दिन में सभी केन्द्र सक्रिय हो जायेंगे । कहीं पर भी यह शिकायत है कि गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है तो हमको या खाद्य आयुक्त को जानकारी करा दी जाय हम सुनिश्चित करेंगे कि गेहूं जरूर खरीदा जाय और किसानों को कठिनाई न हो । माननीय, जहां तक किसानों के हित का सवाल है मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि 5 लाख 40 हजार मी० टन धान की खरीद हो चुकी है । पिछले वर्ष जो खरीद हुई उसकी जानकारी मैंने कल दी है और गत वर्ष सिर्फ 62 हजार मी० टन धान खरीदा गया । इसके पहले 15 हजार मी० टन धान खरीदा गया उसके पहले 12,000 मी० टन धान खरीदा गया इस वर्ष 5 लाख 40 हजार मी० टन धान खरीदा गया । अगर इतनी बड़ी मात्रा में धान की खरीद न होती तो किसान का नुकसान होता और किसान के घाटे की भरपाई पूरी करना मुश्किल होता । गेहूं के सम्बन्ध में भी आश्वस्त करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा का समय 10 मिनट बढ़ा दे रहे हैं ।

चौ० नरेन्द्र सिंह–

वैसे हमने गेहूं की खरीद का लक्ष्य 20 लाख मी० टन रखा है उससे ज्यादा भी गेहूं आएगा उसको खरीदा जाएगा । इसमें लक्ष्य कोई बाधा नहीं बनेगा । उससे ज्यादा भी गेहूं खरीदा जा सकता है । हम किसानों के हितों की पूरी रक्षा करेंगे यह मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, खाद्य मंत्री जी ने इस माननीय सदन को सूचित किया है कल हम आंकड़े चाह रहे थे आज उन्होंने आंकड़े दिए हैं इसके लिए मैं आभारी हूं । पूर्वांचल में गेहूं सबसे पहले पकता है सबसे पहले काटा जाता है जाहिर है सबसे पहले मंडियों में पहुंचता है । लेकिन आंकड़े हैं मिर्जापुर मण्डल में खरीद शून्य, वाराणसी मण्डल में खरीद शून्य, आजमगढ़ मण्डल में खरीद शून्य, गोरखपुर मण्डल का जो उन्होंने फीगर दिया है और फैजाबाद मण्डल का जो उन्होंने फीगर दिया है, जो बस्ती का उदाहरण दिया है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ पूर्वांचल में जहां सबसे पहले गेहूं पकता है, मण्डी में आता है, चूंकि मुख्य मंत्री पूर्वांचल से आते हैं इसलिए शायद उनसे दुश्मनी के नाते वहां नहीं खरीदा गया मंत्री जी कृपया अपनी दुश्मनी अलग कर लें और पूर्वांचल के किसानों को दुर्दशा में डालने का काम न करें । वहां के किसान पूरी तरह से लुट जाएं, बिचौलियों के हाथ में बिक जाएं बन्धक हो जाएं उसके बाद खरीद शुरू करें इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है । जहां सहारनपुर मेरठ मण्डलों की बात कर रहे थे वहां जबकि अभी खेतों में कटना शुरू हुआ है जैसा कि कल सम्मानित सदस्य कह रहे थे लेकिन वहां इतनी खरीद हुई और पूर्वांचल में शून्य । अतः यह स्पष्ट करती है सरकार की नीयत पूर्वांचल के किसानों के प्रति कैसी है जो बात कल हम लोगों ने कही थी वह इससे स्वतः स्पष्ट है । इन मण्डलों में एक भी क्रय केन्द्र नहीं खोले गये । मैं इसके लिए निन्दा करते हुए खाद्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि तत्काल इन मण्डलों में जो प्रस्तावित क्रय केन्द्र हैं उनको खोला जाएं तथा कल से ही काम शुरू कर दें ।

* श्रीमती सीमा द्विवेदी–

माननीय, जैसा कि अभी कहा गया कि पूर्वांचल में कहीं भी क्रय केन्द्र नहीं खोले गये मेरा जनपद जौनपुर पूर्वांचल में आता है । हमारे यहां पूरे जनपद में क्रय केन्द्र खोले गये हैं । हमारे जिले में कब से खुल गए । मैं अपने क्षेत्र की बात करती हूँ ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक तो धान के बारे में टाण्डा क्षेत्र में जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर के सम्बन्ध में मैंने जो आरोप लगाया है तथा माननीय मंत्री जी उसकी जांच कराकर कोई कार्यवाही करेंगे ? गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में उत्पादन हो चुका है । आपने आंकड़े में बताया कि अम्बेडकर नगर में क्रय शून्य है तो क्या माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था करेंगे कि अम्बेडकर नगर में कल से गेहूं की खरीद प्रारम्भ कर दी जाय ?

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मैंने पिछली बार भी कहा था और आज फिर इस बात को कह रहा हूं कि हमारे जनपद लखीमपुर में सहकारिता की ऐसी कई फर्जी संस्थाएं हैं जो किसानों का शोषण कर रही हैं जिससे किसान भुखमरी की कगार पर आ गया है । पिछली बार जांच तीन समितियों की हुई थी । क्या मेरे जनपद में इन फर्जी सोसाइटीज की जांच कराकर कोई कार्यवाही की जायगी ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले ही प्रार्थना की है कि ऐसी कोई भी समिति जो फर्जी तरह से काम कर रही है मेरे संज्ञान में आती है तो हम इसकी जांच अवश्य करायेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरे जिले फिरोजाबाद में अभी तक कोई खरीद नहीं हुई है । तो जिन जिलाधिकारियों द्वारा सरकार के आदेशों की अवहेलना करके खरीद प्रारम्भ नहीं कराई गई है क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायगी ?

*मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय अम्बिका चौधरी जी ने बताया कि पूर्वांचल में कहीं पर भी क्रय केन्द्र नहीं खोले गये हैं । मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक भी जनपद ऐसा नहीं बचा है जहां पर क्रय केन्द्र नहीं खोले गये हों । आप सभी माननीय सदस्य विगत तीन दिनों से यहां पर मौजूद हैं इसलिए सम्भवतः आपको जानकारी में यह न आया हो, पूरी सूचना आपको न मिल सकी हो ।मैं यह भी आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार को जो भी कीमत चुकानी पड़े हम किसानों के हितों पर कोई चोट नहीं पहुंचने देंगे । हम इस सच्चाई को नकारना नहीं चाहते कि यह प्रदेश इतना बड़ा है और शासन व प्रशासन तंत्र से आप भली भांति परिचित हैं अनियमितताओं को नकारा नहीं जा सकता लेकिन मैं अनियमितता की जानकारी मिलने पर दोषी लोगों को क्षमा नहीं करूंगा उन्हें कठोर से कठोर दण्ड दिया जायगा । मैं आप सभी को एक जानकारी और देना चाहता हूं कि लखीमपुर में गेहूं क्रय केन्द्र के विषय में नेता विरोधी दल ने जो बात कही तो उस विषय पर मैंने अपने कार्यालय जाकर इसकी जानकारी प्राप्त की और मुझे अपने प्रशासन पर आज वास्तव में भरोसा हो गया कि तुरन्त ही तीन कर्मचारियों को दोषी पाकर उनके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज करके उन्हें जेल के भीतर डाला जा चुका है । मैं तो पूरे सदन का सहयोग चाहता हूं यदि कहीं से कोई अनियमितता की शिकायत मिलती है तो अवश्य जानकारी दे चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो बक्शा नहीं जायगा । यदि इस प्रदेश के किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उन्हें माफ नहीं किया जायेगा । उनके लिए केवल निलम्बन ही सजा नहीं होगी बल्कि अपराध किस तरह का है इसको आंकने के बाद अपराध यदि ऐसा बनता है कि उसको जेल की सींखचों के पीछे डाला जायेगा । तो निश्चित रूप से उसको जेल की सीखचों के पीछे डाला जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आभारी हूं माननीय नेता सदन का, जिन्होंने सदन को और सदन के माध्यम से प्रदेश को आश्वस्त करने का प्रयास किया है कि किसानों का गेहूं खरीदा जायेगा और जो दोषी होगा, अपराधी होगा उसको दण्डित किया जायेगा। मैंने एक प्रश्न किया था शायद मैं उसे ठीक से स्पष्ट नहीं कर सका। मंत्री जी ने उसके जवाब में जो आंकड़े दिये वे उनके अधिकारियों ने ही उन्हें दिये होंगे। जनपदवार, मण्डलवार बताया कि कहीं पर 12 मीट्रिक टन, कहीं पर 150 मीट्रिक टन खरीदा गया।मैंने स्पैसिफिक आजमगढ़ मण्डल के बारे में भी पूछा था मंत्री जी ने जवाब दिया कि शून्य। माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े दिये गये वह मेरे नहीं हैं माननीय खाद्य मंत्री जी ने दिये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में कुछ आंकड़े हैं और माननीय खाद्य मंत्री जी के संज्ञान में कुछ और आंकड़े हैं। पता नहीं यह सूचना तंत्र किस तरह से काम कर रहा है। यह आंकड़े भिन्न-भिन्न होने से और गम्भीर प्रश्न हो जाता है कि आपको कुछ सूचना दी जा रही है और खाद्य मंत्री जी को कुछ और सूचना दी जा रही है। मान्यवर, आप आज की कार्यवाही मंगवा कर देख लें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस, मिर्जापुर, गोरखपुर इधर सभी जनपद में धान कटने के बाद गेहूं बोया जाता है। गेहूं थोड़ा देर से आता है। धान भी यह चन्दौली, वाराणसी और इसके आसपास देर से धान की फसल आती है। अभी कोई इस तरीके की बात नहीं है कि कोई भेदभाव करने की बात हो। पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश के सभी किसानों के हितों का ध्यान रखा जायेगा। बिचौलियों की बात कही गई। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि बिचौलियों को किसी तरह से इजाजत नहीं होगी। पिछली धान की खरीद में 35 अधिकारियो/कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया। जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। जहां तक माननीय सदस्य ने अम्बेडकर नगर में क्रय केन्द्र खोलने का सवाल है प्रदेश में 47 क्रय केन्द्र खुल गये हैं। 4600 क्रय केन्द्र और अभी खोले जाने हैं। जहां क्रय केन्द्र नहीं खुले हैं वहां बहुत जल्दी ही खोले जायेंगे। सभी जनपदों मे खरीद शुरू कर दी जायेगी। कहीं से शिकायत आती है कि किसान गेहूं लेकर क्रय केन्द्र पर गया और उसका गेहूं नहीं खरीदा गया तो मैं आज बताना चाहता हूं कि आयुक्त कार्यालय में एक टेलीफोन लगा है जिसका नम्बर आप लोग नोट कर लें नम्बर है–201246 अगर किसी को शिकायत है कि उसका गेहूं नहीं खरीदा गया तो इस नम्बर पर वह शिकायत कर सकता है। इतना ही नहीं हम सभी सम्मानित सांसदों को, सम्मानित विधायकों को, सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्षों को, ब्लाक प्रमुखों को भी पत्र लिखकर कह रहे हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में क्रय केन्द्र को देखें और यदि किसानों को कोई कठिनाई हो तो हमको उसकी जानकारी दें। यह हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। मैं फिर से आश्वस्त करता हूं।

श्री लालजी वर्मा–

हमने जो शिकायत की है उसकी जांच करा लें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

निश्चित तौर पर इसमें जांच कराई जाएगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 25-4-2001 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री राम औतार शाक्य की है इन्होंने प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आर० आई० डी० एफ० योजना के फेज 5 व 6 के अन्तर्गत सड़कों की स्वीकृति में अनियमितताओं के सम्बन्ध में सूचना दी

है इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । दूसरी सूचना श्री गोपाल कृष्ण की है इन्होंने प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किये गये हजारों विषय-विशेषज्ञों (अध्यापकों) का वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है इसको वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया है । तीसरी सूचना डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की है इन्होंने प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुविधाओं को क्रमशः सरकार द्वारा समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है । इसको वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया गया है । चौथी सूचना श्री संजय गर्ग की है इन्होंने सहारनपुर नगर में भू-माफियाओं द्वारा निर्बल तथा असहायों की भूमि पर अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है इसको वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया गया है । पांचवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की है इन्होंने जनपद फिरोजाबाद के थाना मठसैना के अन्तर्गत हो रही अपहरण की घटनाओं तथा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है इसको वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया गया है । छठी सूचना श्री राम अचल राजभर की है इन्होंने जनपद अम्बेडकर नगर में सिकन्दरपुर में 33/11 विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत होने तथा जमीन उपलब्ध कराये जाने के बावजूद निर्माण कार्य शीघ्र न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । सातवीं सूचना श्री अम्बिका चौधरी की है । जनपद बलिया में तहसील तथा पुलिस के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध बालू खनन कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है । इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । आठवीं सूचना श्री रामतेज यादव एडवोकेट की है इन्होंने जनपद बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विद्युतीकरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने तथा विभागीय कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं तथा मनमानी पर रोक लगाये जाने के संबंध में सूचना दी है । इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । नवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की है इन्होंने जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में दर्जी कुआं मनकापुर बभनान मार्ग और मसकनवा, सिकन्दरपुर क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण शीघ्र न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है इसको केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया जाता है । दसवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है इन्होंने जनपद मथुरा की बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा पुलिस द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं मनमानी के संबंध में सूचना दी है । इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । ग्यारहवीं सूचना डा० वकार अहमद शाह की जनपद बहराइच में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मासिक मानदेय पर निश्चित अवधि के लिए नियुक्त कतिपय शिक्षकों को वेतन भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । बारहवीं सूचना श्री कृपाशंकर सिंह ने जनपद उन्नाव में शारदा नहर उन्नाव ब्रांच व पुरवा में पानी न छोड़े जाने तथा शासन के आदेशों के बावजूद तालाबों को न भरे जाने से जन सामान्य को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है । इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । तेरहवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की प्रदेश में पूर्व लोक निर्माण मंत्री द्वारा लोकार्पण/उद्घाटन करने के संबंध में सूचना दी है यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । यह नियम–300 में भी प्राप्त हुई है । चौदहवीं सूचना श्री रामनरेश यादव की है जनपद आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत खुरचंदा ग्राम में हुए भीषण अग्निकाण्ड के पीड़ितों को राहत व सहायता दिये जाने के संबंध में सूचना है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है । पन्द्रहवीं सूचना श्री रूप चौधरी की है जनपद मेरठ के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत समुचित बिद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में सूचना है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है । सोलहवीं श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की गाजियाबाद नगर में भूषण स्टील फैक्ट्री के सामने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किये जाने से जन सामान्य को हो रही असुविधाओं के संबंध में सूचना है । इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है । सत्रहवीं सूचना श्री कौकब हमीद की है जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड कुरावली अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुम्हरौआ के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर

रोजगार योजना की विकास निधि का गबन किये जाने तथा छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं । 1–श्री राधेश्याम, 2–श्री राम चन्द्र यादव, 3–श्री गोरखनाथ पाण्डेय, 4–श्री आर्य राम शरण, 5–आचार्य रामदेव वैश्य, 6–डा० धर्मज्ञ मिश्र तथा 7–श्री हरपाल सिंह ।

सदस्यों की निजी/क्षेत्रीय समस्या के सम्बन्ध में सूचना

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 25-4-2001 को प्राप्त माननीय सदस्य की निजी/क्षेत्रीय समस्या में श्री राम अचल राजभर की सूचना है ।

(श्री राम अचल राजभर अनुपस्थित थे)

इनकी सूचना को निरस्त किया जाता है ।

अब हम उठते हैं । 30-4-2001 को सोमवार को प्रातः 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 55 मिनट पर सोमवार, दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 25 अप्रैल, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अता० प्र० सं०–55 का उत्तर पीछे पृष्ठ.–43 पर)

संलग्नक

वर्ष 1997 से मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया को उपलब्ध कराये गये वाहनों पर वर्षवार व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

वाहन संख्या–यू० एम० एल०–3664

वर्ष	पेट्रोल/डीजल पर व्यय	मरम्मत/सर्विसेज पर व्यय
1997-98	रु० 3,327.25 पैसे	रु० 2,400.00
1998-99	रु० 25,620.55 पैसे	रु० 2,343.00
1999-2000	रु० 1,247.00	रु० 12,443.00
2000-2001	बिल भुगतान हेतु लम्बित है ।	

वाहन संख्या–यू०पी०–32 एन 5297

वर्ष	पेट्रोल/डीजल पर व्यय	मरम्मत/सर्विसेज पर व्यय
1997-98	रु० 37,971.65 पैसे	शून्य
1998-99	रु० 38,374.15 पैसे	रु० 8,149.00
1999-2000	रु० 19,183.10 पैसे	रु० 20,778.00
2000-2001 (30-9-2000 तक)	रु० 20,489.00	रु० 11,508.00

वाहन संख्या–यू०पी०–32 ए०एफ० 4660

वर्ष	पेट्रोल/डीजल पर व्यय	मरम्मत/सर्विसेज पर व्यय
दिनांक 30-9-2000 से दिनांक 5-1-2000 तक	रु० 12,609.00	शून्य

रमापति शास्त्री,

मंत्री,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ।

पी०एस०यू०पी०–एल० 196 विधान सभा (339)–2001–813 (डी०टी०पी०) ।